ISSN 2348-3857
Impact Factor: 5.454

Research Reinforcement

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewd International Refereed Journal)

रिसर्च रिइन्फोर्समेंट

Volume 7 Issue 2 November 2019 - April 2020

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Editor's Desk

Patron

Shri Rajendra Prasad Gupta, RAS (Rtd.)

Govt. of Rajasthan Jaipur (Rajasthan)
Address- 94/200 , Vijay Path, Mansarover, Jaipur-20, Rajasthan
Email Id : rpguptaraj@yahoo.com

Editor in Chief

Dr. Pankaj Gupta

Assistant Professor in Selection Scale
Department of College Education, Govt. of Rajasthan
Address- 111/142, Vijay Path, Mansarover, Jaipur-20, Rajasthan
Email Id : drpankajgupta1979@gmail.com

Editors

Commerce & Management Section

Vinay Kumar Sharma

Former Dean, Faculty of Commerce, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)
Principal (Retd.), Govt. P.G. College, Sanbharlake, Jaipur (Raj.)
Address- 1 / 96 Chitrakoot near Global heart hospital , Vaishali Nagar Jaipur
Email Id : 59vinaysharma@gmail.com

Social Science & Environment Section

Dr. Vinod K. Bhardwaj

Associate Professor
Commissionerate of College Education, Rajasthan
Address-66 Gangotri Nagar, Gopalpura, Bypass, Jaipur-18, Rajasthan
Email Id : drvkb.25@gmail.com

Dr. Archana Bansal

Lecturer
Department of School Education, Govt. of Rajasthan
Address- 111/211, Vijay Path, Mansarover, Jaipur-20, Rajasthan
Email Id : pol_lec@yahoo.co.in

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Ms. Deepshikha Parasher
Senior assistant professor
IIS (deemed to be university) , Jaipur (Rajasthan)
Address- 93/71, Vijay Path, Mansarovar, Jaipur
Email Id : foreverdeeya@gmail.com

Education Section
Dr. Sanjay Kedia
Asst. Principal
ICG Institute of Educational Research & Development, Jaipur (Rajasthan)
Address- C2-604, Raheja Residential Complex, Patrakar Colony
Email Id : drsanjaykedia9@gmail.com

Arts & Huminities Section
Dr. Jagadeesh Giri
Assistant Professor
Department of Hindi, University of Rajasthan, Jaipur
Address- L-09 B, university of Rajasthan, jaipur-302004
Email Id : dr.jagdishgiri@gmail.com

Associate Editors
Social Science & Environment Section
Dr. Nandkumar N. Sawant
Principal
Parvatibai Chowgule College, Madgaon (Goa)
Address: Parvatibai chowgule college, Post fatorda Margoa Goa-403602
Email Id : drnandkumarsawant@gmail.com

Dr. Batskhem Myrboh
Associate Professor
Synod College, Shillong (Meghalaya)
Address: Synod College, Jaiaw, Shillong, Meghalaya-793002
Email Id : bmyrboh07@gmail.com

Dr. Shakti Singh Shekhawat
Assistant Professor
Commissionerate of College Education, Rajasthan
Address- 3,Lions Lane,Anjani Marg,Hanuman Nagar Ext.,Sirsi Road,Jaipur, Rajasthan
Email Id : Shekhawatedwa@gmail.com

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Dr. Yogendra Dixit
Assistant Professor
Political Science, Central Sanskrit University, Shri Ranbir Campus, Kot Bhalwal, Jammu
Address : 3/41, Malviya Nagar, Jaipur-302017, Raj.
Email id : yogendrakumardixit@gmail.com

Dr. Monika Kannan
Associate Professor
Sophia (Autonomous) Girls' College, Ajmer
Address : Siddhi Vinayak Complex, Opp. D.A.V College, Ajmer (Rajasthan) 305001
Email Id : kannanmonika@gmail.com

Education Section
Dr. Savita Mishra
Principal
Vidyasagar College of Education, Darjeeling (West Bengal)
Address : Vill. Rupandighi, P.O. Phansidewa, Dist. Darjeeling-734434 (W. B.)
Email Id : vcprincipalmishra@gmail.com

Commerce & Management Section
Dr. Sheenu Jain
Assistant General Manager
Address: 71-B, Shanti Nagar A, Gujar ki thadi New sanganer road – Jaipur-19
Address: Jaipuria Institute of Management, Jaipur (Raj.)
Email Id : Sheenujain007@gmail.com

Arts & Huminities Section
Dr. Ashish Vyas
Assistant Professor in Selection Scale
Seth R L Saharia Govt PG College, Kaladera
Address: F-1,D 96,Maruti Tower,Sindhu Nagar,Murli pura,Jaipur-302039
Email Id : avcvrv@gmail.com

Dr. Vishal Vikram Singh
Assistant Professor
Hindi Vibhag, University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan
Address : L-8 G, Rajasthan University Campus, Jaipur, 302004, Raj.
Email id : vishalhindi@gmail.com

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

International Editorial Advisory Board

Prof. B.L. Sukhwal
Wisconsin University, Medison, USA

Prof. Miroljub Jevtic
University of Belgrade, Belgrade

Prof. Lal Mervin Dharmisiri
Director, NCAS, Colombo, Sri Lanka

Prof. Dr. Mohammad Iqbal
Shah Jalal University of Sci. & Tech., Sylhet, Bangladesh

Prof. Syeda Rozana Rashid
Dhaka University, Bangladesh

Dr. Kedar P. Acharya
UGC, Nepal

National Editorial Advisory Board

Prof. P.N. Shastry
Vice Chancellor, Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi

Prof. S.K. Sharma
Vice Chancellor, M.G. Central University, Motihari (Bihar)

Prof. Kaushal Kishore Mishra
Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.)

Prof. M. Pareek (Rtd.)
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. Uma Gole
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (Chh.)

Prof. Rajeev Gupta (Rtd.)
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. Ravindra G. Jayabhaye
Savitrbai Phule Pune University, Pune (Maharashtra)

Prof. K.G. Sharma
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. B. Srinagesh
Osmania University, Hyderabad (Telangana)

Prof. P.S. Bhatnagar (Rtd.)
University of Rajsthan, Jaipur (Raj.)

Prof. Archana Purohit
Mata Jijabai Govt. Girls College (Auto.), Indore (M.P.)

Prof. B.L. Fadia (Rtd.)
JNV University, Jodhpur (Raj.)

Prof. Virendra Nagarale
SNDT Women University, Pune (MH)

Dr. Vimal Prasad Agarwal
Ex-Chairman, RBSE, Ajmer (Raj.)

Prof. B.C. Kalita
Cotton College State University, Guwahati, Assam

Prof. H.S. Sharma
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. K.S. Sharma
The IIS University, Jaipur (Raj.)

Dr. Inakshi Chaturvedi
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Board of Refrees

Dr. Wangshimenla Jamir
Associate Professor, Geography
Nagaland Central Uni., Nagaland

Dr. Iyatta M. Upreti
Associate Professor, Geography
Sikkim Govt. College, Rhenok (Sikkim)

Dr. Anju Beniwal
Assistant Professor, Sociology
Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.)

Dr. Shivangna Sharma
Assistant Professor, Sanskrit
Govt. Arts College, Chimanpura, Jaipur (Raj.)

Dr. Sunil Kumar
Associate Professor, Law
Govt. Law College, Ajmer, Rajasthan

Dr. Ibalari Phylla Khongjoh
Assistant Professor, Economics
Synod College, Shillong (Meghalaya)

Virendra Sharma
Assistant Professor, History
Govt. Girls PG College, Ajmer (Raj.)

Dr. Minal Sharma
Assistant Professor , Political Science
Kanoria, Mahila PG Mahavidyalaya, Jaipur (Raj.)

Dr. Monika Dave
Associate Professor, Economics
Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.)

Dr. Sherap Bhutia
Assistant Professor, Geography
Darjeeling Govt. College, Darjeeling (W.B.)

Dr. Poonam Chhetri
Assistant Professor, Education
N.B. Degree College, Tadong, East Sikkim (Sikkim)

Dr. Sameena Hameed
Assistant Professor, Economics
WAS, SIS, J.N.U., New Delhi (Delhi)

Dr. Ravindra Tailor
Assistant Professor, History
Maulana Azad University, Jodhpur (Raj.)

Dr. Lakhimi Gogoi
Assistant Professor, Geography
Narangi Anchalik Mahavidyalaya, Guwahati (Assam)

Dr. Avdhesh Sharma
Assistant Professor Sanskrit
Govt. Arts College, Chimanpura, Jaipur (raj.)

Dr. Shivkumar Mishra
Associate Professor, History
Govt. Arts College, kota (Raj.)

Research Reinforcement

ISSN 2348-3857

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

From the Editor

Dear Authors /Readers/ Reviewers of Research Reinforcement Journal (RRJ),

I am privileged to handing over this prestigious new volume of the RRJ (Vol. 7; Issue -2; November 2019 - April 2020).

This Research Reinforcement journal, an initiative, was started to share research works, commenced in the disciplines of social science and humanities. Our focus is to provide platform to young and mature scholars who have been keenly exploring the possibilities to get their research published on one hand and also to ensure reach up to the pioneer researchers and learners in their respective fields. This journal is moving in its 7th year of its circulation, is attracting academicians from all corners of the country, and even from abroad like Nepal, Sri Lanka and Bangladesh. It is a peer-reviewed journal, which is academically cooperated by legendary experts from various disciplines as advisor and referees. Research papers and articles from social science and humanities backgrounds are published in this journal. We more prefer the first hand based research and analytical articles in this journal. Besides, we are equally providing space to the research papers based on survey, discussions and reviews.

This volume 25 includes research papers & articles. We expect more scholarly research papers and articles on issues of concurrent importance and socio-politico-economic analysis based. Besides, we welcome the research papers and articles related to other allied fields including humanities, social sciences, science and commerce interpreting socio-economic relevance.

Best Wishes

Dr. Pankaj Gupta

The Editor in chief

Research Reinforcement

ISSN 2348-3857

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Contents

S.No.	Particulars	Page No.
1.	**भारत में उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौतियां** डॉ. अशोक एवं डॉ. राजेश कुमार जांगिड़	1
2.	**दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और भारत : 1947 के बाद** डॉ. सुरेश कुमार मीना	7
3.	**चम्पारण सत्याग्रह और गाँधी** डॉ. सरिता तिवारी	15
4.	**भारत में लोकतंत्र : एक विश्लेषण** डॉ. अनिल कुमार यादव	21
5.	**नारीवाद : नारी उन्मुक्ति की सैद्धांतिक मीमांसा** डॉ. मनोज कुमार शर्मा	27
6.	**सवाई माधोपुर जिले के जल भूविज्ञान का विश्लेषण एवं भूजल प्रबंधन** प्रेम सोनवाल एवं डॉ. एल.सी. अग्रवाल	37
7.	**निकोलाई दानिलेवस्की : एक संस्कृति-दार्शनिक** अमित कुमार रैंकवार	47
8.	**भारतीय राजनीति में राज्यपाल की भूमिका और उसकी कार्यप्रणाली : एक विवेचनात्मक अध्ययन** डॉ. डी.आर. शर्मा एवं डॉ. कीर्ति शर्मा	52
9.	**मौर्य साम्राज्य काल में राजस्थान के समाज एवं संस्कृति का ऐतिहासिक अध्ययन** डॉ. राजेश कुमार मीना	59
10.	**भारत-नेपाल संबंध : निरंतरता के साथ परिवर्तन** प्रकाश	63
11.	**सतत् विकास की गाँधीवादी अवधारणा** मुकेश कुमार गुप्ता	70
12.	**मुक्तिबोध उपन्यास : मुक्ति और पलायन का द्वंद्व** ममता कंवर बारहठ	75

S.No.	Particulars	Page No.
13.	**ग्रामीण विकास एवं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना** डॉ. रामफूल जाट	79
14.	**लॉर्ड एक्टन और राष्ट्रीयता की अवधारणा** डॉ. दिनेश भार्गव	85
15.	**भारत में महिला सुरक्षा और सामाजिक विधायन : एक अध्ययन** डॉ. मुकेश कुमार वर्मा	90
16.	**लैंगिक विषमताएँ एवं समावेशी विकास** डॉ. सीमा अग्रवाल	101
17.	**अनुभवातीत संस्थागत और अनुभूति केन्द्रित न्याय** विमल कुमार महावर	105
18.	**महात्मा गाँधी का चिंतन एवं पंथनिरपेक्षता : एक विश्लेषण** डॉ. प्रेम सिंह	109
19.	**मेकियावेली के राजनीतिक विचारों की आधुनिकता : एक आलोचनात्मक व्याख्या** डॉ. मीना रानी	114
20.	**भारतीय विदेश नीति में उभरते नये आयाम** प्रियंका रानी	119
21.	**ब्रह्म जिनदास कृत 'रामरास' का दर्शन पक्ष** डॉ. सारिका	125
22.	**भारत में संघवाद : केन्द्र राज्य सम्बधों में वर्तमान स्थिति** अवधेश कुमार जाजोरिया	130
23.	**दलित उत्थान में महात्मा गाँधी की भूमिका** डॉ. शालिनी सांदू	135
24.	**स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) : राजस्थान के नागौर जिले के सन्दर्भ में** डॉ. गणेशा राम	139
25.	**साक्षरता में स्थानिक विभिन्नता प्रतापगढ़ (राज.) जिले का अध्ययन** सीमा चौधरी एवं डॉ. एम.जेड.ए. खान	145

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 1-6

भारत में उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौतियां

डॉ. अशोक

सहायक आचार्य, सामाजिक अध्ययन सेंटर, आर्थिक अध्ययन एवं आयोजन केंद्र
जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली (दिल्ली)

डॉ. राजेश कुमार जांगिड़

सह आचार्य, अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, रेलमगरा, राजसमन्द (राजस्थान)

ISSN 2348-3857

शोध सारांश

भारत में उच्च शिक्षा का तेजी से विस्तार हो रहा है। क्षेत्रीय, सामाजिक व ग्रामीण-शहरी असमानाताएं घट रही है। लेकिन अभी भी नामांकन विस्तार व इन असमानताओं को कम करने के लिए काफी प्रयास बाकी है। उच्च शिक्षा नामांकन में संकाय अनुसार, स्तर अनुसार, विषम संरचना बनी हुई है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की कमी रोजगार के साथ सम्बन्धता, भ्रष्टाचार व नियमन में आदि विषयों में गम्भीर समस्याएं या चुनौतियां विद्यमान है।उच्च शिक्षा में नव उदारवादी विचारधारा का तेजी से समावेश होने के कारण उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, सभी तक उच्च शिक्षा को पहुचाना तथा लाभ प्रेरित शिक्षा में निवेश व भ्रष्टाचार की समस्याएं तेजी से बढ़ी है। शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे तथा इन उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को सही मायने में प्राप्त किया जाने इसके लिए स्वायत्ता व नियमन के ढांचा गत स्वरूप को सही तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत आलेख में इन सभी पक्षों का समावेश किया गया है।

संकेताक्षर : *उच्च शिक्षा, नामांकन, असमानता, गुणवत्ता, संकाय, रोजगार, भ्रष्टाचार, नियमन, चुनौतियाँ*

प्रस्तावना

शिक्षा मानव विकास के लिए एक आधारभूत एजेन्सी है। उच्च शिक्षा मानव मस्तिष्क एवं उसके उच्च स्तर की संज्ञानात्मक क्षमता (काग्नेटिव एबीलिटी) का विकास है। समान्यत: शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज में रहने के लिए तथा उसके सामुदायिक विकास के लिए उसके अर्थ पूर्ण जीवन यापन एवं श्रेष्ठ नागरिक बनने का प्रशिक्षण देना है। परन्तु उच्च शिक्षा का उद्देश्य इससे भी उच्चतर माना गया है। भारत में विद्यालयी शिक्षा (सीनीयर सैकण्डरी) के बाद की शिक्षा उच्च शिक्षा मानी जाती है। इसमें शिक्षक वर्तमान में उपलब्ध ज्ञान को अगली पीढी में स्थानान्तरित करता है, तथा अनुसंधान करके नये ज्ञान का सृजन भी करता है। ज्ञान की सृजन की इस प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों ही समान रूप से उत्पादक माने गये हैं। शिक्षा की इस प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सामुहिक रूप से समाज के प्रति उत्तरदायी माने गये हैं। इसलिए इनसे अपेक्षा की गई है कि ये समाज के लिए दीर्घकालीन परिणामों वाले समाज के लिए उपयोगी ज्ञान का सृजन करें।

भारत में वर्तमान उच्च शिक्षा व्यवस्था ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारणों से कई समस्याओं से ग्रस्त है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में उच्च शिक्षा के विकास में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं। उच्च शिक्षा के संस्थानों एवं कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या ने कई गुना वृद्धि हुई है। समाजिक रूप से पिछड़े वर्ग यथा एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के नामांकन का अनुपात भी तेजी से बढ़ा है, इससे सामाजिक असमानता में कमी आयी है। ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के संस्थान खुलने से क्षेत्रीय असमानता भी कम हुई है। कुल मिलाकर उच्च शिक्षा जो कि पहले केवल प्रभु (एलिट) वर्ग तक सीमित थी, जो अब सामान्य व्यक्ति (मध्यम वर्ग) की पहुंच में आ गयी है। इतने सब विकास के बावजूद भी उच्च शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानता अभी भी बनी है। उच्च शिक्षा का विकास एकतरफा केवल सामान्य शिक्षा (लिबरल एजूकेशन) की ओर अधिक हुआ है। इसमें तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा का विकास समाज में आवश्यकता से बहुत पीछे रह गया है। इसके अतिरिक्त नामांकन में तेजी से विस्तार हुआ है लेकिन गुणवत्ता में अपेक्षित

सुधार नहीं हुआ है, बल्कि तेजी से विस्तार के साथ गुणवत्ता पीछे छूट गयी।

असमान वितरण/सामान्य शिक्षा की तरफ झुकाव

भारत में उच्च शिक्षा का विकास एवं विस्तार समाज एवं देश की आवश्यकता के अनुरूप न होकर एक तरफा हुआ है। यह असमान वितरण कई तरह से हुआ है, क्षेत्रीय रूप से भी इसका विस्तार असमान रूप से भी हुआ है। इस असमान विस्तार के कारण उच्च शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पीछे रह गयी है। चूंकि देश में संसाधन सीमित हैं, तथा खासतौर से राज्य के पास सार्वजनिक व्यय के लिए संसाधन और भी सीमित हैं, इसलिए उच्च शिक्षा पर व्यय समाज एवं देश की आवश्यकता और प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है। शिक्षा की कौनसी संकाय (फेकल्टी) का विस्तार किया जाना है इसका निर्णय राजनितिक नेतृत्व के स्तर पर होता है। अनुकुलतमकरण (Optimization) के लिए न्यूनतम व्यय के अधिकतम लोगों को सन्तुष्ट करने की कोशिश की जाती है। दीर्घकालिन विकास के लिए व्यावहारिक निर्णय के बजाए लोकप्रिय निर्णय लिए जाते है। वर्तमान में उच्च शिक्षा में अधिकांश नामांकन सामान्य शिक्षा में है। सामान्य शिक्षा में भी विज्ञान विषयों में नामांकन बहुत कम है। सबसे अधिक नामांकन समाजिक विज्ञानों एवं कला विषयों में है। संपूर्ण सामान्य शिक्षा में सर्वाधिक नामांकन स्नातक स्तर में ही है। स्नातकोत्तर एवं अनुसधांन में बहुत ही कम नामांकन है। अत: सम्पूर्ण उच्च शिक्षा में सर्वाधिक नामांकन बी.ए. के पाठ्यक्रम का है। इससे ऐसा लगता है कि सम्पूर्ण उच्च शिक्षा व्यवस्था बी.ए. केंद्रित हो गयी है।

देश एवं समाज को कितने बी.ए. डिग्री धारकों की आवश्यकता है, जो अपनी शैक्षिक योग्यता से राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान कर सकें, इसकी कोई स्पष्ट योजना एवं नीति उच्च शिक्षा के लिए नहीं है। बिना किसी योजना एवं नीति के उच्च शिक्षा का विस्तार होने से देश के सीमित संसाधनों को बी.ए. की डिग्री की शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। बी.ए. डिग्रीधारी की स्थिति रोजगार के बाजार में बिना किसी कौशल के कारण बहुत दयनीय बनी हुयी है। सामान्यतया ऐसा लगता है कि विद्यालयी शिक्षा के बाद प्रत्येक विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अपनी रूचि के संकाय एवं विषय में प्रवेश लेता है, तथा अध्ययन करता है। परन्तु वस्तुत: ऐसा व्यवहार में संभव नही है। किसी भी सकांय एवं विषय में प्रवेश के लिए विद्यार्थी में अपेक्षित न्यूनतम योग्यता एवं मेरिट का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उस संकाय एवं विषय से संबधित संस्थानों में प्रवेश के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना आवश्यक हैं। उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिष्ठित संस्थानों की संख्या एवं उनमें प्रवेश के लिए उपलब्ध स्थान मांग की तुलना में अत्यधिक कम हैं। इसलिए उनमें प्रवेश के लिए घोर प्रतियोगिता पायी जाती है। श्रेष्ठ तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी अत्यधिक प्रतियोगिता पायी जाती है। अधिकांश विद्यार्थियों को औसत दर्जे या निम्न दर्जे के सामान्य शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश लेना पड़ता है। इन शिक्षा संस्थानों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्राय: बहुत कम होती है, तथा यहां से स्नातक होने पर कौशल के अभाव में विद्यार्थियों को श्रम बाजार में रोजगार के अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं।

यद्यपि तकनीकी शिक्षा का भी बहुत अधिक विस्तार हुआ है लेकिन अभी भी तकनीकी स्नातकों की संख्या बहुत कम है लेकिन गुणवत्ता बहुत कम है, अधिकांश स्नातकों की योग्यता, डिप्लोमा से कम है। यदि ये इंजीनियरिंग स्नातकों की संख्या आधिक होती तथा गुणवत्ता अच्छी होती, ताकि रोजगार के लायक हो सके या यह विस्तार केवल डिप्लोमा इन्जीनियरिंग का होता जिनकी व्यवहारिक व्यवसायिक योग्यता अधिक होती, तो इनकी रोजगार प्राप्त करने की सम्भावना एवं उत्पादकता अधिक होती। किस उद्योग को कितनी आवश्यकता है उसी ब्रांच के इन्जीनियरिंग स्नातकों का उत्पादन किया जाता तो मानव शक्ति नियोजन के दृष्टिकोण से अच्छा होता।

आई.आई.टी. में गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए, जो छात्र स्नातक स्तर के मानदण्डों को पूरा नही करते हैं उन्हें चार वर्षों बाद डिप्लोमा दिया जाता है। ऐसा सभी इन्जीनियरिंग कॉलेजों में भी गुणवत्ता नियन्त्रक के लिए आवश्यक है। यहां तक कि सम्बन्धित ट्रेड या ब्रांच का सर्टिफिकेट भी दिया जाना चाहिए। ऐसे छात्रों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे बाद में कम समय में डिप्लोमा या स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर सके इसके लिए सभी संस्थानों में समानान्तर प्रवेश एवं निकास की सुविधा होना चाहिए।

गुणवत्ता में कमी

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लगभग आधे पद रिक्त हैं। विश्वविद्यालयों में स्वायतत्ता कम है, तथा इनका सरकार द्वारा आवश्यकता से अधिक नियमन किया जाता है। जिसकी वजह से नये ज्ञान का सृजन एवं सृजनात्मकता एवं नवाचार बाधित होता है। भारत में उच्च शिक्षा में अतिनियमन एवं निरंतर बदलते नियमों की वजह से नियमों का मकड़ जाल बन गया है। जिसकी वजह से अकादमिक क्षेत्र में प्रशासनिक नौकरशाही का दबदबा अधिक है।

भारत में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षक का पेशा आकर्षक नहीं है एवं इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अन्य पेशेवरों से कम है, इसलिए इसमें समाज के श्रेष्ठ एवं मेधावी स्नातक शिक्षक के पेशे चयन नहीं करते हैं। इसलिए अकादमिक क्षेत्र को बहुत कम श्रेष्ठ एवं मेधावी शिक्षक मिल पाते हैं। भारत में अकादमिक क्षेत्र में अधिकांश शिक्षक सामान्य एवं औसत स्तर के हैं।

भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था बहुस्तरीय है, जिसमें कई प्रकार के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं स्वतंत्र संस्थान हैं जैसे कि महाविद्यालय निजी, गैर-अनुदानित, निजी अनुदानित, स्वायत्तशासी, सम्बद्ध, अनुसागिंक प्रकार के हो सकते है तथा विश्वविद्यालय राज्य स्तरीय सार्वजनिक, राज्य स्तरीय निजी, केन्द्रीय, डीम्ड प्रकार के हो सकते है। इसके अतिरिक्त ऐसे संस्थान भी है जो विश्वविद्यालय नहीं है तथा किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध भी नहीं है लेकिन डिप्लोमा दे सकते है वे भी प्रचलित है। विदेशी विश्वविद्यालय भी भारत में अपनी शाखाओं के द्वारा स्नातक उपाधि देते है जो गैर-कानूनी नहीं है लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है। चूंकि ऐसे विश्वविद्यालयों (जैसे कि लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स) की उपाधि की गुणवत्ता अधिक होने के कारण उन्हें निजी क्षेत्र में अच्छा रोजगार प्राप्त हो जाता है।

रोजगार एवं उद्योगों से अलगाव

भारत की जनसंख्या में तीस वर्ष से कम आयु के युवाओं की संख्या (कार्यशील जनसंख्या) एवं अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। इस जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ भारत एवं विश्व को तभी मिल सकेगा, जबकि ये सभी युवा श्रेष्ठ एवं अच्छी गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा प्राप्त करें एवं इनमें कौशल का विकास हो सके, ताकि ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेकर राष्ट्रीय आय में अपना योगदान दे सके।

शिक्षित होना बनाम शिक्षा को व्यवहार में काम लेना

सामान्यतया शिक्षा का उद्देश्य श्रेष्ठ नागरिक बनाना होता है। चूंकि शिक्षा एक मैरिट वस्तु है इसलिए, समाज में शिक्षा के विकास के अन्य कई सकारात्मक प्रभाव होते हैं। जैसे समाज में शिक्षा के बढ़ने से रोजगार एवं उत्पादकता बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, विकास की दर बढ़ती है, विज्ञान, प्रद्यौगिकी एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, जन स्वास्थ एवं स्वस्थ आदतों को बढ़ावा मिलता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, परसंस्कृतिग्रहण एवं दूसरों की संस्कृति के सम्मान करने एवं व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद मिलती है।

समाज में शिक्षा के विकास से अपराधों की दर में कमी आती है, नागरिक मूल्यों का विकास होता है, कानून के अनुपालन की प्रवृति बढ़ती है, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है, तथा नागरिक सामुदायिक जीवन में एक अर्थ पूर्ण तरीके से उद्देश्यपूर्ण जीवनयापन करते हैं।

परन्तु वस्तुतः व्यवहार में इस तरह का प्रभाव उतना नहीं हो रहा है, जितना कि अपेक्षित है। इसके समाज में कई उदाहरण मिल जाएंगे। प्राय: हम पाते हैं कि कई गंभीर एवं जघन्य अपराध में उच्च शिक्षित लोग लिप्त पाये जाते है। कई योग्य एवं बुद्धिमान उच्च शिक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाते हैं, जो राजकोष को हानि पहुंचाते है, तथा व्यापक रूप से समाज के विकास में बाधा पहुंचाते हैं। ट्रेफिक सिग्नल का पालन नहीं करने से लेकर साईबर क्राइम करने वाले तथा ठगी करने वाले सभी लोग पढ़े-लिखे और उच्च शिक्षित एवं डिग्रीधारी हैं, परन्तु उच्च शिक्षा का व्यवहार में सही उपयोग नहीं करते हैं।

उच्च शिक्षा के उद्देश्य

समाज के लिए उपयोगी ज्ञान का सृजन करना और उसका विस्तार करना उच्च शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। वर्तमान में उपलब्ध ज्ञान को नई पीढ़ी में हस्तांतरण करना भी उच्च शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। इस नये ज्ञान के सृजन के लिए हमें नये विचारों एवं नवाचार करने चाहिए तथा वर्तमान में उपलब्ध सभी संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना चाहिए, ताकि इस दिशा में तेजी से बढ़ा जा सके। इसके लिए हमें दीर्घकालीन तथा समष्टिगत दृष्टिकोण अपनाना होगा। विकासशील देश होने के कारण भारत में उच्च शिक्षा में सामाजिक समानता एवं लैंगिक न्याय के लिए सकारात्मक भेदभाव की नीति अपनानी आवश्यक है ताकि समाज के निचले वर्ग की बढ़ती हुई प्रत्याशाओं को पूरा किया जा सके।

वैश्वीकरण एवं बाजारीकरण

उच्च शिक्षा भी वैश्वीकरण से प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से इसमें बाजारीकरण तेजी से बढ़ रहा है। यह वैश्वीकरण भी एकतरफा है, तथा विश्व के सभी देशों के प्रभू वर्ग (एलिट क्लास) का आपस में जुड़ाव से ही वैश्वीकरण हो रहा है। इस तरह से यह सिर्फ प्रभू वर्ग का ही वैश्वीकरण है।इस व्यवस्था में जिसके पास प्रयाप्त आय एंव सम्पत्ति है, वही अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पारिवारिक

आय के अनुसार ही शिक्षा प्राप्त हो सकती है। यह सब वैश्वीकरण एवं बाजारीकरण का प्रभाव है। इसकी वजह से न केवल आर्थिक विषमता बढ़ रही है बल्कि उच्च शिक्षा में भी क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमता तेजी से बढ़ रही है। बाजारीकरण की प्रक्रिया में इस विषमता की समस्या के समाधान का कोई उपाय नही है, बाजार (कीमत प्रणाली व्यवस्था) इसके प्रति पूरी तरह तटस्थ है। बाजार के दर्शन में सामाजिक विषमता को कम करने जैसा कोई नैतिक मूल्य नहीं है। बाजार दर्शन लोकतांत्रिक मूल्यों तथा नैतिकता के प्रति पूरी तरह तटस्थ है। बाजार केवल उपभोक्तावाद को ही एक मात्र मूल्य मानता है, जिसमें अधिकम उपभोग ही एक मात्र उद्देश माना जाता है। उपभोक्तावाद में प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने निजी स्वार्थ एवं निजी उन्नति के लिए कार्य करता है, उसके लिए सामाजिक लाभ का कोई मूल्य नहीं होता है। यह सामाजिक अव्यस्था तथा आराजकता को बढ़ावा देता है। इसकी वजह से न केवल उच्च शिक्षा का बाजारीकरण होता है, बल्कि पूरा अकादमिक क्षेत्र सामाजिक मूल्यों के प्रति तटस्थ होने के लिए प्रवर्त होता है।

अकादमिक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रतिभाओं का आकर्षण समाप्त होना

भारत में अकादमिक क्षेत्र में श्रेष्ठ एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति नही आते हैं, क्योंकि अन्य व्यवसायों की तुलना में इसमे प्रतिष्ठा एवं प्रतिफल कम है। नौकरशाही में सार्वजनिक क्षेत्र होने के कारण भ्रष्टाचार के कारण, कार्पोरेट एवं टेक्नोलोजी जैसे निजी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में प्रतिफल बहुत अधिक होने के कारण यह क्षेत्र अकादमिक क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक आर्कषक है। इनमें प्रतिफल एवं सम्मान दोनो ही अकादमिक की तुलना में बहुत अधिक हैं। अकादमिक क्षेत्र में स्वायत्ता का अभाव, अधारभूत सुविधाओं का अभाव, नौकरशाही का दबाव और बढ़ते राजनीतिक दखल के कारण श्रेष्ठ प्रतिभायें जो वास्तव में अकादमिक क्षेत्र में आना पसन्द नहीं करती हैं व मजबूरन अन्य व्यवसायों में चली जाती है। इन सब कारणों से अकादमिक क्षेत्र की श्रेष्ठता कम होती है जिसके परिणामस्वरूप इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम हो गयी है, और यही प्रवृति हमारी संस्कृति में भी रूढ होती जा रही है। अधिकांशत: औसत एवं दूसरे दर्जे के लोग ही कैरियर के रूप में अकादमिक क्षेत्र को अपनाते है, जोकि अन्य सामाजिक रूप से अधिक प्रतिष्ठि एवं प्रतिफल वाले व्यवसाय यथा नौकरशाही, कार्पोरेट या उच्च तकनीकी क्षेत्र में नही जा सकते है। अकादमिक क्षेत्र को श्रेष्ठ प्रतिभायें नही मिल पाने के कारण नवाचार और नये विचारों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, अनुसंधान एवं विकास का स्तर निम्न रहता है, तथा कुल मिलाकर सम्पूर्ण उच्च शिक्षा एवं अकादमिक क्षेत्र की गुणवत्ता कम हो जाती है। देश अकादमिक अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में वैश्विक एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बहुत पिछड़ जाता है। हमारे शैक्षिक संस्थान वैश्विक रैंक में बहुत पीछे रहते है। इससे न केवल अकादमिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है, बल्कि देश में जी.डी.पी. वृद्धि की दर भी कम रहती है, देश तकनीकी विकास में भी पीछे रहता है। अंततः देश में सामाजिक विषमता एवं गरीबी बनी रहती है।

व्यक्तिगत उन्नति के लिए अकादमिक श्रेष्ठता के बजाय अनैतिक तरीके अपनाना

चूंकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निम्न एवं मध्यम प्रतिभा के लोग आते है, वे अपने कैरियर में उन्नति के लिए अकादमिक श्रेष्ठता के बजाय अन्य अनैतिक तरीके अपनाते है। ऐसे लोग देशहित और सामाजिक कल्याण की बजाय व्यक्तिगत उन्नति एवं स्वार्थ को प्राथमिकता देते है। अपने उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करके अपने व्यक्तिगत कैरियर में उन्नति करना ही इनका एक मात्र उद्देश्य रह जाता है। इसके लिए वह अकादमिक श्रेष्ठता के बजाय चापलूसी एवं अन्य अनैतिक तरीके अपनाते हैं। इसके लिए यह राजनेताओं एवं नौकरशाहों से सम्बंध बनाकर उनकी चापलूसी करते हैं। ऐसे ही लोग उच्च शिक्षा के प्रशासन, उच्च शिक्षा के नेत्तृव करने वाले पदों पर पहुंच जाते है, तथा अकादमिक स्वायत्ता के बजाय अधिनायकवाद एवं नौकरशाही को बढ़ावा देते हैं, जिससे अनुसंधान एवं विकास तथा नये विचारों को बाधित करते हैं। अन्तोत्तगत्वा इससे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और अनुसंधान का हानि पहुंचती है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और तेजी से बढ़ रहा है। अकादमिक नियुक्तियों में अकादमिक श्रेष्ठता के बजाय जाति, धर्म, क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाने लगी है। राजनैतिक दखलंदाजी तेजी से बढ़ रही है। कुलपति स्पष्ट रूप से तत्कालीन सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें अकादमिक नेतृत्व के गुण एवं आकादमिक श्रेष्ठता के बजाय राजनैतिक विचारधारा एवं राजनेताओं के प्रति निष्ठा को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी स्थिति में पूरा अकादमिक नेतृत्व किसी एक विशेष राजनीतिक विचारधारा को ही बढ़ावा देता है। इससे प्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालयों में राजनीतिक दखलंदाजी एवं सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता है। इतना ही नहीं इससे नियुक्तियों में प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार के कई उदाहरण सामने आये हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में न केवल नियुक्तियों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बल्कि प्रवेश, परीक्षा एवं मूल्यांकन व टेंडर प्रक्रिया इत्यादि अन्य सभी कार्यों में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जबसे निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है, या भ्रष्टाचार भी तेजी से बढ़ा है। यद्यपि निजी क्षेत्र में नियुक्तियों एवं टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार कम पाया जाता है, लेकिन वहां नियुक्ति प्रक्रिया में नियामक संस्थाओं में मानदण्डों की अवहेलना की जाती है एवं कम योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। रिकार्ड में हेरापेरी करके वास्तविक वेतन भी कम दिया जाता है। चूंकि निजी संस्थानों में अधिकम लाभ कमाना ही मात्र एक उद्देश होता है, इसलिए वह भ्रष्टाचार की प्रवृति भी अलग तरह की होती है। यहां पर प्रवेश एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार अधिक पाया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी कम प्रयास एवं परिश्रम से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए अधिक मूल्य देने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में निजी संस्थान अधितम लाभ कमाने के लिए मूल्यांकन एवं प्रवेश प्रकिया में भ्रष्टाचार करने के प्रवृत होते है। खास तौर से निजी विश्वविद्यालय जो कि पूरी तरह स्वायत्त है तथा डिग्री देने में सक्षम हैं, इस तरह के प्रवृति अधिक पायी जाती है। बाजार में व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में डिग्री की मांग अधिक होने के कारण ये विश्वविद्यालय कम गुणवत्ता वाले छात्रों को अधिक मूल्य पर ऐसी डिग्रियां उपलब्ध कराते हैं। कुछ निजी विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसी फर्जी डिग्रियां बेचने के मामले मीडिया के द्वारा सामने लाये गये हैं। यह सब वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण एवं उच्च शिक्षा के वाणिज्यीकरण एवं बाजारीकरण की प्रक्रिया को बहुत तेजी से बढ़ने के प्रतिफल है। इसकी वजह से नियामक संस्थाओं द्वारा नियमन की शक्तियां कम होती जा रही है, निजी एवं कार्पोरेट क्षेत्र का दबाव बढ़ता जा रहा है।

स्वायत्ता एवं उत्तरदायित्व

आदर्शरूप से उच्च शिक्षा को स्वायत्त माना गया है, ताकि शोधार्थी बिना किसी राज्य के प्रशासनिक एवं सरकारी दबाव के अपना शोध कार्य कर सके, नये विचारों एवं नवाचारों द्वारा नये ज्ञान का सृजन कर सकें। शोधार्थी पर किसी राजनीतिक विचारधारा का दबाव नहीं रहे तथा वह अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र रहे, वह राज्य एवं उसके प्रशासन तथा सत्तारूढ दल की आलोचना एवं विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र रहे, यही सही अर्थों में स्वायत्ता मानी गयी है। शोधार्थियों पर विश्वविद्यालय प्रशासन एवं नौकरशाही का कोई भी दबाव स्वतंत्र विचारों को पनपने से रोकता है।

विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों मिलकर नये ज्ञान का सृजन करते हैं, इस प्रकार वह दोनों सह उत्पादक होते है। उच्च शिक्षा में उत्पादन कार्य किसी फैक्ट्री में उत्पादन कार्य की तुलना में पूरी तरह अलग है। यहां पर किसी भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, जिसे दी हुई तकनीकी एवं निर्धारित कच्चे माल द्वारा एक निश्चित विशेषताओं वाला उत्पाद तैयार किया जाता है। नये ज्ञान का सृजन एवं शोध कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं है। फैक्ट्री में उत्पादन की जाने वाली वस्तुयें किसी एक उत्पादन फलन की प्रक्रिया द्वारा तकनीकी रूप से निर्धारित होती है, अत: किसी भी फैक्ट्री की कई प्रतिकृतियां तथा उस उत्पाद की कई प्रतिकृतियां आसानी से उत्पादित की जा सकती है। परन्तु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा सम्भव नहीं है। केवल धन का निवेश करके किसी बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या किसी प्रतिष्ठित शोधार्थी की प्रतिकृति नहीं बनायी जा सकती है। क्योंकि प्रत्येक मानव का मस्तिक अनोखा (यूनिक) है, हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है।एक उच्च स्तर का शोधार्थी बनने के लिए बहुत प्रतिभाशाली मस्तिष्क के साथ साथ लम्बे प्रशिक्षण एवं उसके लिए सहायक परिवेश होना भी आवश्यक है।

उच्च शिक्षा में स्वायत्ता निरपेक्ष नहीं हो सकती। बिना किसी उत्तरदायित्व के पूरी तरह स्वतंत्रता एवं स्वायत्ता किसी भी क्षेत्र के लिए उचित नहीं हो सकती। उच्च शिक्षा में शिक्षकों को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? क्या कुलपति के प्रति, क्या विभाग अध्यक्ष के प्रति या सरकार के प्रति। वस्तुत: उच्च शिक्षा में शिक्षकों को समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, उनका शोध एवं नये ज्ञान का सृजन समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। शिक्षकों को समाज के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, इसके लिए एक समष्टिगत एवं दीर्घकालीन दूरदृष्टि होना आवश्यक है।

निष्कर्ष

उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के बाद निजी क्षेत्र का उच्च शिक्षा में तेजी से विस्तार हुआ है। उच्च शिक्षा में नव उदारवादी विचारधारा का तेजी से समावेश होने के कारण उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, सभी तक उच्च शिक्षा को पहुचाना तथा लाभ प्रेरित शिक्षा में निवेश व भ्रष्टाचार की समस्याएं तेजी से बढ़ी है। शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे तथा इन उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को सही मायने में प्राप्त किया जाने इसके लिए स्वायतत्ता व नियमन के ढांचा गत स्वरूप को सही तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। देश के समष्टिगत शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास के लिए काफी स्थान बाकी है।

ISSN 2348-3857

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पटनायक, पी., 'अल्टरनेटिव प्रेसपेक्टिव ऑन हॉयर एजुकेशन, सॉशल साईंटिस्ट, 2007, 35(11-12), 3-14, साईटेड इन चट्टोपाध्याय एस. (2012), एज्युकेशन एण्ड इकॉनोमिक्स, डिसीप्लेनरी इवोलेशन एण्ड पॉलीसी डिस्कोर्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. वेन डेर वेन्डे, मरर्जिक सी., रैकिंग एण्ड क्लासिफीकेशन इन हायर एज्युकेशन, ए यूरोपियन प्रेसपेक्टिव, इन जे. सी. स्मार्ट (इडी), हॉयर एज्युकेशन: हेण्डबुक ऑफ थ्योरी एण्ड रिसर्च, वॉल्यम 23, यू. के.: स्प्रिंगर, 2008, पीपी, 49-71, साईटेड इन चट्टोपाध्याय एस. (2012), एज्युकेशन एण्ड इकॉनोमिक्स, डिसीप्लेनरी इवोलेशन एण्ड पॉलीसी डिस्कोर्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. मजूमदार, तापस, 'इनवेस्टमेंट इन एज्युकेशन एण्ड सोशल चॉइस' कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस21, हायर एज्युेशन': हेण्डबुक ऑफ थ्योरी एण्ड रिसर्च, वॉल्यम 23, यू.के. स्प्रिंगर, 1983, पीपी, 49-71, साईटेड इन चट्टोपाध्याय एस. (2012), एज्युकेशन एण्ड इकॉनोमिक्स, डिसीप्लेनरी इवोलेशन एण्ड पॉलीसी डिस्कोर्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. चट्टोपाध्याय, एस., एज्युकेशन एण्ड इकॉनोमिक्स, डिसीप्लेनरी इवोलेशन एण्ड पॉलीसी डिस्कोर्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012
5. बीकर, जी.एस., ह्यूमन केपिटल: ए थ्योरेटिकल एण्ड एमिरिशियल एनाइलेसिस विथ स्पेशिल रेफेन्सेन्स टू एज्युकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ सिकागो प्रेस, सिकोगो, 1993, ऑरिजनली पब्लिशड इन 1964, साईटेड इन चट्टोपाध्याय एस. (2007): एक्सप्लोरिंग अलर्टनेटिव सोर्सेज ऑफ फाईनेंसिंग हायर एज्युकेशन, इकॉनोमिक्स एण्ड पॉलेटिकल विक्ली, ऑक्टोबर, 20.
6. सुल्तज, टी.डब्ल्यू., इन्वेस्टमेन्ट इन ह्यूमन केपिटल', अमेरिकन इकॉनोमिक रिव्यू, 1961, वॉल 51, पीपी1-17, साईटेड इन चट्टोपाध्याय एस. (2007): एक्सप्लोरिंग अलर्टनेटिव सोर्सेज ऑफ फाईनेंसिंग हायर एज्युकेशन, इकॉनोमिक्स एण्ड पॉलेटिकल विक्ली, ऑक्टोबर, 20.
7. चट्टोपाध्याय, एस., एक्सप्लोरिंग अलर्टनेटिव सोर्सेज ऑफ फाईनेंसिंग हायर एज्युकेशन, इकॉनोमिक्स एण्ड पॉलेटिकल विक्ली, ऑक्टोबर, 20, 2007
8. पाठक बी.के., क्रीटिकल लूक एट दी नारायण मूर्थ रिक्मण्डेशन ऑन हायर एज्युकेशन, इकॉनोमिक एण्ड पॉलेटिकल विक्ली, जनवरी 18, 2014

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 7-14

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और भारत : 1947 के बाद

डॉ. सुरेश कुमार मीना
सहायक आचार्य
इतिहास विभाग, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, बिहार

शोध सारांश

दक्षिण एशिया आपसी सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र हो सकता है। इस सहयोग मे भारत की केंद्रीय भूमिका भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता आदि के प्रकाश मे अपरिहार्य है। इसी क्रम मे इस शोध पेपर के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्रियों द्वारा समय समय पर क्षेत्रीय सहयोग की दिशा मे किये गये प्रयासों था योगदान नवीन परिप्रेक्ष मे प्रस्तुत करना इस शोध कार्य का प्रमुख उद्द्येश्य भी है और आधर भी है। इस शोध कार्य को विषय क्षेत्र, शोध-दृष्टी, तर्क पद्धति, शोध-प्रविधि, निष्कर्ष तथा भाषा-शैली जैसे शोध के तत्वों को ध्यान मे रखकर तैयार किया गया है। इस शोध कार्य के द्वारा भारत की दक्षिण एशियाई देशो के प्रति सहयोग की स्वाभाविक प्रवृति जिसमे एक पक्षीय त्याग तथा बदले मे अन्य देशो से किसी भी लाभ या शर्त की अपेक्षा न करना, क्षेत्रीय देशो को धरती से अन्तरिक्ष तक सहयोग प्रदान करना, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने मे देशो को आगे बढकर सहयोग व आपात सहायता करना आदि को नवीन परिपेक्ष्य मे उभरने का प्रयास किया गया है।

संकेताक्षर : *क्षेत्रीय सहयोग, दक्षेस, गुजराल सिद्धान्त, आर्थिक साझा बाजार*

प्रस्तावना

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के प्रयास आधुनिक सन्दर्भ में विश्व के दूसरे क्षेत्रों में निर्मित सहयोग संगठनों की अपेक्षा कुछ देर से हुए। यद्यपि दक्षिण एशिया में सार्क के गठन से पूर्व क्षेत्रीय सहयोग के लिए अनेक प्रयास किये गये थे। यहाँ तक कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी क्षेत्रीय सहयोग के सन्दर्भ में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद और अलगाव भारत के लिए सदैव संकोच तथा संदेह के कारण रहे, जिससे भारत तथा अन्य पड़ौसी देशों में सहयोग की भावना का विकास विलम्ब से हुआ। यही का कारण है कि फाइनर ने ठीक कहा था कि दक्षिण एशिया के लोग काफी असमानता रखते हैं, धर्म, जाति, सामाजिक विभिन्नता, बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप एवं ब्रिटिश काल की विरासतों के कारण इन राष्ट्रों के मध्य आपसी विवाद एवं संघर्ष देखने को मिलते हैं।

20वीं शताब्दी में एशिया के अन्दर भारत सहित ऐसे अनेक देश थे जो मजबूती से उभरकर सामने आये, जो देश यूरोपीय उपनिवेशवाद के शिकार थे तथा उनसे छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे थे या छूट चुके थे, उनमें आरम्भ से ही यह भावना बलवती हो रही थी कि उन्हें पारस्पकि एकता, संगठन और सहयोग का परिचय देना होगा। इस दृष्टि से बीसवीं शताब्दी में विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण असामान्य था। अब राष्ट्र-राज्यों के मध्य पहले की अपेक्षा ज्यादा सहयोग दिखाई देने लगा था। इस सन्दर्भ में भारतीय प्रयास उल्लेखनीय माने जा सकते है। क्षेत्रीय सहयोग के विकास में भारत की भूमिका भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से केन्द्रीय रही और भारत ने सम्पूर्ण एशिया में अपनी सकारात्मक भूमिका स्थापित की।

स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम दौर से ही भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को यह आभास होने लगा था कि औद्योगिक युग के विकास के लिए विभिन्न देशों के बीच आपसी सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर विकास का मार्ग ढूँढने की बात करता रहा है। इसी उद्देश्य से भारत की स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं ने नई दिल्ली में

मार्च, 1947 में एशियाई राष्ट्रों का एक सम्मेलन आमंत्रित किया। उद्देश्य था- एशियाई राष्ट्रों के बीच मैत्री व सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा एशियाई जनता की प्रगति व हितों में वृद्धि करना। इस सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में नेहरू जी ने कहा था कि परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है तथा एशिया को अपनी वस्तु स्थिति का ज्ञान हो गया है। एशिया के देश अब किसी भी रूप में बाह्य शक्ति की कठपुतली नहीं बनेगें। विश्व में उनकी अपनी नीतियाँ होना निश्चित है, साथ ही उन्होंने यह भी का कि, हमारे पड़ौसी राष्ट्र अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बर्मा और सीलोन सहयोगी एवं नजदीकी संबंध स्थापित कर सकते है, एकजुट होकर ही हम अपना विकास कर सकते हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग व भारतीय प्रयास

पं. जवाहर लाल नेहरू

जनवरी, 1949 में दिल्ली में आयोजित द्वितीय एशियाई सम्मेलन विशेषकर इण्डोनेशिया में डच पुलिस कार्यवाही पर विचार करने हेतु आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने डच एक्शन के खिलाफ खुलकर अपना विरोध प्रकट किया और क्षेत्रीय एकता के लिए खुली अपील की। उन्होंने कहा- स्वतंत्रता एशिया के देशों को समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी आपसी समझ एवं एकाग्रचित प्रयास हेतु इस सम्मेलन के अलावा भी कुछ ज्यादा स्थायी व्यवस्था करनी होगी। विश्व में जब घृणा, युद्ध और अशांति का माहौल है, हमें स्थायी शांति, सहिष्णुता और आजादी के लिए साझा रूप में सहयोग स्थापित कर प्रयत्न करना चाहिए।

सन् 1950 में फिलिपिन्स में आयोजित बोगुई सम्मेलन में नेहरू जी ने एशियाई राष्ट्रों को नेतृत्व प्रदान करने के विचार का प्रतिकार करते हुए कहा था कि-भारत एशिया का अगुआ नहीं बनना चाहता क्योंकि नेतृत्व की दृष्टि से यह एक गलत दृष्टिकोण होगा। किन्तु कुछ कारणों से भारत के कुछ खास दायित्व है जो वह स्वयं समझता है और अन्य देश भी इसे मानते है, यह दायित्व नेतृत्व का नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने और पहल करने का है। नेहरू जी एशियाई देशों को अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक संघर्षो से बाहर रखना चाहते थे। इसी प्रकार 18 अप्रैल, 1955 में बाण्डुंग, इण्डोनेशिया, में आयोजित बाण्डुंग सम्मेलन में भाग लेते हुए नेहरू ने कहा था कि इस सम्मेलन द्वारा एशियाई देशों के बीच सहयोग और मित्रता की भावना को मजबूत किया जाये। इनका मानना था कि एशियाई देशों के बीच मित्रता विश्व शांति के लिए बहुत जरूरी है। शांति के वातावरण में ही एशिया को साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी हस्तक्षेप से दूर रखा जा सकता है। इस प्रकार इस सम्मेलन में एशियाई देशों में बाण्डुंग भावना का जन्म हुआ और इसी के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलकर कार्य करने हेतु अफ्रोएशियाई गुट की स्थापना की गई।

क्षेत्रीय सहयोग के विकास के अगले चरण में पं. जवाहर लाल नेहरू के प्रयासों से आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख स्थान है जिसका प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति ही अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्षता आंदोलन के नाम से जानी जाती है। भारत ने सर्वप्रथम इस आंदोलन के मूल आधार अर्थात् विदेश नीति की घोषणा की। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था- एशिया और अफ्रीका के नवस्वतंत्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के साथ, नवस्वतंत्र देशों को उनके आर्थिक व तकनीकी विकास में सहायता देना। अतरू क्षेत्रीय सहयोग एवं विकास इस आंदोलन का प्रमुख लक्षण बन गया। इसलिए इस आंदोलन को सहयोग की भावना का प्रतिनिधि, शांति का मित्र, अन्योन्याश्रित विश्व में मेलमिलाप का पुल नवस्वतंत्र देशों के लिए वरदान कहा गया।

इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका आरम्भ से ही सक्रिय एवं महत्वपूर्ण रही। भारत की इसमें भूमिका पहलकदमी, मार्गदर्शक एवं नेतृत्व की रही है। यद्यपि एशियाई क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग का जो सपना भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देखा उसमें सन् 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद अवरोध उत्पन्न हो गया।

इंदिरा गाँधी

क्षेत्रीय सहयोग के भारतीय प्रयास पं. जवाहर लाल नेहरू के बाद भी सतत् रूप से जारी रहे। इसी क्रम में सन् 13 सितम्बर, 1967 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी की कोलम्बो यात्रा के दौरान श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री डड़ले सेनानायके के साथ विचार विमर्श के समय दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग हेतु क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता प्रकट की। साथ ही दोनों नेताओं ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि यदि इस सहयोग का दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सामान्यीकरण हो जाए तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है।

इसी सहयोग के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 1 से 2 अगस्त, 1983 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दक्षिण एशिया के सात राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की राजनीतिक स्तर पर बैठक आयोजित की गई थी। इसके औपचारिक अध्यक्ष भारत के विदेश मंत्री पी.वी. नरसिंह

राव चुने गये। इस बैठक के उद्‌घाटन भाषण में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारे क्षेत्र के आपसी सम्बन्धों के विकास में राजनीतिक स्तर पर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सातों, जो कि यहाँ इकट्ठे हुए है, भौगोलिक रूप से अत्यंत नजदीक है। हम समान अनुभव, आकांक्षाओं और चुनौतियों का सामना कर रहे है। प्रत्येक राष्ट्र व्यक्तिगत, पृथक दृष्टिकोण एवं भिन्न राजनीतिक व्यवस्था रखता है, हम सभी समान है। द्विपक्षीय विवादों को भुलाकर हम संयुक्त रूप से शांति और विकास हेतु कार्य कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग दक्षिण एशिया में स्थायित्व प्रदान करने तथा नजदीकी मित्रवत् संबंधों को मजबूत बनाने में सहायक होगा। हम तोड़-फोड़ और बाह्य शक्तियों के प्रभाव के विरूद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व में यूरोपीय संगठन जैसे कई विकसित संगठन है वे भी कठिनाइयों से झूझ रहे हैं। अतरू दक्षिण एशिया में सहयोग के मार्ग पर हमें बढना चाहिए, कठिनाइयाँ और बाधाएँ भी आएगी पर उनसे में जूझने का प्रयास करना चाहिए।

इसी क्रम में उन्होंने आगे कहा कि हमारा सहयोग किसी भी रूप में प्रत्येक देश की न्याय की आजादी को सीमित नहीं करता है। यह केवल हमारे विशिष्ट देशों के विकास और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के साथ जुड़ा है। अगर हमें थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और सहमति को लेकर मतभेद पैदा होते हैं तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है... हमारा सहयोग दबाव सहने की हमारी क्षमताओं को और बढ़ा देगा। एकता के साथ हम आजादी, शांति और समृद्धि के भविष्य की ओर आगे बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं।

पूर्व में हमारे राजनीतिक मतभेद रहे हैं और वर्तमान में है, परंतु आर्थिक सहयोग से दक्षिण एशिया में घनिष्ठ मैत्री एवं व्यापक स्थायित्व को सु.ढ़ आधार मिलेगा। हमें द्विपक्षीय मतभेदों को परे रख कर एकता बढ़ाने वाले और शांति तथा विकास की सामूहिक अभिलाषा की पूर्ति में सहायक तत्वों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हम सब समान है। हम शोषण एवं प्रभुत्व के विरूप है। हम बराबरी की भावना से सबके मित्र बनना चाहते हैं। बाहरी ताकतों द्वारा हमारे काम काज को प्रभावित करने के प्रयासों के विरूद्ध हमें सावधान रहना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि भारत ने दक्षेस के प्रति एक सकारात्मक रूख अपनाया।

राजीव गाँधी

7-8 दिसम्बर, 1985 में ढाका, बांग्लादेश में आयोजित प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने क्षेत्रीय सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि हमने क्षेत्रीय सहयोग का जो स्वरूप अपने लिए विकसित किया है वह हमारी आवश्यकताओं, मजबूरियों और जनमानस के अनुकूल है, हमें इस बात की खुशी है कि हम दक्षिण एशिया परिवार के सदस्य है, हम अपने द्विपक्षीय सम्बंधों को संयुक्त क्षेत्रीय पहचान के लिए नहीं छोड़ सकते लेकिन अपनी विदेश नीतियों के सन्दर्भ में अन्य दिशाओं में क्षेत्रीय सहयोग स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार यद्यपि भारत द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को अभी कम आंकने के लिए तैयार नहीं था। तथापि उसने क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को स्वीकार किया।

भारतीय विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुचकन्द दुबे ने भी इस सन्दर्भ में कहा था कि दक्षेस क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय सहयोग के प्रचलित वर्तमान स्वरूपों में से किसी पर आधारित नहीं है। दक्षेस आसियान भी नहीं है क्योंकि यह समान राजनीतिक विचारधारा के देशों का संगठन नहीं है।

इस सम्मेलन में प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन के आयोजन, प्रतीक चिह्न, संयुक्त कार्यवाही योजना आदि को निश्चित किया गया। साथ ही इस सम्मेलन में भारत के विरोध के कारण, पाकिस्तान को डाक टिकिट जारी करने का समारोह स्थागित करना पड़ा क्योंकि इसमें कश्मीर का विवादग्रस्त क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा अपने हिस्से के रूप में दर्शाया गया था। भारत ने इस कार्यक्रम में स्वी.त कार्यक्रमों-महिला विकास, नशीली दवाओं के व्यापार पर नियंत्रण, बाल स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आवास आदि के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए इन सभी क्षेत्रों में सदस्य राष्ट्रों के सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि दक्षेस की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सदस्य राष्ट्रों की जनता के बीच अधिकाधिक मेल-मिलाप हो, वे आपस में सहभागिता करें।

16-17 नवम्बर, 1986 को बैंगलोर, भारत में आयोजित द्वितीय दक्षेस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने कहा कि दक्षेस की उत्पति इस भावना को लेकर हुई है कि राष्ट्रीय प्रयासों के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रयास भी बहुत जरूरी है। साथ ही कहा कि भारत यह देख रहा है कि उसकी भूमि में आतंकवादी शरण न ले और आतंकवादी गतिविधियाँ विकसित न हो। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थो का व्यापार भी आतंकवाद के समान खतरनाक है और इसका दायरा राष्ट्रों की सीमा को पार कर अन्तरराष्ट्रीय बन जाता है। इस प्रकार के व्यापार को बंद करने के लिए न केवल सरकारें कदम उठायें वरन् क्षेत्रीय आधार पर भी इसके विरूद्ध कदम उठाते हुए सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसकी खुली भर्त्सना करनी चाहिए। इस प्रकार भारत का मत था कि आतंकवाद

व मादक पदार्थों की तस्करी जैसे क्षेत्रीय व अन्तरराष्ट्रीयत मुद्दों के दक्षेस के मंच पर उठाकर उनके विरूद्ध एक क्षेत्रीय वातावरण तैयार किया जा सकता था। ये .त्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक नवीन चुनौति के रूप में थे। साथ ही भारत ने परमाणु हथियारों के निर्माण व परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए व्यापक संधि तथा निरू शस्त्रीकरण के लिए तेजी से कदम उठाने को कहा।

सन् 1987 में तीसरे सार्क शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने दक्षेस की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लगभग 100 मामलों में सहयोग स्थापित कर दक्षेस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इनमें प्रमुख है-ऑडियो विज्युअल एक्सचेंज, मादक पदार्थो की तस्करी रोकने में सहयोग, आंतकवाद का सामना करने की मशीनरी चालू करने में सफलता आदि। किंतु अभी भी सांस्कृतिक एवं व्यापार के क्षेत्र में अनेक विषय है जिन पर परस्पर सहयोग आवश्यक है। साथ ही श्री गाँधी ने एशियाई सुरक्षा कोष की आवश्यकता प्रतिपादित की, जिसे इस सम्मेलन के अंत में स्वीकार कर लिया गया। भारत ने इस कोष के लिए 1,53,200 टन खाद्यान्न भेंट करने का निश्चय किया। सन् 1988 में सार्क का चौथे सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजीव गाँधी ने कहा- भारत विशाल देश होने के उपरान्त ऐसा कोई कदम नहीं उठायेगा जिससे दक्षेस क्षेत्र में राष्ट्रों के हितों को आँच आये। भारत अपने विशेष कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग है।

भारत ने अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाते हुए पाकिस्तान की प्रधानमंत्री श्रीमती भुट्टो के साथ अनेक मुद्दों को रेखांकित किया। राजीव गाँधी ने व्यापक आर्थिक सहयोग पर बल एवं श्रीमती भुट्टो ने सुरक्षा व्यय में कमी का आग्रह किया। इस बैठक में भारत-पाक के बीच तीन महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिससे दोनों के बीच सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस प्रकार यह पहला अवसर था जब इस क्षेत्र के दो प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र आपस में मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता कर रहे थे और दोनों नेताओं ने त्वरित प्रगति के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए। उन्होंने दक्षेस क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए क्षेत्र के राज्यों में सूचना केन्द्रों की स्थापना के साथ इस क्षेत्र में खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिये जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि- दक्षेस के राष्ट्रों ने क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जब तक हम एक दूसरे के प्रति शंकालु बने रहेंगे, फिजूल में ही अपने आपको उलझाते रहेंगे तो विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग संभव नहीं होगा।

दक्षेस को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए राजीव गाँधी ने तीन प्रमुख सुधार आवश्यक बताये-

1. दक्षेस महोत्सव का समय-समय पर आयोजन।
2. सूचना और समाचारों का आदान-प्रदान।
3. निर्बाध आवागमन।

इस प्रकार इस सम्मेलन में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दक्षेस को वाद-विवाद की संस्था से एक कार्य करने वाली संस्था में परिवर्तन करने पर बल दिया।

चन्द्रशेखर

भारतीय प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने सार्क के पाँचवे शिखर सम्मेलन में भाग लिया, उन्होंने अनावश्यक भाषणबाजी, स्वागत समारोह आदि का विरोध किया ओर सीधे काम की बात पर आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वही आर्थिक संगठन सफल होते हैं जिनका लक्ष्य पारस्परिक व्यापार बढ़ाना, उद्योगों ओर सेवाओं की स्थापना में सहयोग लेना होता है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने दक्षेस क्षेत्र में शांति की स्थापना पर बल देते हुए मूलभूत आर्थिक क्षेत्र में जन संचार माध्यम, जैविक तकनीकी और पर्यावरण को सम्मिलित करते हुए अधिकाधिक क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि-दक्षेस के सदस्य राष्ट्रों के उज्ज्वल भविष्य तथा दुनिया के अन्य हिस्सों में उभर रहे दूसरे क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की चुनौतियों का सफलता पूर्वक सामना करने के लिए आर्थिक सहयोग बढ़ाने की सर्वाधिक आवश्यकता है। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री के सुझाव पर दक्षेस कोष के गठन का निर्णय लिया गया।

इस प्रकार भारत ने दक्षेस को आर्थिक क्षेत्रों की परिधि से जोडकर नई दिशा दी जिससे दक्षेस का एक नया अध्याय शुरू हुआ। भारत के विदेश सचिव मुचकन्द दुबे ने कहा कि दक्षेस का भविष्य आर्थिक सहयोग पर ही निर्भर करता है। दक्षेस कार्यक्रम और कार्यो में उन बातों पर बल दिया जाना चाहिए जो इस क्षेत्र की जनता को सीधे प्रभावित करते हैं। इस प्रकार भारत ने दक्षेस के माध्यम से दक्षिण एशिया के देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार की बात उठायी।

पी.वी. नरसिम्हा राव

छठे सार्क शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री पी.वी नरसिम्हा राव ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के व्यापार और वाणिज्य के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हटा देना चाहिए। इस पूरे क्षेत्र में लोगों, वस्तुओं, सेवाओं के आदान-प्रदान

और व्यापार पर किसी प्रकार की रूकावट नहीं डाली जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण के मामलें में विकासवादी देश उतना ही दूर जाने के लिए तैयार हो जिससे उनका विकास प्रभावित न हो।

भारतीय प्रधानमंत्री ने ढाका में सार्क के सातवें शिखर सम्मेलन में कहा कि, में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विद्यमान द्विपक्षीय समस्याओं को क्षेत्रीय सहयोग में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। इस क्षेत्र के लिए आर्थिक सहयोग अनिवार्य है,क्योंकि यह देश विश्व के गरीब देशों में गिन जाते हैं तथा अपनी गरीबी को दूर करना इन सभी का समान उद्देश्य है। साथ ही यह भी कहा कि यद्यपि इस क्षेत्र में अनेक विवाद है तथापि सहयोग की संभावनाएँ भी उतनी ही अधिक है। पारस्परिक सहयोग के माध्यम से दक्षिण एशियाई देशों की उत्तर के विकसित देशों के साथ सौदेबाजी की शक्ति बढ़ जायेगी तथा उन पर निर्भरता में कमी आयेगी जिससे दक्षिण एशिया में एक नई राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हो सकेगी, जो कि यहाँ के लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होगी। भारत ने इस क्षेत्र में शांति, सहयोग, उन्नति, स्थिरता तथा विकास आदि मूल्यों पर बल देते हुए कहा कि सदस्य राज्य उन क्षेत्रों में विशेष सहयोग करें और सहयोग को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें जिसमें उनको विशेषज्ञता हासिल है। भारत के विदेश मंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि-यह पहला अवसर था जब दक्षेस के मंच पर आर्थिक सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। इस प्रकार इस सम्मेलन में दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौते को स्वीकार करना भारत के प्रयासों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिससे दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग का एक नया युग आरंभ हुआ।

सन् 1995 में दिल्ली में आयोजित सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा कि क्षेत्र में असहिष्णुता और संकुचित मनोवृति का प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रों को कुचल दिया जायेगा। विश्व समुदाय ऐसी शक्तियों को सिर उठाने नहीं देगा। इन शक्तियों के स्थान पर सहिष्णुता सद्भावना आदि की शक्तियों की विजय होगी। हमें सांस्कृतिक, वंशगत भेदभावों को कुलचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सहिष्णुता दक्षेस का आधार होना चाहिए तथा विभिन्नता में एकता अपनाकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि-दक्षेस राष्ट्रों को एक स्वतंत्र बाजार की स्थापना करनी चाहिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं की दीवारों को तोड़ते हुए इस प्रकार का एकीकरण करना चहिए कि वे विश्व अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी कर सकें। इस क्षेत्र में खुले बाजार की स्थापना कर वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी और मनुष्यों का आवागमन और व्यापार को से बढ़ाकर इस पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास में जुट जाना चाहिए।

श्री राव ने दक्षेस देशों के बीच अधिकाधिक अंतः संबंध स्थापित करने, गरीबी दूर करने, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर अधिकाधिक निवेश करने, श्रमिकों के हितों को पूर्ण संरक्षण देने, मादक द्रव्यों पर पूर्ण नियंत्रण लगाने तथा सभी सदस्य राष्ट्रों को बालिकाओं के विकास व संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देने, आदि विषयों को महत्व देने का आग्रह किया।

इन्द्र कुमार गुजराल व एच. डी. देवेगौड़ा

भारत के प्रधानमंत्री इन्द्रकुमार गुजराल ने सार्क के नवें शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा कि शताब्दियों से हमारा इतिहास और संस्.ति एक रही है। कालान्तर में हमने विशिष्ट परिपूरक अर्थव्यवस्था कायम रखी है। हम अपने दिलों में जानते हैं कि दक्षिण एशिया अपने आप में एक विशेष समुदाय है। यह एक बन्धन है जो हमें इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए साथ रखेगा। साथ ही कहा कि-2020 तक दक्षिण एशिया क्षेत्र समग्र विकास की दिशा में नीतियाँ बनाकर यह शिखर सम्मेलन सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकता है। इसके लिए उन्होंने दक्षेस संगठन को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने एवं सदस्य देशों के बीच आर्थिक घनिष्ठता स्थापित करने के लिए दक्षिण एशियाई स्वतंत्र व्यापार की परिणति दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय में करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रामाणिक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि विश्व उत्पादन में एशिया का अंश जो 1820 में 60 प्रतिशत था, घटकर 1950 में मात्र 20 प्रतिशत रह गया था, यह 2020 में बढकर 60 प्रतिशत हो जायेगा। दक्षिण एशिया का यह स्वरूप सिफ विश्वास, सतत् सामूहिक प्रयास और प्रतिबद्ध राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इस सम्मेलन में भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में अपना अधिकाधिक योगदान देने तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की भाँति दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय के गठन का आह्वान कर दक्षेस संगठन को मजबूत आधार प्रदान किया।

गुजराल सिद्धान्त भारत की विदेश नीति में एक मील का पत्थर है इसका प्रतिपादन 1996 में तत्कालीन देवगौडा सरकार के विदेश मंत्री आई. के. गुजराल ने किया था। यह सिद्धान्त इस बात की वकालत करता है कि भारत दक्षिण एशिया में सबसे बडा देश होने के नाते अपने छोटे पडौसियों को एकतरफा रियायतें दे। दूसरे शब्दों में, यह सिद्धान्त गैर पारस्परिकता के सिद्धान्त के आधार पर अपने छोटे पडौसियों के प्रति भारत के नमनशील दृष्टिकोण के आधार पर सूत्रित किया गया है। यह भारत में अपने पडौसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को सबसे अधिक महत्व देता है। यह सिद्धान्त

वास्तव में भारत के अपने निकटतम पडौसियों के साथ वैदेशिक संबंधों को स्थापित करने के लिए एक पांच सूत्री पथ मानचित्र रोड मैप है।

ये पांच सिद्धान्त निम्नलिखित है-

1. बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका जैसे पडौसियों के साथ भारत को पारस्परिकता की अपेक्षा न करके इन्हें नेक नियति से वह सब कुछ प्रदान करना चाहिए जो कि भारत कर सकता है।
2. किसी भी दक्षिण एशियाई देश को क्षेत्र के किसी अन्य देश में हितों के खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग नहीं करने देना चाहिए।
3. किसी भी देश को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
4. सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक-दूसरे की समस्याओं को क्षेत्रीय शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से हल करना चाहिए।
5. सभी दक्षिण देशों को अपने विवाद शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से हल करना चाहिए।

गुजराल ने स्वयं स्पष्ट किया था, गुजराल सिद्धान्त के पीछे तर्क यह था कि हमें उत्तर एवं पश्चिम से चूंकि दो मैत्रीपूर्ण पडौसियों का सामना करना था। अतरू हमें अन्य निकटतम पडौसियों के साथ पूर्ण शांति की स्थिति सुनिश्चित करनी थी।

अटल बिहारी बाजपेयी

क्षेत्रीय सहयोग के भारतीय प्रयासों में अटल बिहारी वाजपेयी के काल में नवीन उत्साह का संचार हुआ। सार्क के दसवें सम्मेलन (1998) में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में पूर्ण निरूशस्त्रीकरण के पक्ष में है। भारत एक ऐसे परमाणविक अस्त्र सम्मेलन का आयोजन कराने की कोशिश में है जिसमें सम्पूर्ण विश्व के परमाणविक अस्त्रों को समाप्त करने का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कराया जा सके। इसके लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भेदभाव रहित व्यापक स्तर वाली संधि किये जाने की जरूरत है, तभी भारत तथा विश्व के अन्य देशों की सुरक्षा की भी स्थायी व्यवस्था संभव हो सकती है।

उन्होंने कहा कि दक्षेस की सहयोग भावना इसके सदस्य देशों के सामाजिक आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और लोगों के जीवन स्तर में सुधार जैसी जरूरतों पर आधारित है। इसलिए इसके संस्थापकों ने इस संगठन को द्विपक्षीय मामलों से अलग रखा है। इस तरह इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की व्यापकता व विशालता का अहसास कराते हुए कहा कि भारत द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों पर गंभीरता से विचार कर रहा है, विशेष रूप से उन देशों के साथ जो मुक्त व्यापार समझौते को जल्दी से जल्दी अमल में लाने के अधिक इच्छुक है। उन्होंने अपनी आर्थिक उदार नीति का पूर्ण परिचय देते हुए सदस्यों को अत्यधिक आर्थिक ढील प्रदान करने की घोषणा की ओर अपने सहयोगी देशों के लिए 2000 उत्पादों के आयात से प्रतिबंध हटाने की घोषण की और इसे 1 अगस्त, 1998 से प्रभावी करने की सूचना दी। इस प्रकार सम्मेलन में भारत ने 21वीं सदी में दक्षेस को अधिक सु.ढ़ व प्रासंगिक बनाने तथा साप्टा के अतिरिक्त भी कुछ ओर अधिक आर्थिक सहयोग की भावना को साकार करने के प्रयास पर जोर दिया। उन्होंने सेन्ट्रल बैंक के गवर्नरों तथा दक्षेस देशों के वित्त सचिवों को सलाह दी कि वे संयुक्त रूप से वर्ष में एक बार मिले ओर वृहद् आर्थिक नीतियों पर विचार-विमर्श करते रहें। अतरू भारत ने आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में अति उदार नीति प्रस्तुत की जो सभी दक्षेस देशों को लाभान्वित करने वाली थी।

सार्क के ग्यारहवें सम्मेलन में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा कि यह आवश्यक है आर्थिक एजेंडै को दक्षेस में सर्वोपरि माना जाये। क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार सवर्द्धन तथा दक्षेस द्वारा गठित गरीबी उन्मूलन आयोग को पुनरू सक्रिय करने के लिए भारत की ओर से हर संभव सहायता की पेशकश की गई। उन्होंने अपने अभिभाषण में यह स्पष्ट कर दिया कि भारत ने न केवल पाकिस्तान बल्कि अन्य देशों से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने की हर संभव कोशिश की है इसी कारण नेपाल, श्रीलंका तथा भूटान के साथ भारत के व्यापारिक समझौते हुए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् की आतंकवाद विरोधी धारा 1373 की चर्चा करते हुए कहा कि प्रत्येक देश को इस प्रस्ताव का अक्षरशरू पालन करते हुए इसे लागू करना चाहिए जिससे आपसी सौहार्द्र के वातावरण का विकास किया जा सके।

भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्क के बारहवें सम्मेलन के दौरान अपने उद्बोधन में आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के साथ ही पहले, व्यक्ति से व्यक्ति के सम्पर्क पर जोर दिया और कहा कि महत्वपूर्ण मसलें निश्चित समय में सुलझायें जाने चाहिए, उन्होंने कहा कि दक्षेस को परस्पर आर्थिक सहयोग की राह में राजनीतिक समस्याओं को बाधक नहीं बनने देना चाहिए।

भारत ने दक्षेस के उद्देश्यों और कार्यक्रमों में सहयोग के लिए छह ठोस कार्यक्रमों की पेशकश की जो कि निम्नलिखित है–

1. दक्षेस देशों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए गरीबी उन्मूलन कोष बनाया जाये। भारत इसके लिए 10 करोड़ डॉलर देगा और यह राशि भारत के अलावा अन्य सार्क देशों में खर्च की जायेगी।
2. दक्षेस के स्वायत्त गरीबी उन्मूलन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध कार्यदल का गठन किया जाये। भारत इसका खर्च उठाने तथा आवश्यकता पडने पर कार्यदल की मेजबानी को भी तैयार है।

- संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 तक विकास लक्ष्य प्राप्त करने का कार्यक्रम रखा है दक्षेस का उद्देश्य इन्हें 2010 तक पूरा करने का होना चाहिए। भारत इस हेतु विशेष रूप से इस कार्यक्रम में पिछडने वाले दक्षेस देशों को सहायता दी जायेगी।
- दक्षेस देशों के बीच रेल, सडक, वायु एवं जलमार्ग परिवहन व्यवस्था मजबूत करने के लिए दक्षेस कार्यदल का गठन किया जाये। भारत इसके लिए पूरा योगदान देगा और कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करेगा।
- सूचना प्रौद्योगिक, जैव तकनीकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में भारत अपना अनुभव और ज्ञान दक्षेस देशों के साथ बाँटने को तैयार है।
- प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2007 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश संयुक्त रूप से समारोह मना सकते हैं।

मनमोहन सिंह

क्षेत्रीय सहयोग के भारतीय प्रयासों को आगे सार्क के तेरहवें सम्मेलन से लेकर 17 वें सम्मेलन तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया। उन्होंने सार्क के मंच से आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन पर सहयोग, आर्थिक साझा बाजार, उग्रवाद, हिंसा, संचार व सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ-साथ दक्षिण एशियाई देशों के मध्य व्यक्ति से व्यक्ति के सम्पर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किये तथा क्षेत्रीय सहयोग को नई ऊँचाई तक ले जाने का प्रयास किया। इसी क्रम में उन्होंने सार्क के 16 वें शिखर सम्मेलन में कहा था कि गत ढ़ाई दशक के अतीत पर नजर डालने के बाद अब हम कह सकते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है। इसके लिए हम खुद को बधाई भी दें या फिर हम यह कहें कि ग्लास आधा खाली है और खुद को चुनौती दें। मेरा विश्वास खुद को चुनौती देने में है। उन्होंने कहा कि अच्छा विश्लेषण और जनसाधारण में सूचना का अभाव है। शायद इसलिए दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लाभ भी उचित ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं। गर्व और पक्षपात कभी-कभी नकारात्मक धारणा पैदा करता है। क्षेत्रीय सहयोग के परिणामों को लेकर भ्रांतियां भी फैलती है। उदाहरण के तौर पर लोगों में भय है कि भारत वर्चस्व कायम करना चाहता है। यह नकारात्मक धारणा उचित सूचना का प्रसार न होने के कारण है जबकि यूरोपीय संघ, आसियान आदि क्षेत्रीय संगठनों में इस तरह का भय आधारहीन साबित हुए है, इसलिए वे प्रगति कर रहे हैं।

नरेन्द्र मोदी

क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में भारतीय प्रयासों तथा पहल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल नवीन आयाम दिया है बल्कि नई ऊर्जा व उत्साह का संचार भी किया है। इसकी झलक, उन्होंने मई, 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस देशों का प्रधानमंत्रीध्राष्ट्रपतियों को आमंत्रित कर दी थी। तत्पश्चात् नवम्बर, 2014 में काठमांडू में आयोजित 18 वें सार्क शिखर सम्मेलन में उन्होंने सार्क मंच से कहा कि सम्मेलन के केन्द्रीय विषय-शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए और गहरा एकीकरण तभी संभव है जब इस क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटि हो इस हेतु उन्होंने भारतीय प्रस्ताव में साझा पावर ग्रिड लगाने की योजना, क्षेत्रीय दूरसंचार विनियमन प्रणाली, साझा मानवाधिकार तंत्र विकसित करने, सार्क विकास बैंक का प्रस्ताव, प्रवासन का मुद्दा तथा भारत की अंतरिक्ष विशेषज्ञता को अपने पड़ौसियों के साथ साझा करने की जरूरत पर भी जोर दिया जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण एशिया उग्रह के माध्यम से भारतीय क्षेत्रीय सहयोग को अंतरिक्ष तक विस्तार दिया गया। इसी क्रम मे सार्क को पुनर्जीवित करने हेतु प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के समय मार्च, 2020 मे विडियो कांफ्रेंस के जरिये दक्षिण एशिया के राष्ट्र प्रमुखों से इस महामारी से मिलकर लड़ने का आह्वान किया तथा एक सयुक्त फण्ड बनाने का प्रस्ताव रखा जिसमें सर्वाधिक सहयोग राशी भी भारत ने प्रदान की।

निष्कर्ष

दक्षिण एशिया क्षेत्र मे आपसी सहयोग हेतु निसंदेह भारत की केंद्रीय भूमिका है साथ ही उसने अनेक अवसरों पर क्षेत्रीय देशो का सहयोग एवं मदद की है जिससे इस क्षेत्र के देशो मे भारत के व क्षेत्रीय सहयोग के प्रति विश्वास विकसित हुआ है। लेकिन भारत द्वारा अभी और अधिक प्रयास किया जाना अपेक्षित है जैसा की कोरोना महामारी के समय भारत की पहल इस सन्दर्भ मे सही दिशा मे उचित कदम है लेकिन सच्चाई यह है की क्षेत्रीय सहयोग की चुनोती अभी भी बनी हुई है। अत: इस चुनौती से पार पाने हेतु इस क्षेत्र के सभी देशो विशेषकर भारत और पाकिस्तान को सकारात्मक व सहयोगी रुख अपनाना होगा।

अत: भारत प्रारम्भ से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आशा करता रहा है कि क्षेत्र के देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में इसका विकास हो जो कि सदस्य राष्ट्रों की अपेक्षाओं के अनुकूल हो। इस प्रकार दक्षेस के कार्यक्रमों में भारत की भूमिका के संबंध में कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय संगठन के रूप में 21वीं सदी में दक्षेस का भविष्य भारतीय सहयोग पर निर्भर होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. फारमर, बी.एच., एन इन्ट्रोडक्शन टू साउथ एशिया, मेथ्यू एण्ड कम्पनी लि. न्यूयार्क, 1983, पृ.सं. 1-3
2. मिश्र, चैतन्य, टूवर्ल्डस थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ रिजनल कॉ-ऑपरेशन इन साउथ एशिया, इन गुप्ता, भवानी सेन, रिजनल कॉ-ऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट इन साउथ एशिया, वोल्यूम 2, नई दिल्ली, 1986, पृ.सं. 132
3. नारायण, वीरेन्द्र एवं उप्रेती, बी.सी., दक्षेस ए स्टडी पर्सेप्शन एण्ड पॉलिसीज, इण्डियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू दक्षेस, साउथ एशियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1991, पृ.सं. 52
4. फडिया, बी.एल., अन्तरराष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन, आगरा, 1994, पृ.सं. 279
5. नारायण, वीरेन्द्र एवं उप्रेती, बी.सी., उपर्युक्त, पृ.सं. 51
6. शरण, व्यूसकेश, इंडियाज रोल इन साउथ एशियन रीजनल कॉ-ऑपरेशन, कॉमन वैल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1991, पृ.सं. 1-27
7. मिनिस्ट्री ऑफ इन्फोरमेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, नेहरूरू स्पीचेज, भाग-1, नई दिल्ली, 1949, पृ.सं. 300-304
8. फडिया, बी.एल., उपर्युक्त, पृ.सं. 407-408
9. शरण, व्यस्र केशल, उपर्युक्त, पृ.सं. 28
10. मुनि, एस.डी. एवं मुनि, अनुराधा, रिजनल कॉपरेशन इन साउथ एशिया, नई दिल्ली, 1984, पृ. सं. 12
11. इनॉगरल स्पीच ऑफ श्रीमती गाँधी टू फोरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, द स्टेट्समेन, नई दिल्ली, अगस्त 3, 1983
12. इनोगरल एड्रेस बाय राजीव गाँधी, पी. एम. ऑफ इण्डिया एट द सैकण्ड मीटिंग ऑफ हैड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉ-ऑपरेशन बंगलौर, नवम्बर 16, 1986, स्त्रोत मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
13. एड्रेस बाय द प्राइम मिनिस्टर राजीव गाँधी एट द थर्ल्ड दक्षेस सम्मिट, काठमाण्डू ऑन नवम्बर 2, 1987, स्त्रोत. मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
14. शाह, पूर्णिमा, दक्षेस देशों के बीच सहयोग और संघर्ष, आर.बी. एस.ए. पब्लिशर्स, 2001, पृ.सं. 108
15. हसन, अबुल, दक्षेस ए पर्सपेक्टिव, यूनिवर्सिटी प्रेस लिमिटेड, ढ़ाका, 1992, पृ.सं. 247
16. स्टेटमेंट वाई. आई. के. गुजराल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इण्डिया एट द इनोर्गल सेशन ऑफ द नाइन्थ दक्षेस सम्मिट, माले, मई 12, 1997, पृ.सं. 136-38
17. वर्ल्ड फोकस, भारत की नई विदेश नीति, भाग-1, विदेश मामलों पर भारत-केन्द्रीत मासिक जर्नल, फरवरी, 2015, पृ.सं. 23-31
18. लक्ष्मीकांत, एम., भारत की राजव्यवस्था, मेक्ग्रा हिल एजूकेशन (इंडिया) प्राइवेट लि., नई दिल्ली, पृ.सं. 70.4-70.5
19. द हिन्दू (नई दिल्ली) नवम्बर 24, 1990

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 15-20

चम्पारण सत्याग्रह और गाँधी

डॉ. सरिता तिवारी

सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, सह अधिष्ठाता, समाज विज्ञान संकाय
महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (बिहार)

ISSN 2348-3857

शोध सारांश

भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के सन्दर्भ में चम्पारण सत्याग्रह का ऐतिहासिक महत्त्व है। चम्पारण के एक पीड़ित पं. राजकुमार शुक्ल द्वारा बारम्बार गाँधीजी से चम्पारण आगमन का आग्रह एवं उसके पश्चात् गाँधीजी का चम्पारण आगमन स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास का एक प्रमुख मोड़ है। गाँधीजी को रास्ते में ब्रिटिश पदाधिकारी द्वारा रोका जाना और फिर एस.डी.ओ. कोर्ट में उन्हें बिना मुचलका भरे रिहा किया जाना किसी भारतीय द्वारा ब्रिटिश सत्ता को पहली शिकस्त थी। नील आन्दोलन की क्रोड़ से उपजे 'सत्याग्रह' और 'सविनय अवज्ञा' जैसे अस्त्रों का आविष्कार चम्पारण सत्याग्रह के दौरान भारत में पहली बार हुआ। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में गाँधीजी के चम्पारण आगमन की पूर्व परिस्थितियों का वर्णन करते हुए उसके परिणामों की भी चर्चा की गई है। गाँधी-पूर्व किए गए आन्दोलनों की वजह से ही नीलबरों को, चली आर ही 'पंचकबिया' प्रणाली को 'तीनकठिया' में बदलना पड़ा था। नीलहों के उत्पीड़न और त्रास में यहाँ के किसानों को साहसी और जुझारू बना दिया था। शेख गुलाब के नेतृत्व में जहाँ-तहाँ किए गए विद्रोह इस बात की पूरी गवाही देते हैं। महात्मा गाँधी ने 'नील आन्दोलन' को नेतृत्व तो प्रदान किया ही, उसके साथ ही 'शिक्षा' और 'स्वास्थ्य' की चेतना भी चम्पारण वासियों में जगाई। प्रस्तुत शोध-निबन्ध में ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का सहारा लिया गया है।

संकेताक्षर : *तीन कठिया, नील आन्दोलन, स्वास्थ्य चेतना, शैक्षिक जागरुकता*

प्रस्तावना

भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के संदर्भ में 'चम्पारण सत्याग्रह' का बड़ा व्यापक महत्व है। सन् 1916 ई. में चम्पारण के ही एक किसान पं. राजकुमार शुक्ल के बारंबार के आग्रह पर गाँधीजी का चम्पारण आगमन आधुनिक युग की एक युगान्तरकारी घटना है। उन दिनों अंग्रेज नीलबरों द्वारा किसानों को अपनी ही जमीन के 3/20 हिस्से में जबरन नील की खेती करने को मजबूर किया जाता था। तरह-तरह से किसानों का शोषण और उत्पीड़न नीलहों द्वारा किया जाना रोजमर्रा की बात बन गई थी। ऐसी परिस्थितियों में चम्पारण के ही किसान पं. राजकुमार शुक्ल ने 'लखनऊ कांग्रेस' में जाकर गांधीजी से चम्पारण की व्यथा-कथा सुनाई और उनसे चम्पारण चलकर इसकी जाँच करने की पेशकश की। इस सन्दर्भ में अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा 'सत्य के प्रयोग' में गाँधीजी ने लिखा है,–''राजकुमार शुक्ल नामक चम्पारण के एक किसान थे। उन पर दु:ख पड़ा था। यह दु:ख उन्हें अखरता था। लेकिन अपने इस दु:ख के कारण उनमें नीलके इस दाग को सबके लिए धो डालने की तीव्र लगन पैदा हो गयी थी। जब मैं लखनऊ कांग्रेस में गया, तो वहाँ इस किसान ने मेरा पीछा पकड़ा। 'वकील बाबू आपको सब हाल बतायेंगे वाक्य वे कहते जाते थे और मुझे चम्पारण आने का निमंत्रण देते जाते थे।''[1]

वकील साहब से गांधीजी का तात्पर्य उन दिनों के नामी वकील ब्रजकिशोर बाबू से था जिन्हें गांधीजी ने 'बिहार के सेवा जीवन के प्राण'[2] के रूप में रेखांकित किया है। लखनऊ कांग्रेस में ब्रजकिशोर बाबू ने चम्पारण की समस्याएँ रखीं और इस मुद्दे पर सहानुभूति-सूचक प्रस्ताव पारित हुआ जिससे पं. राजकुमार शुक्ल के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। परन्तु उन्होंने गांधीजी से चम्पारण आकर किसानों के दु:ख देखने की जिद न छोड़ी। इस संदर्भ में गांधीजी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा,–''अपने भ्रमण

ISSN 2348-3857

में मैं चम्पारन को भी सम्मिलित कर लूंगा और एक-दो दिन वहाँ ठहरूँगा।''[3] शुक्लजी आश्वस्त हुए और उन्होंने कहा, ''एक दिन काफी होगा। नजरों से देखिए तो सही।''[4]

गाँधीजी के चम्पारण आगमन से पूर्व की स्थिति

इतिहास इस बात का साक्षी है कि चम्पारण गाँधीजी के आगमन के बहुत पूर्व से ही अंग्रेजों के शोषण और उत्पीड़न के बरखिलाफ सुलग रहा था। सन् 1857 के विद्रोह का केन्द्र बना सुगौली छावनी का विद्रोह इसका जीवन्त गवाह है। सन् 1857 के प्रारंभिक दिनों में ही ब्रिटिश सरकार ने नीलहों को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया। ब्रिटिश सरकार की मंशा स्थानीय स्तर पर शांति, सद्‌भावना एवं सुरक्षा स्थापित करने की थी, परन्तु अधिकार प्राप्त कर नीलहों ने स्थानीय किसानों का शोषण प्रारंभ कर दिया। सुगौली उन दिनों सारण जिलान्तर्गत चम्पारण सब डिवीजन का रक्षा मुख्यालय था। यहाँ 12 वीं 'इरेगुलर कैवलरी' रेजिमेंट तैनात थी।[5]

उन दिनों सुगौली छावनी में मेजर ई.एस. होम्स नाम का एक अधिकारी था जो कि बड़ा ही क्रूर, निर्दयी और निरंकुश व्यक्ति था। सन सत्तावन के विद्रोह के मद्देनजर होम्स ने पूरे चम्पारण में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। लोगों में होम्स की नीतियों के खिलाफ जबर्दस्त आतंक और खौफ था। सैनिकों में भी उसके प्रति भारी आक्रोश था। बिहार में सन सत्तावन के महानायक वीर कुँअर सिंह ने सैनिकों से जब विद्रोह का आह्वान किया तब सैनिक विद्रोह की आग में कूद पड़े। इस सन्दर्भ में चम्पारण का स्वर्णिम इतिहास के लेखक सच्चिदानंद सौरभ कहते हैं-''विद्रोही सैनिकों ने सर्वप्रथम आतंक के पर्याय मेंजर ई.एस. होम्स को निशाना बनाया। 25 जुलाई 1857 की शाम होम्स पत्नी के साथ कार पर कहीं जा रहा था। चार घुड़सवारो ने बीच रास्ते में उन्हें घेरकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं विद्रोहियों के दूसरे दस्ते ने डिप्टी पोस्ट मास्टर मि. बैनेर को मार डाला। एक और विद्रोही सैन्य दल ने एक अंग्रेज डॉक्टर मि. गार्नर की पूरे परिवार सहित हत्या कर उसके बंगले में आग लगा दी और उसके खजाने को लूट लिया। इस आंतक के वातारण में मैजिस्ट्रेट मि. रैक्स अन्य अफसरों के साथ मोतिहारी छोड़कर कई मील दूर फैक्ट्री में जा छुपा।''[6]

नीलहों के खिलाफ गाँधी पूर्व किसान आन्दोलन

1867 ई. के कालखण्ड में सर्वप्रथम चम्पारण के लाल सरैया कोठी के इलाकाई किसानों ने नील की खेती के बरखिलाफ जोरदार आवाज उठाई। जौकटिया गाँव के किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। यह नीलहों के खिलाफ प्रथम संघर्ष था जो 'पंचकठिया' प्रणाली के विरूद्ध हुआ था। विदित हो कि प्रति बीघे पाँच कठ्ठे में उन दिनों नील की खेती करना अनिवार्य था।

इस आन्दोलन की चरम परिणति आगे चलकर चम्पारण सत्याग्रह के पश्चात् हुई जब नील की खेती हमेशा के लिए बन्द हो गई और इसके साथ ही 'तीनकठिया प्रणाली' का भी अन्त हो गया। सिपाही विद्रोह (1857) के पूर्व ही अंग्रेजों द्वारा चम्पारण में नील की खेती की शुरूआत की जा चुकी थी। सन् 1813 ई. में कर्नल हिक्की ने चम्पारण के बाराचकिया में नील की फैक्ट्री लगाई थी। सन् 1789 में डचों ने मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में नील की खेती प्रारंभ करवाई।[7] उन दिनों चम्पारण के किसानों की मुख्य आमदनी गन्ने की खेती से हुआ करती थी लेकिन सन् 1850 के आस पास जब नील के भाव में भारी उछाल आया तो चम्पारण में चीनी मिलों के स्थान पर नील के कारखाने खुलने लगे। इस संदर्भ में सन् 1892-97 के सर्वेक्षण के आधार पर शैलेन्द्र सेंगर का मानना है कि, ''चम्पारण में नील के 21 कारखाने तथा उनकी 48 कोठियों में लगभग 33000 कामगार हैं तथा 95970 एकड़ अर्थात कुल कृषि भूमि के 7 प्रतिशत भाग में नील की खेती हो रही है, अब निलहों (नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज) के अत्याचार बढ़ने लगे हैं।''[8]

नीलबरों द्वारा चम्पारण में नील की खेती करनेवाले किसानों के साथ हुए अत्याचारों की एक लम्बी और लोमहर्षक दास्तान है। नीलबरों द्वारा स्थापित नील की कोठियाँ यातना शिविरों का पर्याय बन गई थीं। ''नील की कोठियों के दरो-दीवार पर बर्बरता एवं पाशविकता की वह खूनी इबारत लिखी जाती थी, जिसे सिर्फ सुनने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी तुरकौलिया कोठी में वह नीम का पेड़ मौजूद है, जहाँ निर्दोष किसानों पर कोड़े बरसाये जाते थे।''[9]

अंग्रेज नीलबरों ने अपने मुनाफे के लिए एक सर्वथा नई शोषण पद्धति का ईजाद किया जिसके अन्तर्गत किसानों से खुरकी कोतवाली, बपही, पुतही, बंगलही, घोड़ही तथा भैंसही नामक टैक्स की वसूली जबरन की जाने लगी। इन पर प्रकाश डालते हुए सच्चिदानंद सौरभ लिखते हैं, ''खुरकी कोतवाली के तहत अंग्रेज किसानों को कुछ रूपये देकर उनकी कुल जमीन, घर आदि जरपेशगी रख लेते और जीवन भर उनसे नील की खेती कराते। डॉ. कालीकिंकर दत्त ने अपनी पुस्तक में इसे खुश्की कुरतौली कहा है। बपही-पुतही के तहत यदि कोई रैयती किसान मर जाता तो उसका बेटा निर्धारित राशि दिए बिना अपनी जमीन का वैधानिक वारिस नहीं बन सकता था। बंगलही टैक्स के अन्तर्गत अंग्रेज साहब का बंगला बनाने या मरम्मत किये जाने पर रैयती किसान को इस टैक्स के रूप में एक रूपया चुकाना पड़ता था। उसी तरह

घोड़ही, भैंसही टैक्स के तहत नीलहें साहब के घोड़े एवं भैंस आदि के लिए भी रैयती किसानों को टैक्स अदा करना पड़ता था।''[10]

नीलहों द्वारा किए गए इन अत्याचारों और अवैध वसूली के विरूद्ध किसानों में गंभीर असंतोष का भाव उत्पन्न होने लगा था। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप सन 1867 ई. तक आते-आते किसान लामबन्द होने लगे और सर्वप्रथम लालसरैया कोठी के किसानों ने निलहों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। जौकटिया के किसानों ने नील की बुआई से साफ इन्कार कर दिया। उनका यह प्रतिकार ''पंचकठिया' प्रणाली को लेकर था। 1868 ई. में उन्होंने नील की जगह अपने खेतों में रबी की बुआई की। विद्रोही किसानो ने अंग्रेजों के बंगलों में आग लगा दी जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को झुकना पड़ा। किसानों और अंग्रेजों के मध्य समझौता हुआ जसके अनुसार 'पंचकठिया' प्रणाली को ''तीनकठिया'' में बदल दिया गया। खेती की आजीवन बाध्यता को हटाकर उसे 25 से 30 वर्ष की अवधि तक सीमित कर दिया गया।[11]

यह चम्पारण में निलहे अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के संगठित संघर्ष की बहुत बड़ी जीत थी। किसानों के असंतोष और संगठित संघर्षों की शक्ति ने ही अंग्रेजों को 'पंचकठिया' प्रणाली को बदलकर 'तीनकठिया' प्रणाली लागू करने को विवश किया था। किसानों की इस जीत को इतिहास में रेखांकित किए जाने की आवश्यकता है।

साठी एवम् तिलहड़ा का संघर्ष

चम्पारण में निलहों के विरूद्ध उपजे असंतोष को श्रृंखलाबद्ध रूप से चलाने के लिए अब कुशल और विचारवान नेतृत्व की आवश्यकता थी। साठी के संघर्ष के नायक के रूप में शेख गुलाब, शीतल राय और पं. राजकुमार शुक्ल आगे आए और उन्होंने किसान संघर्ष की बागडोर संभाल ली। सन् 1857 ई. में साठी के चाँद बरवा गाँव में जनमे शेख गुलाब ने संघर्ष का शंखनाद कर दिया। 1905 ई. में उन्होंने अंग्रेजों के बरखिलाफ लामबन्दी करने के लिए गाँव-गाँव घूमकर लोगों में चेतना जगाने का कार्य शुरू कर दिया। इस संदर्भ में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कहते हैं,-''साठी कोठी में नील बन्द करने में शेख गुलाब ने बड़ा भाग लिया था। उनके उदाहरण से लोगों के दिल में और भी साहस और उत्साह भर आया। शेख गुलाब को भारी आर्थिक और शारीरिक क्षति उठानी पड़ी, किन्तु रैयतों की आँखों में उनका मान बहुत ही बढ़ गया। उनको वे अपना आदर्श तथा सच्चा हितैषी समझने लगे।''[12]

शेख गुलाब के सहयोगियों में शीतल राय, पं. राजकुमार शुक्ल के अलावा शेख मुनव्वर, लाला जगनलाल, हाजी दीन मोहम्मद, मुसद्दी लाल, राधेमल मोटानी, पीर मोहम्मद 'मूनीस', हरिवंश सहाय तथा खेण्डर राय आदि थे। इनमें पीर मोहम्मद 'मुनीस' शिक्षक होने के साथ ही उच्चकोटि के शायर और कवि थे। हरिवंश सहाय भी पेशे से शिक्षक थे और दोनों कानपुर से छपनेवाले 'प्रताप' में निलहों द्वारा किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विषय में नियमित रूप से लिखते रहते थे। इनके प्रकाशित लेखों के द्वारा ही चम्पारण के बाहरकी दुनिया के लोगों ने चम्पारण के संघर्षों को जाना समझा था। चम्पारण संघर्ष के इतिहास के ये अमिट हस्ताक्षर के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं।

तिलहारा, साठी, परसा एवं कुड़िया कोठी के क्षेत्र में शेख गुलाब के नेतृत्व में किसानों के तेवर बदलने लगे जिसकी परिणति 'तिलहरा काण्ड' के रूप में हुई। 1906 ई. के अंतिम चरण में तिलहरा कोठी के कारिन्दों ने असबाव वसूली के सन्दर्भ में रैयती किसानों के साथ जबर्दस्त मारपीट की, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप किसानों ने भी उनके साथ मारपीट की। तिलहरा कोठी का मैनेजर मि. ब्लूमफील्ड उसी वक्त वहाँ घोड़े पर सवार होकर आया और किसानों पर हंटर चलाने लगा। मगर किसानों ने सामूहिक रूप से उसपर जबर्दस्त हमला बोल दिया। किसानों का गुस्सा देखकर ब्लूमफील्ड भाग कर अपनी कोठी में जा घुसा। मगर रैयती किसानों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और लाठियों से पीट-पीट कर उसे मार डाला। किसान आक्रोश की चरम अभिव्यक्ति मि. ब्लूमफील्ड की सामूहिक हत्या के रूप में हुई। इस संदर्भ में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'चम्पारण में महात्मा गांधी' में कहते हैं, ''1906 में तेलहड़ा कोठीके रैयतों ने उसके अंग्रेज मैनेजर मि. ब्लूमफील्ड को मार डाला। उनमें से कई एक रैयतों पर मुकदमा चलाया गया और तीन आदमियों को जिला जज ने फाँसी का हुक्म दे दिया पर हाईकोर्ट में अपील होने पर फाँसी का हुक्म रद्द हो गया और उनको छह वर्ष की सख्त कैद की सजा मिली।''[13]

इस मुकद्दमे में शेख गुलाब को भी फंसाया गया। ब्लूमफील्ड की हत्या के दो-तीन महीने पश्चात ही नील आन्दोलन ने फिर जोर पकड़ा। साठी और परसा के रैयती किसानो की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस बीच साठी कोठी तथा कुछ आस-पास के अन्य कोठियों जैसे परसा, मलहिया, बैरिया और कुड़िया के रैयतों ने शेख गुलाब और शीतल के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया। शीतल राय और एक धनी मारवाड़ी राधेमल और गुमास्ता रामस्वारथ को 26 अक्टूबर 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद रैयतों का आन्दोलन चलता रहा।[14] साठी कोठी का मैनेजर एफ0सी0 कैफिन ने किसानों की उग्रता की खबर कलक्टर

को दी। कलक्टर को बाध्य होकर इस घटना की जाँच के लिए एक कमिटी गठित करनी पड़ी। बेतिया के अनुमण्डल पदाधिकारी मि. टेनर कमिटी के अध्यक्ष बनाए गए। परसा कोठी में हुए बलवे का वर्णन करते हुए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कहते हैं, ''1908 की 16वीं अक्टूबर को रैयतों ने स्पष्ट रूप से बलवा शुरू कर दिया और परसा कोठी के सिपाहियों के साथ मारपीट भी की। ऐसा भी सुना जाता है कि रैयत लोग उस कोठी के मैनेजर पर भी हमला करने से बाज न आए। इस बलवे की खबर गवर्नमेण्ट को तुरन्त भेजी गई। इसको रोकने के लिए गवर्नमेण्ट ने फौजी पुलिस भेज दी। 26 अक्टूबर को शीतल राय तथा एक और धनिक मारवाड़ी राधूमल गिरफ्तार कर लिए गए। आज भी लोग कहते हैं कि उस समय पुलिस के सिपाहियों ने तथा गोरखों ने लोगों को बड़ा तंग किया था। खासकर इंस्पेक्टर नाइट (Inspector Knight) का नाम उस स्थान के रैयतों को आज तक नहीं भूला है और न उस भयानक काण्ड को वहाँ के रैयत कभी भूल सकते हैं। उस समय के प्राय: सभी पत्रों में इस घटना की आलोचना हुई थी।''[15]

अगले कदम के रूप में किसानों द्वारा किए जा रहे मुकद्दमों और शिकायतों से परेशान होकर अंग्रेज सरकार ने बेतिया और लौरिया क्षेत्र की घटनाओं को लेकर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाँच हेतु आदेशित किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कृषि निदेशक डब्ल्यू. आर. गोरेल को उक्त जाँच हेतु नियुक्त किया। गोरेल ने अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की। सन् 1910 ई. में प्लांटर्स एसोशिएशन की मीटिंग भी हुई, परन्तु गोरेल की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस सन्दर्भ में राजेन्द्र बाबू कहते हैं, ''चम्पारण के किसान आज तक मि. गोरले का नाम लेते हैं और कहते हैं कि यदि वैसे हाकिम चम्पारण में भेजे जाते तो उनलोगों के दु:ख कभी के दूर हो गए होते। सब बातें अच्छी तरह देखभाल कर मि. गोरले ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी।''[16] जाहिर सी बात है कि गोरलेकी रिपोर्ट पर सरकार ने इसलिए खामोशी अख्तियार कर ली, कि यह किसानों के हित में दी गई रिपोर्ट थी और इससे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और नीलबरो की कलई खुलने वाली थी।

सन् 1909 के बाद भी नील की खेती और उससे जुड़े अत्याचार जारी रहे। पत्र-पत्रिकाओं में इसकी चर्चाएँ भी होती रहीं। उस समय के बिहार के प्रमुख हिन्दी दैनिक पत्र 'बिहारी' ने अपने लेखों द्वारा चम्पारण की समस्या की तरफ सरकार एवं जनता का ध्यान आकृष्ट किया। 1909 और 1910 में चम्पारण में शांति रही। 1911 के प्रारंभिक दिनों में इस महासंघर्ष के नायक शेख गुलाब की जेल से वापसी हुई। इस संदर्भ में अशरफ कादरी कहते हैं, ''शेख गुलाब जेल से वापस लौटने के बाद बहुत बीमार हो गए और बिल्कुल ही कमजोर नजर आने लगे। जेल में उनकी आँखों की रोशनी भी कम हो गई थी। क्योंकि जेल के अन्दर उनकी आँखों में दवाई लगाने और सलाई फेरने का उपाय किया गया था। उनकी आँखों पर अब हमेशा हरी पट्टी बंधी रहती थी। इसलिए वह काफी दिनों तक बीमार ही रहे। मगर वह शमां जो उनके दिल में जल रही थी, कहाँ बुझ सकती थी।''[17]

शेख गुलाब इस हाल में भी चम्पारण के किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, सत्ताधारी अंग्रेजों से जूझते रहे। लोगों को जगाते रहे। पुलिस की दबिश उनपर होती रही। उनपर नकद इनाम भी घोषित किया गया। शेख गुलाब को अब लगने लगा कि छुपे रहना मुश्किल है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने का निर्णय ले लिया। बैलगाड़ी में ओहार लगाकर शेख बेतिया स्थित एस0डी0ओ0 कोर्ट में हाजिर हुए। इसकी भनक लगते ही हजारों-हजार किसान कचहरी परिसर में आ पहुँचे।[18]

शेख गुलाब गाँधीजी के चम्पारण आगमन के पूर्व तक पीड़ित किसानों को नेतृत्व प्रदान करते रहे और नील की खेती से उत्पन्न त्रासदी को समाप्त करवाने की जुगत में लगे रहे। शेख गुलाब 19वीं शताब्दी के मुसलमानों के एक मात्र बुलन्द नेता थे, जिनकी देख-रेख में साठी कोठी की शोषित, पीड़ित जनता गोलबन्द थी। वे इलाके के मुखिया भी थे।[19]

निलहों और नील की खेती का सिलसिला लगातार चलता रहा। किसानों का संघर्ष भी कमोबेश चलता रहा। सन् 1916 ई. के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के पूर्व तक यह संघर्ष चलता रहा। 15 अप्रैल 1917 ई. को महात्मा गाँधी के चम्पारण आगमन ने तो इस संघर्ष को परवान ही चढ़ा दिया। पं0 राजकुमार शुक्ल के बारंबार के बुलावे पर गाँधीजी मोतिहारी पहुँचे। 16 अप्रैल 1917 को हाथी पर सवार होकर गाँधीजी, धरणीधर बाबू तथा रामनवमी प्रसाद जसौलीपट्टी के लिए रवाना हुए। जसौलीपट्टी के एक किसान लोमराज सिंह के साथ अंग्रेज निलहों ने बड़ा अत्याचार किया था अत: वहाँ की स्थितियों का अवलोकन करने के लिए सर्वसम्मति से गाँधीजी ने जसौलीपट्टी जाने की योजना बनाई थी। वे मोतिहारी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चन्द्रहिया पहुँचे। चन्द्रहिया पहुँचते ही ब्रिटिश पुलिस के एक दारोगा ने उन्हें तत्कालीन कलक्टर का फरमान सुनाया। उसने कहा कि कलक्टर साहब ने आपको सलाम भेजा है। गाँधीजी सबकुछ समझ गए। दारोगा ने एक बैलगाड़ी पर गाँधीजी को बिठा लिया और मोतिहारी की ओर चल पड़ा। कुछ दूरी तय होने पर एक इक्के पर पुलिस के डिप्टी सुपरिटेन्डेंट आते दिखाई दिए। उन्होंने बैलगाड़ी को रूकवा कर गाँधीजी को तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू बी. हेकाक की

नोटिस थमा दी। इस नोटिस में कहा गया था, ''चूँकि इस डिवीजन के कमिश्नर के पत्र से, जिसकी नकल इसके साथ भेज रहा हूँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि जिले के किसी भी इलाके में आपकी उपस्थिति से इस जिले में शांतिभंग और भारी गड़बड़ होने का डर है, जिसमें लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए आपको हुक्म दिया जाता है कि आप जिले में बने रहने से परहेज कीजिए और पहली उपलब्ध गाड़ी से चम्पारण छोड़कर चले जाइए।''[20] इस नोटिस के साथ तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पत्र की एक नकल भी लगी थी जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को कहा गया था,- ''मेरे ख्याल में आपके जिले चम्पारण में उनके जाने से शांतिभंग होने का डर है, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वह यदि वहाँ जायँ तो सी0आर0पी0सी0 की धारा 144 के अनुसार उन्हें तुरंत जिला छोड़ देने की आज्ञा दीजिए।''[21]

इस नोटिस के उत्तर में गाँधीजी ने यह पत्र लिखकर मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया-''महोदय, मुझे मिली सी.आर.पी.सी. की धारा 144 की नोटिस के उत्तर में मुझे यही निवेदन करना है कि मुझे इस बात का खेद है कि डिवीजन के कमिश्नर ने मेरी स्थिति को बिलकुल गलत समझा है। सर्वसाधारण के प्रति जो मेरा कर्त्तव्य है, उसका ध्यान रखते हुए मैं इस जिले को छोड़ नहीं सकता हूँ, पर यदि अधिकारियों की ऐसी राय हो, तो इस आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए जो दण्ड हो उसे सहन करने के लिए तैयार हूँ। कमिश्नर की इस बात का कि मेरा उद्देश्य आन्दोलन करना है, मैं खण्डन करता हूँ। मेरी इच्छा केवल असल बात जानने की है और जब तक मैं स्वतंत्र रहूँगा, इस इच्छा को पूरा करना जारी रखूंगा।''[22]

कहना न होगा कि जिला मजिस्ट्रेट को दिए गए गाँधीजी के इसी उत्तर में 'सत्याग्रह' के बीज-बिन्दु निहित हैं। 18 अप्रैल, 1917 का दिन चम्पारण के इतिहास में ही नहीं, वरन भारतवर्ष के वर्तमान इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है। इसी दिन मोतिहारी के अनुमंडल दण्डाधिकारी की अदालत में उपस्थित होकर गाँधीजी ने अपना ऐतिहासिक वक्तव्य दिया जिसमें 'सत्याग्रह' के बीज-बिन्दु निहित हैं। चम्पारण के 'नील आन्दोलन' के गर्भ से गाँधीजी ने चम्पारण की प्रयोगशाला में आजादी की लड़ाई के अमोघ अस्त्रों, 'सविनय अवज्ञा' और 'सत्याग्रह' का आविष्कार किया। इन प्रभावी अस्त्रों ने ही स्वतंत्रता आन्दोलन को तेज धार प्रदान किया। आगे चलकर अंग्रेजों को नील की खेती बंद करनी पड़ी और भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। घाव में नश्तर लगाने के पूर्व जैसे शल्य चिकित्सक उस स्थल का चयन करता है जहाँ ज्यादा मात्रा में पीब एकत्रित हो, उसी प्रकार समग्र हिन्दुस्तान के व्यापक धरातल पर चम्पारण का यह अंचल उस फोड़े का मुहाना बना। चम्पारण की सफलता ने गाँधीजी को राष्ट्र के महानायक के रूप में स्थापित किया और आम-अवाम में उनके करिश्माई व्यक्तित्व की पहचान कायम की। गाँधीजी के पूरे जीवन पर चम्पारण आन्दोलन की छाप रही। इस प्रकार गाँधीजी ने आनेवाले वर्षों में कांग्रेस को 'राजनीतिक स्वतंत्रता' के ध्येय तक ही सीमित नहीं रहने देकर 'चम्पारण की ग्रामीण दुर्दशा' से प्रेरित होकर 'ग्राम स्वराज' तथा 'आर्थिक राष्ट्रवाद' की चिन्तन धारा का भी विकास किया।[23]

चम्पारण आन्दोलन की क्रोड़ से ही 'शिक्षा' और 'स्वच्छता' का संदेश निकला। गाँधीजी ने चम्पारण में स्वच्छता और सफाई के कार्यों से लोगों को जोड़कर एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन की भी गहरी नींव रखी। इसी तरह 'शिक्षा' के क्षेत्र में भी बुनियादी विद्यालयों की अवधारणा की नींव रखी। उन्होंने चम्पारणवासियों को शिक्षा और स्वच्छता का गहरा पाठ पढ़ाया। गाँधीजी की अनुयायी अवन्तिका बाई ने ग्रामीण महिलाओं को रजोधर्म के दिनों में स्वच्छता बरतने एवं सुरक्षित प्रसव कराने की जानकारी दी। उन्होंने इन महिलाओं को 'साक्षरता' एवं 'स्वावलंबन' का भी मूलमंत्र दिया। आश्रम के रामायण पाठ एवं प्रार्थना के बहाने उन्होंने महिलाओं को पर्दा प्रथा से मुक्त कराकर न केवल उन्हें चरखा चलाना सिखाया, बल्कि उन्हें कुरीतियों से सावधान कर बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने पर बल दिया।[24]

कहना न होगा कि गाँधीजी के कुशल नेतृत्व में चलाया गया चम्पारण आन्दोलन महज राजनीतिक आन्दोलन ही नहीं, एक सामाजिक आन्दोलन भी बन गया। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के प्रयोग ने लोगों में नई चेतना पैदा की जिससे चम्पारण में आगे चलकर नवीन चेतना का संचार हुआ। चम्पारण में अनेक स्कूल कॉलेज खुले और चम्पारण की धरती पर महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसे गाँधी की शिक्षा-दृष्टि के बढ़ाय के रूप में देखा जाना चाहिए। चम्पारण सत्याग्रह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसने तत्कालीन भारतीय राजनीति की न सिर्फ दिशा बदली बल्कि आनेवाले समय में जो स्वतंत्रता आन्दोलन का संघर्ष था, उसकी रूपरेखा भी स्पष्ट कर दी।[25]

चम्पारण आन्दोलन ने राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन को एक निर्दिष्ट दिशा और दशा प्रदान की। यह दिशा थी सत्य की, अहिंसा की, शिक्षा की, स्वच्छता की, नैतिकता की और आर्थिक स्वावलम्बन की। इस आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र को सबल और स्वाभिमानी बनाने की। इसे यदि भारत के स्वाधीनता आन्दोलन का अहिंसामूलक शुभारंभ कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी।

निष्कर्ष

चम्पारण के सत्याग्रह की अपरिमित सफलता ने समग्र देशवासियों में गाँधीजी के प्रति अगाध आस्था एवं उम्मीद पैदा की। भारतवासियों को यह लगने लगा कि संघर्ष की इस बेला में उन्हें उनका महानायक मिल गया है। धीरे-धीरे पूरा देश इस अहिंसात्मक आन्दोलन में लामबद्ध होने लगा और आगे चलकर इसी तरह के संघर्ष अन्य स्थानों पर भी अंग्रेजों के विरुद्ध आरम्भ हो गया, जिसके फलस्वरूप कालान्तर में 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। इस शोधपत्र से निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि गाँधीवादी अहिंसात्मक आन्दोलन ही प्रथम प्रयोग भूमि के रूप में चम्पारण स्मरणीय बन गया। जहाँ एक ओर 'चम्पारण सत्याग्रह' की सफलता ने गाँधीजी को उभार प्रदान किया, वहीं चम्पारण के संघर्ष की कथा भी राष्ट्रीय आन्दोलन की महागाथा बन गयी।

संदर्भ सूची

1. गाँधी, मो.क., सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, अक्टूबर 1993, पृ.सं. 351
2. उपर्युक्त, पृ.सं. 351
3. उपर्युक्त, पृ.सं. 351
4. उपर्युक्त, पृ.सं. 351
5. सौरभ, सच्चिदानन्द, चम्पारण का स्वर्णिम इतिहास, सुरभि प्रकाशन, पश्चिम चम्पारण, पृ.सं. 33
6. उपर्युक्त, पृ.सं. 33
7. उपर्युक्त, पृ.सं. 35
8. सेंगर, शैलेन्द्र, आधुनिक भारत का इतिहास, अटलांटिक, दिल्ली, 2005, पृ.सं. 174
9. सौरभ, सच्चिदानंद, चम्पारण का स्वर्णिम इतिहास, सुरभि प्रकाशन, पश्चिम चम्पारण, पृ.सं. 35
10. उपर्युक्त, पृ.सं. 35
11. उपर्युक्त, पृ.सं. 37
12. प्रसाद, डॉ. राजेन्द्र, चम्पारण में महात्मा गाँधी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट वाराणसी, 2017, पृ.सं. 60
13. उपर्युक्त, पृ.सं. 55
14. दत्त, डॉ. कालिकिंकर, बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास, खंड-1, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 1998, पृ.सं. 194
15. प्रसाद, डॉ. राजेन्द्र, चम्पारण में महात्मा गाँधी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, 2017, पृ.सं. 61
16. उपर्युक्त, पृ.सं. 67
17. साहिल, अफरोज आलम, शेख गुलाब-नील आन्दोलन के एक नायक, इंसान इंटरनेशनल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2017 पृ.सं. 144
18. सौरभ सच्चिदानन्द, चम्पारण का स्वर्णिम इतिहास, सुरभि प्रकाशन, पश्चिमी चम्पारण, 2010, पृ.सं. 39
19. चौधरी, हरिश्चन्द्र, चम्पारण का किसान आंदोलन और गाँधी, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2016, पृ.सं.146
20. प्रसाद, डॉ. राजेन्द्र, चम्पारण में महात्मा गाँधी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट वाराणसी, 2017, पृ.सं. 130
21. उपर्युक्त, पृ.सं. 131
22. उपर्युक्त, पृ.सं. 131-32
23. वर्मा, राजेश रंजन, चम्पारण सत्याग्रह की पुनर्व्याख्या, चम्पकारण्य : चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह स्मारिका, 2018, पृ.सं. 34
24. सौरभ, सच्चिदानन्द, चम्पारण के वीर-बांकुड़े, चम्पकारण्य : चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह स्मारिका, 2018, पृ.सं. 77
25. ज्ञान, दीपांकर श्री, गाँधी और उनका नैतिक बल, चम्पारण की दासतां, गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली, 2018, पृ.सं. 232

Research Reinforcement | **A Peer Reviewed International Refereed Journal** | **ISSN 2348-3857**
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | **Vol. 7, Issue 2** | **Nov. 2019 - April 2020** | **pp. 21-26**

भारत में लोकतंत्र : एक विश्लेषण

डॉ. अनिल कुमार यादव
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर (राजस्थान)

ISSN 2348-3857

शोध सारांश
प्रस्तुत शोध पत्र के लेखन का उद्देश्य स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में लागू किए गए लोकतंत्र के मॉडल का यह विश्लेषण करना है कि यह मॉडल भारत में कितना सफल रहा है और कितना असफल? साथ ही भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में आए ह्रास की विवेचना भी इस शोध पत्र के माध्यम से की गई है। शोध पत्र में लोकतंत्र के सम्मुख आने वाली चुनौतियों का वर्णन करने के साथ ही लोकतंत्र को सफल बनाने हेतु कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए गए है, साथ ही यह साबित करने का प्रयास भी किया गया है कि यदि लोकतंत्र में विद्यमान दोषों एवं कमियों को दूर कर दिया जाये तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से अधिक उपयुक्त व्यवस्था भारत के लिए और कोई हो ही नहीं सकती।

संकेताक्षर : *गणराज्य, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, लैंगिक समानता, नक्सलवाद, बहुलतावाद*

प्रस्तावना

विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को प्रथम स्थान दिया गया है। मानव सभ्यता के पांच हजार वर्षों से भी पुराने इतिहास में कहीं भी इतने विशाल पैमाने पर प्रजातंत्र का प्रयोग नहीं चला जैसा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से भारत मे चल रहा है। जनवरी, 1938 में जवाहर लाल नेहरू ने लिखा था कि ''राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना है।'' भारत का पहला उद्देश्य तो 15 अगस्त 1947 को पूरा हो गया था लेकिन दूसरा उद्देश्य भारत को लोकतंत्र बनाने को बाकी था। इस उद्देश्य को राष्ट्र निर्माताओं ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश करके पूरा किया। उन्होंने एक संकल्प की घोषणा की कि - ''भारत को स्वतंत्र, प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य उदघोषित किया जाए, जिसे समस्त शक्ति और अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।''[1] और जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें भारत को एक ''सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर और एक व्यक्ति, एक मत सिद्धान्त के अनुसार भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना भारतीय संविधान निर्माताओं का अत्यन्त दूरदर्शी निर्णय था। यह भारतीय जनता के प्रति विश्वास एवं सम्मान का प्रतीक था, क्योंकि ''वयस्क मताधिकार द्वारा जाति, लिंग एवं आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी किसी भेदभाव के बिना प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक लोकतंत्र में साझीदार हो गया।''[2] ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत के समक्ष अनेक महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ विद्यमान थी, जैसे राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाये रखने के लिए देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करना, क्षेत्रीय विभिन्नताओं एवं सामाजिक विषमताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, देश को आर्थिक पिछड़ेपन से उभारना इत्यादि, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उचित शासन प्रणाली की आवश्यकता थी ताकि स्वतंत्र भारत के लोगों के सपनों को पूरा किया जा सके। उन सब कार्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत ने लोकतंत्र को अपनाया।

भारत में 1952 में वयस्क माताधिकार के आधार पर जब प्रथम आम चुनाव हुए थे उस समय मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ 30 लाख थी। यह संख्या 2019 में बढ़कर लगभग 90 करोड़ हो गई है। 1952 से 2019 तक लोकसभा के आयोजित 17 चुनावों एवं राज्य विधानसभा के लिए हुए चुनावों ने उत्तरोत्तर राजनीतिक व्यवस्था को शक्ति और स्थायित्व प्रदान कर भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। इन चुनावों के औचित्य, उनकी निष्पक्षता

और सुव्यवस्था के लिए दुनियाभर के देशों में हमारी सराहना हुई है। हांलाकि 1962 में चीन द्वारा आक्रमण तथा भारत सरकार द्वारा सीमा विवाद को हल करने के तौर-तरीके के कारण लोगों के मन में लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के प्रति भ्रांतियाँ पैदा हुई एवं 1975 में आपातकाल के दौरान भी लोकतंत्र को गहरा झटका महसूस हुआ। 1980 का दशक भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा साबित हुआ। आपातकाल की नाकामी ने भारत में लोकतंत्र की मजबूती पर मोहर लगा दी वहीं दूसरी तरफ विभिन्न क्षेत्रीय एवं अल्पसंख्यक राजनीतिक पार्टियों की मिली-जुली सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पायी और यह धारणा भी मजबूत होने लगी कि केवल कांग्रेस पार्टी ही केन्द्र में मजबूत एवं स्थिर सरकार प्रदान कर सकती है। 1989 से 2004 तक के पंद्रह वर्षों के दौरान केन्द्र एवं राज्यों में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल रहा। 1989 के पश्चात् देश छः बार आम चुनावों से गुजरा एवं कई पार्टियों की मिली-जुली सरकारों ने देश पर शासन किया। 21वीं सदी में भारतीय लोकतंत्र अहम् परिवर्तन, प्रयोगों एवं चुनौतियों के होते हुए भी निरन्तर आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न विचारधारा रखने वाले राजनीतिक दलों के मध्य केन्द्र और राज्य स्तरों पर एक निश्चित अवधि के दौरान गठित सरकारों के गठन में गठबंधन की राजनीति के प्रयोग कहीं सफल तो कहीं असफल हो रहे हैं। हालांकि केन्द्र में यूपीए और एनडीए के नेतृत्व में गठित गठबंधन सरकारों ने राजनीति स्थिरता प्रदान की है। लम्बे अरसे के पश्चात् 2014 एवं 2019 के लोकसभा के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाई है जिसके परिणाम स्वरूप गठबंधन की राजनीति का अंत हुआ है।

कितना सफल है भारत का लोकतंत्र

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में चुनावों को उत्सव की भांति लिया जाता है। भारत के लोकतंत्र की वैश्विक प्रतिष्ठा भी है और भारत का निर्वाचन आयोग कई विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में होने वाले चुनावों के संचालन में सहयोग भी देता है। लंदन स्थित ''द इकोनॉमिस्ट'' द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स (लोकतंत्र सूचकांक) में 2018 के लिए 167 देशों की सूची में भारत को 41वें स्थान पर रखा गया है।

अपने 72 वर्षों के सफर में भारत का लोकतंत्र कितना सफल रहा हैं, यह जानने के लिए इन वर्षों का इतिहास, देश का विकास, सामाजिक-आर्थिक दशा, देश की उपलब्धियाँ और लोगों की खुशहाली आदि पर गौर करने की जरूरत है। भारत का लोकतंत्र बहुलतावाद पर आधारित राष्ट्रीयता की संकल्पना पर आधारित है। भारत की विविधता ही इसकी सुन्दरता है। हम सिर्फ दक्षिण एशिया का ही उदाहरण ले तो भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के बीच यह अंतर देखने को मिलता है कि जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एवं भूटान में उनके विशिष्ट धार्मिक समुदायों का वर्चस्व है, वहीं धर्मनिरपेक्षता भारत का एक बेहद सशक्त पक्ष है। सूचकांक में भारत का पड़ोसी देशों से बेहतर स्थिति में होने के पीछे यह एक बड़ा कारण है।

- स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव भारतीय लोकतंत्र का आदर्श उदाहरण है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटाचलैया लिखते है 'एक अदना सा व्यक्ति एक अदने से बूथ तक चलने और एक अदने से कागज के टुकड़ें पर पेंसिल से एक अदना सा निशान बनाकर राजनीतिक क्रांति का अग्रदूत साबित हो सकता है। भारत अपनी चुनाव प्रणाली पर निश्चित रूप से गर्व कर सकता है जिसने इस क्षेत्र के कई अन्य देशों के विपरीत सत्ता के समयबद्ध, और निर्बाध हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।'
- भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धान्त का पालन होता रहा है जिसके फलस्वरूप देश में सदैव कानून का शासन बना रहा है जिसने देश को निरंकुश, तानाशाही एवं सैनिक शासन के प्रभाव से बचाया है।
- भारत में लोकतंत्र की जड़ें दिनों दिन गहरी होती जा रही है। समानता, स्वतंत्रता एवं जनभागीदारी पर आधृत होने के कारण लोकतंत्र में जनता का विश्वास मजबूत होता जा रहा है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया से सत्ता परिवर्तन के कारण जनप्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ रही है।
- भारतीय लोकतंत्र ने राजनीतिक, कानूनी एवं सामाजिक समानता के मोर्चे पर अत्यधिक सफलता हासिल की है फलस्वरूप देश के सबसे नीचे के तबके के लोगों को भी नेतृत्व करने का अवसर हासिल हुआ है।
- अन्य उत्तर औपनिवेशिक समाजों से जहां प्रजातंत्र का प्रयोग प्रारंभ होकर कुछ समय बाद ही असफल हो गया, तुलना करने पर लगता है कि भारतीय प्रजातंत्र की सफलता एक अनुपम उपलब्धि है इसका कारण भारतीय सामाजिक ढांचे के अनुकूल ढलने की क्षमता है। ''जाति के नए संदर्भों के अनुकूल ढलना प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली के लिए वस्तुतः सुविधाजनक रहा। इसने परंपरा और आधुनिकता के मध्य की खाई को सफलतापूर्वक पाट दिया हैं।''[1]

- देश में भाषायी, धार्मिक, जातीय एवं क्षेत्रीय विविधताएं होने के बावजूद भारतीय लोकतंत्र ने विगत 72 वर्षों से राष्ट्र की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखा है।
- हॉर्वर्ड इन्टरनेशनल-रिव्यू के अंक में 'भारत का लोकतांत्रिक अनुभव' शीर्षक से लिखे लेखों में कहा गया है कि लोकतंत्र जीवित है और भारत में बहुत अच्छी अवस्था में है। भारत में खुलकर बहस होती है और सर्वसम्मत निर्णय होते है।''[2]
- समाज के वंचित, पिछड़े वर्ग के लोगों और महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है अर्थात राजनीतिक अवस्था के हर स्तर पर इनकी भागीदारी बढ़ी है।
- आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नियोजित आर्थिक विकास का सूत्रपात हुआ है। यद्यपि आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति के वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं, परन्तु इससे गरीबी और आर्थिक विषमता पर प्रभावी अंकुश लगा है।
- समाज से सरोकार रखने वाले हर क्षेत्र के मुद्दों में बदलाव एवं उनके समाधान के लिए सामाजिक आन्दोलनों का उदय हुआ है।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता यह कही जा सकती है कि 1952 से लेकर 2019 तक लोकसभा के 17 बार के निर्वाचनों तथा राज्य विधानसभाओं के इससे अधिक बार के निर्वाचनों से केन्द्र व राज्यों में सत्ता का हस्तान्तरण बिना किसी खून खराबे के शान्तिपूर्ण तरीके से होता रहा है।

भारतीय लोकतंत्र की असफलताएँ

दरअसल किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार ने निर्धनता, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को किस हद तक समाप्त किया है। लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है और सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को कम करने के लिए क्या-क्या प्रयास हुए है। अगर इन सब बातों पर गौर करे तो देखेंगे कि-

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 36 करोड़ की आबादी आज भी स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं स्कूली शिक्षा से वंचित है।
- लैंगिक भेदभाव का मुद्दा भी बड़ी समस्या रहा है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 108वें पायदान पर है और UNDP द्वारा जारी लिंग असमानता सूचकांक-2017 में भारत को 127 वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित लक्ष्यों के अनुरूप एक समतामूलक समाज के निर्माण में नाकाम रहे हैं। विभिन्न जाति, वर्ग और धर्म के लोगों को कानूनी आधार पर अधिकार तो दिए गए है लेकिन सामाजिक स्तर पर इन अधिकारों को मान्यता मिलना अभी भी बाकी है अर्थात देश में सामाजिक स्तर पर सामाजिक विषमता आज भी विद्यमान है।''[3]
- आज सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद एवं कट्टरवाद की वजह से असहिष्णुता को बढ़ावा मिला है। जातिवाद की जड़ें भारत में लगातार गहरी होती जा रही है।
- शासकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का अभाव है फलस्वरूप देश में विकास कार्यों एवं अन्य कार्यों में खर्च होने वाली धनराशि को लेकर भ्रष्टाचार का प्रभाव बढ़ रहा है।
- हम आर्थिक विकास के मोर्चे पर भी नाकाम रहे हैं। देश के संसाधनों एवं आय पर आज भी चन्द लोगों का ही कब्जा है जिससे देश में आर्थिक विषमता बनी हुई है।
- वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक ओर तो अपराध का राजनीतिकरण एवं राजनीति का अपराधीकरण हुआ है तो दूसरी ओर हमारी चुनाव प्रणाली धनबल एवं बाहुबल की गिरफ्त में आ चुकी है। चुनावी अनियमितताओं से ऊबकर बुद्धिजीवी वर्ग का अपने मताधिकार के प्रति रूझान ही समाप्त हो चुका है। सन् 1989 से लेकर 2009 तक के लोकसभा चुनावों में त्रिशंकु सदनों का गठन करके जनता ने अपना यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ''उसकी नजरों में संसदीय लोकतंत्र असफल है और गरीब भारत की जनता को कोतल घोड़े की कोई आवश्यकता नही है।''[4]
- गठबंधन सरकारें दलीय हितों के टकराव के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही है और बार-बार होने वाले मध्यावधि चुनावों के कारण देश आर्थिक संकट एवं नीतियों की दिशाहीनता की समस्या से जूझ रहा है।
- आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में नाकाम रहे है फलस्वरूप नक्सलवाद आज हमारे देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए नासूर बना हुआ है।
- वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि उसमें लोक कल्याण हो पाना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। सत्ता पाने के लिए ऋण माफी, सस्ती दरों पर खाद्यान्न एवं मुफ्त बिजली-पानी जैसे प्रलोभन दिये जा रहे हैं।

भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ

भारतीय लोकतंत्र में विद्यमान परिस्थितियाँ एक प्रकार का विरोधाभास प्रस्तुत करती है। एक ओर तो संविधान के माध्यम से नागरिकों ने संसदीय लोकतंत्र के मंझे हुए मार्ग पर चलते हुए अपने राजनीतिक विकास हेतु शपथ ग्रहण कर रखी है दूसरी ओर उन्होंने अधिकाधिक राजनीतिक अरूचि तथा अक्षमता प्रदर्शित की है। इसका परिणाम यह है कि देश के समक्ष एक ऐसी बेमेल परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें शासन की ऐसी प्रणाली चलाने का भार वहन करना पड़ रहा है जिसके लिए वांछित साधन ही उपलब्ध नहीं है। रघुकुल तिलक के अनुसार ''भारत की जनता स्वभाव और मनोवृत्ति के कारण लोकतंत्र को सफल बनाने की क्षमता नहीं रखती। धार्मिक और सांस्कृतिक परम्पराएँ लोगों को भाग्यवादी और सहनशील होना सिखाती है इसलिए वे निरंकुश शासन के अत्याचार को सहज ही सहन कर लेते हैं और सत्ताधारियों का विरोध करना पंसद नहीं करते।

वर्तमान समय में भारत में लोकतंत्र को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है-

- ऐसा कहा जाता है कि 'सत्ता पक्ष यदि मदमस्त हाथी है तो विपक्ष उसका महावत। वह विपक्ष ही है जो सत्ता पक्ष को अपने पथ से विचलित होने से बचाता एवं रोकता है।''[5] भारतीय संसदीय लोकतंत्र में ऐसे सशक्त, उत्तदायी एवं रचनात्मक विपक्ष का नितान्त अभाव है।
- आज भारतीय राजनीतिक जीवन में साम्प्रदायिकता का विष इतना अधिक फैला हुआ है कि हमारे लोकतंत्र का ढांचा खतरे में पड़ गया है। धर्म का उपयोग समेकित राष्ट्रवाद के उदय के लिए नहीं बल्कि अपने-अपने संकीर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। भारत में कुछ दलों का उद्भव ही धर्म के आधार पर हुआ है ऐसे राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र के मूलस्वरूप को ही नष्ट कर दिया है।
- क्षेत्रवाद की प्रवृति ने लोकतंत्र को गहरी चोट पहुचाई है। ''भारत देश में जैसे-जैसे क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है उसके साथ-साथ देश में संघर्ष का वातावरण भी तैयार हुआ है।''[6] जिसके कारण सम्पूर्ण समाज में संघर्ष, हिंसा, तनाव एवं भय का माहौल उत्पन्न होता है।
- भाषा के मुद्दे ने भी अनेक अवसरों पर हिंसात्मक वातारवरण का निर्माण किया है राष्ट्र भाषा के मुद्दे पर उत्तर-दक्षिण के विवाद ने नवोदित लोकतंत्र में कोढ़ के निशान पैदा कर दिए हैं। ''आज राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्षेत्रीयता के उभार ने भाषाई अस्मिता के संघर्ष को बल दिया है मगर भाषा की राजनीति में भाषाओं के विकास का मुद्दा गौण होता जा रहा है। भाषाई कट्टरता का विस्तार हो रहा है।''[7]
- विगत कुछ वर्षों से देश में हिंसा और हिंसात्मक जनआन्दोलनों ने लोकतंत्र को कमजोर करने में महती भूमिका निभाई है। आज भारतीय राजनीति में हिंसा एक समस्या न होकर राजनीति ही हिंसा की राजनीति में बदल रही है। भारत में हिंसा की राजनीति के दो रूप दिखाई देते हैं। प्रथम अपनी मांग के लिए हिंसा का रास्ता प्रयुक्त करना, इसमें विभिन्न क्षेत्रों के आतंकवादी आन्दोलनों, रैलियों एवं धरनों को लिया जा सकता है। द्वितीय सत्ता प्राप्ति की होड़ में हिंसा। इसका स्वरूप हमें प्राय: निर्वाचन के समय देखने को मिलता है। दलित जातियों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता एवं प्रभावशाली ढंग से उन अधिकारों का दावा करने की प्रवृत्ति के कारण उच्च जातियों द्वारा की जाने वाली तीखी प्रतिक्रिया से भी भारत में जातिवादी हिंसा बढ़ी है। चुनावों के दौरान या तो मतदाताओं को मत देने के लिए बढ़ावा देने अथवा उन्हें मत नहीं देने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लोकतंत्र की सफल क्रियान्विति हेतु व्यक्तियों में फैली निरक्षरता एक गंभीर चिन्ता की बात थी एवं वर्तमान में यही निरक्षरता एक मुख्य चेतावनी बनी हुई है। लोकतंत्र के सफल क्रियान्वयन एवं देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण सोपान है।
- सामान्यत: कहा जाता है कि एक भूखे इंसान के लिए वोट के अधिकार का कोई अर्थ नहीं है उसके लिए भोजन प्रथम प्राथमिकता है। अत: गरीबी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा अभिशाप माना गया है। नि:संदेह भारत को लंबे शोषण पूर्ण ब्रिटिश उपनिवेश शासन से निर्धनता विरासत में मिली है लेकिन यह आज तक सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है। वास्तव में आर्थिक विकास की प्रक्रिया सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में असफल रही है और अमीर एवं गरीब के बीच की खाई को कम नहीं किया जा सका है।
- भारत में लैंगिक भेदभाव भी लोकतंत्र के लिए गम्भीर समस्या है। लैंगिक समानता लोकतंत्र का मुख्य आधार है।

नि:संदेह 73वें एवं 74वें सवैधानिक संशोधनों से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है फिर भी समाज में परम्परागत गौण स्थान होने के कारण उनकी प्रत्येक क्षेत्र में समान भागीदारी को सीमित कर देता है। यह स्थिति समाज में प्रत्येक वर्ग एवं समुदाय की महिलाओं की है। संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक अभी पारित होना बाकी है।

- राजनीति का अपराधीकरण भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। आज केन्द्रीय एवं राज्यों की व्यवस्थापिकाओं में आपराधिक किस्म के व्यक्ति पहुंच रहे हैं। ''बोहरा समिति की रिपोर्ट में कहा है माफिया देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है जो राज्य की संचालन मशीनरी को अप्रभावशील करते हुए समानांतर सरकार चला रहा है। यह देश के लिए गंभीर खतरा है क्योंकि देश की सम्पूर्ण आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक प्रणाली माफिया गिरोहों की गिरफ्त में है जो स्थानीय राजनीतिज्ञों का संरक्षण प्राप्त करते है।''6 9 मार्च 2018 को केन्द्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामें में बताया गया है कि देशभर में कुल 1765 सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में तकरीबन 3045 आपराधिक मामले लम्बित है। ''वर्ष 2004 में लोकसभा में कुल 128 सदस्य ऐसे थे जिनके विरूद्ध विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामले लम्बित थे और वर्ष 2014 की लोकसभा में यह संख्या 185 पहुंच गई है। आपराधिक व भ्रष्ट प्रवृत्ति के जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या यह बताने के लिए काफी है कि अधिकांश राजनीतिक दलों को राजनीति के अपराधीकरण तथा अपराधियों के राजनीतिकरण से कोई विशेष परहेज नहीं है।''[8]
- आज भारतीय राजनीति के जातिकरण ने भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को गहरा आघात पहुंचाया है। राजनीति ने जातिवाद को एक साधन के रूप में अपनाया है जिसका परिणाम लोकतंत्र के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो रहा है।
- सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार भारतीय लोकतंत्र के लिए चिन्ता का विषय है। ''ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल द्वारा जारी किए गए वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (2018) में 180 देशों की सूची में भारत 78वें स्थान पर रहा। इस सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अर्थात 'सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा' एशिया महाद्वीप में सबसे भ्रष्ट देशों की श्रेणी में पाया गया।''[8] निर्वाचन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार तथा मतदान करने वाले विभिन्न स्तर के मतदाताओं को घूस देकर मतदान करवाने की प्रथा आम हो गई है।
- वंशवाद एवं भाई-भतीजावाद की राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को ही खोखला कर दिया है।
- अस्थिर सरकारें भी भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। गठबंधन सरकारों का नकारात्मक पक्ष यह है कि इसके अन्तर्गत स्थायित्व संदेहास्पद है क्योंकि इनका गठन ही स्वार्थवश होता है। निर्वाचन के पश्चात् गठबंधन निर्मित होने के कारण मंत्रिमण्डल में शामिल होने हेतु सरकार पर दबाव बनाया जाता है। ''लोकतंत्र के विश्व इतिहास में पहली बार 542 में से 44 सदस्यों के दल ने हमारे यहां सरकार बनायी। साझा सरकार सहयोग और प्रतिद्वंद्विता का वस्तुत: एक अंतर्विरोध ही होती है। अस्थिर सरकारें भारतीय राजनीति का रूझान बन गई है।''[9]
- आम चुनावों में दिनों दिन बढ़ रही धन की भूमिका ने भी लोकतंत्र को खोखला करने का कार्य किया है। ''चुनाव में धन की बढ़ती हुई शक्ति से जनतांत्रिक मूल्यों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है और लोकतंत्र के नाम पर देश में कुछ धनिकों का शासन स्थापित हो गया है।''[10]
- आतंकवाद एवं नक्सलवाद भी लोगों के मन मस्तिष्क में डर पैदा कर लोकतंत्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते है।

लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सुझाव

- चुनाव प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाया जाए। इसके लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक एवं धन-बल पर अंकुश जैसे प्रभावी कदम उठाये जाए।
- निर्वाचन आयोग को अधिक सशक्त एवं स्वतंत्र बनाया जाए। उसे और अधिक शक्तियां हस्तांतरित की जाए।
- राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश, वित्तीय पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण के लिए कठोर कानूनों का प्रावधान हो।
- लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- संसद एवं राज्य विधानमण्डलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए।

- निष्पक्ष एवं जिम्मेदार मीडिया की सुनिश्चितता हो।
- निर्वाचित सदस्यों के काम-काज के मूल्यांकन की व्यवस्था हो।
- राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाए।
- जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की जाये जिससे वे शासन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये।
- चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाये, जिससे योग्य व्यक्ति सत्ता तक पहुंच सके।
- जनता को शिक्षित बनाया जाए ताकि वे योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके।
- सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना के प्रयास तीव्र किये जाएँ।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने जिन सिद्धान्तों, मूल्यों, विचारों एवं उद्देश्यों को लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया था वह लोकतांत्रिक मॉडल 72 वर्षों से बहुत मजबूत हुआ है। लोकतंत्र की इस ऐतिहासिक यात्रा में उसके कई स्वरूप देखने को मिले है, जैसे बहुलतावादी, अधिनायवादी एवं सहभागितामूलक। इन बदलते स्वरूपों के बाद लोगों का भरोसा लोकतंत्र पर कायम रहा है। फिर भी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि नागरिक अपने चिन्तन तथा आचरण में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, उत्तरदायित्व एवं सबके लिए आदर जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करे। यह भी आवश्यक है कि नागरिकों की मन:स्थिति, विचार और व्यवहार लोकतंत्र की आवश्यक शर्तों के अनुकूल हो। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है। चुनौतियों का सामना करने के लिए सुधारात्मक उपाय तभी क्रियान्वित हो सकते है जब नागरिक सकारात्मक भूमिका निभाए। प्रो. लास्की ने इस बारे में ठीक ही कहा है कि ''सतत् जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है।'' इसलिए जब तक देश के देशवासी जागरूक रहेंगे, देश में लोकतंत्र का चिराग जलता रहेगा और प्रखर रोशनी करता रहेगा।

सन्दर्भ सूची

1. त्रिवेदी, आर.एन. एवं राय, एम.जी., भारतीय सरकार एवं राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2007, पृ.सं. 422
2. जैन, पुखराज एवं फड़िया, बी.एल., भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2009, पृ.सं. 790
3. बाबेल, बसन्तीलाल, संसदीय प्रजातंत्रता में विपक्ष की भूमिका, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1998, पृ.सं. 21
4. महला, अशोक कुमार एवं पीकॉक, ऑलिव, भारतीय राज व्यवस्था, अरिहंत पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2008, पृ.सं. 438
5. प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर, 2019, पृ.सं. 185
6. जैन, राजेश एवं जैन डालचन्द, भारतीय राजनीति के नये आयाम, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2009, पृ.सं. 27
7. प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर 2018, पृ.सं. 92-93
8. प्रतियोगिता दर्पण, अक्टूबर 2019, पृ.सं. 104
9. मोदी, महावीर प्रसाद एवं मोदी सरोज, भारतीय राजनीति की प्रवृतियाँ, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2008, पृ.सं. 38
10. दिघे, शरद (संपादक), चुनाव सुधार एवं प्रक्रिया, श्री पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1997, पृ.सं. 34
11. मिश्रा, महेन्द्र कुमार, भारतीय राजनीति : समस्याएँ और समाधान, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2008, पृ.सं. 227
12. पाण्डे, रामकृष्ण, भारत में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया एवं नागरिक असंतोष, पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर, 1994, पृ.सं. 213
13. प्रतियोगिता दर्पण, जुलाई 2019, पृ.सं. 87
14. गोस्वामी, आचार्य बालचन्द्र 'प्रखर', संसदीय लोकतंत्र सफल या असफल?, राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2007, पृ.सं. 6

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 27-36

नारीवाद : नारी उन्मुक्ति की सैद्धांतिक मीमांसा

डॉ. मनोज कुमार शर्मा

सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांभरलेक, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

नारी विमर्श एक ज्वलंत विषय है। पितृसत्तात्मक-पुरुष वर्चस्व समाज में नारी प्रारम्भ से ही उपेक्षित रही है। इस विमर्श का मानना है कि पितृसत्तात्मक पूंजीवादी मनोवृत्ति व सामाजिक मानसिकता अंतर्संबंधित है, जो स्त्रियों की शोषित, दमनात्मक, अधीनस्थ एवं दोयम दर्जे की मानसिकता के लिए उत्तरदायी है। साथ ही लैंगिक भेद, रंगभेद, नस्लवाद, प्रजातिवाद व अन्य सामाजिक विषमताओं में भी अंतरंग संबंध स्वीकार करती है जो स्त्रियों के दमन व शोषण को जन्म देती है। नारीवाद एक सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक आन्दोलन है जो स्त्रियों के उत्पीड़न व शोषण के वैचारिक अधिष्ठान पर प्रस्थापित है। वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में, स्त्रियों की सहभागिता सुनिश्चित किए बिना कोई भी राष्ट्र प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित समावेशी विकास की कल्पना भी नहीं कर सकता। विभिन्न नारीवादी दृष्टिकोणों एवं आंदोलनों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि समाज में उपेक्षित, उत्पीड़ित एवं हाशिए पर धकेली हुई स्त्रियां भी पुरुषों की तरह सामर्थ्यवान है एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में सहभाग कर सकती हैं। परन्तु यह भागीदारी तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जब उनके अधिकारों, आदर व वजूद का संरक्षण व संवर्धन हो। नारीवादी विमर्श इन्हीं मुद्दों पर केन्द्रित हैं जिसमें स्त्रियां भी राष्ट्र की मुख्य धारा का सावयवी व स्वावलम्बी अंग बन सकें। इस प्रकार, स्त्रियों के व्यक्तित्व व अस्तित्व के संदर्भ में ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कानूनी, मनोवैज्ञानिक व पारिस्थितिकीय इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में गहन मंथन कर समाज में उनके प्रति समता-युक्त, न्याय-युक्त, शोषण-मुक्त परिवेश के साथ स्वस्थ मानसिकता विकसित करना ही नारी विमर्श का लक्ष्य है। प्रस्तुत शोध पत्र में नारी विमर्श की विशद् मीमांसा करते हुए, उनके वैयक्तिक स्वातंत्र्य की आधारशिला पर, पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री-पुरुष संबंधों को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिससे कि नारी की समग्र आयामों में वैयक्तिक पहचान स्थापित हो सके।

संकेताक्षर : *पितृसत्तात्मक, नारीवाद, जैविक पुनरुत्पादन, भारतीय परिप्रेक्ष्य*

प्रस्तावना

नारीवाद एक वैश्विक समाजशास्त्रीय अवधारणा है जो मूल रूप से लैंगिक समानता के आधार पर स्त्रियों के अधिकारों का पोषण करती है। मानव समाज का अस्तित्व स्त्री के बिना अधूरा होता है, फिर भी प्रत्येक समाज में ऐसे अनेक तत्व रहे हैं जिन्होंने स्त्री को उसके मानवीय अधिकारों से वंचित किया है। इन्हीं प्रवृत्तियों के मध्यनजर नारी को बौद्धिक व व्यावहारिक रूप से सशक्त करने हेतु जिस नवीन विचारधारा का उद्भव हुआ, उसे नारीवाद के रूप में जाना जाता है। नारीवादी अवधारणा से हम सभी भलीभांति परिचित हैं, फिर भी इसके मूल दर्शन के बारे में कहीं न कहीं भ्रमित हैं। वैचारिक जगत में, पाश्चात्य उदारवादी आंदोलन के कारण स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में आए परिवर्तन के परिणामस्वरूप इस अवधारणा को ठीक से जानना और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है।

नारीवाद शब्द का उदय 19वीं सदी में फ्रैंच शब्द फेमिनिस्मे (*feminisme*) से हुआ है। 20वीं सदी के प्रारंभिक काल में अमेरिका में इसका प्रयोग उन महिला समूहों के लिए किया गया जो महिला स्वातंत्र्य व अधिकारिता के लिए प्रतिबद्ध थीं। कालांतर में इस अवधारणा को राजनीतिक रूप से उन महिला समूहों के लिए किया जाने लगा जो स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में बदलाव के लिए संघर्षरत थीं। उनकी मान्यता थी कि 'स्त्रियां भी मनुष्य हैं', अत: उन्हें भी समाज में वही स्थान मिलना चाहिए जो पुरुषों को

प्राप्त है। वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया जाने लगा जो यह स्वीकार करते हैं कि स्त्रियां अपनी लैंगिक भिन्नता के कारण उत्पीड़ित रही हैं और वैधानिक दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। नारीवाद मुख्यत: दो मान्यताओं पर आधारित है। पहला यह कि महिलाएं अपने सेक्स के कारण हीनतम स्थिति में हैं और दूसरा यह कि इस हीनतम स्थिति को समाप्त किया जा सकता है।[1]

इस प्रकार नारीवाद का फोकस कहीं न कहीं स्त्रियों की वास्तविक स्थिति का समग्रता में अन्वेषण करते हुए, उनके उन्नयन हेतु उचित समाधान खोजना रहा है। नारीवाद की मान्यता है कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से हीन नहीं हैं, फिर भी वैश्विक स्तर पर उन्हें अनेक बार समान अवसरों से वंचित होते देखा गया है। इसलिए नारीवाद मात्र सैद्धांतिक अवधारणा ही नहीं है बल्कि यह एक सशक्त, क्रियात्मक, गत्यात्मक व वैचारिक आंदोलन है जो स्त्री-पुरुष संबंधों के आलोक में स्त्री उत्पीड़न के विविध आयामों यथा-आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक विश्लेषण करने हेतु प्रयासरत है। यह नारी-स्वातंत्र्य, व्यक्तित्व पहचान व अधिकारों के प्रति सकारात्मक आग्रह है जिसे नारी की एकता, समानता व सशक्तीकरण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस रूप में इसका स्वरूप बहुलतावादी है। यह विश्व की नारियों के दिन-प्रतिदिन के अनुभवों से व्युत्पन्न दर्शन है। इस रूप में प्रत्येक नारीवादी अपने प्रत्यक्ष में विश्व को अपने रूप में देखता है। यही वजह है कि नारीवाद को व्यवस्थित सिद्धांत या विचारधारा नहीं माना जाता है। यह एक आगमनात्मक सिद्धांत है जो विशेषों से सामान्य की ओर अग्रसर है।[2] प्रसिद्ध नारीवादी सिमोन डी बेवॉयर ने अपनी रचना *The Second Sex* (1949) में स्पष्ट लिखा है कि ''समाजीकरण से उत्पन्न इस स्थिति को दूर कर समान व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों की अधिकार के रूप में मांग नारीवाद है।'' वृंदा करात ने भी नारीवाद को एक विचारधारा माना है जिसके आधार पर महिला मुक्ति के प्रयास किए जाते हैं। इस आधार पर यह परिलक्षित होता है कि नारीवाद वह अवधारणा है जिसके केंद्र में स्त्रियों की समस्याएं हैं, साथ ही यह सामाजिक रूप से निर्मित उन विषमताओं पर प्रहार करती है जो नारी उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी हैं।

नारी शक्ति स्वयं में दो शब्द मात्र नहीं हैं बल्कि ये इस सृष्टि के आधारस्तम्भ हैं। लैंगिकता के आधार पर स्त्री प्रजनन शक्ति उसे कई मायने में पुरुष के जीवन से अधिक क्षमतावाद व कठोर बना देती है। यही स्वरूप स्त्री को अधिक सम्मान का अधिकारी बना देता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भी 'स्त्री जीवन का प्रारंभ व अंत मातृत्व में ही है।' परन्तु पितृसत्तात्मक या पुरुषप्रधान समाज में स्त्री का उत्पीड़न इसी लैंगिकता के आधार पर शुरू हुआ। इसलिए नारीवादी आंदोलन नारी की इस सामाजिक हीनतर स्थिति की उन्मुक्ति की प्रतिक्रिया का परिणाम है। ऐसे परिदृश्य में, नारीवाद की व्यक्तिगत पहचान जहां स्त्री के अधिकारों व समानता की प्राप्ति हेतु एक सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन रूप में की जाती है, वहीं यह विविध अंर्तसंबंधित विचारों के समूह के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इस अवधारणा का प्रयोग लिंग की सामाजिक यथार्थता तथा असमानता की उत्पत्ति, प्रभाव व परिणामों के विश्लेषण में भी किया जाता है।

नारीवाद व नारीवादी आंदोलनों का सैद्धान्तिक विश्लेषण

'नारीवाद' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स फॉरियर द्वारा 1837 में किया गया था। तभी से इसका प्रयोग 1872 में नीदरलैंड, 1890 में ग्रेट ब्रिटेन और 1910 में अमेरिका में होने लगा था। इस राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विचारधारा का उद्देश्य नारी को न्यायसंगत, समतायुक्त समाज में आदर, अधिकार व पहचान की प्राप्ति रहा है। यह अवधारणा इस वैचारिक अधिष्ठान पर आधारित है कि महिला उत्पीड़न व अन्याय के मूल कारण वर्ग, लिंग, नस्ल, प्रजाति, सेक्स, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विभेद है।

नारी मुक्ति एवं अधिकारिता के संदर्भ में विभिन्न कालावधि में हुए नारीवादी आंदोलनों को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से तीन ऐतिहासिक धाराओं में रेखांकित किया गया है - प्रथम लहर, द्वितीय लहर व तृतीय लहर। 19वीं सदी के मध्य तक नारीवादी आंदोलन के कई मुद्दों ने केंद्रीय स्थान प्राप्त कर लिया जिसमें स्त्री मताधिकार प्रमुख मुद्दा था। इसे नारीवादी आंदोलन की प्रथम लहर (*First Wave*) कहा जाता है।[3] इसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान राजनीतिक एवं कानूनी अधिकार देने का आह्वान किया गया। 19वीं व 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में शुरू हुई इस प्रथम लहर के मुख्य मुद्दे महिलाओं के लिए कानूनी संरक्षण, सम्पत्ति के अधिकार, विवाह, पालन-पोषण आदि रहे। इस धारा का मुख्य फोकस स्त्रियों का मताधिकार रहा। इस क्रम में 1893 में न्यूजीलैंड से प्रारम्भ यह श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन तक चलती रही। 20वीं शताब्दी में 1960-1980 के मध्य नारीवाद की द्वितीय लहर शुरू हुई, जो आज भी कुछ हद तक चल रही है। इसने नारियों की स्थिति व अधिकारों पर विस्तृत बहस प्रारम्भ की, जिसमें स्त्रियों के अन्य अधिकारों के साथ-साथ सांस्कृतिक अधिकारों, जेंडर भेदभाव व समाज में उसकी भूमिका आदि विषय मुख्य रहे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 1990 के

बाद से तृतीय लहर प्रारम्भ हुई। कुछ मायनों में यह द्वितीय लहर के साथ सह-अस्तित्व में रही। हालांकि इसका मानना है कि द्वितीय लहर आंशिक ही सफल रही क्योंकि यह केवल उच्च मध्यम वर्गीय श्वेत महिलाओं से संबंधित हितों पर ही केंद्रित थी। तृतीय विश्व की अश्वेत महिलाओं के हित पूर्णत: उपेक्षित रहे। नारीवाद की तृतीय लहर कामुकता के विषय को सबसे आगे लायी क्योंकि इसका आग्रह था कि लैंगिकता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें भी वैचारिक मतभेद हैं। कुछ नारीवादी कार्यकर्ताओं का मानना है कि स्त्री पुरुष स्वाभाविक रूप से भिन्न हैं और कुछ इस तथ्य को सिरे से नकारते हैं और मानते हैं कि लैंगिकता का विचार सामाजिक रूप से निर्मित किया गया है।

नारीवादी आंदोलन का ऐतिहासिक विश्लेषण फ्रांस की क्रांति से किया जाता है जिसमें पहली बार स्त्रियों की क्रांति में सहभागिता परिलक्षित हुई। इसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का भाव जाग्रत हुआ। ब्रिटेन में सन् 1792 में आधुनिक नारीवाद का प्रथम लेखन मैरी वालस्टोन क्राफ्ट ने अपनी रचना *'A Vindication of the Rights of the Women'* में स्त्रियों के लिए समान राजनीतिक, शैक्षिक व कानूनी अधिकारों एवं सामाजिक जीवन में स्त्री पुरुष की एक जैसी स्थिति और भूमिका का समर्थन करते हुए महिला जागृति का बिगुल बजाया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी अपनी रचना *'The Subjection of Women, 1869'* में ये तर्क दिया कि महिला-पुरुष का संबंध मैत्री पर आधारित होना चाहिए, प्रभुत्व पर नहीं।[4]

समकालीन परिप्रेक्ष्य में, नारीवादी आंदोलन का उदय 18वीं सदी के मध्य से हुआ, परन्तु नारी व पुरुष की सापेक्ष स्थिति से संबंधित विचार चिरकाल से होता चला आ रहा है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक *The Republic* में वर्णित संरक्षित वर्ग के तहत स्त्री पुरुष की समानता स्वीकार की है, वहीं उसके शिष्य अरस्तू ने अपनी कृति *Politics* में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की हीनता पर बल देते हुए उन्हें दासों के समकक्ष रखा। 19वीं सदी के मध्य भारत में भी हुए अनेक धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलनों ने स्त्रियों की दयनीय स्थिति में सुधार के प्रयास किए, जिनमें प्रमुख रूप से राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज, केशवचन्द्र सेन द्वारा प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज, एनी बेसेंट द्वारा थियोसोफिकल सोसायटी, विवेकानन्द द्वारा रामकृष्ण मिशन आदि उल्लेखनीय हैं। इन सभी ने तत्कालीन सामाजिक अभिशापों यथा बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, अशिक्षा इत्यादि के उन्मूलन हेतु सार्थक प्रयास किए।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अनेक राजनीतिशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों व मानवशास्त्रियों ने नारीवाद का विश्लेषण तत्कालीन परिवेश के आधार पर करते हुए स्त्री पुरुष साम्यता पर विशेष बल दिया एवं उसकी प्राप्ति के लिए अपने-अपने समाधानों के साथ नारीवाद की सैद्धांतिक मीमांसा प्रस्तुत की। इस हेतु मुख्य रूप से उदारवादी, रेडीकल (उग्रवादी), मार्क्सवादी, समाजवादी, उत्तर-आधुनिकवादी, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी, अश्वेत, उत्तर-नारीवादी इत्यादि विचारधाराओं को इंगित किया जा सकता है।

उदारवादी नारीवाद

18वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद से प्रेरित इस विचारधारा का उद्देश्य नारी को लैंगिक असमानता व उत्पीड़न से मुक्ति हेतु पुरुषों के समान कानूनी एवं राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति रहा। इस विचारधारा को जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, चार्ल्स फॉरियर आदि चिंतकों से प्रेरणा मिली। इन्होंने समाज में व्याप्त स्त्रियों के शोषण, तत्कालीन रीति-रिवाज व प्रजातांत्रिक मूल्यों के अंतर्विरोधों को स्पष्ट किया। इन्होंने मुख्य रूप से सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के शामिल होने के अधिकारों की वकालत की।[5] इन्होंने स्त्रियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हेतु स्वयं उनके व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर बल दिया। कुछ प्रमुख उदार नारीवादी चितकों में मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट, एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, जॉन स्टुअर्ट मिल, हैरियट टेलर मिल, ग्लोरिया मेरी स्टीनेम, बेट्टी फ्राइडमैन, रेबेका वॉकर आदि का योगदान उल्लेखनीय है। मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट पहली उदारवादी चिंतक थी जिन्होंने स्त्रियों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर सभी परम्परागत धारणाओं का खंडन करते हुए उसे पुरुषों के समकक्ष बताया।[6] जे.एस. मिल ने भी महिला अधीनता के परम्परागत विचारों का खंडन कर पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों को अवसरों की उपलब्धता पर बल दिया। अमेरिकी नारीवादी पार्किंस शार्लोट गिलमैन ने 1898 में प्रकाशित पुस्तक '*Women and Economics*' में बताया है कि नारी को पुरुष ने परिवार की अविवेकपूर्ण जेल में बंदी बनाकर उसे मानव सभ्यता के विकास में योगदान से वंचित कर दिया है। विख्यात अमेरिकी नारीवादी एक्टिविस्ट बेट्टी फ्राइडन को 20वीं सदी में नारीवाद की दूसरी लहर (*The Second Wave*) शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक '*The Feminine Mystique*' 1963 में महिलाओं की पुरुषों के साथ पूर्ण सहभागिता पर बल दिया तथा सामाजिक हित व विकास के लिए लैंगिक समानता को अपरिहार्य

बताया। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में राष्ट्रीय महिला संगठन की स्थापना कर लोगों में वैचारिक बदलाव हेतु आग्रह किया।

रेडीकल (उग्र) नारीवाद

इस अवधारणा का प्रारंभिक विकास 1960 के दशक में हुआ था जिसने आगे चलकर नारी मुक्तिवाद का स्वरूप धारण कर लिया। विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महिला संगठनों ने इसे सशक्त करने में अपनी-अपनी महती भूमिकाएं अदा कीं। माओवादी विचारधारा से प्रेरित ऐसा प्रथम समूह अमेरिका में स्थापित हुआ। केट मिलेट, जेरमेन ग्रीर, शुल्मिथ फायरस्टोन, सिमोन डी बेवॉयर आदि ने इस विचार का समर्थन किया। नव वामपंथ से प्रेरित केट मिलेट नारी अधीनता व शोषण का मूल कारक पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था को मानते हैं और पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था की जड़ राजनीति व संस्कृति को मानते हैं। उन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा के पनपने और स्त्रियों पर निरंकुश शासन को कड़ी चुनौती दी। इसलिए उन्हें नारीवादी आंदोलन का माओत्से तुंग भी कहा जाता है। 1970 में ऑस्ट्रेलिया के नारीवादी जेरमेन ग्रीर की पुस्तक *The Female Eunuch* प्रकाशित हुई जिसमें स्त्रियों से संबंधित मुद्दों को अधिक उग्रता से उठाया गया। उन्होंने स्त्री की काम-मुक्ति पर विचार प्रस्तुत किए तथा यह माना कि पुरुषों के समकक्ष कानूनी व राजनीतिक अधिकार मिलने पर भी स्त्रियों की वेदनाओं का समाधान नहीं हो पाया। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप ही नारीवाद की दूसरी लहर (*The Second Wave*) का उद्भव हुआ। इस वैचारिक लहर में स्त्रियों की राजनीतिक सहभागिता की अपेक्षा उनकी मुक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की गई। उनका मानना था कि इसके लिए सामाजिक परिवर्तन की क्रांतिकारी और उग्र तकनीकों को अपनाने की जरूरत है।7 कैनेडियन अमरीकी नारीवादी चिंतक व कार्यकर्ता शुलामिथ फायरस्टोन ने 1970 में प्रकाशित अपनी कृति *The Dialectic of Sex : The Case for Feminist Revolution* में नारीवादी क्रांति के उद्देश्य के संबंध में कहा है कि, *"It is not just the elimination of male privilege but of the sex distinction itself, so that genital differences no longer have cultural significance."*[8] लैंगिक दमन को उन्होंने दासता का कारक माना है, इसलिए उनका विचार था कि मानव की मुक्ति पूंजीवाद के विनाश में ना होकर, लैंगिक क्रांति द्वारा ही संभव है। रेडीकल नारीवाद वर्तमान राजनीति से पूर्णत: संबंधविच्छेद कर नारियों को अपनी अनुभूतियों एवं सृजनशीलता के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने का समर्थन करता है। इसलिए रेडीकल नारीवादियों ने हिंसा, गर्भ नियंत्रण एवं यौन संबंधी विषयों पर उग्र विश्लेषण किए हैं। इस संबंध में सिमोन डी बेवॉयर की पुस्तक *The Second Sex* व केट मिलेट की पुस्तक *Sexual Politics* का महत्वपूर्ण योगदान है।[9] रेडीकल नारीवाद का उद्देश्य लिंगों के बीच व्याप्त सभी विभेदों को प्रकाश में लाना है तथा पुरुषों द्वारा स्त्रियों के प्रभुत्व का विरोध करना है। इस प्रकार यह पुरुषवादी अधीन सांस्कृतिक मूल्यों की मानसिकता को चुनौती देता है। यह परम्पराओं के नव संस्कारों एवं मूल्यों का सृजन करता है।[10] उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जहां उदारवादी नारीवाद महिलाओं के लिए राज्य से अधिकाधिक अधिकारों व सुविधाओं की मांग करता है, वहीं रेडीकल नारीवाद उग्र नारी आंदोलनों द्वारा सामाजिक मनोवृत्तियों में आमूलचूल परिवर्तन की ओर प्रतिबद्ध हैं।

मार्क्सवादी नारीवाद

इस अवधारणा का उद्भव मार्क्सवाद के मूल विचार वर्ग विभाजन व पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था के परिणामस्वरूप हुआ है। यह अवधारणा स्त्रियों की शोषित स्थिति व उत्पादन के तरीकों से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करती है। इसका दावा है कि वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक एवं आर्थिक संदर्भों में नारी भी सर्वहारा वर्ग में अंतर्निष्ठ है। इस प्रकार इस अवधारणा की सैद्धांतिक संरचना मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवादी चिंतन पर आधारित है। मार्क्सवादी नारीवाद पारिस्थितिकीय नैतिकता के अंतर्गत लैंगिक विभेद के कारक को चिन्हित करते हुए मैरी मूलर कहती हैं कि, *"Materialist ecofeminism is based on the assertion that sex/gender inequality is not a by-product of other inequalities, but represents a material relation of equality between dominant man and subordinate women."*[11] अर्थात् पुरुष और महिला के मध्य विद्यमान लैंगिक विभेद का मूल कारण उनके मध्य विद्यमान असमान आर्थिक संबंधों पर ही निर्भर करता है। मार्क्सवादी नारीवादी चिंतकों ने पुरुष द्वारा नारी के उत्पीड़न को पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण से सम्बद्ध किया है क्योंकि पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में दोनों (महिला-मजदूर) के शोषण का संबंध उत्पादन के साधनों (वित्त व यंत्र) पर क्रमश: पुरुष व पूंजीपति के नियंत्रण से है।

इस प्रकार चिंतकों का मानना है कि दमनात्मक पूंजीवादी व्यवस्था में स्त्री-पुरुष के अंत:संबंध की धारणा समाजजन्य है जिसका अनिवार्य परिणाम नारी उत्पीड़न होता है। अत: इनका आग्रह है कि इस शोषणपरक, दोषपूर्ण एवं विकृत संबंध को विघटित कर, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का सृजन हो, जहां सहयोग व सहभागिता के आधार पर स्त्री, प्रकृति व पृथक-पृथक समुदायों, समाजों एवं

संस्कृतियों का किसी भी तरह से दमन न हो सके। यह तभी संभव है जब वर्ग विभाजन पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था विघटित हो एवं सामाजिक संबंधों व सहभागिता के आधार पर समाज का सृजन हो। स्त्री पुरुष के इस संघर्ष को केवल पूंजीवाद के विनाश द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। हालांकि कुछ आलोचकों ने कहा है कि मार्क्सवादी नारीवाद ने इसका केवल एक ही पक्ष अर्थात् आर्थिक पहलू की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है और दूसरे पहलुओं को नकार दिया है।[12]

समाजवादी नारीवाद

समाजवादी नारीवाद ने मूलत: मार्क्सवादी चिंतन से वैचारिक प्रेरणा ग्रहण करते हुए सामाजिक आंदोलन के प्रभाव क्षेत्र में सैद्धांतिक स्वरूप ग्रहण किया। जोहन्ना ब्रेनर, बारबरा, क्लाटा फ्रेजर, शार्लोट पार्किस गिलमैन, एम्मा गोल्डमैन, डोना, सेल्मा जेम्स, शीला रांबाथम, सिल्विया वाल्वी, नेली वॉग आदि विचारकों ने सामाजिक क्रांति द्वारा समाज के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन का आग्रह किया है। यह अवधारणा वर्ग विभेद का उन्मूलन कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष समान अधिकारिता से कार्य करने का समर्थन करती है। इस हेतु यह महिला सशक्तिकरण द्वारा पूंजीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को समूल रूप से नष्ट करने की पक्षधर है। फ्रेडरिक एंगेल्स ने 1884 में अपनी कृति *'The Origin of the Family, Private Property and the State'* में माना है कि पितृसत्ता का उचित विश्लेषण आर्थिक-सामाजिक संदर्भो में ही किया जा सकता है। उनका विचार है कि वर्ग शोषण यौन उत्पीड़न से भी गंभीर प्रक्रिया है।[13] स्त्रियां न केवल पुरुषों द्वारा उत्पीड़ित होती हैं, बल्कि वे पूंजीवादी निजी सम्पत्ति की संस्था द्वारा भी शोषित होती हैं। असमान व असंतुलित आर्थिक स्थिति के कारण पूंजीवादी पुरुष उनका शोषण करता आया है। इस व्यवस्था को बदलने हेतु यह अवधारणा नारी संस्कृति के विकास के मुद्दे की ओर केंद्रित है। इसका उद्देश्य स्त्रियों को अधिकाधिक संगठित व जागरूक कर आंदोलन के लिए सामूहिक कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त करना है।

स्पष्ट है कि समाजवादी नारीवाद वर्गवाद, प्रजातिवाद, लिंगवाद, प्रकृतिवाद की अंतर्संबंधित व्यवस्था को दमनतंत्र के दृष्टिकोण के रूप में इंगित करता है। मैरी मूलर के शब्दों में, *'The origin of the present ecological crises as lying in the specific material and cultural developments of the north/west as reflected in its socio-economic structures, science and technology, philosophy and religion.'*[14] अर्थात् समाजवादी नारीवादी चिंतक पारिस्थितिकीय संकट का कारण मात्र अर्थकेंद्रित पूंजीवादी व्यवस्था में ही नहीं करते, बल्कि दमनात्मक सामाजिक-सांस्कृतिक तंत्र व शोषणपरख पितृसत्ता को भी नारी प्रकृति के दमन के दृष्टिकोण के रूप में इंगित करते हैं। समाजवादी नारीवाद सेक्स और लिंग भेद के बीच आवश्यक और तार्किक संबंधों को स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं। वे इस संदर्भ में स्त्रियों के दोहरे योगदान पर चिंतन करते हैं। पहला है – जैविक पुनरुत्पादन और दूसरा है – सामाजिक पुनरुत्पादन। इसको अधिक स्पष्ट करते हुए अमेरिकी नारीवादी केरोलीन मर्चेंट कहती है कि, *'Biological reproduction includes the reproduction of species and reproduction of the daily life through food, clothing and shelter; social reproduction includes socialization and the legal-political of the social order.'*[15] अर्थात् पुनरुत्पादन को दो वर्गों में वर्गीकृत करते हुए वह कहती है कि इसके दो आयाम हैं – एक है जैविक पुनरुत्पादन जिसके अंतर्गत प्रजनन व दैनिक जीवन के कार्य हैं और दूसरा है – सामाजिक पुनरुत्पादन जिसके अंतर्गत वैधानिक या राजनीतिक व्यवस्था की संध्रतता समाविष्ट है। इसके अभाव में किसी भी तरह का आर्थिक विकास संभव नहीं है। इस दृष्टि से उत्पादन व पुनरुत्पादन में संतुलन का और सामंजस्य नितांत अपरिहार्य है। अत: समाजवादी नारीवादी नारी उत्पीड़न के उन्मूलन के लिए शक्ति केंद्रित पितृसत्तात्मक संबंधों के विस्तृत स्वरूप पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने हेतु कटिबद्ध है, जिससे शोषणमुक्त, समतायुक्त व न्याययुक्त स्त्री-पुरुष संबंधों पर आधारित समाज की स्थापना हो सके।

उत्तर-आधुनिक नारीवाद

इस अवधारणा का प्रारंभ 1980 से माना जाता है। माइकल फूको, सिमोन डी बेवॉयर, जेक्स डेरिडा, थॉमस लुकमान, हेलेन सिक्सस, लूस इरिगरे और जूलिया क्रिस्टेवा आदि लेखकों ने इस अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 21वीं सदी में नारीवाद कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। लैंगिकता व प्रजनन की स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज भी बने हुए हैं। स्त्रियों को भले ही व्यावसायिक स्वतंत्रता कुछ सीमा तक मिली हो, परन्तु उसकी सुरक्षा का प्रश्न आज भी बना हुआ है। कानून की द्रुत क्रियान्विति के अभाव के कारण स्त्री उत्पीड़न कम नहीं हो पा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज उदारवादी, उग्रवादी (रेडीकल) जैसी नारीवादी अवधारणाओं का स्थान उत्तर-आधुनिक नारीवाद ने ले लिया है। यह विभिन्न नारीवादी विचारों के विपरीत परिवार,

प्रजनन, प्रेम (3-प) की ओर लौट आया है। यह अवधारणा उग्र नारीवाद के विवाह और मातृत्व से मुक्ति की सोच से सहमत नहीं है। इसका विश्वास है कि स्त्री पुरुष परस्पर पूरक हैं ना कि बाधक। आधुनिक नारीवाद आज लिंग, अवस्त्रीपरक और पितृसत्तात्मक के आधार पर किए जाने वाले अन्याय का विरोध करती है। इसलिए यह अवधारणा वर्ग, नस्ल, उम्र, धर्म, कामुकता, पहचान, लिंग, समलैंगिता जैसे ज्वलंत विषयों से संबंधित स्त्री विमर्श को अपना आधार बना लेती है। यह स्त्री के समरूपी लैंगिक पहचान को बहुलतावादी, जटिल, निर्माणवादी सामाजिक अस्मिता से प्रतिस्थापित कर देता है। लुईस इरिगरे पुरुष सत्ता के द्वारा स्त्री की यौनिकता (Sexuality) के दमन की चर्चा करते हुए कहती हैं कि इस दबायी गई यौनिकता को फिर से हासिल करना होगा। अपनी पुस्तक *'Speculum of the Other Women'* (1974) में यह स्थापित करती हैं कि स्त्री के प्रति पुरुष की सोच स्पेक्युलम की भांति है। फलत: जिस सोच के साथ पुरुष स्त्री में झांकता है, वहीं सोच वह स्त्री में प्रतिबिंबित पाता है। पर यह प्रतिबिंब स्वयं पुरुष का अपना ही चेहरा होता है और आज तक पुरुष यही चेहरा स्त्री पर थोपता आया है। फलत: स्त्री बहिर्वेशित होती गई।'16 उत्तर-आधुनिक नारीवाद का मानना है कि पाश्चात्य ज्ञानोदय के इस परिवेश में महिला के वजूद की वापसी का उपक्रम पूरा हो सकता है जिसमें उसे आधुनिकता के सारे लाभ, इतिहास और समाज की बंदिशों के बिना प्राप्त हो सकेंगे।

सांस्कृतिक नारीवाद

स्त्रियोचित गुणों जैसे सहनशीलता, भावुकता, परिपोषण आदि को सकारात्मक रूप से पुन: परिभाषित कर स्त्री की स्वतंत्र पहचान स्थापित करना सांस्कृतिक नारीवाद है। मार्गरेट फुलर ओस्सोली की समीक्षा से ही सांस्कृतिक नारीवाद की परंपरा का आरंभ माना जाता है। 20वीं शताब्दी की प्रखर अमेरिकी नारीवादी लेखिका, पत्रकार व समीक्षक मार्गरेट फुलर ने इसी संदर्भ में 1845 में प्रकाशित अपनी पुस्तक *'Women in the Nineteenth Century'* में नारी की शिक्षा व रोजगार के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी समीक्षाओं में महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि को उकेरते हुए ज्ञान की भावनात्मकता, स्त्रियों की सहजता व सरलता एवं प्रबुद्ध तर्कवादिता जैसे विषयों पर बल दिया है। फुलर के नारीवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए केपर लिखते हैं कि *'Fuller was an advocate of women's rights and in particular, women's education and right to employment. This is shown when she revolted against Boston-Cambridge's learned professions as she was barred as for entering as a girl.'*[17] सांस्कृतिक नारीवाद स्त्रियों के सामाजिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए एक ऐसे समाज की वकालत करता है जिसमें लैंगिक भेद को वैचारिक केंद्र में रखकर, नारी व्यक्तिगत परिवर्तन मान्यता एवं नारी केंद्रित संस्कृति का निर्माण एवं स्त्री पुरुष संबंधों की पुनर्व्याख्या के माध्यम से नारी मुक्ति का प्रयास कर सकें।

पारिस्थितिकीय नारीवाद

यह विचारधारा 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में नारीवादी द्वितीय लहर व पर्यावरण आंदोलन के साथ अस्तित्व में आई। यह एक सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन है जो नारी के दमन तथा पर्यावरण क्षरण के बीच अंत:संबंध स्वीकार करता है। मूलत: यह अवधारणा पर्यावरण संकट, पृथ्वी व महिलाओं के अवमूल्यन और आध्यात्मिक चिंताओं के बीच एक समानांतर संबंध देखता है। 'इकोफेमिनिज्म' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी नारीवादी चिंतक फ्रैंकोइस डी ऐवोन ने 1974 में प्रकाशित पुस्तक *Le Feminisme ou la Mort* में किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं एवं प्रकृति के ऊपर की जाने वाली हिंसा को पुरुषवादी आधिपत्य का परिणाम बताया।'[18]

पारिस्थितिकीय नारीवाद एक एक्टिविस्ट और अकादमिक आंदोलन है। यह पर्यावरण के साथ महिलाओं के शोषण को जोड़कर यह तर्क देता है कि दोनों में ऐतिहासिक संबंध हैं जो पारस्परिक रूप से महिला पारस्परिकता, पोषण और सहयोग के मूल्यों के माध्यम से परिलक्षित हैं और दोनों में मौजूद हैं। दोनों पितृसत्तात्मक पश्चिमी समाज द्वारा किए गए उत्पीड़न के साझा इतिहास के माध्यम से एकजुट हैं। इस वैचारिक क्रांति को 1980-1990 के दशकों में महिलाओं के बीच नाभिकीय पर्यावरणीय और समलैंगिक नारीवादी आंदोलनों से गति मिली। भारत में स्थानीय जैविक कृषि से संबंधित प्रसिद्ध पर्यावरणविद् वंदना शिवा का मानना है कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा रचनात्मक, संवेदनशील व सहनशील होती हैं। उन्होंने पारिस्थितिकीय विनाश व पूंजीवादी विकास के लिए पितृसत्तात्मकता को उत्तरदायी व दोषी ठहराया है।[19] उनका मानना है कि स्त्रियां अपनी सृजनात्मकता एवं कल्याणकारी शक्तियों का उपयोग करके विभिन्न पर्यावरणीय पोषणकारी संसाधनों, नीतियों और प्राकृतिक तरीकों का ज्ञान सहज ही प्राप्त कर लेती हैं।

इसी दौर में कीनिया की प्रसिद्ध पर्यावरणविद्, नारीवादी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई ने भी पर्यावरण संरक्षण व महिला अधिकारों हेतु आव्हान किया। इसके लिए उन्होंने 1977 में कीनिया में ग्रीन बेल्ट आंदोलन (*Green Belt Movement*) की स्थापना की जिसमें महिलाएं अपने खेतों को मरुस्थलीयकरण

से बचाने के लिए सघन वृक्षारोपण करती हैं। पारिस्थितिकीय नारीवादी चिंतकों का मत है कि परिवार व समाज में महिलाओं के दमन एवं उनकी अधीनस्थ स्थिति को स्वीकार करने वाली एवं प्रकृति के विनाश करने वाली सामाजिक मानसिकता व पितृसत्तात्मक मनोवृत्ति तथा तौर तरीकों के बीच एक मजबूत और समानांतर संबंध है। यह अवधारणा लैंगिक विभेद, पर्यावरण प्रदूषण, नस्लवाद, रंगभेद, प्रजातिवाद तथा अन्य सामाजिक विषमताओं में गहरा संबंध स्वीकार करती है। इसी संदर्भ में वंदना शिवा भी स्वीकार करती हैं कि पारिस्थितिकीय नारीवाद का एक प्रमुख उद्देश्य समाज की महिलाओं एवं प्रकृति, दोनों की उत्पादकता एवं सक्रियता के प्रति दृष्टि को पुनर्परिभाषित करना है जिन्हें भूलवश निष्क्रिय मान लिया गया है और इस कारण उनके साथ बुरे व्यवहार को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस तरह यह विचारधारा प्राकृतिक संसाधनों एवं उसके संरक्षण में लैंगिक हितों का अध्ययन, उनके दैनिक कार्यो व उत्तरदायित्वों की विभिन्न भूमिकाओं के आधार पर करती है।

अश्वेत नारीवाद

यह विचारधारा 1970 के दशक में अमेरिका में व्यापक स्तर पर तत्कालीन नारीवादी आंदोलन के विकास में स्त्रियों की राजनीतिक सक्रियता के रूप में अस्तित्व में आयी। इस अवधारणा का मूल तर्क यह है कि वर्गीय, नस्लीय एवं लैंगिक शोषण अंत:संबंधित है। इसलिए अश्वेत नारीवाद का उदय लिंग असमानता, वर्ग उत्पीड़न एवं नस्लवाद की प्रतिक्रियास्वरूप हुआ। इसका तर्क है कि प्रचलित नारीवाद लैंगिक शोषण की चर्चा तो करता है, परन्तु नस्लीय शोषण के मुद्दे को नजरअंदाज कर देता है। अश्वेत नारीवादियों का आरोप था कि श्वेत महिलाओं द्वारा नारीवादी आंदोलन में व्याप्त नस्लवाद के उपकरण का भेदभावपूर्ण प्रयोग उन्हें मुख्य धारा से बाहर करने के लिए किया है। अपने श्वेत वर्चस्व के जरिए ही उन्होंने अश्वेत स्त्रियों को नारी विमर्श से बाहर रखा। श्वेत नारीवादियों द्वारा सक्रिय नारीवादी आंदोलन की मूल संरचना में नस्लवाद की मजबूत उपस्थिति ने अश्वेत नारीवाद आंदोलन की पृथक आधारशिला प्रदान की। एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में महिलाओं को अपने रंग व सेक्स के चलते दोहरे विभेद का सामना करना पड़ता है। अश्वेत नारीवाद का उदय मुख्य रूप से श्वेत नारीवाद के लिए चुनौती के रूप में अस्तित्व में आया है जो या तो रंगभेद से उत्पीड़ित स्त्रियों की आवाज को हाशिए पर धकेल देता है या फिर इसे अपने बड़े-बड़े भाषणों व प्रदर्शनों में दबा देता है। इन अश्वेत नारीवादियों का मानना था कि लिंगवाद दरअसल वर्ग उत्पीड़न, लिंग अभिन्नता और नस्लवाद का आपसी मेल है जिसे 1989 में नागरिक अधिकारों की प्रवक्ता किम्बर्ले क्रैशॉ ने इंटर-सेक्शनलिटी (*intersectionality*) का नाम दिया। पितृसत्तात्मक और औपनिवेशिक अनुभवों ने अश्वेत स्त्रियों को श्वेत स्त्रियों से अलग कर हाशिए पर रखा जा रहा था। वो समझ चुकी थीं कि व्यक्ति का सामाजिक परिवेश ही उसकी पहचान निर्माण का मुख्य कारक होता है। इसी संदर्भ में उनके अपने लिए गढ़ी गई नकारात्मक छवि, जिसमें उन्हें घरेलू अयोग्य नौकर या फिर दबंग मातृत्व वाली महिला या फिर कभी सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर देखने से निजात पाने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया। 1974 में बारबरा स्मिथ द्वारा संस्थापित बोस्टन में एक सक्रिय अश्वेत नारीवादी समलैंगिक संगठन 'कामबाही रिवर कलेक्टिव' (*Combahee River Collective*) ने आग्रह किया कि अश्वेत नारी की मुक्ति के बाद ही संपूर्ण मानव समाज की मुक्ति संभव है अर्थात् लिंग, वर्ग व नस्ल आधारित शोषण को समग्रता में समझे बिना एवं उनके विरूद्ध एकजुट हुए बिना नारी मुक्ति संभव नहीं है।[20] इसने यह भी तथ्य इंगित किया कि श्वेत स्त्रियों की तुलना में अश्वेत स्त्रियों का उत्पीड़न अधिक तीव्र था। अश्वेत नारीवाद के अनुसार अश्वेत महिलाओं को न केवल स्वयं के लिए एवं अपनी संस्कृति में पुरुषों से मान्यता के लिए संघर्ष करना पड़ा, बल्कि उन्हें पश्चिमी नारीवादियों से भी जूझना पड़ा। अश्वेत नारीवाद एक राजनीतिक सामाजिक आंदोलन के रूप में समकालीन नारीवादी आंदोलनों के प्रति असंतोष व आक्रोशस्वरूप उभरा, जिन्होंने इनके मुद्दों को अपने मुख्य एजेंडे में शामिल नहीं किया। इस क्षेत्र में एलिस वॉकर, बारबरा स्मिथ, मैरी चर्च टेरेल, ऑड्रे लार्डे, चिमामंद आदिची, वाटकिंस हार्पर, रोसा पार्क्स, पेट्रिशिया हिल कॉलिन्स, एंजेला डेविस, एंड्रयू लॉर्ड, रॉक्साने गे, बेल हूक्स आदि विचारकों की भूमिका उल्लेखनीय रही।

उत्तर-औपनिवेशिक नारीवाद

यह विचारधारा नस्लवाद, प्रजातिवाद गैर-श्वेत व गैर-पश्चिमी स्त्रियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में उनके प्रभावों के साथ उपनिवेशवाद के विश्लेषण पर आधारित है। 1980 के दशक में इस विचारधारा का उदय पाश्चात्य नारीवादी चिंतकों की आलोचना के रूप में इंगित किया जा सकता है। इनका आरोप है कि पाश्चात्य नारीवादी चिंतकों ने गैर पश्चिमी स्त्रियों की स्थिति को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है। उत्तर-औपनिवेशिक नारीवाद के संदर्भ में उमा नारायणन का कथन है कि *'It argues that by using the term of woman's as a universal group, women are then only defined by their gender and not by social class, race, ethnicity*

or sexual preference.'[21] इस अवधारणा के प्रमुख समर्थक-अरुंधति रॉय, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, चन्द्र तलपड़े मोहंती, उमा नारायणन, कुमकुम संगारी, लतामणी इत्यादि नारीवाद के स्वदेशी एवं तृतीय विश्व के नारीवादी आंदोलन के विचारों को समायोजन करने का आग्रह करते हैं। 2013 में पद्मविभूषण से सम्मानित गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक समकालीन सांस्कृतिक और उपनिवेशवाद की विरासत को चुनौती देने हेतु आलोचनात्मक सिद्धान्त के लिए काफी चर्चित है।

अत: स्पष्ट है कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर स्त्रियों की दशा व दिशा में गुणात्मक सुधार के लिए उत्तर-औपनिवेशिक नारीवादी तृतीय विश्व के नारीवादी आंदोलनों का पाश्चात्य नारीवादी आंदोलनों के साथ मुख्य धारा में समायोजन का प्रयास का करते हैं।

भारतीय दृष्टिकोण एवं नारीवाद की वस्तुस्थिति

उपर्युक्त सैद्धांतिक विश्लेषण से कुल मिलाकर यह स्पष्ट होता है कि नारीवाद एक अवधारणा के रूप में महिला उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को समझने की दिशा में प्रयासरत एक गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील विचारधारा है, जो उसके उचित स्थान और प्रतिष्ठा दिलाने की पक्षधर है। इसका मूल उद्देश्य नारी को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की समतुल्य अधिकारिता प्रदान करना है। इस संदर्भ में लैंगिक असमानता से उत्पन्न भेदभावों की व्याख्या की गई है। इसी क्रम में प्रजनन संबंधी अधिकार, घरेलू हिंसा, मातृत्व अवकाश, वेतन संबंधी अधिकार, यौन उत्पीड़न, चाइल्ड केयर लीव इत्यादि राजनीतिक प्रचारों पर जोर रहता है। नारीवाद का आग्रह महिलाओं की इन उत्पीड़ित स्थितियों का उन्मूलन कर, उन्हें परिवार, समाज, राज्य व समूचे वैश्विक स्तर पर पुरुषों के समकक्ष प्रस्थापित करना है।

परन्तु, उपर्युक्त विवेचन से हमें यह प्रतीत होने लगता है कि हम नारीवादी अवधारणा को कहीं पुरुष बनाम स्त्री के रूप में परिभाषित तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही कहीं हम नारी को सशक्त बनाने की चाह में इस अवधारणा को नारी सशक्तिकरण से जोड़ कर तो नहीं चल रहे हैं। यह भ्रम कहीं न कहीं पाश्चात्य उदारवादी दर्शन से अभिप्रेरित होकर नारीवाद को विकृत संस्करण के रूप में प्रतिबिंबित करता है। इसके निदान हेतु हमें भारतीय दर्शन को ध्यान में रखकर मंथन करना होगा। पश्चिमी जगत में व्यक्ति को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है। इसीलिए पाश्चात्य उदारवादी व व्यक्तिवादियों ने वैयक्तिक स्वतंत्रता पर अपने दर्शन को केंद्रित किया है। वहीं भारतीय चिंतन परम्परा में स्त्री-पुरुष मिलकर एक इकाई बनते हैं। वे पृथक है ही नहीं। परस्परक पूरक है। इसलिए अन्याय, शोषण व उत्पीड़न का प्रश्न ही नहीं उठता। नारीवाद का आशय है कि स्त्रियों को वही आदर व अधिकार मिले, जो पुरुषों को प्राप्त है, न कि पुरुष का विरोध। स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 वर्ष उपरांत भी विविध कारणोंवश समाज में नारी संबंधित कुरीतियों का उन्मूलन नहीं हो पाया है। चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो या लड़की के जन्म पर शोक, बाल विवाह हो या पर्दा प्रथा-सती प्रथा हो, समाज में नारी को पुरुष से हीन माना जाता रहा है। इसलिए नारीवाद के संबंध में मैरी बोलस्टोन ने स्पष्ट किया है कि, 'मैं यह नहीं कहती हूं कि पुरुष के बदले अब स्त्री का वर्चस्व पुरुष पर स्थापित होना चाहिए। जरूरत तो इस बात की है कि स्त्री को स्वयं अपने बारे में सोचने, विचारने व निर्णय का अधिकार मिल जाए।'

जहां तक समानता का प्रश्न है, यह सापेक्षिक होती है। नारीवाद यांत्रिक समानता की वकालत नहीं करता है। हम जैविक विभेद को नकार नहीं सकते। यह प्राकृतिक है। वहीं जेंडर विभेद सामाजिक व मानवकृत है। इसलिए नारीवाद समाज में एक ऐसे दृष्टिकोणीय परिवर्तन पर फोकस करता है जिसमें सभी को बिना किसी भेदभाव के अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु उचित अवसर मिलें। यह पुरुष बनाम् स्त्री विमर्श न होकर एक सामाजिक संतुलन की मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इस बात से यह स्पष्ट है कि सभी व्यक्ति समान अवसर प्राप्ति की प्राकृतिक अधिकारिता रखते हैं। लैंगिक असमानता के आधार पर व्यक्तियों का विविध स्वतंत्रता की श्रेणियों में विभाजन करना भी असमानता व उत्पीड़न होगा। कोई भी पुरुष या महिला क्या चाहती है, यह उसकी वैयक्तिक पसंद है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब लोग प्रतिक्रिया करते हैं और यह सोचते हैं कि वे सब उलटकर ठीक कर देंगे। अत: उलटना या प्रतिक्रिया करना समाधान नहीं है। प्राय: प्रतिक्रिया हमेशा एक तरह के अन्याय से दूसरे तरह के अन्याय की ओर ले जाती है।

हमारे चारों तरफ जिस नारीवाद की चर्चा होती है, वह पाश्चात्य जगत से आयातित है। यहां आम तौर पर नारीवादियों का जीवन अधिक खुशहाल नहीं प्रतीत होता है क्योंकि हमेशा प्रतिक्रिया की स्थिति में रहना खुशहाली को बढ़ावा नहीं देता। हमें यह ध्यान रखना होगा कि अंतत: पुरुष व महिला एक ही प्रजाति हैं, जिनका अस्तित्व साथ रहकर ही है। लैंगिक विषमता मूलरूप से श्रेष्ठता व हीनता का मापदंड नहीं है। अक्सर पुरुष श्रेष्ठता की बात विभिन्न समाजों में इसलिए की जाती है क्योंकि उनका आर्थिक व्यवस्था व संसाधनों पर वर्चस्व रहा है। वह निर्णय निर्माण और निर्णय क्रियान्वयन का मुख्य स्रोत बन गया। हमने धन को कहीं न कहीं सामाजिक संबंधों में श्रेष्ठता का पैमाना मान लिया, जबकि

हकीकत में हमेशा ऐसा नहीं होता है। भारतीय परिवेश में परिवार की बुजुर्ग महिला, जिसका कहीं भी आर्थिक क्रियाकलाप में सहभाग नहीं होता है, फिर भी परिवार की केंद्र बिंदु होती है।

आज के वैश्विक भौतिकवादी युग में आर्थिक सम्पन्नता को ही श्रेष्ठता का आधार माना जाने लगा और यही कालांतर में शक्ति का केंद्र बन गया। इसी होड़ में, दुर्भाग्य से नारीवाद के नाम पर अनेक स्त्रियां पुरुषों के समान तथाकथित श्रेष्ठता प्रमाणित करने में जुट गई। हालांकि, भारत में अभी ऐसा ज्यादा नहीं है, परन्तु पश्चिम की दुनिया में यह आम हो गया है। वर्तमान परिदृश्य में, एक स्त्री होना और स्वाभाविक स्त्रीत्व गुणों को बनाए रखना बहुत ही दुष्कर हो गया है। पुरुषों की जीवन शैली की मूर्खतापूर्ण होड़ में वे अपने मूल स्वरूप से कहीं भटक गई है। सभी का उद्देश्य मात्र अधिक आय के स्रोत पर काबिज होकर कृत्रिम श्रेष्ठता पर अभिमान करना हो गया है। सत्य यह है कि यह दोनों (स्त्री-पुरुष) के जीवन निर्माण का अविवेकपूर्ण व मूर्खतापूर्ण तरीका है। इसीलिए तुलनात्मक पश्चिम जगत में व्यक्ति अधिक अवसादग्रस्त होते जा रहे हैं। अगर इसे बदलना है तो व्यक्ति को चेतना से साक्षात्कार करना होगा। इससे पूर्व व्यक्ति की सहमति-असहमति हो सकती है, परन्तु चेतना से एकाकार हो जाने पर मेरा-तेरा कुछ नहीं रहता। सब कुछ सार्वभौमिक ब्रबण्ड बन जाता है। इससे व्यक्ति के सारे पूर्वाग्रह, पक्षपात व मिथ्या विचार विलीन हो जाते हैं। वह किसी के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। फिलहाल, नारीवाद के मूल में 'मेरी पहचान एक महिला के रूप में' नहीं है। नारीवाद नारी की जैविक पहचान का खंडन करता है। वह पुरुष विरोधी नहीं है बल्कि पितृसत्ता के विरूद्ध है, जो असमानताओं का कारक है। पक्षपात-विहीन समानता व गरिमा प्राप्ति हेतु संघर्ष ही नारीवाद है। लिंग संबंधी असमानता को तोड़ने के लिए सिमोन डी बेवॉयर के इस प्रसिद्ध कथन को झुठलाना होगा कि, 'महिलाएं पैदा नहीं होती, बल्कि गढ़ी जाती हैं। उन्हें आत्मविश्वास हेतु ऐसा माहौल उपलब्ध कराना होगा, जिसमें वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करें और पुरुषों की भांति स्वाभाविक विकास की ओर अग्रसर हो' विचारणीय है। नारीवाद स्त्री के व्यक्तित्व का आधार बौद्धिकता और तार्किकता पर केन्द्रित करता है। इसी संदर्भ में हम इसके मूल स्वरूप व दर्शन को समझ पाएंगे। नारी की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण सामाजिक, सांस्कृतिक व संरचनात्मक है, केवल आर्थिक नहीं। मात्र आर्थिक सशक्तिकरण उसे तथाकथित उत्पीड़न से मुक्त कर देगा, यह भ्रम होगा। इस संदर्भ में आर्थिक विकास को सशक्तिकरण से जोड़ना निरर्थक है। दरअसल, वास्तविक सशक्तिकरण का प्रारंभ तो उस वैचारिक सोच पर प्रहार द्वारा ही किया जा सकता है, जो भेदभाव को पल्लवित करते हैं। इसके लिए लैंगिक समानता की संकल्पना को सामाजिक स्वीकार्यता हेतु जनजागरण किया जाना चाहिए। ऐसे ही ध्येय के मध्यनजर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन् 2015 में कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' के अभियान का आगाज किया।

निष्कर्ष

नारीवाद के संदर्भ में, महिला सशक्तिकरण का वास्तविक आशय यही है कि इसके द्वारा महिला में आत्मविश्वास जाग्रत कर, शक्ति प्रदान करना है न कि पुरुषों के सामने वर्चस्व प्रदान करना। इसके लिये नारी को समाज के प्रत्येक पायदान पर एवं उसकी अंतर्निहित क्षमता के आधार पर प्राप्त समुचित अवसरों के साथ यथेष्ठ सहभागिता सुनिश्चित करना है। साथ ही, लैंगिक समता को ध्यान में रखते हुए दोनों (स्त्री-पुरुष) का समावेशी विकास करना है। यही किसी राष्ट्र व समाज के विकास की वास्तविक कसौटी है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि नारीवाद का वास्तविक आशय स्त्रियों में उस शक्ति व सामर्थ्य को विकसित करने से है, जिससे उनमें अपने जीवन से जुड़े समस्त निर्णय स्वयं स्वतंत्रतापूर्वक लेने की क्षमता उत्पन्न हो, साथ में उनमें उन सभी निर्णयों को क्रियान्वयन की सामर्थ्य भी हो। यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि सशक्तिकरण व स्वच्छंदता में भी व्यापक भेद है। जहां स्वच्छंदता होगी, वहां विघटन, पारिवारिक टूटन, कलह होगी परन्तु स्वाभाविक गुणों के सशक्तिकरण से स्त्री का चरम विकास व परिवार, समाज का उत्थान होगा। उच्चतम स्तर की शिक्षा से युक्त, स्वविवेक से निर्णय लेने की क्षमता रखने वाली स्त्रियों के द्वारा ही समाज की उन्नति संभव है। पुरुषों में स्त्रियों के प्रति मातृभाव व स्त्रियों में पुरुषों के प्रति पुत्रभाव ही भारतीय संदर्भ में नारी का गौरव है। पूरे वैश्विक समाज में इन्हीं भावों की बारीकियों व इनके पीछे सार-तत्व को जानकर ही नारीवादी विचारधारा को दिशा देने हेतु पहल करनी होगी।

संदर्भ सूची

1. हेवुड, एंड्रयू, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज : एन इंट्रोडक्शन, पालग्रेव मैक्मिलन, लंदन, 2003, पृ.सं. 193
2. रॉबर्ट, इ गुडिन, फिलिप पेटिट एंड थॉमस पॉजे, ए कम्पेनियन टू कंटेंपररी पॉलिटिकल फिलोसॉफी 'एडिटेड', ब्लैकवेल पब्लिशिंग लि., ऑस्ट्रेलिया, 1993, पृ.सं. 332
3. हेवुड, एंड्रयू, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज : एन इंट्रोडक्शन, पालग्रेव मैक्मिलन, लंदन, 2003, पृ.सं. 194

4. गावा, ओमप्रकाश, राजनीतिक विचारक विश्वकोष, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2002, पृ.सं. 108
5. आर्य, साधना, मेनन निवेदिता व लोकनीता जिनी, नारीवादी राजनीति - संघर्ष एवं मुद्दे, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2001, पृ.सं. 23
6. टटल, लिसा ग्रेसिया, इन्साइक्लोपीडिया ऑफ फेमिनिज्म, लोंगमेन हर्लो एसेक्स, यू.के. 1986
7. हेवुड, एंड्रयू, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज : एन इंट्रोडक्शन, पालग्रेव मैक्मिलन, लंदन, 2003, पृ.सं. 195
8. फायरस्टोन, शुलामिथ, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स : द केस फॉर फेमिनिस्ट रिवोल्यूशन, विलियम मोरो एंड क. न्यूयॉर्क, 1970, पृ.सं. 11
9. उपर्युक्त, पृ.सं. 40
10. उपर्युक्त, पृ.सं. 42-43
11. मेलर, मैरी, फेमिनिज्म एंड एन्वायरनमेंटल एथिक्स : ए मेटरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, एथिक्स एंड द एन्वाइरन्मेंट जर्नल, वॉल्यूम-V, इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्लूमिंगटन, 2000, पृ.सं. 111
12. एंगेल्स, फ्रेडरिक, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रोपर्टी एंड द स्टेट, द पेंगुइन बुक लि. लंदन, 1884
13. आर्य, साधना, मेनन निवेदिता व लोकनीता, जिनी, नारीवादी राजनीति-संघर्ष एवं मुद्दे, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2001, पृ.सं. 33
14. मेलर, मैरी, फेमिनिज्म एंड एन्वायरनमेंटल एथिक्स : ए मेटरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, एथिक्स एंड द एन्वाइरन्मेंट जर्नल, वॉल्यूम V(i), इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्लूमिंग्टन, 2000, पृ.सं. 110
15. मर्चेंट, कैरोलिन, फेमिनिज्म एंड द फिलॉसाफी ऑफ नेचर, एन्वायरमेंटल एथिक्स : द बिग क्वेश्चन, एडिटेड बाय डेविड आर केलर, विली ब्लैकवेल, यू.के. 2010, पृ.सं. 294
16. मिश्र, विश्वनाथ, नारी विमर्श : पाश्चात्य ज्ञानोदय में स्त्री की वापसी, मध्य भारती, मानविकीय एवं सामाजिक विज्ञान की द्विभाषीय शोध पत्रिका, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
17. कैपर, चार्ल्स, मार्गरेट फुलर, एन अमेरिकन रोमांटिक लाइफ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, 2010, पृ.सं. 11
18. ग्लेजब्रुक, ट्रिश, केरेन वॉरेन्स इकॉफेमिनिज्म, एथिक्स एंड द एन्वायरमेंट, वॉल्यूम-vii, रि- ii, इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्लूमिंग्टन, 2002, पृ.सं. 12-26
19. शिवा, वंदना, कोलोनियलिज्म एंड द इवोल्यूशन ऑफ मैस्कुलिनिस्ट फॉरेस्ट्री, जेंडर एंड पॉलिटिक्स इंडिया, खसंपादितग निवेदिता मेनन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2001, पृ.सं. 41
20. मरेवल, मेनिंग, मुलिंग लेइथ, लैट नोबडी टर्न अस अराउंड : वॉयसेस ऑफ रजिस्टेंस, रिफॉर्म एंड रिन्यूअल : एन अफ्रीकन-अमरीकन एंथोलॉजी, रोमैन एंड लिटिलफील्ड पब्लिशर्स, यू.एस., 2003, पृ.सं. 524
21. नारायणन, उमा, हार्डिंग सैंड्रा, एसेंस ऑफ कल्चर एंड ए सेंस ऑफ हिस्ट्री; ए फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ कल्चरल एसेंशियलिज्म, डिसेंटरिंग द सेंटर - फिलोसॉफी फॉर ए मल्टी कल्चरल, पोस्ट कोलोनियल एंड फेमिनिस्ट वर्ल्ड, इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्लूमिंग्टन, 2000, पृ.सं. 80-100

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 37-46

सवाई माधोपुर जिले के जल भूविज्ञान का विश्लेषण एवं भूजल प्रबंधन

प्रेम सोनवाल

सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राजस्थान)

डॉ. एल.सी. अग्रवाल

सह आचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

शोध सारांश

जल एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। यह पेयजल, कृषि, उद्योग, परिवहन के लिए ही नहीं बल्कि वानिकी, मनोरंजन एवं पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल स्रोत वर्षा जल ही है। इसी का कुछ भाग नदी, नालों व तालाबों में सतही जल के रूप में व कुछ भाग रिसकर भूमि के अंदर भूजल के रूप में जलभृत (एक्विफर) क्षेत्रों में रहता है। वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या से सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा व घरेलू क्षेत्र में जल की मांग से भूजल पर लगातार दबाव बढ़ रहा है एवं जल स्रोतों के दूषित होने से इस्तेमाल के लायक जल की उपलब्धता भी कम हो रही है। बढ़ती मांग पूरी करने के लिए जल का संरक्षण करने और सभी क्षेत्रों में जल को दूषित होने से बचाने की आवश्यकता है। इसके अलावा सभी क्षेत्रों में जल के प्रयोग की दक्षता बढ़ाने की भी जरूरत है। भूजल स्रोतों के विकास एवं प्रबंधन के लिए योजनाबद्ध रूप से जलभृत शैलों को अंकित करने तथा उसका मात्रात्मक व गुणात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यक है। हमारे परंपरागत वर्षा जल संचयन की संरचनाओं को पुनर्जीवित करके जल संरक्षण कर सकते है। जल संरक्षण के लिए केवल सरकारी सहायता पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे समाज को मिलकर जल संरक्षण के प्रयास करने चाहिए। तभी हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित एवं प्रदूषण रहित जल संसाधन दे पाएंगे। सवाई माधोपुर जिले में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, सिंचित कृषि के विस्तार एवं पर्यटन उद्योग में बढ़ती पानी की मांग व अन्य गतिविधियों के परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण जिले में भूजल का स्तर 'अति दोहन ' की श्रेणी में आ गया है और साथ ही पानी की गुणवत्ता में भी कमी आई है। यह शोध पत्र सवाई माधोपुर जिले में जलभृतों एवं भूमिगत जल के स्थाई प्रबंधन पर प्रकाश डालता है।

संकेताक्षर : *जलभृत, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण, अति दोहन, सिंचित कृषि*

प्रस्तावना

जल एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन एवं जीवन का आधार है। यह न केवल मानव बल्कि जीव-जंतु एवं पादप जगत के लिए भी आवश्यक है। जीवन, आजीविका और पारिस्थितिकी के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का स्रोत वर्षा जल ही है। इसी का कुछ भाग सतही जल रूप में नदी, नालों द्वारा झरनों, तालाबों, झीलों एवं समुद्र में चला जाता है। कुछ वाष्पीकृत होता है एवं कुछ चट्टानों और मिट्टी से रिस जाता है और भूमि के अंदर चला जाता है। भूमि के अंदर उपस्थित जल को ही भूमिगत जल कहा जाता है। जिन चट्टानों में भूजल जमा होता है, उन्हें जलभृत (एक्विफर) कहा जाता है। इन्हीं जलभृतों से प्राप्त भूजल का प्रयोग सिंचाई, पेयजल व उद्योगों के लिए किया जाता है। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगीकरण एवं सिंचित कृषि के विस्तार के कारण जल की मांग बढ़ी है एवं जल संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण संपूर्ण विश्व भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। जल की बढ़ती मांग के साथ जल का प्रदूषित होना एवं जलवायु परिवर्तन के अप्रत्याशित प्रभाव के कारण भविष्य में जल संकट और भी गंभीर हो जाएगा। विश्व की 18 प्रतिशत आबादी भारत में रहती है लेकिन 4 प्रतिशत जल संसाधन ही उसके हिस्से में आते हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्षा के माध्यम से प्रतिवर्ष 4000 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) जल प्राप्त होता है। वाष्पन के उपरांत देश में उपलब्ध कुल जल की मात्रा 1869 बीसीएम है। इसमें से उपयोग योग्य जल संसाधन

केवल 1123 बीसीएम प्रति वर्ष के लगभग अनुमानित है, जो कुल का 28 प्रतिशत है। उपयोग करने योग्य जल संसाधनों में सतही जल 690 बीसीएम एवं भूजल 433 बीसीएम प्रतिवर्ष उपलब्ध है। देश के वार्षिक भूजल संसाधन में वर्षा जल का योगदान 68 प्रतिशत है और अन्य स्रोतों, जैसे नहरों में रिसाव, सिंचाई के दौरान पानी वापस लौटना, टैंक, तालाब तथा जल संरक्षण जैसी संरचनाओं का दोबारा भरना इत्यादि की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत है। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता उसकी बढ़ती जनसंख्या के कारण लगातार गिरती जा रही है। वर्ष 2011 में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1545 क्यूबिक मीटर्स आंकी गई थी। जो कि 2025 और 2050 वर्षों में घटकर क्रमश: 1340 और 1140 क्यूबिक मीटर्स तक रह जाएगी। भारत में कृषि और पेयजल आपूर्ति में भूजल की हिस्सेदारी बहुत बढ़ी है।

वाटरएड की रिपोर्ट 'बेन्थ द सर्फेस: द स्टेट ऑफ़ द वल्ड्र्स वॉटर 2019' के अनुसार दुनिया के भूमिगत जल का 24 फीसदी अकेले भारत इस्तेमाल करता है। यानी भारत दुनिया में भूमिगत जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। साल 2000 से 2010 के बीच भारत में भूमिगत जल के घटने की दर 23 फीसदी बढ़ गई है। इसके अलावा, भारत भूजल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है जो वैश्विक कुल का 12 प्रतिशत है। नीति आयोग द्वारा जारी कंपोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स (2018) के अनुसार भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है। वर्ष 2020 तक 21 भारतीय शहरों (डे जीरो हो जाएंगे यानी यहां खुद का पीने का पानी नहीं होगा) में भूजल समाप्त हो जाने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग उसकी पूर्ति से लगभग दोगुनी हो जाएगी एवं लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल नहीं मिलेगा। जल संकट के कारण 2050 तक भारत की जीडीपी में 6 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अभी देश के 60 करोड लोग गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद नीति आयोग ने जल संसाधनों के 'तत्काल और बेहतर' प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर डाला है। नीति आयोग द्वारा जारी द्वितीय संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक-2019 (सीडब्ल्यूएमआई 2.0) में भारत के विकास और पर्यावरण प्रणाली को बनाये रखने के लिए जल के वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर देने को कहा गया है। राजस्थान की विषम जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वर्षा कम मात्रा में होती है। साथ ही वर्षा अनियमित व असमान रूप से प्राप्त होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान में देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.4 प्रतिशत भाग, जनसंख्या का 5.67 प्रतिशत भाग है लेकिन देश में उपलब्ध कुल सतही जल संसाधन का केवल 1.16 प्रतिशत और भूमिगत जल का 1.70 प्रतिशत भाग ही उपलब्ध है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक एवं सिंचित कृषि के विस्तार के कारण राज्य में भूजल की स्थिति और भी खराब हो गई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड एवं भूजल विभाग, राजस्थान की भूजल संसाधन रिपोर्ट-2017 के अनुसार राज्य के कुल 295 भूजल ब्लॉकों में से 185 ब्लॉक 'अति दोहन', 33 ब्लॉक 'संवेदनशील' 29 ब्लॉक 'अर्द्ध संवेदनशील', 45 ब्लॉक 'सुरक्षित' एवं 3 ब्लॉक 'लवणीय' श्रेणी में आ गए हैं रिपोर्ट के अनुसार राज्य में भू जल निष्कर्षण का स्तर 140 प्रतिशत है। सवाई माधोपुर जिले में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, सिंचित कृषि के विस्तार एवं पर्यटन उद्योग में बढ़ती पानी की मांग व अन्य गतिविधियों के परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण जिले में भूजल का स्तर 'अति दोहन' की श्रेणी में आ गया है और साथ ही पानी की गुणवत्ता में भी कमी आई है। इस परिदृश्य में जल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सतही जल एवं भूजल का सतत प्रबंधन करना आवश्यक है, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए जल उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण जल आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके अलावा सभी क्षेत्रों में जल के प्रयोग की दक्षता बढ़ाने की भी जरूरत है।

अध्ययन का उद्देश्य

यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया–

1. सवाई माधोपुर जिले के जल भू विज्ञान का अध्ययन करना।
2. जिले की भूमिगत जल परिदृश्य का अध्ययन करना।
3. जिले में भूमिगत जल स्तर को सुधारने हेतु भूजल संरक्षण के सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

सवाई माधोपुर जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में मैदानी भाग में स्थित है जो 25°45' उत्तरी अक्षांश से 26°41' उत्तरी अक्षांश एवं 75°59' पूर्वी देशांतर से 77°00' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जिले की समुद्र तल से ऊंचाई 400 से 600 मीटर तक है। कमंडलनुमा आकृति में फैले जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5042.99 वर्ग किमी है, जिसमें 4967.70 वर्ग किमी ग्रामीण तथा 75.29 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है। जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी 527 मीटर बामनवास तहसील में है। जिले के दक्षिण में स्थित 'भैरों' व 'उतगिर' पर्वत चोटियाँ भी महत्वपूर्ण है। भू भाग का ढाल पूर्व की ओर है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को 8 तहसीलों में बांटा गया है जिसमें सवाई माधोपुर, बामनवास, मलारना डूंगर,

बोंली, गंगापुर, चौथ का बरवाड़ा, वजीरपुर व खंडार शामिल है। भूजल अध्ययन की दृष्टि से जिले को 6 ब्लॉकों में बांटा गया है जिनमें सवाई माधोपुर, बामनवास, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर, खंडार व बोंली शामिल है।

जिले में बारहमासी नदी चंबल सहित मोरेल, गंभीरी, ढील आदि प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 13, 35, 551 है। इसमें से 19.95 प्रतिशत जनसंख्या शहरों व 80.05 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। जिले की जलवायु को अर्द्ध आर्द्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिले का न्यूनतम तापमान जनवरी में 4°सेंटीग्रेड व अधिकतम 45°सेंटीग्रेड मई महीने में रहता है।

तालिका 1 : सवाई माधोपुर जिले में तहसील के अनुसार मानसूनी वर्षा 2018

क्र.सं.	तहसील	सामान्य (मिमी में)	वास्तविक (मिमी में)	विचलन (%)
1.	सवाई माधोपुर	664.00	1846.00	178.0
2.	मलारना डूंगर	664.00	946.00	42.5
3.	वजीरपुर	664.00	809.00	21.8
4.	गंगापुर	664.00	802.00	20.8
5.	बामनवास	664.00	766.00	15.4
6.	खंडार	664.00	754.00	13.6
7.	चौथ का बरवाड़ा	664.00	751.00	13.1
8.	बोंली	664.00	624.00	-6.0
	सवाई माधोपुर जिले में औसत	664.00	912.25	37.4

स्रोत : 'मानसून रिपोर्ट- 2018' जल संसाधन विभाग, जयपुर

जिले की कुल वार्षिक वर्षा 873.40 मिमी है। जिले में भूजल पुनर्भरण का प्रमुख स्रोत वर्षा है। जिले में जून से सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून से लगभग 93 प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है। सर्दियों में वर्षा कम प्राप्त होती है। जल संसाधन विभाग, राजस्थान की 'मानसून रिपोर्ट-2018' के अनुसार वर्ष 2018 में जिले की मानसूनी वर्षा 912.25 मिमी रही, जो जिले के सामान्य मानसूनी वर्षा 664 मिमी से 37.4 प्रतिशत अधिक रही। तालिका 1 से स्पष्ट है कि जिले की 7 तहसीलों में वर्षा सामान्य मानसूनी वर्षा से अधिक रही, जिसमें चौथ का बरवाड़ा, खंडार, बामनवास, गंगापुर, वजीरपुर, मलारना डूंगर व सवाई माधोपुर तहसीलों में क्रमश:13.1, 13.6, 15.4, 20.8, 21.8, 42.5 व 178 प्रतिशत अधिक रही। एक मात्र तहसील बोंली में वास्तविक मानसूनी वर्षा सामान्य से 6 प्रतिशत कम रही। वर्ष 2018 में पूरे राज्य में सर्वाधिक वर्षा 1846 मिलीमीटर सवाई माधोपुर वर्षा स्टेशन पर रही और एक दिन में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड भी सवाई माधोपुर वर्षा स्टेशन पर ही रहा जो 3 सितंबर 2018 को 265 मिमी वर्षा रहा।

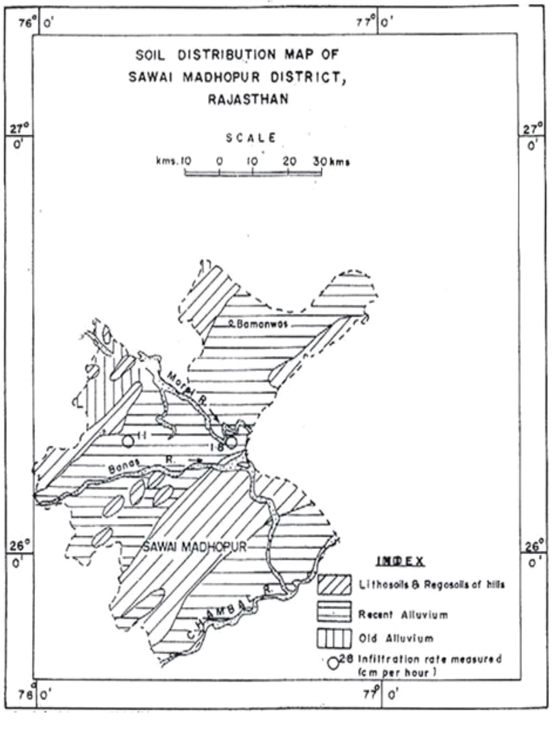

ISSN 2348-3857

जिले की मृदा को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पुरानी जलोढ़ मृदा जो बोंली व बामनवास उपखंड में पाई जाती है। इसमें चूने की मात्रा नहीं पाई जाती है, जो अधिक चिकनी व उपजाऊ होती है। दूसरी पहाड़ी लिथोसोल व रिगोसोल मिट्टी, जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। खंडार, सवाई माधोपुर, बोली व बामनवास के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरी नवीन जलोढ़ मृदा जो जिले के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी चंबल, बनास व मोरेल नदियों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कृषि के लिए उपयुक्त हैं।

जिले का जल भूविज्ञान

जब बारिश का पानी जमीन पर गिरता है तो इसका कुछ भाग बहकर नालों, नदियों, तालाबों एवं झीलों में चला जाता है, कुछ पौधों द्वारा प्रयोग किया जाता है, कुछ वाष्पित होकर वातावरण में चला जाता है और कुछ जल प्राकृतिक पुनर्भरण (Recharge) के रूप में जमीन में रिस जाता है। वह जल राशि जो भूसतह की ऊपरी परत से रिस-रिस कर अंत:स्रावी क्रिया (Infiltration) द्वारा मृदा की परत में, फिर उससे नीचे अवमृदा परत में तथा उसके नीचे अधस्थ शैल परत में जमा रहती है, भूमिगत जल (Ground Water) कहलाता हैं। भूजल मृदा एवं शैल की रंध्रों, परतों, संधियों, विभंगों एवं अंत:कणीय स्थानों में उपस्थित रहता है। भूजल के नीचे इन चट्टानों को जिनमें भूमिजल पाया जाता है जलभृत (Aquifer) कहते हैं। सामान्य तौर पर, जलभृत बजरी, रेत, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से बने होते हैं। इन चट्टानों से पानी नीचे बह जाता है क्योंकि चट्टानों के बीच में ऐसे बड़ी और परस्पर जुड़ी हुई जगहें होती हैं, जो चट्टानों को पारगम्य (Permeability) बना देती हैं। जलभृतों में जिन जगहों पर पानी भरता है, वे संतृप्त जोन (Saturated Zone) कहलाते हैं। सतह में जिस गहराई पर पानी मिलता है, वह जल स्तर (Water table) कहलाता है। जल स्तर जमीन से नीचे एक फुट तक उथला भी हो सकता है और वह कई मीटर गहराई तक भी हो सकता है। भारी वर्षा से जल स्तर बढ़ सकता है और इसके विपरीत भूजल का लगातार दोहन करने से इसका स्तर गिर भी सकता है। भूमिजल कठोर चट्टानों के क्षेत्र में उथले गहराई में अपक्षयित (Weathered) हिस्सों में एवं गहरी गहराइयों में विभंगो (Fractures) एवं संधियों (Joints) में पाया जाता है। जलोढ़ एवं बलुई चट्टानों के अंत:कणीय स्थानों एवं परतदार चट्टानों के अंतरपरत में पाया जाता है। भूजल का अत्यधिक उपयोग या अतिदोहन उस परिस्थिति को कहते हैं जब एक समयावधि के बाद जलभृतों की औसत निकासी दर, औसत पुनर्भरण की दर से अधिक होती है। इन्हीं जलभृतों से प्राप्त भूजल का निष्कर्षण कुएं, बोर, कूप व नलकूप आदि द्वारा कर सिंचाई, पेयजल व उद्योगों में उपयोग किया जाता है। भूजल को प्रभावित करने वाले चट्टानों गुणों में शैल की सरंध्रता (Porosity) पारगम्यता (Permeability) संचारणीयता (Transmissivity) विशिष्ट उत्पाद (Specific yield) है। शैल के रिक्त स्थानों में भूजल पाया जाता है जिन्हें रिक्ति अंतराल अथवा रंध्र कहा जाता है। सरंध्रता मुख्यत: दो प्रकार की होती है प्रारंभिक सरंध्रता यह मृदा खंड, रेत और बजरी की परतों एवं बलुई चट्टानों के गठन के दौरान बनती है। द्वितीय सरंध्रता यह शैल उत्पत्ति के पश्चात बनती है। यह शैल के अपक्षयित, संधियों, विभंगों तथा विलयन रंध्रों एवं वनस्पतियों द्वारा उत्पन्न रिक्तियों के कारण बनती है। पारगम्यता शैल का वह गुण या क्षमता जिससे कोई भी तरल पदार्थ या गैस उसमें से होकर प्रवाहित हो सकती है। संचारणीयता यह जलभर के जल संचार क्षमता का माप है। विशिष्ट उत्पाद संतृप्त शैल की वह क्षमता जिसमें गुरुत्व बल द्वारा जल निकलता है, उसे विशिष्ट उत्पाद कहते हैं।

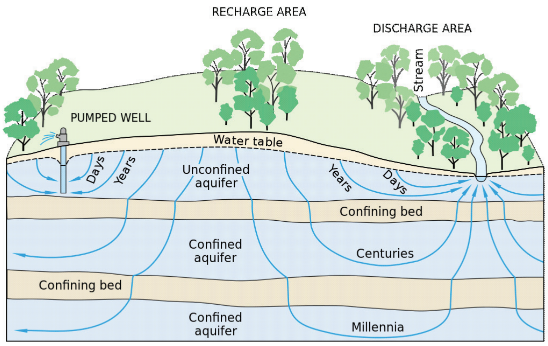

चित्र: जलभृति क्षेत्र

स्रोत : विकिपीडिया

भूजल स्तर की स्थिति के आधार पर जलभृतों को दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम सीमित जलभृति (Confined Aquifer) जो पूर्णतया संतृप्त जलीय चट्टानी पर्त, जिसके ऊपर और नीचे अपारगम्य पर्त होती है। इस पर्त में पानी का दाब वायुमंडल तथा जल-स्तर के दाब से अधिक होता है। द्वितीय असीमित जलभृति (Unconfined Aquifer) यह एक पारगम्य तथा आंशिक रूप से जल द्वारा भरी तथा नीचे की ओर अपेक्षाकृत अपारगम्य पर्त द्वारा ढकी होती है, इसकी ऊपरी सतह वायुमंडल दाब में मुक्त जल-स्तर द्वारा निर्धारित होती है। भूजलीय गुण के आधार पर भी जलभृतों को दो भागों में बांटते हैं। प्रथम असंपीड़ित (Unconsolidated) संरचनाएं जो चतुर्थक कल्प की नूतन

एवं पुरातन जलोढ़ रचनाएं हैं एवं अंतर्देशीय एवं तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मोटे तौर पर असंगठित संरचनाएं होती है। जिनमें विभव जलभरा होते हैं। यह मुख्यत: मृतिका, रेत एवं बजरी या इनके समिश्र से बने होते हैं जो जलभृत बनाते हैं। इन चट्टानों में प्राथमिक सरंध्रता पायी जाती है अच्छी जलावृत्ति के कारण यह जलभृत प्रतिवर्ष पुन:पूरित (Replenish) होते हैं। साधारण तौर पर इनमें भूजल असीमित एवं सीमित दोनों ही अवस्था में पाया जाता है। द्वितीय संपीड़ित (consolidated) संरचनाएं, इन चट्टानों में प्राथमिक सरंध्रता हालांकि नगण्य होती है फिर भी अपक्षयता, विभंगता एवं दरारों के कारण कुछ हद तक सरंध्रता एवं पारगम्यता विकसित हो जाती है। इनके उदाहरण है आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें (ज्वालामुखी एवं चुनाव चट्टानों को छोड़कर) ज्वालामुखी चट्टानें, समेकित अवसादी चट्टानें (चूना चट्टानों को छोड़कर) एवं कार्बोनेट चट्टानें।

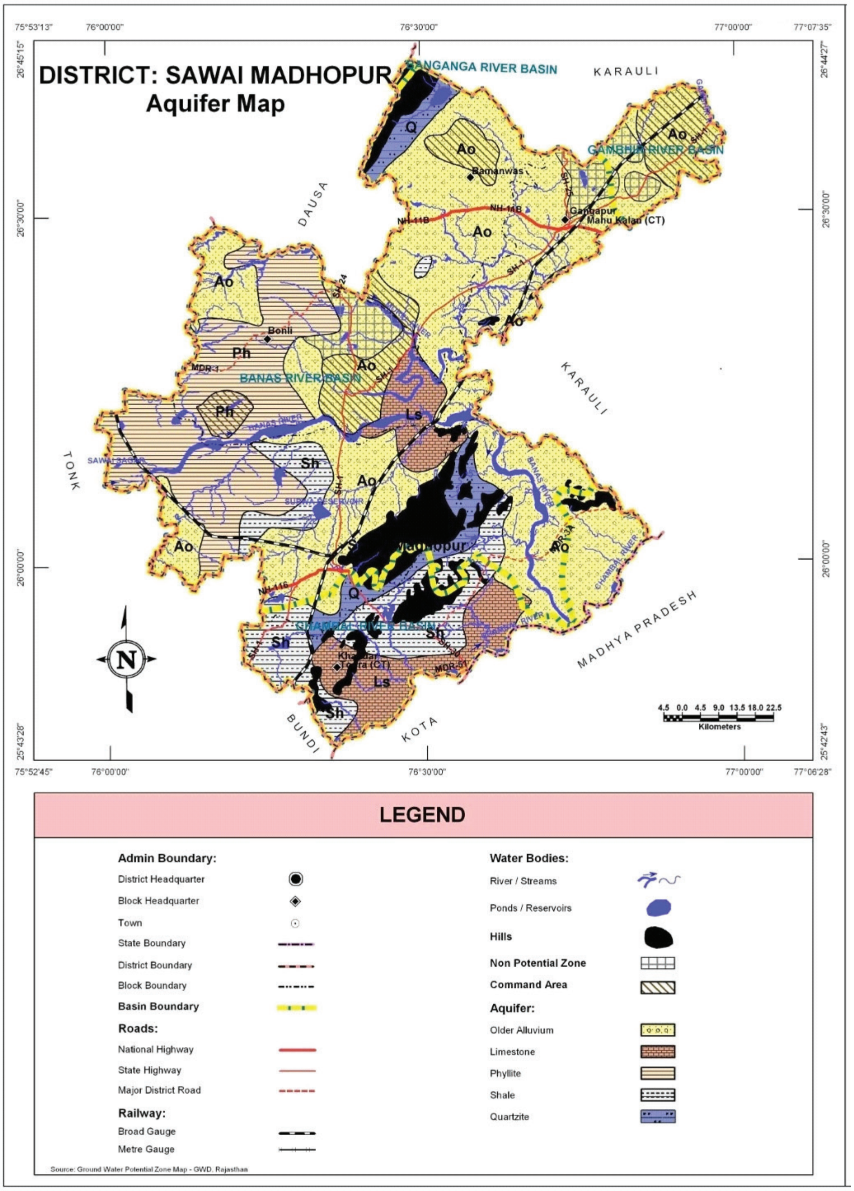

तालिका 2 : सवाई माधोपुर जिले में जलभृत संभावित क्षेत्र एवं उसका विवरण

संभावित क्षेत्र में जलभृत	क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)	जिले का प्रतिशत (%)	विवरण
पुरातन जलोढ़	2707.7	53.6	महीन से मध्यम आकार के रेत, सिल्ट व कंकरयुक्त रचना
लाइमस्टोन	410.1	8.2	महीन से मध्यम आकार की ग्रे, पीलापन लिए लाल व पिंक रंग की रचना
फाइलाइट	876.2	17.3	कैल्शियमयुक्त रचना
शैल	497.1	9.8	ग्रे, हल्के हरे व पर्पल रंग की रचना
क्वाटजाइट	181.1	3.6	मध्यम से स्थूल आकार की रचना
पहाड़ी	379.7	7.5	

स्रोत : भूजल विभाग, राजस्थान।

सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न प्रकार की चट्टानों से जलभृत बने हैं। असंगठित तलछट में जलभृत पुरातन जलोढ़ से बने हैं जिसमें रेत व सिल्ट पाया जाता है, जिले के लगभग 54 प्रतिशत भाग में पाई जाती है। जो एक केंद्रीय रूप में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम अरावली रेंज के समानांतर व पूर्व में फैली है व जिले के पश्चिम भाग में कुछ अलग अलग समूह में स्थित है। कठोर चट्टानों की अपक्षयित, विभंग व संधियों में घुलन क्रिया से लाइमस्टोन जलभृत का निर्माण होता है। कठोर शैल जलभृत में फाईलाइट सबसे व्यापक है, जो जिले के 17 प्रतिशत भाग पर फैली है व जिले के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। अन्य कठोर शैल जलभृत शैल, लाइमस्टोन व क्वाटजाइट के रूप में जिले के मध्य व पूर्वी भाग में फैली है। भूजल की उपस्थिति चट्टानों की भौतिक विशेषताएं व भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर है। जिले में भूजल संपीड़ित व असंपीड़ित रचनाओं में पाया जाता है। संपीड़ित रचनाओं में भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की शिस्ट, फाइलाइट, शेल व क्वाटजाइट विंध्यन सुपर ग्रुप की शेल व लाइमस्टोन एवं दिल्ली सुपर ग्रुप की क्वाटजाइट, शिस्ट व फाइलाइट जिले के 60 प्रतिशत हिस्से में है, जिले का मुख्य जलभृत बनाते हैं। भूजल की उपस्थिति असीमित संस्तर में संपीड़ित रचना के अपक्षयित, विभंगों व दरारों में पाया जात है। जलोढ़ रचना की तुलना में बहुत कम जलभरा क्षेत्र होते हैं। सीमित व असीमित परिस्थितियों में भूजल की उपस्थिति असंगठित रचनाओं में चतुर्थक कल्प की नूतन व पुरातन जलोढ़ रचनाओं में पाया जाता है। जिन में पर्याप्त मात्रा में जलभृत क्षेत्रों में भूजल होता है। इसमें मुख्यत: मृतिका, रेत, बजरी व गाद शामिल है, जलोढ़ जिले के मध्य, उत्तरी व उत्तरी- पश्चिमी भागों में व जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में चंबल नदी के साथ स्थित बड़े क्षेत्र में बड़े हिस्से में जलभृत बनाती है।

जिले में जल स्तर

केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय-समय पर सवाई माधोपुर जिले में भूजल स्तर की निगरानी राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक नेटवर्क स्टेशनों (NHNS) पर वर्ष में चार बार अर्थात जनवरी, मई (प्री मानसून), अगस्त और नवंबर (पोस्ट मानसून) में करता है। सर्वेक्षण के दौरान जिले के सभी 6 ब्लॉकों में स्थित खोदे गए कुओं और पीजोमीटर से युक्त एक निगरानी नेटवर्क द्वारा जलस्तर मापा जाता है। वर्ष 2018 में जारी भूजल विभाग, राजस्थान की 'राजस्थान में भूजल स्तर का परिदृश्य-2018' रिपोर्ट के अनुसार जिले में 138 जलस्तर निगरानी स्टेशन पर जलस्तर मापा गया। जिनमें 51 पीजोमीटर स्टेशन शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में मानसून पूर्व व मानसून पश्चात जल स्तर सर्वेक्षण में जिले में कुल 138 स्टेशन में से 61 स्टेशनों पर जलस्तर उपलब्ध रहा।

तालिका 3 : सवाई माधोपुर जिले में प्री मानसून व पोस्ट मानसून जलस्तर-2018

ब्लॉक	मानसून पूर्व जल स्तर की औसत गहराई (mbgl)	मानसून पश्चात जल स्तर की औसत गहराई (mbgl)	जल स्तर में परिवर्तन (मीटर में)	मानसून पूर्व न्यूनतम जल स्तर (mbgl)	मानसून पश्चात न्यूनतम जल स्तर (mbgl)	मानसून पूर्व अधिकतम जलस्तर (mbgl)	मानसून पश्चात अधिकतम जलस्तर (mbgl)
बामनवास	16.18	12.38	3.80	11.20	5.20	21.80	21.50
बोंली	16.18	13.83	2.35	8.50	7.30	25.80	23.30

ब्लॉक	मानसून पूर्व जल स्तर की औसत गहराई (mbgl)	मानसून पश्चात जल स्तर की औसत गहराई (mbgl)	जल स्तर में परिवर्तन (मीटर में)	मानसून पूर्व न्यूनतम जल स्तर (mbgl)	मानसून पश्चात न्यूनतम जल स्तर (mbgl)	मानसून पूर्व अधिकतम जलस्तर (mbgl)	मानसून पश्चात अधिकतम जलस्तर (mbgl)
चौथ का बरवाड़ा	22.00	19.75	2.25	9.10	11.40	45.70	45.20
गंगापुर	14.81	13.73	1.08	5.30	4.50	46.70	46.50
खंडार	29.38	24.62	4.76	10.90	4.20	59.10	60.05
सवाई माधोपुर	30.66	22.45	8.21	12.50	9.20	46.50	32.40

स्रोत :राजस्थान में भूजल परिदृश्य-2018 भूजल विभाग राजस्थान mbgl -meter below ground level

शेष 77 स्टेशनों पर जल स्तर उपलब्ध नहीं था, जिसका कारण वह या तो सूख गए या अत्यधिक बोरिंग से जलस्तर गहरा हो गया या एक या अन्य कारण से मापा नहीं जा सकता है। तालिका 3 से स्पष्ट है कि वर्ष 2018 में मानसून पूर्व व पश्चात जलस्तर में सर्वाधिक परिवर्तन सवाई माधोपुर ब्लॉक में 8.21 मीटर रहा जिसका कारण इस ब्लॉक में अच्छी वर्षा होना था। तालिका से स्पष्ट पता लगता है कि प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून सर्वेक्षण में सर्वाधिक गहरा जलस्तर सवाई माधोपुर व खंडार ब्लॉक में है जबकि गंगापुर व बामनवास ब्लॉक में जल स्तर ऊंचा है।

जिले में भूजल का आकलन

केंद्रीय भूजल बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर एवं भूजल विभाग, राजस्थान द्वारा जारी सवाई माधोपुर जिले में भू जल संसाधन रिपोर्ट-2017 के अनुसार जिले के सभी 6 ब्लॉकों में भूजल 'अति दोहन' की श्रेणी में पहुंच गया है। सवाई माधोपुर जिले का कुल संभावित भूजल क्षेत्र करीब 432850 हेक्टेयर है, जिसमें 50498 हेक्टेयर क्षेत्र कमांड क्षेत्र में एवं 382352 हेक्टेयर क्षेत्र नॉन कमांड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रिपोर्ट के अनुसार जिले में वार्षिक निकास योग्य भूजल का पुनर्भरण (Recharge) 44982.58 हेक्टेयर मीटर है। विद्यमान सकल भूमिगत जल का सिंचाई हेतु प्रारूप 49878.33 हेक्टेयर मीटर है। सकल भूजल का घरेलू, औद्योगिक उपयोग हेतु प्रारूप 10646.89 हेक्टेयर मीटर है। इस प्रकार सभी उपयोग के लिए भूजल का निष्कर्षण (Extractable) 60525.22 हेक्टेयर मीटर है। इस प्रकार जिले में भूजल के निष्कर्षण का स्तर 134.55 प्रतिशत है और जिला 'अति दोहन'की श्रेणी में आता है। यदि ब्लॉक के अनुसार भूजल का अध्ययन किया जाए तो बामनवास ब्लॉक का क्षेत्र 72110 हेक्टेयर है जिसमें कमांड व नॉन कमांड क्षेत्र के अनुसार पुरातन जलोढ़ व क्वाटजाइट शैलों के संभावित जलभृत क्षेत्र है। ब्लॉक का कुल भूजल संभावित क्षेत्र 65655 हेक्टेयर है और भूजल के निष्कर्षण का स्तर 114.46 प्रतिशत है। बोली ब्लॉक का क्षेत्र 100450 हेक्टेयर है जिसमें कमांड व नॉन कमांड क्षेत्र के अनुसार पुरातन जलोढ़, लाइमस्टोन, शिष्ट शैलों के संभावित जलभृत क्षेत्र हैं। ब्लॉक का कुल भूजल संभावित क्षेत्र 98338 हेक्टेयर है एवं भूजल के निष्कर्षण का स्तर 115.68 प्रतिशत है। चौथ का बरवाड़ा ब्लॉक का क्षेत्र 43900 हेक्टेयर है जिसमें केवल नॉन कमांड क्षेत्र के अनुसार पुरातन जलोढ, शैल व शिष्ट शैलों के संभावित जलभृत क्षेत्र हैं। ब्लॉक का कुल भूजल संभावित क्षेत्र 40666 हेक्टेयर है एवं भूजल के निष्कर्षण का स्तर 116.75 प्रतिशत है। गंगापुर ब्लॉक का क्षेत्र 64550 हेक्टेयर है जिसमें कमांड व नॉन कमांड क्षेत्र के अनुसार पुरातन जलोढ़ शैलों के संभावित जलभृत क्षेत्र हैं। ब्लॉक का कुल भूजल संभावित क्षेत्र 49892 हेक्टेयर है और भूजल के निष्कर्षण का स्तर 194.18 प्रतिशत है। खंडार ब्लॉक का क्षेत्र 145381 हेक्टेयर है जिसमें नॉन कमांड क्षेत्र के अनुसार पुरातन जलोढ़, लाइमस्टोन, शेल व क्वाटजाइट शैलों के संभावित जलभृत क्षेत्र हैं। ब्लॉक का कुल भूजल संभावित क्षेत्र 105075 हेक्टेयर है और भूजल के निष्कर्षण का स्तर 115.70 प्रतिशत है। सवाई माधोपुर ब्लॉक का क्षेत्र 75674 हेक्टेयर है जिसमें नॉन कमांड क्षेत्र के अनुसार पुरातन जलोढ़, लाइमस्टोन, शेल व शिष्ट शैलों के संभावित जलभृत क्षेत्र हैं। ब्लॉक का कुल भूजल संभावित क्षेत्र 73224 हेक्टेयर है और भूजल के निष्कर्षण का स्तर 138.64 प्रतिशत हैं। इस प्रकार तालिका-4 से स्पष्ट है कि जिले के भूजल के निष्कर्षण के सर्वाधिक स्तर 194.18 प्रतिशत गंगापुर ब्लॉक का है एवं सबसे कम बामनवास ब्लॉक का 114.46 प्रतिशत है।

तालिका 4 : सवाई माधोपुर जिले में भूजल का आंकलन (31.03.2017) भूजल का पुनर्भरण, निष्कर्षण एवं भूजल विकास का स्तर (हेक्टेयर मीटर में)

ब्लॉक	वार्षिक निकास योग्य भूजल का पुनर्भरण	विद्यमान सकल भूमिगत जल का सिंचाई हेतु प्रारूप	सकल भूजल का घरेलू, औद्योगिक उपयोग हेतु प्रारूप	सभी उपयोगों के लिए भूजल का निष्कर्षण	घरेलू औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए आवंटित	भूजल के निष्कर्षण का स्तर (%)	श्रेणी
बामनवास	6769.98	6654.39	1094.34	7748.73	1466.42	114.46	अति दोहन
बोंली	7639.83	6901.28	1936.80	8838.08	2595.31	115.68	अति दोहन
चौथ का बरवाड़ा	4638.45	4559.32	856.05	5415.37	1147.11	116.75	अति दोहन
गंगापुर	8195.26	13241.25	2672.42	15913.67	3581.04	194.18	अति दोहन
खंडार	8650.47	8531.47	1477.26	10008.73	1979.53	115.70	अति दोहन
सवाई माधोपुर	9088.58	9990.64	2610.02	12600.66	3497.43	138.64	अति दोहन
Total	44982.58	49878.33	10646.89	60525.22	14266.83	134.55	अति दोहन

स्रोत : केंद्रीय भूजल बोर्ड, पश्चिमी प्रदेश, जयपुर एवं भूजल विभाग, सवाई माधोपुर, राजस्थान।

जिले में भूजल का प्रबंधन

जल संरक्षण से हमारा तात्पर्य पानी की बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से हैं। वर्षा का जल कुशल प्रबंधन के अभाव में व्यर्थ बहकर बर्बाद हो रहा है और भूजल के अत्यधिक दोहन से जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जल एवं भूजल का सतत प्रबंधन करना आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ियों के लिए जल उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण जल आसानी से उपलब्ध हो सके। सवाई माधोपुर जिले में भूजल के अनियंत्रित दोहन के कारण भूजल के निष्कर्षण का स्तर वार्षिक पुनर्भरण की तुलना में बहुत अधिक 134.55 प्रतिशत है। जिस कारण पूरे जिले के सभी ब्लॉक 'अति दोहन' की श्रेणी में आ गया हैं। अत: पीने के उद्देश्यों को छोड़कर अतिरिक्त भूजल विकास के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई है। सवाई माधोपुर जिले में भूजल के संरक्षण एवं सतत प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित सुझाव की अनुशंसा की जाती है।

1. वर्तमान में जल की बढ़ती मांग के कारण भूजल पर बढ़े दबाव को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरल कृत्रिम पुनर्भरण तकनीकों को अपनाने की दोहरी रणनीति, चेक डैम, गेबियन संरचना, फार्म पौंड, रीचार्ज शाफ्ट, डगवेल रिचार्ज और सबसर्फ़ डाइक और शहरी क्षेत्रों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाने की आवश्यकता है।
2. कृषि में मांग प्रबंधन का प्रयोग करने का सुझाव दिया और जलभृत के प्रकार, भूजल निकासी, मानसून में वर्षा और जल स्तर को देखते हुए किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए शुष्क मौसम की फसल की योजना बनानी चाहिए। इसमें उच्च मूल्य वाली और कम पानी का उपभोग करने वाली फसलों को भी चुना जा सकता है।
3. ड्रिप, स्प्रिंकलर प्रणाली और ऑन फार्म जल प्रबंधन जैसी आधुनिक सिंचाई की तकनीकों को अपनाना जिससे वाष्पीकरण और कृषि में जल के गैर लाभकारी, गैर वसूली योग्य प्रयोग को कम किया जा सके।
4. कृषि के लिए बिजली पर सबसिडी देने की परंपरा ने जल स्तर की गिरावट में अहम भूमिका निभाई है। भूजल निकासी के लिए जरूरी बिजली के प्रयोग को विनियमित करके भूजल के अत्यधिक दोहन को कम किया जाना चाहिए।
5. स्थानीय स्तर पर जिन गतिविधियों को विनियमित करने की आवश्यकता है, उनमें ड्रिलिंग की गहराई, कुंओं के बीच दूरी, फसल लगाने का पैटर्न शामिल है जिससे जलभृतों की स्थिरता और भागीदारीपूर्ण भूजल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
6. उचित जल और जल प्रबंधन को अपनाने से भी भूजल का उपयोग कुछ हद तक घुलित ठोस (टीडीएस) के साथ उच्च लवणता वाले क्षेत्र में नमक सहनशील फसलों की सिंचाई के लिए उपयुक्त हो सकता है।

7. पारंपरिक वर्षा जल संचयन (TRH) संरचनाओं यानी कुंडी, कुई/ बेरी, बोरी, झालरा, नाड़ी, टोबा, टांका, खड़ीन, जोहड़ व एनीकेट का पुनरुद्धार करना। दिन-प्रतिदिन के उपयोग के लिए वर्षा जल संरक्षण के लिए भूजल मसौदा कम हो जाएगा।
8. आम लोगों को भूजल संसाधनों के महत्व, घरेलू, सिंचाई और औद्योगिक क्षेत्रों में इसके बेहतर अभ्यास, भूजल परिदृश्य की वर्तमान स्थिति, आवश्यकता और इसके संरक्षण के तरीकों आदि के बारे में जागरूक करने के लिए स्थानीय स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
9. जिले में कठोर चट्टान वाले क्षेत्रों की असमान स्थलाकृतियों का लाभ उठाते हुए छोटे-छोटे जल संचयन प्रणाली या मिट्टी के बांध एवं सिंचाई कमान क्षेत्र में अपस्ट्रीम पर वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु उपयुक्त स्थलों का निर्माण किया जा सकता है, जिससे भूजल के पुनर्भरण से कुओं की उपज में वृद्धि होगी।
10. जिले में भूजल संसाधनों का आकलन नियमित आधार किया जाना चाहिए। इससे जल संसाधन के संरक्षण, विकास और प्रबंधन की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और अति दोहन, ह्रास और प्रदूषण जैसी समस्याओं का हल करने में मदद मिलेगी।

जिले का उत्तरी भाग जलोढ़ की असंतृप्त मध्यम मोटाई द्वारा रेखांकित किया जा रहा है, जो कि भूजल निकाय को कृत्रिम पुनर्भरण के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है क्योंकि जलोढ़ गठन में बहुत अच्छी भंडारण और संचरण क्षमता होती है। जलोढ़ क्षेत्र में, पुनर्भरण तकनीकों के निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जा सकता है। अत: अब समय आ गया है कि हम सचेत हो जाएं और भूमि जल के विवेकपूर्ण दोहन को न सिर्फ रोकने बल्कि पुनर्भरण की समुचित तकनीकों द्वारा जलभृतों का उचित प्रबंधन करें।

निष्कर्ष

मौजूदा जल संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा भी समय-समय पर विभिन्न जल संरक्षण अभियान चलाकर भूजल की मात्रा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रमुख अभियानों में जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जल जीवन मिशन एवं मनरेगा द्वारा विभिन्न जलीय संरचनाओं का निर्माण कर भूजल स्तर को बढ़ाया जा रहा है। भूजल की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये भूजल का स्तर और न गिरे इस दिशा में काम किए जाने के अलावा उचित उपायों से भूजल संवर्धन की व्यवस्था हमें करनी होगी। इसके अलावा, भूजल पुनर्भरण तकनीकों को अपनाया जाना भी आवश्यक है। वर्षाजल संचयन (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) इस दिशा में एक कारगर उपाय हो सकता है। हाल के वर्षों में, सुदूर संवेदन उपग्रह-आधारित चित्रों के विश्लेषण तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) द्वारा भूजल संसाधनों के प्रबन्धन में मदद मिली है। भूजल की मॉनिटरिंग एवं प्रबन्धन में भविष्य में ऐसी समुन्नत तकनीकों को और बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के साथ-साथ जन मानस को जल की प्रत्येक बूंद के इष्टतम उपयोग के लिए प्रयास करने होंगे। अन्यथा हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जल संकट से उत्पन्न त्रासदी के जिम्मेवार सिद्ध होंगे।

संदर्भ सूची

1. चतुर्वेदी, एम.सी., वाटर रिसोर्सेज सिस्टम्स प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट, टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, न्यू दिल्ली, 1987
2. बिनीथ द सरफेस : द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वाटर 2019 रिपोर्ट बाय वर्ल्ड एड
3. टॉड, डी.के. एवं मेज, एल.डब्ल्यू., ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, जॉन विल्ली एंड संस, आईएनसी, 2005
4. यूएसजीएस, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे सर्कुलर 1186, डेनवर, कोलोरेडो, 1999
5. सोनवाल, प्रेम, ड्रिंकिंग वॉटर अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट-ए केस स्टडी ऑफ सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, जर्नल ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज, जयपुर, वॉल्यूम 6(01), 2019-2020
6. मीणा, एम.एल. एवं सोनवाल, प्रेम, एंथ्रोपोजेनिक इंफ्लूएन्सेज ऑन वाटर बॉडीज़, पोलूशन एंड देयर मैनेजमेंट : ए ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ वाराणसी अर्बन स्पेस, उत्तर प्रदेश, अनाल्स ऑफ राजस्थान ज्योग्राफिकल एसोसिएशन, भीलवाड़ा, वॉल्यूम न. XXXIV-2017
7. मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जयपुर, स्टेट वाटर पॉलिसी, 2010
8. ग्राउंड वाटर ब्रोशर, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जयपुर 2013
9. डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया -2017, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, फरीदाबाद, 2019
10. ग्राउंड वाटर ईयर बुक 2016-17, राजस्थान स्टेट, सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड, वेस्टर्न रीजन, जयपुर, अगस्त 2017

11. हाइड्रोजियोलॉजिकल एटलस ऑफ राजस्थान, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, राजस्थान, जयपुर एंड रोलता इंडिया लिमिटेड 2013
12. मॉनसून रिपोर्ट-2018, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जयपुर
13. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. इंडिया वाटर पोर्टल.कॉम
14. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. विकीपीडिया.कॉम
15. सिंह, सविंद्र, जल विज्ञान का स्वरूप, प्रवालिका पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2018
16. जाट, बी.सी. एवं कुमार, अजय, जल प्रबंधन भूगोल, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर, 2017
17. कुरुक्षेत्र, सिंचाई और जल संरक्षण, वर्ष 64, नवंबर, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 2017
18. कुरुक्षेत्र, ग्रामीण भारत के लिए पीने का पानी, वर्ष 65, जून, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 2017

Research Reinforcement | **A Peer Reviewed International Refereed Journal** | **ISSN 2348-3857**
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | **Vol. 7, Issue 2** | **Nov. 2019 - April 2020** | **pp. 47-51**

निकोलाई दानिलेवस्की : एक संस्कृति-दार्शनिक

अमित कुमार रैंकवार

शोधार्थी, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

नृतत्वशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, इतिहासकारों, दार्शनिकों, राजनीतिक वैज्ञानिकों एवं कवियों एवं साहित्यकारों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से संस्कृति को परिभाषित एवं व्याख्यायित किया है। दृष्टिकोणों की भिन्नता संस्कृति की परिभाषाओं अथवा अवधारणाओं की भिन्नता का कारण है। बीसवीं शताब्दी से इतिहास-लेखन के अन्तर्गत राजनीतिक इतिहास की बजाय सांस्कृतिक इतिहास महत्त्वपूर्ण बन जाता है। व्यापक विषयवस्तु के अन्तर्गत सम्पूर्ण सभ्यता-संस्कृति संबंधी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि पक्ष अतीत के अध्ययन का केन्द्र बनते हैं। इस नवीन दृष्टि का श्रेय दानिलेवस्की को दिया जाता है। अपने परिकल्पनात्मक दर्शन द्वारा वे इतिहास के जिज्ञासुओं को अतीत की नई अन्तर्दृष्टि प्रदान करते हैं एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों की सहायता से श्रेष्ठतर इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में रूसी विचारक निकोलाई दानिलेवस्की ने संस्कृतियों के तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन की नींव डाली थी, ऐसा कहा जा सकता है। सही अर्थों में दानिलेवस्की पहले ऐसे इतिहास-दार्शनिक थे जिन्होंने संस्कृतियों के तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन को सुदृढ़ आधार पर प्रतिष्ठित किया। दानिलेवस्की के मतानुसार यूरोप एक भौगोलिक इकाई नहीं है, वरन् जर्मन-रोमन संस्कृति का क्षेत्र है। यूरोप और जर्मन-रोमन संस्कृति समानार्थक हैं, यह संस्कृति विश्व की एक मात्र संस्कृति नहीं है। इसके समान और भी संस्कृतियाँ रही हैं और है। इस संस्कृति के उत्थान-पतन और उन्नति-अवनति के क्रम का शेष विश्व से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहा। उक्त सन्दर्भ में दानिलेवस्की की प्रमुख स्थापनाओं को स्पष्ट करते हुए उनके संस्कृति-दर्शन का प्रस्तुतिकरण ही शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

संकेताक्षर : *नृतत्त्वशास्त्री, इतिहास-लेखन, जर्मन-रोमन संस्कृति, इतिहास-दार्शनिक*

प्रस्तावना

बीसवीं शताब्दी से इतिहास लेखन के अन्तर्गत राजनीतिक इतिहास की बजाय सांस्कृतिक इतिहास महत्त्वपूर्ण बन जाता है। व्यापक विषयवस्तु के अन्तर्गत सम्पूर्ण सभ्यता-संस्कृति संबंधी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि पक्ष अतीत के अध्ययन का केन्द्र बनते हैं। इतिहास की कोई एक सर्वस्वीकृत अवधारणा नहीं है। इसका कारण इतिहास-बोध का संस्कृति-सापेक्ष होना है। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में इतिहास की भिन्न-भिन्न अवधारणायें मिलती हैं। आधुनिक विचारकों में रूसी प्रकृतिवादी निकोलाई दानिलेवस्की (1822-1885) प्रथम प्रकृतिवादी विज्ञानी थे, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के सांस्कृतिक विज्ञानियों की प्रणाली के समान ही सभ्यताओं के उत्थान एवं पतन के इतिहास के दर्शनशास्त्र का प्रतिपादन किया। दानिलेवस्की ने इतिहास-दर्शन पर 'स्लाव और जर्मन-रोमन जगत् के राजनीतिक सम्बन्धों पर एक दृष्टि' तथा 'रूस और यूरोप' नामक अमरकृतियों का प्रणयन किया। ये ग्रन्थ दानिलेवस्की की प्रखर प्रतिभा और प्रकाण्ड पाण्डित्य का निदर्शन हैं। एच. स्टुअर्ट ह्यूज के अनुसार दानिलेवस्की वह विचारक है, जिसने स्पेंगलर के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप से पूर्वानुमान लगाया। और हम यह भी कह सकते हैं कि टॉयन्बी के सिद्धान्तों का भी। प्रोफेसर सोरोकिन यह टिप्पणी करते हैं : उसके सिद्धान्त की वैचारिक रूप-रेखा स्पेंगलर और टॉयन्बी के सिद्धान्तों से इतनी समानता रखती है कि इसे स्पेंगलर और टॉयन्बी के सिद्धान्तों के पूर्वगामी के रूप में संक्षिप्त सारांश में प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है। यह समानता इतनी असाधारण है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे दानिलेवस्की के उत्तराधिकारियों ने उसकी इस ऐतिहासिक रूपरेखा की जटिल रचना का केवल अनुसरण किया है।

दानिलेवस्की इतिहास के क्षेत्र में एक प्रत्यक्ष कार्य प्रणाली के साथ आते हैं। वह क्यूवीरिअन परम्परा के वनस्पति वैज्ञानिक थे, और ऐतिहासिक चक्रों की जैविक विवेचना को सामने लाना उसके लिये आसान था। यह बताना आवश्यक है कि दानिलेवस्की इकाइयों के 'ऐतिहासिक-सांस्कृतिक प्रकारों' के संचालन एवं गतिकी की व्याख्या केवल इन्हीं (सिद्धान्तों) की खातिर नहीं करते। तुलनात्मक आकृति विज्ञान उसकी पुस्तक 'Russia and Europe' के केवल 1/6 वें हिस्से का निर्माण करता है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य इस तथ्य की व्याख्या करना है कि यूरोप एवं पश्चिम, रूस के विरोधी क्यों रहे? और इसका उद्देश्य इस बात की व्याख्या करना भी है कि दानिलेवस्की के इतिहास के दर्शन को कैसे और आगे ले जाया जाये।

दानिलेवस्की यह मानते हैं : यूरोप रूस को अपना हिस्सा नहीं मानता। यूरोप रूस और स्लावों में सामान्यत: उन चीजों को देखता है जो उससे अलग हों और साथ ही कुछ ऐसी सामग्री भी देखता है जिसे यूरोप के लाभ हेतु काम में नहीं लिया जा सकता हो। चूंकि यूरोप चीन एवं भारत का लाभ उठाता है, अफ्रीका व अमेरिका के एक बड़े हिस्से को काम में लेता है, वह एक ऐसी सामग्री की तलाश करता है जिसे स्वयं की छवि एवं कार्यप्रणाली देकर प्रचलन में ला सके। यूरोप रूस व स्लावी भावना में न केवल एक विदेशी बल्कि एक विरोधी शक्ति को देखता है। प्रोफेसर टॉयन्बी इस बिन्दु पर दानिलेवस्की से सहमत हैं। वह 'Civilization on Trial' में लिखते हैं, दो ईसाई जगतों के मध्य लम्बे युद्ध के शताब्दियों के इतिहास की कथाओं में यह सत्य प्रतीत होगा कि रूसी लोग आक्रान्ताओं का शिकार कर रहे हैं, और पश्चिमवासी जो कि आक्रान्ता हैं, उनकी अपेक्षा में रूसी अधिक शिकार कर रहे हैं।

दानिलेवस्की यह मानते हैं कि इस प्रतिरोध का कारण तार्किक रूप से समझने योग्य नहीं है। यह जनजातीय सहानुभूति एवं द्वेष उन अथाह गहराइयों में निहित है जो कि लोगों में एक प्रकार की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के रूप में दिखाई देती है और उन्हें एक अज्ञात लक्ष्य की ओर ले जाती है। यही अचेतन प्रवृत्ति रूस के प्रति यूरोप की घृणा के लिये उत्तरदायी है।

इसीलिये रूस के प्रति यूरोप की घृणा में कुछ भी चेतन नहीं है। क्योंकि इतिहास की प्रक्रिया एक पक्षीय मानव योजना, जो कि द्वितीयक प्रतिमानों के द्वारा निर्धारित होती है, के अनुसार आगे नहीं बढ़ती बल्कि यह अचेतन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के अनुसार आगे बढ़ती है। दानिलेवस्की के अनुसार यूरोप केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि यह समग्र रूप से भौगोलिक-सांस्कृतिक संस्था है। यह जर्मन-रोमन सभ्यता का क्षेत्र है या यूरोप अपने आप में जर्मन-रोमन सभ्यता भी है। यह दोनों शब्द समानार्थी हैं परन्तु जर्मन-रोमन सभ्यता सार्वभौमिक नहीं है। उदाहरणार्थ रूस यूरोप से सम्बन्धित नहीं है। रूस का एक हिस्से के रूप में समावेश या उसकी पहचान गलत अवधारणाओं पर आधारित है- यह कि यूरोपीय सभ्यता सर्वव्यापी है ओर सभी ऐतिहासिक घटनाओं को प्राचीन, मध्यकालीन व आधुनिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। दानिलेवस्की सभ्यताओं की उत्पत्ति के विसरण सिद्धान्त पर यह कहते हुये विराम लगाते हैं कि इतिहास के अध्ययन की कोई एक इकाई नहीं है। यूरोपीय सभ्यता कोई विशिष्ट सभ्यता नहीं है बल्कि इसके कई सांस्कृतिक-ऐतिहासिक प्रकार व्याप्त हैं और ये सभी इकाइयां अपने प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल को निहित रखती हैं। उदाहरणार्थ रोम के पतन को लीजिये। यह अब तक की एक महत्त्वपूर्ण घटना है क्योंकि यह पारम्परिक संसार के प्राचीन इतिहास की समाप्ति तक लेकर आती है। परन्तु रोम का पतन भारत, चीन या अरब के इतिहास से सम्बन्धित समय नहीं है। विश्व इतिहास की कोई भी घटना प्रत्येक सभ्यता के इतिहास के क्षेत्रों को विभक्त करने में किसी भी प्रकार से महत्त्वपूर्ण नहीं है। यहां तक कि ईसाइयों का उद्भव भी नहीं। दानिलेवस्की कहते हैं-

साधारणत: ऐसी कोई भी घटना नहीं है मानवजाति के प्रारब्ध को तर्कसंगत रूप से इस प्रकार विभक्त कर सके कि वह सम्पूर्ण मानवजाति पर लागू होती हो। क्योंकि न तो कभी ऐसी घटना हुई है और न ही कभी होगी, जो इस तथ्य से समसामयिक रूप से समान अर्थ रखती हो तथा सम्पूर्ण मानवजाति के लिये समान महत्व रखती हो

युगों (काल) के प्राचीन, मध्यकाल एवं आधुनिक काल के कालक्रम विभाजन के अनुसार यूरोपीय इतिहास के प्राचीन काल में जन्मा प्रत्येक महान् पुरुष एक कालानुक्रमिक समूह से सम्बद्ध था, भले ही उसका जन्म चीन, भारत या फारस में ही क्यों न हुआ हो। दानिलेवस्की कहता है कि इस प्रकार का विभाजन उसी विभाजन के समरूप होता है जो कि एक कौए एवं एक घोंघे को एक ही प्रजाति में रखता है। क्योंकि उन दोनों के ही चार टांगे नहीं हैं। सही रूप में कहा जाये तो रोम, यूनान, भारत, मिस्र व अन्य सभी सभ्यताओं के अपने प्राचीन, मध्यकाल एवं आधुनिक काल थे। अन्य किसी जीव की तरह इनकी भी वृद्धि (विकास) की अपनी अवस्थायें थीं यद्यपि इन अवस्थाओं की संख्या आवश्यक रूप से तीन नहीं है।

जिस प्रकार से अब हम वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान में जीवों के विकास की रेखीय क्रम (संरचना) के बारे में बात नहीं करते

और उन्हें उच्च व निम्न प्रजाति के रूप में विभाजित न करके संघटन के पृथक एवं विशिष्ट तन्त्र के रूप में विभक्त करते हैं, ऐसा ही सभ्यताओं के साथ होता है। ऐसी एक नहीं अनेकों सभ्यतायें हैं जो कि अपने आप में पूर्ण हैं। प्रत्येक की अपनी जीवन-अवधि में प्राचीन, मध्य व आधुनिक काल की अवस्थायें हैं। इसीलिये दानिलेवस्की, जैसे कि वे स्पेंगलर के सिद्धान्त का पूर्वानुमान लगा रहे हों, कहते हैं कि इतिहास की स्वाभाविक प्रणाली (तंत्र) इतिहास के विभाजनों के आधार के रूप में विकास के सांस्कृतिक-ऐतिहासिक प्रकारों के मध्य अन्तर में निहित होता है। जब दानिलेवस्की यह कहता है कि प्रत्येक सभ्यता जन्म लेती है, अपनी आकृति एवं मूल्यों का विकास करती है और फिर किसी अन्य सभ्यता के द्वारा अपने विशिष्ट और आवश्यक रूप को जारी रखे बिना ही समाप्त हो जाती है। हम क्रोबर से सहमत हो सकते हैं कि हमें यहां स्पेंगलर के धर्म सम्बन्धी (कट्टर) अंतर्ज्ञान से भरे हुये विचारों का सार प्राप्त होता है। स्पेंगलर की उच्च संस्कृतियों के समान दानिलेवस्की के समग्र सांस्कृतिक-ऐतिहासिक विचार, जीवन का सार एवं अवस्थाओं को भी रखते हैं जो कि स्पेंगलर की अवस्थाओं अर्थात् बाल्यकाल, यौवन, परिपक्वता, पतन एवं मृत्यु के समान हैं।

दानिलेवस्की लोगों को तीन रूपों में वर्गीकृत करते हैं :-

(1) इतिहास के वास्तविक प्रतिनिधि जो मुख्य रूप से ऐतिहासिक प्रकार के हैं। इस प्रकार हैं- (i) मिस्रवासी (ii) असुरी-बेबीलोनियाई-फिनिशी-कैल्डियाई या प्राचीन शामी (iii) चीनी (iv) हिन्दू (v) ईरानी (vi) हिब्रू (vii) यूनानी (viii) रोमन (ix) नव-शामी अथवा अरबी (x) जर्मन-रोमन अर्थात् यूरोपीय।

इनमें से प्रत्येक सांस्कृतिक-ऐतिहासिक इकाई अपनी-अपनी क्षमतायें एवं आध्यात्मिक प्रकृति रखती है। दानिलेवस्की भी सभ्यताओं की विशेषता एकांत और परम्परागत (आनुक्रमिक) या संक्रामक सभ्यताओं के मध्य अन्तर प्रस्तुत करता है या उन प्रकारों में अन्तर प्रस्तुत करता है जिनकी क्रियाविधि के लाभ एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में प्रसारित होकर उन स्थानों के लिये एक पोषण या उर्वरक का कार्य करेंगे जिनमें कि आने वाली सभ्यतायें विकसित होंगी।

(2) इतिहास के नकारात्मक (अवास्तविक) प्रतिनिधि- वे लोग जो सभ्यताओं का सृजन नहीं करते बल्कि इसके विपरीत पतित होती हुई सभ्यता पर एक संघातक प्रहार करते हैं। प्रतिपालक के रूप में वे जीर्ण-शीर्ण सभ्यता पर अतिक्रमण करते हैं। हूण, मंगोल, तुर्क इत्यादि इसी श्रेणी में आयेंगे। दानिलेवस्की इन्हें 'ईश्वर की चाबुक' कहते हैं। इस नकारात्मक कार्य को करने के बाद वे इतिहास के इस मंच से गायब होकर शून्यता की विस्मृति में चले जाते हैं।

(3) दानिलेवस्की तीसरे प्रकार के लोगों को नृजातीय सामग्री कहते हैं, अर्थात वे लोग जिनकी वृद्धि को प्रारम्भिक अवस्था में ही रोक दिया जाता है। इस वर्ग के लोग दो प्रकार के होते हैं- प्रथम प्रकार के वे लोग होते हैं जिनके सृजनात्मक प्रतिनिधि अपनी समृद्धि और के लिये व्यवहार करते हैं (इस प्रकार के वर्ग में गैर-ऐतिहासिक एवं जनजातीय लोग आते हैं) एवं दूसरी ओर एक पतित सभ्यता नृजातीय सामग्री तक भ्रष्ट हो सकती है और इसे अन्य लोगों के द्वारा इतिहास का सकारात्मक प्रतिनिधि बनने के लिये एक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद लोग नृजातीय सामग्री के रूप में विघटित हो गये किन्तु बाद में जर्मन-रोमन सभ्यता के सृजन में सहायता की।

एक प्रत्यक्षवादी के रूप में अपेक्षित दानिलेवस्की ने अपनी ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संस्था के जीवन में उत्थान एवं पतन, समरूपता एवं विषमताओं की व्याख्या करते हुये विशिष्ट सिद्धान्तों का पालन किया। जो निम्नलिखित हैं -

नियम (i) प्रत्येक जनजाति या मनुष्यों का वर्ग जिसे गहन भाषा विज्ञान अन्वेषण के बिना भाषा या भाषाओं के समूह की समरूपता के द्वारा प्रत्यक्षत: अनुभव किया जाता है, यदि वह मानसिक या आध्यात्मिक रूप से इतिहास के विकास को समझने योग्य एवं अपने प्रारम्भिक काल (बाल्यावस्था) से बाहर आ चुके हों तो ये एक वास्तविक ऐतिहासिक-सांस्कृतिक प्रारूप का निर्माण करते हैं।

नियम (ii) अगर किसी संभावित सभ्यता का आगे जन्म एवं विकास होना है तो यह आवश्यक है कि लोग राजनैतिक स्वतन्त्रता का लाभ उठायें।

नियम (iii) किसी एक ऐतिहासिक-सांस्कृतिक प्रकार की सभ्यता के मूलभूत सिद्धान्त किसी दूसरी ऐतिहासिक-सांस्कृतिक सभ्यता में संचार्य नहीं हैं। प्रत्येक प्रकार किसी विदेशी सभ्यता के वृहद् या लघु प्रभाव व पूर्वगामी अथवा समकालीन सभ्यताओं के तहत अपनी स्वयं की सभ्यता का सृजन करता है।

नियम (iv) एक निश्चित ऐतिहासिक-सांस्कृतिक प्रकार की सभ्यता अपनी पूर्णता, विविधता एवं प्रचुरता तक केवल तब पहुंचती है जब इसकी नृजातिय सामग्री विविधतापूर्ण हो तथा किसी राजनैतिक निकाय के द्वारा इनको समाप्त न किया गया हो बल्कि इनके द्वारा स्वतन्त्रता का लाभ उठाया जाये एवं राज्यों के राजनैतिक परिसंघ का निर्माण किया जाये।

नियम (v) ऐतिहासिक-सांस्कृतिक प्रकार की सभ्यताओं का मार्ग उन स्थायी सभ्यताओं के जीवन-चक्र के समान होता है जिनकी वृद्धि अनियमित रूप से समाप्त हो जाती है, परन्तु इनका परिपक्वता काल तुलनात्मक रूप से संक्षिप्त होता है तथा एक ही समय पर सभी के लिये समाप्त हो जाता है।

तृतीय सिद्धान्त स्पेंगलर के सांस्कृतिक सिद्धान्त के समीप होने के कारण उल्लेखनीय है। किन्तु जैसा कि द्वितीय कथन दर्शाता है यह स्पेंगलर से एक भिन्नता रखता है। जैसा कि प्रोफेसर सोरोकिन आकलन करते हैं, उसका तृतीय सिद्धान्त केवल उन सभ्यताओं पर लागू होता है, उनकी आवश्यक विशेषताओं के साथ एक समग्र के रूप में लिया जाता है। यह सिद्धान्त किसी सभ्यता के तत्त्वों पर लागू नहीं होता। तीन तरीकों से विसरण (विस्तार) हो सकता है- प्रथम और सरलतम - औपनिवेशीकरण, दूसरा संशोधन के द्वारा। विसरण के इस द्वितीयक सिद्धान्त की यह प्रचलित व्याख्या दोषपूर्ण है। प्रोफेसर सोरोकिन यह टिप्पणी करते हैं कि यह सिद्धान्त इस तथ्य को भुला देता है कि कलम लगा हुआ संशोधित अंकुर या कली एवं वह पौधा जिसमें इसे प्रवेशित किया गया है, वैसे ही बने रहते हैं जैसे कि वे कलम लगाये जाने से पूर्व थे। कलम लगाकर हम केवल इस पौधे को अंकुर (बीज) प्राप्त करने के एक माध्यम (स्रोत) में बदल देते हैं। यह अंकुर उस पौधे में जिसका कि यह परजीवी के समान शोषण करता रहता है, एक पृथक निकाय के रूप में बना रहता है। वही पौधा जिससे कि यह अपना पोषण प्राप्त करता है, उसी में काट लगाना एवं शोषण प्रारम्भ कर देता है, जिस पौधे में इसे कलम द्वारा लगाया गया था।

तीसरा तरीका जिससे कि एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को प्रभावित करती है, वह उर्वरण या पारस्परिक पर-उर्वरण के द्वारा होता है। किन्तु दानिलेवस्की के अनुसार एक सभ्यता अत्यधिक चयनात्मक (प्रवरणशील) संरचना होती है और उन गुणों को प्राप्त नहीं करती जो उसके स्वयं के आधारभूत गुणों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करते।

दानिलेवस्की की ऐतिहासिक-सांस्कृतिक इकाइयों की जीवन-अवधि की अवस्थाओं की रूपरेखा 20वीं शताब्दी के संस्कृति विज्ञानियों की रूपरेखा के समान है। मुख्य रूप से यह स्पेंगलर के जैवीय सादृश्य पर आधारित संस्कृति कालों के प्रतिपादन के समकक्ष है। पहली अवधि नृजातीय रूप से एक निश्चित प्रतिकृति के रूप तक जाने की लम्बी प्रस्तुति है। द्वितीय अवस्था में राजनैतिक एवं सांस्कृतिक एकात्मकता स्थापित की जाती है। तृतीय अवस्था पुष्पन (वृद्धि) की है, जो किसी संस्कृति की सम्भावनाओं को सामने लाती है।यही सभ्यता का काल (अवधि) होती है, एवं सभी आदर्श तथा मूल्य अनुभव किये जाते हैं। यह काल एक संस्कृति की सृजनात्मक शक्ति को समाप्त कर देता है। यह 400 से 600 वर्षों तक चलता है। इसके बाद पतन प्रारम्भ होता है; सभ्यता बिना किसी आगामी प्रयास के आराम करती है।

दानिलेवस्की आगे यह समीक्षा करता है कि प्रत्येक सभ्यता केवल एक क्षेत्र में सृजनात्मक होती है, तथा कोई भी सभ्यता बहुज्ञ नहीं होती। यूनानी सभ्यता दूसरों से अधिक सौन्दर्य प्रेमी थी; आधुनिक यूरोपीय सभ्यता विज्ञान व तकनीकी में सृजनशील है। इसी क्रम में चीन क्रियात्मक तथा भारत आध्यात्मिक है। किसी सभ्यता द्वारा अपनी सामर्थ्य के दोहन (लाभ उठाना) के कार्य को पूर्ण करने के बाद, यह एक सृजनात्मक समग्र (पूर्ण इकाई) के रूप में पतित होने को विवश हो जाती है।

दानिलेवस्की ने ऐतिहासिक प्रक्रिया की रैखीय गति पर विश्वास नहीं किया, इतिहास बहुरैखीय एवं बहुदिशात्मक होता है। प्रत्येक सभ्यता ने केवल कुछ ही मूल्यों का अनुभव किया एवं कोई भी सभ्यता इस बात की शेखी नहीं मार सकती कि उसने किसी अन्य सभ्यता की अपेक्षा इन मूल्यों को एक अधिक सीमा तक अनुभव किया।

प्रोफेसर सोरोकिन, दानिलेवस्की के एक अन्य सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार करते हैं - पतन एवं विघटन की अवस्था उन्नति के पश्चात् आती है और यह अपेक्षित समय से कुछ पहले ही अवस्थित हो जाती है।

दानिलेवस्की प्राकृतिक विज्ञानों से एक सादृश्य का प्रयोग करते हुये इसकी व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं- सूर्य का चरम बिन्दु दोपहर के समय होता है। परन्तु इसके मख्य स्रोत (सूर्य की ऊष्मा) में गिरावट होने के तीन-चार घंटे तक भी इसकी ऊष्मा बढ़ती रहती है। इसी प्रकार से एक मनुष्य अपनी भौतिक एवं नैतिक शक्ति के पूर्ण विकास तक तब पहुँचता है जब वह लगभग 30 वर्ष का होता है। इस दौरान इस विकास के परिणाम अपने आप को 40 वर्ष की आयु के पश्चात् पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं। (सामान्य रूप से) प्रभावों या कारणों के सर्वोच्च विकास का क्षण, जो कि प्रभावों की एक निश्चित श्रृंखला का निर्माण करता है, उन प्रभावों की सर्वाधिक प्रचुरता से मेल नहीं खाता जो इन प्रभावों के क्रमिक विकास का अनुसरण करता है। इन प्रभावों की उच्चतम सीमा बिन्दु का समय इन कारणों के उच्चतम विकास के समय के सामान्यत: काफी समय के पश्चात् आता है। सोरोकिन कहते हैं, यहाँ हमें उस समीकरण एवं भारतीय ग्रीष्मकाल का अनुमान है जिस पर स्पेंगलर और टॉयन्बी के द्वारा समान रूप से बल दिया गया है।

यह दानिलेवस्की के सभ्यता के वृहद् समाजशास्त्रीय सिद्धान्त का सार है। आश्चर्यजनक रूप से यह स्पेंगलर की रचनाओं से परिचय के बाद ही हुआ कि यूरोप की दानिलेवस्की में रुचि जागृत हुई। क्रोबर के अनुसार दानिलेवस्की के सिद्धान्त की तीन अवधारणायें हैं-

प्रथम अवधारणा यह थी कि प्रत्येक प्रमुख सभ्यता एक प्रकार के मूल रूप, विशिष्ट अविलेयशील तथा अपनी ही एक मुख्य योजना पर निर्मित थी। यह पूर्व-डार्विनवादी जीवविज्ञान के सादृश्य पर आधारित हैं। परन्तु जहाँ तक मैं जानता हूँ दानिलेवस्की, स्पेंगलर से आधी सदी पूर्व मानव इतिहास एवं संस्कृति के विचार को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह निश्चित रूप से बहुलवादी किन्तु गैर चक्रीय दृष्टिकोण है। द्वितीय अवधारणा यह थी कि सभ्यताओं का जीवन सीमित होता है और ये एक दूसरे को प्रतिस्थापित करती हैं। यह साम्राज्यीय विचार का प्राचीन उत्थान एवं पतन है जो कि इस शब्द (चक्रीय) के कम से कम एक भाव में होता है। यहाँ दानिलेवस्की का योगदान साम्राज्यों से सभ्यताओं के विचार की प्रासंगिकता पर ध्यान केन्द्रित करना था। तृतीय अवधारणा यह थी कि दानिलेवस्की ने माना कि सभ्यताओं के सामान्य गुणों के साथ-साथ विशिष्ट गुणों का विवेचनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन इतिहास की एक गहरी समझ तक ले जायेगा। इन विचारों में पहला एवं तीसरा विचार नये थे और उसने दूसरे विचार के केन्द्र बिन्दु को बदल दिया था।

निष्कर्ष

सारतः दानिलेवस्की की स्थापनाओं के विषय में कहा जा सकता है कि प्रत्येक संस्कृति का अपना जीवन है। यह समय पूरा होने पर क्षीण होती है। इसके सब अंग-प्रत्यंग अवयवित्व के सूत्र में बँधे होते हैं। उन सब पर इसके विशिष्ट व्यक्तित्व की छाप होती है। इसका उत्थान-पतन उन सबके विकास-ह्रास में प्रतिबिम्बित होता है। सांस्कृतिक इतिहास का क्रम रेखात्मक नहीं होता वरन् वृत्तात्मक होता है। यूनानी काल से आज तक के इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन भागों में बाँटना भ्रामक है। प्रत्येक संस्कृति के अपने-अपने अलग प्राचीन, मध्य और अर्वाचीन काल रहे हैं। जब एक संस्कृति अपना वृत्त पूरा कर लेती है तो इसके स्थान पर अन्य नवीन संस्कृति का आविर्भाव होता है। इस प्रकार मानव-इतिहास सांस्कृतिक वृत्तों का समूह है। उन्होंने यूरोप को केन्द्र मानकर मानवता के सार्वभौम इतिहास की अवधारणा का खंडन करके इतिहास को यूरोप केन्द्रता से मुक्त करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार, मानवता एक वैश्विक इकाई रूप में अस्तित्त्वमान नहीं है इसलिये विश्व इतिहास संभव नहीं है। न ही यूरोप को ऐसे किसी इतिहास का केन्द्र माना जा सकता है। इसलिये प्राचीन-मध्य-आधुनिक काल में इतिहास के विभाजन की परम्परागत योजना पूर्णतया सारहीन है। क्योंकि यह विभाजन यूरोप के इतिहास का ही किया गया है। अन्य महान संस्कृतियां - मिस्री, बेबिलोनियाई, भारतीय, चीनी, अरबी आदि - भी उतनी ही विशिष्ट हैं जितनी कि यूरोपीय। और विश्व इतिहास के उतने ही केन्द्र हैं जितनी ये उच्च अथवा महान संस्कृतियां।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाण्डे, डॉ. जी.सी., द मीनिंग एण्ड प्रोसेस ऑफ कल्चर, राका प्रकाशन, इलाहबाद, 1989, पृ.सं. 2-3
2 ह्यूज, स्टुअर्ट, ऑसवाल्ड स्पेंगलर, ट्रांजेक्शन पब्लिशर्स, लंदन, 1991, पृ.सं. 44
3. सोरोकिन, पिट्रिम ए., सोश्योलोजिकल थिअरिज ऑफ टुडे, हार्पर एडिशन, 1966, पृ.सं. 178
4. सोरोकिन, पिट्रिम ए., सोश्योलोजिकल थिअरिज ऑफ एन एज ऑफ क्राइसिस, बीकन प्रैस, बोस्टन, 1950, पृ.सं. 168
5. उपर्युक्त, पृ.सं. 169
6. डॉ. बुद्धप्रकाश, इतिहास-दर्शन, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 1962, पृ.सं. 285
7. उपर्युक्त, पृ.सं. 283
8. क्रोबर, ए., स्टाइल एण्ड सिविलाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रैस, न्यूयार्क, 1957, पृ.सं. 115
9. उपर्युक्त, पृ.सं. 186
10. सोरोकिन, पिट्रिम ए., सोश्योलोजिकल थिअरिज ऑफ टुडे, हार्पर एडिशन, 1966, पृ.सं. 185
11. सोरोकिन, पिट्रिम ए., सोश्योलोजिकल थिअरिज ऑफ एन एज ऑफ क्राइसिस, बीकन प्रैस, बोस्टन, 1950, पृ.सं. 327-328
12. उपर्युक्त, पृ.सं. 328
13. क्रोबर, ए., पूर्वोक्त, पृ.सं. 117
14. कोंकिन, पॉल के. व स्ट्राम्बर्ग, रोलैण्ड एन., हैरिटेज एण्ड चेलैंज ऑफ हिस्ट्री, फोरम प्रैस, अर्लिंगटन हाइट्स, इलीनोइस, 1971, पृ.सं. 42-43

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 52-58

भारतीय राजनीति में राज्यपाल की भूमिका और उसकी कार्यप्रणाली : एक विवेचनात्मक अध्ययन

ISSN 2348-3857

डॉ. डी.आर. शर्मा
प्राचार्य, इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, मुण्डावर, अलवर (राजस्थान)
डॉ. कीर्ति शर्मा
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री भवानी निकेतन पी. जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश
भारतीय राजनीति में राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य विभिन्न अवसरों पर तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। चतुर्थ आम चुनावों के पश्चात राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र, नियुक्ति के तरीके आदि को लेकर केन्द्र तथा राज्यों में मतभेद उत्पन्न हुए हैं। राज्यपाल का पद संदेह के घेरे में हो और ऐसा लगे कि वे किसी राजनीतिक पक्ष की ओर झुक रहा है या उससे संलग्न है, तो इस स्थिति में सही प्रतीत होने वाले निर्णयों पर, उनकी निष्पक्षता तथा ईमानदारी पर प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं। राज्यपाल का पद और राजभवन इस समय विवाद के विषय बन गए हैं, राजभवनों के गिरते हुए स्तर के सम्बन्ध में कतिपय विद्वानों का मानना है कि राज्यपाल के पद को ही समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ-साथ यह पद अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल की उपयोगिता समाप्त हो गई है। जो व्यक्ति राजनीति के लिए उपयोगी नहीं रह जाता है तथा जो चुनाव जीतने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको राजभवन में बिठा दिया जाता है। इस संदर्भ में समय-समय पर यह मांग उठती रही है कि गैर राजनीतिक और निष्पक्ष व्यक्ति को ही राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

संकेताक्षर : *संवैधानिक परम्परा, न्यायिक सक्रियता, राजनीतिक नैतिकता, राजनीतिक संरक्षण*

प्रस्तावना

भारतीय संविधान में राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है तथा वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद् होती है। सातवें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद- 163 के अन्तर्गत राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद- 154 में उल्लिखित है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से करेगा।[1] राज्यपाल की शक्तियां राज्य सूची में उल्लिखित शक्तियों से सम्बन्धित हैं। समवर्ती सूची में उपलब्ध शक्तियों के सम्बन्ध में राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श के आधार पर कार्य किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मंत्रिमण्डल के सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराने का मुख्यमंत्री का कर्त्तव्य है। राज्यपाल के द्वारा किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ रखने के लिए कहा जा सकता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य करता है। कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद-163 के अर्न्तगत राज्यपाल को कतिपय विवेकाधिकार शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस प्रकार की शक्तियों के प्रयोग के निर्णय राज्यपाल के द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार स्वविवेक से लिए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद- 200 के अन्तर्गत राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने से रोकने की शक्ति प्रदान की गई है। वह राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की सूचना राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की यह

शक्ति असीमित नहीं है। राज्यपाल की इस शक्ति के सम्बन्ध में संविधान सभा को सम्बोधित करते हुए सरदार बल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ''राज्यपाल की विशेषाधिकार शक्तियां सीमित होंगी, राज्य में शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में ही उसके द्वारा राष्ट्रपति को सूचना प्रेषित की जा सकेगी।''[2] राज्यपाल को संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में कतिपय कार्यों के सम्बन्ध में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। आसाम सरकार एवं स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद् के मध्य खानों से होने वाली आय के विभाजन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद का निर्णय वहां के राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा भी राज्यपाल को कुछ विशेष कार्य पूर्ण करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए राज्यपाल को किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य विधानसभा में यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो, राज्यपाल के लिए कार्य आसान हो जाता है। बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो, राज्यपाल के द्वारा अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाता है। जिसे राज्यपाल यह समझे कि वह अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। किसी भी राजनीतिक दल के पास पर्याप्त बहुमत नहीं होने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल के द्वारा सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाए। नैतिकता के आधार पर यह आवश्यक है कि राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, लेकिन अनेक अवसरों पर इसका खुला उल्लंघन किया गया है। सन् 2017 के गोवा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 16 सीट लेकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन राज्यपाल मृदुला सिन्हा के द्वारा इस दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया। उसी प्रकार इसी वर्ष हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने 28 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल का दर्जा प्राप्त किया तथा भाजपा को कुल 21 स्थान प्राप्त हुए, लेकिन राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के द्वारा कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। अधिकांश अवसरों पर यह देखने को मिला है कि राज्यपालों के द्वारा दलीय विचारधारा के प्रति वफादारी का ही परिचय दिया गया है।

राज्यपाल को मंत्रिमण्डल भंग करने का भी अधिकार प्राप्त है। वह मंत्रिमण्डल को भंग करके राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। यदि राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो कि मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है तो, उसके द्वारा मुख्यमंत्री को निर्धारित समय में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा सकता है। नागालैंड के मुख्यमंत्री लिजीत्सु के द्वारा विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं करने के कारण राज्यपाल पी. बी. आचार्य के द्वारा उन्हें बर्खास्त किया गया तथा उनकी जगह टी.आर. जेलियांग को मुख्यमंत्री बनाया गया। टी.आर. जेलियांग के द्वारा विधानसभा में 21 जुलाई 2017 को विश्वास मत प्राप्त किया। मुख्यमंत्री के द्वारा निर्धारित समय में अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है तो, राज्यपाल के द्वारा मंत्रिमण्डल को भंग किया जा सकता है। यदि राज्य का मंत्रिमण्डल संवैधानिक नियमों और परम्पराओं के विरुद्ध कार्य करता है तथा कोई ऐसा कार्य करता है, जिससे देश की एकता और अखण्डता खतरे में पड़ने की संभावना हो तो, राज्यपाल के द्वारा मंत्रिमण्डल को भंग किया जा सकता है।

अनुच्छेद 356 और विवादास्पद स्थिति : केन्द्र के द्वारा संविधान के उपबन्ध 356 का अब तक 111 से भी अधिक बार प्रयोग किया गया है। प्रथम बार सन् 1951 में पंजाब में भार्गव मंत्रिमण्डल के पतन के फलस्वरूप इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। भारतीय राजव्यवस्था में अनुच्छेद-356 काफी विवादास्पद रहा है, इसके परिणामस्वरूप केन्द्र-राज्य सम्बन्ध काफी प्रभावित होते रहे हैं। सरकारिया आयोग ने इस विषय पर विचार करते हुए पाया कि मंत्रिमण्डल को विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद 13 मामलों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया, ऐसे 15 मामलों में जिनमें मंत्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया था, अन्य दावेदारों को वैकल्पिक सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया और न ही उन्हें विधानसभा में अपने बहुमत समर्थन का परीक्षण देने का अवसर प्रदान किया गया। सरकारिया आयोग ने केवल 26 मामलों में ही राष्ट्रपति शासन लागू करने को अपरिहार्य माना है।[3] संविधान के अनुच्छेद-356, जिसके अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है, अब तक इसका बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। भारतीय संघ व्यवस्था में अनुच्छेद-356 के इतने अधिक प्रयोग को उचित नहीं माना जा सकता है। बिहार में फरवरी 2005 के चुनाव में जब लालू यादव के समक्ष राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया था, उस समय तत्कालीन राज्यपाल एवं केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के द्वारा निर्वाचित विधानसभा को भंग कर दिया गया था। लालू यादव ने आरोप लगाया कि लोजपा के विधायकों को

खरीदकर राजग द्वारा राज्य में सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय के एक संक्षिप्त आदेश के द्वारा 24 मई 2005 को बिहार विधानसभा भंग करने की अनुशंसा और केन्द्र सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति को असंवैधानिक माना, लेकिन न्यायालय ने निलंबित विधानसभा को पुनर्जीवित करने से इनकार कर दिया था।[4] पिछले अनेक वर्षों से अनुच्छेद-356 का प्रयोग लगातार किया जाता रहा है। सरकारें जिस भी दल की रही हों, अनुच्छेद-356 के सम्बन्ध में इनके द्वारा मनोनुकूल व्याख्याएं की गई हैं। संविधान निर्माताओं के द्वारा संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में किसी निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करने के प्रावधानों पर व्यापक चर्चा की गई थी। संविधान विशेषज्ञ डॉ. सुभाष कश्यप का इस संदर्भ में कहना है कि, ''निश्चित रूप से राष्ट्रपति के समाधान का अर्थ है-संघ सरकार का शासन और राष्ट्रपति का शासन। राष्ट्रपति का शासन वस्तुत: संघ सरकार का ही शासन है। यदि कोई राज्य अनुच्छेद 256, 257, और 353 के अधीन संघ सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो, राष्ट्रपति यह धारणा बना सकता है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघ के निर्णय के सम्बन्ध में 11 मार्च 1994 को कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन केवल ऐसी स्थिति में लागू किया जाना चाहिए, जब कोई अन्य विकल्प शेष न रहे, हालात असाध्य हो जाएं और राज्य का शासन संविधान के अनुरूप चलना सम्भव न हो सके।[5] जून 1951 में केन्द्र सरकार के द्वारा पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीचन्द भार्गव को बर्खास्त किया गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने का यंत्र सन् 1977 में जनता पार्टी के हाथों में केन्द्रित रहा तथा सन् 1998 से 2004 तक यह भाजपानीत राजग सरकार के पास रहा। सन् 1980, 1984, 1991 व 2004 से 2014 तक कांग्रेस तथा 2014 से राजग के हाथ में पुन: आ गया। जो भी दल केन्द्र की सत्ता में रहा उसने इसका प्रयोग अपनी सुविधा के अनुरूप किया। अब प्रक्रिया यह बन गई है कि जब कोई दल विपक्ष में हो तो अनुच्छेद-356 को समाप्त करने या उसमें संशोधन करने की मांग की जाती है और जब केन्द्र में सत्तासीन हों तो, दलगत स्वार्थ को सिद्ध करने हेतु इस अनुच्छेद का आंख मूंद कर दुरूपयोग किया जाता है। भाजपा ने सन् 1996 के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि इस बात की संभावना ढूंढ़ी जाएगी कि किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए केन्द्र सरकार को संसद के दो तिहाई बहुमत की स्वीकृति लेनी पड़े। लेकिन राजग सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए। एच.डी. देवगोड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार ने भी सन् 1996 में गुजरात में राष्ट्रपति शासन को स्वीकृति प्रदान की थी। चतुर्थ आम चुनावों के पश्चात राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र, नियुक्ति के तरीके आदि को लेकर केन्द्र तथा राज्यों में मतभेद उत्पन्न हुए हैं। राज्यपाल का पद संदेह के घेरे में हो और ऐसा लगे कि वे किसी राजनीतिक पक्ष की ओर झुक रहा है या उससे संलग्न है तो, इस स्थिति में सही प्रतीत होने वाले निर्णयों पर और उनकी निष्पक्षता तथा ईमानदारी पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं। बिहार के राज्यपाल बूटासिंह के साथ भी इसी प्रकार की स्थिति सामने आई थी। बिहार विधानसभा के गठन से पूर्व ही उसे भंग करने की सिफारिश के निर्णय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा वज्रपात किया गया। राज्य में फरवरी-मार्च 2005 में विधानसभा चुनाव कराए गए तथा सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर दो माह तक राजनीतिक गतिरोध की स्थिति विद्यमान रही। राजग के द्वारा सरकार बनाने के जी-तोड़ प्रयास किए गए। विधायकों की खरीद-फरोख्त की चर्चाओं से राज्य के राजनीतिक हालात बिगड़ने लगे थे। राजग का समर्थन करने के इच्छुक विधायकों को अन्यत्र ले जाया गया। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर विधानसभा को भंग करना ही एकमात्र विकल्प शेष रह गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक नैतिकता पर आधारित प्रस्तुत तर्कों को मानने से इनकार कर दिया गया।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि राज्यपाल बूटासिंह निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। यह धारणा इसलिए बनी क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे लालू यादव के बहुत निकटतम हैं और राजग की सरकार नहीं बनने देना ही उनका वास्तविक मन्तव्य है। बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश पर विचार हेतु देर रात केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक हुई तथा विधानसभा भंग करने के आदेश पर हस्ताक्षर के लिए मास्को गए राष्ट्रपति डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम को प्रस्ताव फैक्स कर रातों-रात अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्यपाल पद से सम्बन्धित विवाद में एक और कड़ी जोड़ने का कार्य 26 मई 2014 को गठित राजग सरकार के द्वारा किया गया। सरकार द्वारा कई राज्यों के राज्यपालों को पद से बेवजह हटाया गया और उनके स्थान पर भाजपा के सदस्यों या उनकी की विचारधारा से जुड़े व्यक्तियों को पुरस्कार स्वरूप इस पद से नवाजा गया।[6] सरकार के द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल के. शंकर नारायण का मिजोरम स्थानान्तरण किया गया, लेकिन उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सन् 2012 में संप्रग सरकार

ने शंकर नारायण को द्वितीय कार्यकाल के रूप में नियुक्त किया था तथा सन् 2017 तक उनका कार्यकाल निर्धारित था। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनिवाल का स्थानान्तरण मिजोरम किया गया तथा कुछ समय पश्चात पद के दुरूपयोग के आरोप में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस दल के पूर्व नेता वीरेन्द्र कटारिया को पुड्डुचेरी के उप राज्यपाल पद से हटाया गया। बी.एल. जोशी (उत्तरप्रदेश) एम.के. नारायणन (पश्चिम बंगाल) शेखरदत्त (छत्तीसगढ़) बी.वी. वांचू (गोवा) अश्विनी कुमार (नागालैण्ड) एवं बी.वी. पुरुषोत्तम (मिजोरम) के राज्यपालों को भी त्यागपत्र देने के लिए विवश किया गया। उत्तराखण्ड के राज्यपाल अजीज कुरेशी ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र देने के दबाव के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपने प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा कि संविधान के अन्तर्गत राज्य का राज्यपाल केन्द्र सरकार का सेवक नहीं होता कि उसको अपनी इच्छानुसार जब चाहे पद से बर्खास्त कर दिया जाए। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है और हटाने का अधिकार भी उन्हें ही है, किसी अन्य के पास राज्यपाल को हटाने की शक्ति नहीं है।

राज्यपाल के पद से बर्खास्तगी के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के द्वारा सन् 2010 में एक व्यवस्था दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने बी.पी. सिंघल के मामले में स्पष्ट किया था कि, उसी राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है, जो राष्ट्रपति का विश्वास खो चुका है, लेकिन इसके लिए ठोस कारण का होना आवश्यक है। राज्यपाल को हटाते समय कारण स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है, लेकिन राज्यपाल को इसी आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि केन्द्र में सत्ता परिवर्तन हो गया है तथा सम्बन्धित राज्यपाल केन्द्र की विचारधारा से भिन्न है। बी.पी. सिंघल के द्वारा सन् 2004 में संप्रग सरकार की तरफ से राजग के कार्यकाल में नियुक्त चार राज्यपालों को बर्खास्त करने के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी। सरकारें चाहे किसी भी दल की रही हों स्पष्ट है उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की पालना में ईमानदारी का परिचय नहीं दिया गया है। राजभवनों का प्रयोग राजनीतिक संरक्षण, जनता द्वारा ठुकराए गए नेताओं के पुनर्वास और अपने निकटतम को पुरस्कृत करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में यह मांग भी समय-समय पर उठती रही है कि गैर राजनीतिक व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। राज्य सरकारों का यह आरोप रहता है कि केन्द्र सरकार राज्यपालों की नियुक्ति के समय उनसे परामर्श नहीं लेती है। केन्द्र सरकार अपनी विचारधारा से जुड़े व्यक्तियों को ही राज्यपाल के पद से सुशोभित करती है।

भारतीय राजनीति में राज्यपाल की भूमिका पर उठते प्रश्नचिह्न

भारतीय संसदीय व्यवस्था पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि विगत कई वर्षों से राज्यपाल पद की गरिमा कम हुई है। केन्द्र सरकार के द्वारा अपनी पसंद के व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है। राज्यपाल सम्बन्धित दल एवं केन्द्र सरकार के प्रति अपनी पूर्ण वफादारी दिखाते हुए कार्य करने लगे हैं, इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। सन् 1967 के पश्चात प्रशासनिक क्षेत्र में राज्यपाल का पद अत्यधिक विवाद का विषय बन गया है। केन्द्र तथा राज्यों के मध्य राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र, नियुक्ति के तरीके आदि को लेकर तनाव और विवाद लगातार उत्पन्न होते रहे हैं। कांग्रेस शासन के दौरान विपक्षी दलों की राज्य सरकारों के द्वारा यह आरोप लगाए गए कि राज्यपालों के माध्यम से उनकी सरकारों को पदच्युत किया गया। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों द्वारा यह भी आरोप लगाए गए कि उनके राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उनसे परामर्श किए जाने की परम्परा का पालन नहीं किया गया। कतिपय राज्यपालों ने तो निर्धारित अभिसमयों का भी पालन नहीं किया और ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने केन्द्र सरकार के अभिकर्ता की भूमिका निभाने में ही अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री समझ ली। राज्यपाल धर्मवीर की भूमिका को लेकर पश्चिम बंगाल और केन्द्र सरकार के मध्य विवाद बहुत अधिक उग्र हो गया था, जिसके फलस्वरूप राज्यपाल को वहां से स्थानान्तरित किया गया। आन्ध्रप्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल रामलाल ने सन् 1984 में एनटी रामाराव की तेलगुदेशम सरकार को बर्खास्त कर दिया था। एन.टी. रामाराव को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। राज्यपाल और केन्द्र सरकार के प्रति सम्पूर्ण आन्ध्रप्रदेश में व्यापक जन असंतोष उमड़ पड़ा, जिसके फलस्वरूप सरकार को पुन: बहाल किया गया। इस कृत्य के पश्चात राज्यपाल को पद से हटा दिया गया। तमिलनाडु में राज्यपाल डॉ. चेन्ना रेड्डी और मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता के सम्बन्धों में इतनी कड़वाहट उत्पन्न हो गई थी कि राज्यपाल को हटाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव ही पारित कर दिया था। नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री शुरहोजेली लीजीत्सू के द्वारा 15 जुलाई 2017 को राज्यपाल पदमनाभ बालकृष्ण आचार्य के निर्देश को निरस्त कर दिया गया, जिसमें विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लिए किसी प्रकार का संकट नहीं है। जब सरकार के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव ही नहीं है तो, विश्वास मत प्राप्त करने की कोई आवश्यकता कैसे हो सकती है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के द्वारा 14 जुलाई 2017 को राज्यपाल के उस निर्देश पर रोक लगा दी गई

थी, जिसमें कहा गया था कि 15 जुलाई से पहले आपातकालीन सत्र बुलाकर विश्वास मत प्राप्त किया जाए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राज्यपालों के द्वारा भी अनेक बार लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया जाता रहा है।

राज्यपाल की भूमिका उस समय भी विवादों में आ गई, जब कर्नाटक के राज्यपाल वजु भाई वाला ने सबसे बड़े दल भाजपा के नेता बी.एस. येड्डियूरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी और बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। कर्नाटक में 12 मई 2018 को विधानसभा के चुनाव हुए, 15 मई को चुनाव का परिणाम आया। इसमें भाजपा 104 सीटें लेकर सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई। कांग्रेस को 78 तथा जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) को 37 सीटें प्राप्त हुईं। चुनाव के पश्चात कांग्रेस और जनता दल (ध) ने 115 तथा 2 अन्य विधायकों सहित गठबंधन करके सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के समक्ष पेश किया, लेकिन राज्यपाल के द्वारा इस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करके भाजपा को आमंत्रित किया। उस समय कांग्रेस तथा जेडीएस के द्वारा राज्यपाल पर यह आरोप लगाए गए कि राज्यपाल ने संविधान का उल्लंघन किया है और बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय देकर विधायकों को खरीदने और बरगलाने का पूर्ण अवसर उपलब्ध कराया है। इस संदर्भ में कपिल सिब्बल ने कहा कि ''जनता चुनावी राजनीति का ज्ञान रखती है, लेकिन जब वह यह देखती है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, तब उनका विश्वास इन संस्थाओं से उठ जाता है।''[7] इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में निर्णय दिया कि शक्ति परीक्षण के लिए मतदान सीक्रेट बैलेट पेपर से नहीं होगा और बहुमत साबित होने तक राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति नहीं की जाएगी। प्रोटेम स्पीकर केजी बोपैया के द्वारा 19 मई 2018 को विश्वास मत से पूर्व सभी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। जब येड्डियूरप्पा को इस बात का आभास हो गया कि उनके पास बहुमत के लिए आवश्यक संख्या नहीं हैं तो, विश्वास पर मतदान से पूर्व ही अपने त्यागपत्र की घोषणा कर दी। येड्डियूरप्पा जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, मात्र ढ़ाई दिन के मुख्यमंत्री सिद्ध हुए।

राहुल गांधी ने इस घटनाक्रम के सम्बन्ध में कहा कि, ''मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वह खुद ही भ्रष्टाचार हैं। टेलीफोन की बातचीत सहित समस्त साक्ष्य हैं कि भाजपा ने कांग्रेस तथा जेडीएस के विधायकों को खरीदने के भरपूर प्रयत्न किए।''[8] कांग्रेस और जनता दल-ध के किले बंदी को कोई तोड़ नहीं पाया और न्यायालय के आदेश के मात्र 55 घंटे के अन्दर ही येड्डियूरप्पा को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक भेजे गए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद तथा मल्लिकार्जुन खड़गे सफल रणनीतिकार सिद्ध हुए। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी.के. शिव कुमार एक संकट मोचक की भूमिका में नजर आए, उन्होंने सभी विधायकों को एकता के सूत्र में बांधे रखा। जब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा आनन-फानन में 23 नवम्बर 2019 को देवेन्द्र फड़णवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई तब भी इस निर्णय की काफी आलोचना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया गया। राज्यपाल की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए कहा कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि मुख्यमंत्री को चोरी-छिपे शपथ दिलाई गई तथा प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और प्रमुख नेताओं को आमन्त्रित नहीं किया गया।

भारत के सुदृढ़ लोकतंत्र की यही विशिष्टता है कि यहां की न्यायपालिका अपने दायित्व का पूर्णरूपेण निर्वहन करती है। जब भी ऐसे अवसर आए हैं, न्यायपालिका के द्वारा ऐतिहासिक निर्णय दिए गए हैं। कतिपय लोगों के द्वारा इसे 'न्यायिक सक्रियता' का नाम दिया जाता है तो कुछ विद्वानों के द्वारा इसे 'न्यायिक सजगता' के नाम से अभिहित किया जाता है। कर्नाटक के इस सम्पूर्ण घटनाक्रम पर दृष्टिपात किया जाए तो, यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया कि वह राज्यपाल के आदेश पर रोक नहीं लगा सकता है। संविधान के अनुच्छेद- 164 (3) में उल्लिखित है कि राज्यपाल के द्वारा सरकार बनाने के लिए उस दल को आमंत्रित किया जाएगा, जिस दल के पास बहुमत है। जब किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत होता है तो, राज्यपाल के द्वारा स्वाभाविक रूप से उसे ही आमंत्रित किया जाता है। एक से अधिक दावेदार होने की स्थिति में राज्यपाल के द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाता है तथा यह देखा जाता है कि किस दल का दावा अधिक सशक्त है। भारतीय संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य मधुर सम्बन्धों की कल्पना की गई है। संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें सहयोगी संघवाद की अवधारणा के आधार पर कार्य कर सकें। राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के द्वारा की जाती है और वह केन्द्र के अभिकर्ता के रूप में ही कार्य करता है। एक तरफ राज्यपाल केन्द्र का अभिकर्ता होता है, वहीं दूसरी तरफ वह राज्य

का प्रधान भी होता है। समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में राज्यपाल के द्वारा कार्य किया जाता है। केन्द्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य राज्यों को सुपुर्द कर सकती है। केन्द्र सरकार के द्वारा इस प्रकार के कार्य राज्यपाल के माध्यम से ही कराए जाते हैं।

संविधान निर्माताओं के द्वारा काफी सोच समझकर राज्यपाल पद का सृजन किया गया था। उनका यह दृष्टिकोण था कि राज्यपाल मुख्य रूप से राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा तथा केन्द्रीय अभिकर्ता की भूमिका द्वितीय स्थान पर रहेगी। संप्रति केन्द्र सरकार के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, जो दलीय विचारधारा से पूर्णत: जुड़ा हुआ है तथा जो प्रत्येक क्षण केन्द्र सरकार के इशारों पर कार्य कर सके या इस बात को यूं भी कहा जाए कि केन्द्र के इशारों पर नृत्य कर सके, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति के फलस्वरूप राज्य सरकारें स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाती हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य आए दिन विभिन्न मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। संघीय व्यवस्था के लिए इसे शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में केवी राव कहते हैं कि, ''इस समय जैसी उसकी स्थिति है, केन्द्रीय सरकार के द्वारा उसे नियुक्त और पदमुक्त किया जाता है। राज्यपाल उसी रूप में है, जिस रूप में केन्द्र उसे बनाना चाहता है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसे राज्यपाल के द्वारा स्वयं किया जा सके। उसकी भूमिका उस पर निर्भर है, जो उसके पीछे बैठा व्यक्ति अपनी डोरियों से करता है।'' अनेक अवसरों पर राज्यपाल के द्वारा बेवजह ही बयान जारी कर दिए जाते हैं, जिससे राजनीतिक वाद-विवाद काफी बढ़ जाता है। संघीय व्यवस्था में राज्यपाल उसी प्रकार राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, जिस प्रकार केन्द्र में राष्ट्रपति होता है। भारतीय लोकतंत्र इनकी अक्षुण्णता पर ही आधारित होता है। 30 दिसम्बर 1948 को संविधान सभा में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति और लोकसभा को भंग करने के अधिकार पर विचार व्यक्त कर रहे थे, उस समय मोहम्मद ताहिर ने उनसे पूछा कि इस आधार पर राज्यों में राज्यपाल और मंत्रियों की स्थिति की व्याख्या कैसे की जाएगी, जहां विवेकाधिकार राज्यपाल के पास होगा? डॉ. अम्बेडकर के द्वारा इस प्रश्न के जवाब में कहा गया कि राज्यपाल की स्थिति राज्य में ठीक उसी प्रकार होगी, जैसी कि केन्द्र में राष्ट्रपति की। 30 मई 1949 को राज्यपाल पर संविधान सभा में व्यापक बहस हुई उस समय राज्यपाल के सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट किया गया। विगत कुछ वर्षों से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्यपालों के द्वारा मनमाने ढ़ंग से कार्य किया जा रहा है तथा संविधान के साथ खिलवाड़ करने में भी उनको संकोच नहीं होता है। राज्यपाल की मानसिकता केन्द्र सरकार को खुश करने की ही अधिक दृष्टिगोचर होती है। राज्यपाल अपने आप को तब तक सुरक्षित समझते हैं, जब तक वे केन्द्र में सत्ताधारी दल की नीतियों के अनुरूप कार्य करते हैं।

राज्यपाल पद सम्बन्धी विवादास्पद स्थिति से बचने के लिए किंचित सुझाव

1. गैर राजनीतिक और विषय के विशेषज्ञ व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए।
2. राज्यपाल के द्वारा संवैधानिक सीमा में रहकर ही अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।
3. केन्द्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करते समय सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री से आवश्यक रूप से परामर्श करना चाहिए।
4. राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसकी किसी भी राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्धता नहीं हो।
5. बिना किसी ठोस कारण के न तो राज्यपाल का स्थानान्तरण किया जाना चाहिए और न ही समय से पूर्व उसको हटाया जाना चाहिए।
6. राज्य के बाहर के व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए।
7. यदि किसी राज्यपाल के द्वारा राज्य में अनुच्छेद-356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाती है तो, उस पर एक संवैधानिक और व्यापक दृष्टिकोण के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

राज्यपाल का पद और राजभवन इस समय काफी विवाद के विषय बन गए हैं, राजभवनों के गिरते हुए स्तर के सम्बन्ध में कतिपय विद्वानों का मानना है कि राज्यपाल के पद को ही समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ-साथ यह पद अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल की उपयोगिता समाप्त हो गई है। जो व्यक्ति राजनीति के लिए उपयोगी नहीं रह जाता है तथा जो चुनाव जीतने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको राजभवन में बिठा दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, जो किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं हो तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों का विशिष्ट ज्ञान रखता हो। राज्यपाल का भी यह परम कर्त्तव्य बनता है कि वह संवैधानिक मान्यताओं एवं परम्पराओं के

अनुरूप ही कार्य करे। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है तथा उसके द्वारा पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ही राज्यपाल का आचरण होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के लिए यह उचित समय है कि वे संविधान के अनुच्छेद-356 की मूल भावना पर व्यापक सोच के साथ सहमति बनाएं। कानून और व्यवस्था भंग होने, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और कुप्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि मुद्दों के आधार पर मनचाही सरकारों की बर्खास्तगी पर चर्चा करें। राजभवन दलों के दफ्तर बनते जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत हैं।[9] चुनाव के पश्चात या पूर्व या किसी भी समय केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के विरोधी दलों को राज्यों में सरकार बनाने से रोकने की प्रवृति पर इस समय व्यापक विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. श्रीवास्तव, सुरभि, राज्यपालों की बदलती भूमिका, नॉर्दर्न बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 2007, पृ.सं. 6
2. चिश्ती, सीमा, विशेष आलेख, इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, 3 फरवरी 2016, पृ.सं. 13
3. केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग प्रतिवेदन, भाग-प्रथम, 1998, पृ.सं. 164
4. सहारा समय, 15 अक्टूबर 2005, नई दिल्ली, पृ.सं. 9
5. कश्यप, सुभाष, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, 2005, पृ.सं. 241-243
6. शर्मा, धर्मराज, भारतीय संघ व्यवस्था : केन्द्र-राज्य सम्बन्ध, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2016, पृ.सं. 9
7. सिब्बल, कपिल, संपादकीय, व्हाट ए गवर्नर मस्ट डू इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, 22 मई 2018, पृ.सं. 12
8. राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 20 मई 2018, पृ.सं. 3
9. शर्मा, धर्मराज, विशेष संपादकीय, भारतीय राजव्यवस्था में अनुच्छेद-356, उपकार जगत, अलवर, राजस्थान, 5 फरवरी 2016, पृ.सं. 4

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 59-62

मौर्य साम्राज्य काल में राजस्थान के समाज एवं संस्कृति का ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. राजेश कुमार मीना

शोधार्थी, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

मौर्य संस्कृति के अवसान के बाद राजस्थान में जिस संस्कृति के पुष्पित पल्लवित होने के साक्ष्य मिलते है वह प्रमुख रूप से शुंग एवं कुषाण शासकों के काल में विकसित हुई। कतिपय अपरिहार्य ऐतिहासिक कारणों से मौर्य संस्कृति अपने मौलिक रूप से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकी। इसका प्रमुख कारण था बौद्ध धर्म का ''अहिंसा सिद्धान्त'', जो मौर्य साम्राज्य एवं संस्कृति के अल्प जीवन के लिये उत्तरदायी सिद्ध हुआ क्योंकि भारतीय सैनिक शक्ति के दुर्बल हो जाने के कारण कतिपय स्वेदशी तथा विदेशी शक्तियों को मौर्य साम्राज्य के लड़खडाते साम्राज्य पर आक्रमण कर सत्ता हथियाने का मौका मिला। शुंग और बाद में कुषाणों ने इस अवसर का लाभ उठाया और शनै: शनै: भारतवर्ष के केन्द्रीय सत्ता के रूप में स्थान ग्रहण किया। भारत की ऐसी राजनीतिक स्थिति में जब विदेशी शक्तियों ने अपने पैर जमाये तब वे अपने साथ एक ऐसी संस्कृति लाये जो अनेक अर्थों में भारत की पूर्ववर्ती संस्कृतियों से भिन्न थी। भारतीय साहित्य में जिन विदेशी जातियों का उल्लेख आता है उनमें सबसे प्रथम शक है। उसके बाद यवन और पहलवों का उल्लेख है। संस्कृत साहित्य में अनेक स्थलों पर शक, यवन, पह्व शब्द का प्रयोग मिलता है जिससे विदेशी जातियों का बोध होता है। भारत में जितने भी विदेशी कबीले आये और यहां बस गये उन सबको परवर्ती युग में ''व्रात्य''क्षत्रिय कहा जाने लगा। ये सभी जातियां विदेशी थी और उनके लिए साधारणतया ''म्लेच्छ'' शब्द का प्रयोग किया जाता था। इन जातियों में सबसे पहले यूनानियों ने ही भारत में प्रवेश किया। जिन विदेशी विजेताओं ने उत्तरी-पश्चिमी भारत से यूनानी सत्ता का उन्मूलन किया वे थी शक, पह्व या पार्थियन और यूची अथवा कुषाण। ये लोग मूल रूप में मध्य एशिया की घुमक्कड़ जातियों में से किसी एक शाखा से संबद्ध थे।

संकेताक्षर : *मृद्भाण्ड संस्कृति, मृण्यमूर्तियाँ, प्राक् मौर्यकालीन सभ्यता*

प्रस्तावना

राजस्थान राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति $23^0$3 से $30^0$12 उत्तरी अक्षांशों तथा $69^0$30 से $78^0$17 पूर्वी देशान्तरों के मध्य है, इसके उत्तर में पंजाब उत्तर-पूर्व में हरियाणा व देहली दक्षिण में गुजरात पश्चिम में पाकिस्तान पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में मध्यप्रदेश है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान पूर्व में गंगा, यमुना नदियों के मैदान दक्षिण में मालवा के पठार तथा उत्तर-पूर्व में सतलज-व्यास नदियों के मैदान द्वारा घिरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

भारतीय इतिहास के लेखन में पुरातात्विक सामग्री अत्यन्त सहायक सिद्ध हुई है। इसके द्वारा भारतीय इतिहास विशेषकर प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेकों अज्ञात अथवा अल्पज्ञात पहलुओं पर प्रकाश पडा। इतिहास निर्माण में पुरातत्व विज्ञान ने प्रतिपादक एवं समर्थक इन दो रूपों में भूमिका निभाई है। प्रथम रूप में यह उन ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करता है जो हमें अन्य स्थानों से विदित नहीं होते और दूसरे रूप में पुरातत्व अन्य साधनों से ज्ञात ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि करता है। चूंकि पुरातत्व के माध्यम से ज्ञात तथ्य अधिक प्रमाणिक तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक आधार लिए होते हैं, अत: वर्तमान समय में इतिहास लेखन एवं

शोध कार्य में पुरातात्विक सामग्री एवं खोजों को अधिक महत्व एवं प्रमुखता दी जाती है।

प्रागैतिहासिक एवं आद्यऐतिहासिक काल के पश्चात भारतीय इतिहास में छठीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ऐतिहासिक युग का प्रारंभ होता है। पुरातात्विक प्राप्तियों पर आधारित प्रारंभिक ऐतिहासिक युग को ऐतिहासिक पुरातत्व के नाम से अभिहित किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र का उद्देश्य

प्राचीन राजस्थान—समाज एवं संस्कृति का ऐतिहासिक अध्ययन (आरंभिक काल से 500 ई. तक) के अध्ययन के साथ-साथ अन्य पक्षों का भी विवेचन करना है। राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृति में सुरक्षित मूल्यों का अध्ययन, आधुनिक जनजातीय संस्कृति के मूल तत्वों को प्राचीन संस्कृति में ढूँढ़ने का प्रयास, प्राचीन भारत के अन्य स्थलों से राजस्थान के सांस्कृतिक संबंधों को ढूँढ़ने का प्रयास भी शोध ग्रंथ का उद्देश्य है। इनके अन्तर्गत आर्थिक, धार्मिक, सैनिक एवं विदेशी प्रभाव भी है। मेरे शोधकार्य में उन कारणों को भी खोजने का भी प्रयास किया जायेगा, जिसकी वजह से प्राचीन राजस्थान में समाज एवं धर्म में विदेशी जातियाँ समाहित हो गई थी और कला की कुषाण एवं मथुरा शैलियों की उत्पत्ति हुई थी।

शोध प्रविधि

अध्ययन का क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान है। सम्पूर्ण अध्ययन प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। प्राथमिक स्रोत मुख्यत: साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेख एवं सिक्के, विदेशी वृत्तान्त एवं द्वितीय स्रोत सहायक ग्रंथ सूची के अन्तर्गत पुस्तकें, पत्रिकायें और शोध निबन्ध आदि की सहायता से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

मौर्य साम्राज्य काल में राजस्थान की समाज एवं संस्कृति का ऐतिहासिक अध्ययन

स्थानीय इतिहास के पुनर्निर्माण के संदर्भ में पुरातत्व का महत्व अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, क्योंकि स्थानीय पुरातात्विक यथा मृद्भाण्ड, मृण्मूर्तियाँ, मुद्राएँ, अभिलेख, स्मारक, प्रतिमाएँ, अन्य पुरावशेष आदि वहाँ के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि आधुनिक समय में स्थानीय स्तर पर पुरातात्विक अनुसंधानों का महत्व दिया जा रहा है।

राजस्थान में पुरातात्विक खोज की परंपरा लगभग एक शतक पुरानी हैं परन्तु पिछले पाँच दशकों में सर्वेक्षण और उत्खनन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई हैं जिसमें सम्पूर्ण राजस्थान के अनेकानेक पुरातात्विक स्थल प्रकाश में आए है। प्राचीन पुरातत्ववेताओं एवं आधुनिक पुरातत्ववतेताओं की उत्खनन तकनीक अन्तर के कारण उत्खनन से प्राप्त सामग्री का तुलनात्मक रूप से सही आकलन करना सही आसान हो जाता है। जिन प्राचीन उत्खनन स्थलों का पुरानी तकनीक से उत्खनन हुआ है कर्नल टी. एच. हेण्डले द्वारा सांभर का उत्खनन, दयाराम साहनी द्वारा सांभर व बैराठ का उत्खनन, के.एन. पुरी द्वारा रैढ़ का उत्खनन है। आधुनिक उत्खनन तकनीक से किया गया डी.आर. भण्डारकर द्वारा नगरी का उत्खनन है। आधुनिक उत्खनन में पुरातत्ववेता स्तरीकरण पर विशेष बल देते है। इन स्तरों की तिथियों की जानकारी के लिए रेडियोकार्बन विधि तथा डी.एन.ए. आदि वैज्ञानिक प्रणालियों का भरपूर प्रयोग करते हैं जबकि प्राचीन पुरात्ववेता इन सब आधुनिक विधियों से अनभिज्ञ थे।

उत्तर भारतीय कृष्ण मार्जित पात्र (NBPW)

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय इतिहास में उत्तरी काली पालिश युक्त मृद्भाण्ड संस्कृति के उदय से ऐतिहासिक युग का प्रारम्भ माना जाता है। हस्तिनापुर उत्खनन के आधार पर ऊपरी गंगा-यमुना दोआब में इस संस्कृति के उदय एवं विकास का काल लगभग 550 ई.पू. तक माना गया है। यह तिथि अधिक मान्य है।

आद्यऐतिहासिक काल की अन्तिम संस्कृति चित्रित धूसर मृद्भाण्ड संस्कृति (PGW) के ठीक पश्चात उत्तर भारत में उत्तरी काली पालिश युक्त मृदभाण्डीय संस्कृति (NBPW) का उदय होता है। इस संस्कृति के विकास का मुख्य क्षेत्र गंगा, यमुना का विशाल मैदान था। यहाँ यह संस्कृति लोहे के व्यापक प्रयोग, वृहद् स्तर पर संरचनात्मक क्रिया-कलाप प्रारम्भ, मुद्रा की शुरूआत विभिन्न व्यवसायों के चलन, व्यापार मार्गों का विस्तार और विभिन्न नगर केन्द्रों के उदय की साक्षी रही है। उक्त सभी कारक भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक युग के प्रारम्भ के सूचक है। राजनीति के क्षेत्र में विशाल महाजनपदीय एवं साम्रायज्यीय राज्यों का उदय इस युग की विशिष्टता है। वस्तुत: यह परम्परा ऐतिहासिक है और यह वह युग था जब द्वितीय नगर क्रान्ति हुई।

विवेच्य क्षेत्र के कई प्राचीन स्थलों से उत्तरी काली पालिश युक्त मृद्भाण्ड प्राप्त हुए हैं, जिनमें से तीन स्थलों का उत्खनन हो चुका है यथा विराटनगर, जोधपुर, नोह आदि। इन स्थलों से उत्तरी काली पालिश युक्त मृद्भाण्ड के अतिरिक्त अन्य पुरातात्विक सामग्री भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुयी है। इस प्रकार के विशिष्ट मृदभाण्ड मौर्यकाल की एक विशेषता है। मौर्य युग की प्रस्तर की प्रतिमाओं

पर भी एक विशेष प्रकार की काली पालिश की जाती थी। इस क्षेत्र के विशिष्ट मृद्भाण्ड मौर्यकाल की एक विशेषता है। इस श्रेणी के मृद्भाण्डोंकी उपलब्धि बौद्ध धर्म से संबंधित केन्द्रों से विशेष रूप से होती है। विराटनगर मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केन्द्र था। यहाँ से उत्खनन द्वारा भारत के प्राचीनकालीन बौद्ध उपासना स्थल के अवशेष मिले हैं। यहाँ से अशोक कालीन शिलालेख भी मिले हैं।

विराटनगर (बैराठ)

बैराठ (जिला जयपुर) 27°27' उत्तरी अक्षांश 76° 12' पूर्वी देशान्तर पर जयपुर से 100 कि.मी. उत्तर पूर्व में लगभग 8 किमी. लम्बी तथा 6 किमी. चौड़ी घाटी में स्थित है। महाभारत काल में यह राजा विराट की राजधानी थी जहाँ पाण्डवों ने अपना एक वर्ष का अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था। महाभारत के उद्योग पर्व में विराट की सभा का वर्णन मिलता है-

सभातुसामत्स्यपतें : समृद्धामणिबेकोत्तमरत्नचित्रा।
न्यस्तासनामात्यवती सुगन्धातमभ्ययुस्ते नरराजवृद्धाः।।[10]

बैराठ क्षेत्र के पुरातात्विक उत्खनन एवं समन्वेषणों से ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र मौर्य काल में एक महत्वपूर्ण धार्मिक-सांस्कृतिक केन्द्र था। बैराठ से सर्वप्रथम सन् 1837 में कैप्टन बर्ट ने अशोक का प्रथम भाब्रू शिलालेख विराटनगर में खोजा जिसे कटवाकर 1840 में एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कोलकता के संग्रहालय में स्थानान्तरित कर दिया। भाब्रू शिलालेख की खोज के पश्चात इस क्षेत्र की निरन्तर खुदाई की जाती रही। जयपुर के महाराज सवाई मानसिंह (1835-80) के समय इस दिशा में सर्वाधिक प्रयास किये गये। इस समय किए गये एक उत्खनन में यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा मिली थी, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। 1864-65 में डॉ. कनिंघम ने यहाँ का अध्ययन किया तथा सन् 1871-72 में इनके सहायक डॉ. कार्लाइल को भीमसेन की पहाड़ी में अशोक का दूसरा शिलालेख मिला। इसे भी भाब्रू अभिलेख कहा जाता है। सन् 1910 में डॉ. डी.आर. भण्डारकर द्वारा इस क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन व सूक्ष्म परीक्षण किया गया। जयपुर रियासत के पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉ. दयाराम साहनी ने 1936-38 ई. में बीजक की पहाड़ी में महत्वपूर्ण उत्खनन किया जिसने न केवल यहाँ मौर्यकालीन सभ्यता व संस्कृति के अस्तित्व को ही प्रमाणित किया अपितु इसके तत्कालीन महत्व एवं वर्चस्व को भी पुष्ट किया है। डॉ. दयाराम साहनी ने बीजक की पहाड़ी में मिले बौद्ध विहार (गोल मन्दिर) के अवशेषों को देखकर इसके अशोक कालीन कृतियों में प्राचीनतम होने की पुष्टि की है। पुराविदों ने भी विभिन्न स्थानों पर किए गए शोधों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह निर्माण कार्य अशोक के प्रारम्भिक काल का था, जिनमें पत्थर के स्थान पर लकडी के स्तम्भों व ईंटों का प्रयोग हुआ। 1962 में एन.आर. बनर्जी द्वारा विराटनगर का क्रमबद्ध एवं विस्तृत उत्खनन किया गया जिसने इस स्थल के पुरातात्विक महत्व को पूर्णतः सिद्ध कर दिया।

विराटनगर से उपर्युक्त मृद्भाण्डों के साथ मौर्य युगीन सांस्कृतिक सामग्री भी प्रचुर मात्रा में मिली है। विभिन्न प्रकार की मृण्मूर्तियाँ विशेषकर मातृकायें उपलब्ध हुई है। मौर्य काल के विशेष आभायुक्त पत्थर भी प्राप्त हुए है जो कि कदाचित स्तूप के छत्र के भाग थे। यहाँ से घीया पत्थर की मंजूषायें भी मिली हैं जिनमें श्रृंगार संबंधी सामग्री या धर्माचार्यों के अवशेष रखे जाते हैं।

उत्तरी काले चमकीले मृद्भाण्ड (NBPW)

राजस्थान में उत्तर भारतीय काले चमकीले मृद्भाण्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल विराटनगर है। इस स्थल का विधिवत उत्खनन तत्कालीन जयपुर राज्य के पुरातत्व विभाग निर्देशक राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन् 1936-38 में किया। यह उत्खनन लम्बवत किया गया था। विराटनगर का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। संस्कृत साहित्य, विशेषकर महाभारत में इस स्थान का उल्लेख कई बार हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जिसने साहनी को उत्खनन की प्रेरणा दी वह था यहाँ से प्राप्त मौर्य सम्राट अशोक का लघु शिलालेख। ज्ञातव्य है कि अशोक ने अपने शिलालेख उन्हीं प्रमुख स्थानों पर उत्कीर्ण करवाये जो उस समय के महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केन्द्र थे। साहनी को विराटनगर उत्खनन से मौर्य कालीन एवं प्राक् मौर्यकालीन सभ्यता के अनेक अवशेष मिले जिनका प्रतिनिधित्व उत्तर-भारतीय काले चमकीले मृद्भाण्ड (NBPW) करते है। विराटनगर से प्राप्त इस परम्परा के पात्र मुख्य रूप से प्याले और तश्तरियाँ है जो विविध आकारों की है। इनके अतिरिक्त हांडियाँ, लोटे, ढक्कन, मर्तबान भी उपलब्ध हुए हैं। ये उपयोगितानुसार भिन्न-भिन्न आकारों के हैं तथा इन पात्रों के प्रकारों के आधार पर कहा जा सकता है। कि विराटनगर से प्राप्त उत्तरी-भारतीय मृद्भाण्ड सामान्यता दैनिक उपयोग में काम आने वाले पात्र थे। यहाँ संग्रह करने वाले पात्र उपलब्ध नहीं हुए है। ये पात्र गहरे काले रंग के साथ-साथ हल्के काले रंग एवं हल्के नीले रंग के है जिनमें चांदी चमक है। ये पूर्ण रूप से चाक पर बनाए गए है। इनके निर्माण में बहुत ही महीन और साफ मिट्टी का उपयोग किया गया है। विराटनगर से प्राप्त सम्पूर्ण उत्तर-भारतीय काले चमकीले मृद्भाण्डों (NBPW) को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:-

1. बहुत मोटे मृद्भाण्ड
2. मध्यम मोटाई युक्त मृदभाण्ड एवं
3. बहुत ही पतले मृद्भाण्ड।

तीनों ही श्रेणियाँ के मृद्भाण्ड यद्यपि दुर्लभ थे तथापि जीवन के नित्य उपयोग में आने वाले थे। विराटनगर के उत्तरी-भारतीय काले चमकीले मृद्भाण्डों की महत्वपूर्ण बात उनकी पालिश है जिससे रजत या कभी-कभी स्वर्णिम चमक भी देखने को मिलती है। यहाँ के काले चमकीले मृदभाण्डों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी मिली है। कि ये अपने समय के बहुत ही दुर्लभ पात्र थे क्योंकि इन पात्रों के टूट जाने पर इन्हें तांबे के तारों से जोडा गया है। विराटनगर के ये साक्ष्य उत्तर भारतीय काले चमकीले पात्रों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से गंगा-यमुना दोआब में हुआ था परन्तु विराटनगर का साक्ष्य इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि गंगा-यमुना की छोटी सहायक नदियों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार ग्राम्य उपत्यका के मध्य भागों में भी हुआ।

निष्कर्ष

मौर्य साम्राज्य काल में राजस्थान के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया गया है। जिसमें मुख्यत: विराठ नगर, उत्तर भारतीय कृष्ण मार्जित पात्रों का विश्लेषणात्मक शोध किया गया है। साथ ही एन. बी. पी. डब्ल्यू. मृदभाण्ड राजस्थान में बैराठ, लालसोट आदि स्थानों पर पाये गये है। ये पतले अच्छी तरह पके हुए चमकीले बर्तन मृद्भांड है जो कि भारतीय मृद्भांड कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दूसरे प्रकार के मृदभांड पी.जी.डब्ल्यू. है। लौह युग तथा चित्रित मृदभांड ज्यामितीय आकार काले रंग से चित्रित है। उनके, पकाने, आकार, प्रकार तथा बनावट फैब्रिक आदि परवर्ती हडप्पा कालीन बर्तनों से अलग है।मौर्योत्तर युगीन राजस्थान समाज एवं संस्कृति का विश्लेषणात्मक शोध किया गया है। अभिलेखों एवं मौद्रिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इस युग में इस क्षेत्र में शुंग, यवन, नाग, कुषाण तथा आदि शक्तियों के अलावा अनेक गणतंत्रीय शक्तियाँ तथा मालवा, राजन्य, यौधेय, आर्जुनायन आदि भी राजनैतिक अस्तित्व में रही।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान प्राचीन काल से ही अपनी विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक छवि के लिए जाना जाता रहा है। राजस्थान की संस्कृति प्राचीन तो है ही जीवन्त भी है। क्रमबद्धता एवं अपने पुनर्नवीकरण की ये दो आधारभूत विशेषताएँ इसमें अंतर्निहित है। राजस्थान में प्राचीनकाल से ही लोक नाट्यों एवं अन्य प्रदर्श्य कलाओं की लगातार पोषण मिला और वे समृद्ध हुई इस तरह राजस्थान की परम्परा रंगीन बन गई।

राजस्थान में मनाव संस्कृति के विकास के दो आयाम है। पहले आयाम में तकनीक और आबादी की बढ़ोतरी के साथ नये क्षेत्रों की तलाश में लोगों ने नदियों के किनारे-किनारे या पहाड़ की ढलानों के साथ संचरण किया। दूसरे में विषम पर्यावरण के कारण उसे अपने पुराना क्षेत्र छोड़कर पलायन करना पड़ा। संचरण दोनों ही परिस्थितियों में हुआ। संचरण की यह प्रक्रिया राजस्थान की अपनी वर्तमान भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी और न ही अतीत में आज जैसी उसकी राजनैतिक सीमा थी। राजस्थान में मानव संस्कृति का विकास वस्तुत: उतर-पश्चिम भारत और अन्य दिशाओं में इसमें जुड़े भौगोलिक क्षेत्रों में होने वाले मानव के विकास से किसी भी अर्थ में पृथक नहीं है। हाँ कभी इस प्रान्त के कुछ क्षेत्र सभ्यता और संस्कृति के विस्तार में अग्रणी थे, 'दाता' के रूप में थे और कभी प्राप्त कर्ता के रूप में थे। आदि मानव का पदार्पण राजस्थान में बाहर से हुआ अथवा उसकी उत्पत्ति स्थानीय है इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके द्वारा छोड़े गये प्रस्तर उपकरणों की अन्य क्षेत्रों से प्राप्त उपकरणों से तुलना के आधार पर केवल इतना कहा जा सकता है कि उसकी प्रगति से शेष भारत मे मद्रासियन उपकरण परम्परा (Madarasian tool tradition) वाले मानव से अभिन्न थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. हेण्डले, टी.एच., बुद्धिष्ठ रिमेन्स नियर सांभर, खण्ड 17, (1885), पृ.सं. 29
2. साहनी, दयाराम, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एण्ड एक्सकैवेशन एट सांभर, जयपुर।
3. पुरी, के.एन., एक्सकैवेशन एट रैढ, जयपुर स्टेट, 1939
4. साहनी, दयाराम, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एण्ड एक्सकैवेशन एट बैराठ, 1936
5. अग्रवाल, आर.सी., एक्सकैवेशन एट नोअ, 1968-69, पृ.सं. 26
6. आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्टस वॉल्यूम 11, पृ.सं. 1871-72
7. साहनी, दयाराम, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एण्ड एक्सकैवेशन एट बैराठ, 1936
8. दीक्षित, के.एन., दी रिसर्चर 1964-65, वॉल्यूम 6, पृ.सं. 26-27
9. शर्मा, महावरी प्रसाद, तोरावाटी का इतिहास, 1996, पृ.सं. 41
10. वाटर्स, थामस, ऑन हैनसांग ट्रेवल्स इन इंडिया, 1973, पृ.सं. 90
11. सक्सैना, आशुतोष, राजस्थान का ऐतिहासिक पुरातत्व, 1991, पृ.सं. 47
12. साहनी, दयाराम, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एण्ड एक्सकैवेशन एट बैराठ, 1936-37

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 63-69

भारत-नेपाल संबंध : निरंतरता के साथ परिवर्तन

प्रकाश

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

दो एशियाई महाशक्तियों - भारत एवं चीन- के बीच स्थित, नेपाल भू-राजनितिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राष्ट्र-राज्य है। इसलिए ये दोनों महाशक्तियां नेपाल में अपनी पहुँच बढ़ाने हेतु प्रयासरत रहती हैं। नेपाल सरकार की परिवर्तित विदेश नीति के तहत अब तक भारत का परंपरागत रूप से सहयोगी रहा यह देश भारत से दूर होकर बीजिंग से करीबी बढ़ाता दिख रहा है। नेपाल के वामपंथी गुटों ने मिलकर भारत के प्रति नकारात्मक नजरिया प्रसारित किया है, जिससे चीन ने अपनी तथाकथित माओवादी विचारधारा के आवरण में वित्तीय कर्ज से प्रभावी मौजूदगी बनाने के साथ ही वह भारत के प्रति नेपाल की सार्थक और संतुलित नीति में बदलाव का वातावरण बना रहा है। नेपाल की राजनीतिक अस्थितरता चीन को भी कई तरह से आशंकित करती है लेकिन वह अपने कूटनीतिक आर्थिक जाल से नेपाल को अपने पाले में बाँध रखने के लिए प्रयासरत है। नेपाल की आन्तरिक राजनीतिक उठापटक एवं असंतुलित विदेश नीति इसकी सम्प्रभुता को प्रभावित करती रही है इसके फलस्वरूप भारत के साथ इसके सम्बन्ध भी परिवर्तित होते आ रहे हैं। किन्तु कुछ आधारभूत मुद्दों पर दोनों देशो के मध्य आपसी सहमति हैं जिससे इन दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों में प्रगाढ़ता भी बनी हुई है। इस शोध पत्र का मुख्य इद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप के औपनिवेशीकरण से वर्तमान समय तक भारत एवं नेपाल के बीच उतार-चढ़ाव भरे सम्बन्धों को जानना हैं।

संकेताक्षर : *समृद्ध संसाधन, परम्परागत सहयोगी, वामपंथी विचारधारा, संतुलित नीति, लोकतांत्रिक सौहार्द्र, लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिशीलता*

प्रस्तावना

''वृहद् परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो वस्तुत: भारत-नेपाल संबंध न तो किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर, और न ही दोनों देशों में से किसी एक की सरकार की इच्छा पर निर्भर है .... बल्कि हमारे संबंध तो भूगोल और इतिहास पर आधारित हैं, जिन्हें आसानी से नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है।''

पंडित जवाहरलाल नेहरू का उपरोक्त कथन आज के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी इतना ही प्रासंगिक है जितना कि तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में था। बात चाहे 1850 कि.मी. खुली सीमा की हो या नेपाल की भू-आबद्ध स्थिति की, नेपाल भारत के साथ आदिकाल से जुड़ा हुआ है इसलिए कहा जाता है कि नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है। भारत-नेपाल के साथ बहुत ही गहनता से जुड़ा हुआ है। चीन व भारत के मध्य स्थित होने के कारण एक भू-आबद्ध राज्य (बफर स्टेट) के रूप में राजनीतिक एवं सुरक्षात्मक आयामों की दृष्टि से इसकी भूमिका ओर भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नेपाल के पास अपार जल संसाधन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस बंदरगाहविहीन हिमालयी देश के बारे में कहा कि एशिया में नेपाल ऐसा राष्ट्र है जहां प्रति व्यक्ति जल संसाधन सबसे ज्यादा है। अरब देशों के पास जिस तरह तेल की भरमार है कुछ इसी तरह नेपाल के पास भी अकूत जल संपदा है। यही नहीं इस मामले में वह एशिया के दो विशाल आबादी वाले देशों भारत व चीन से भी बेहतर स्थिति में है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि नेपाल इसका दोहन करने में विफल रहा है।[1]

लगभग एक दशक पहले जब 250 वर्षो की राजशाही के बाद नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई थी, तब यह माना जा रहा था कि यहां नये तेवर के साथ लोकतांत्रिक मानदण्डों को समेटे हुए सशक्त

सरकार और स्थायी राजनीति का अध्याय प्रारम्भ होगा, पर देखा जाए तो इतने ही समय से वह राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा था।[2] मोटे तौर पर भारत-नेपाल के सम्बन्धों को विश्लेषित करने हेतु हम निम्न चरणों में विभाजित करके देख सकते हैं।

प्रथम चरण (भारत की स्वतंत्रता से 1955 तक)

भारत.नेपाल संबंधों का पहला चरण काफी उत्साहवर्धक रहा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 की भारत-नेपाल मैत्री संधि होने तक 1923 की नेपाल-ब्रिटिश संधि ही दोनों के बीच संबंधों का आधार बनी रही। इसी संधि के आधार पर गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर भारत-नेपाल और ब्रिटेन के बीच 9 नवंबर 1947 को एक त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ, जिसमें इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि 15 मई 1815 की व्यवस्था के आधार पर भारत सरकार गौरखा सैनिक बटालियनों का गठन करेगी, परंतु कालांतर में इन सैनिक बटालियनों की संख्या बढ़ा दी गई।

जुलाई 1950 में भारत-नेपाल मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अत: इस संधि ने दक्षिण-एशियाई देशों के बीच गहरी मित्रता की मिशाल पेश की। इस महाकाली संधि में निम्न प्रावधान थे :-

- नेपाली नागरिकों को भारत में समान आर्थिक व शैक्षणिक अवसरों को उपलब्ध करवाया जायेगा।
- नेपाली नागरिक भारत में स्थायी संपदा को खरीद सकते हैं।
- नेपाली नागरिक भारत में आर्थिक-व्यापारिक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं।
- भारत के उच्च प्रशासनिक पदों पर आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, इसमें आई.ए.एस. व आई.एफ.एस. को छोड़कर।
- भारत-विकास संबंधी गतिविधियों में नेपाल को प्राथमिकता देगा।

इन सबके बावजूद बदलती आर्थिक व सामरिक स्थितियों में तथा परिवर्तित विदेश नीति के तहत इस संधि के पुनर्मुल्यांकन की माँग समय-समय पर नेपाल द्वारा उठाई जाती है।

भारत आंतरिक सुरक्षा को लेकर नेपाल पर यह आरोप लगाता रहा है कि नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी नकली मुद्रा के साथ-साथ अवैध नेपाली पहचान पत्र हासिल करके बिना पासपोर्ट के यात्रा कर लेते हैं, जो भारत के आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरनाक साबित होते हैं, इसके अलावा नेपाल के रास्ते मादक-पदार्थो की तस्करी होना आम बात बन गई है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले नेपाल को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाने के लिए भारत हमेशा से ही प्रयासरत था। अत: इसी बदौलत सन् 1955 में नेपाल यू.एन. में एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर शामिल कर लिया गया। लेकिन नेपाली जनमानस के दिमाग में यह बात बैठ गई कि भारत हमेशा से ही नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, इसी आशंका ने भारत-नेपाल के बीच दूरियाँ भी बढ़ाई जिससे कई बार घरेलू मामलों को लेकर दोनों देशों के बीच टकराहट होती रही है।

द्वितीय चरण (1955 से उदारीकरण के दौर तक)

इस दौर में दक्षिण-एशिया में राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बदलाव नजर आए। इसका प्रभाव दोनों राष्ट्रों पर सीधा असर नजर आया। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 1955 में नेपाल में राजा महेन्द्र के शासन से हुआ। सन् 1954 में भारत के द्वारा तिब्बत पर चीन के आधिपत्य को स्वीकृति देने से नेपाल की सामरिक व अपने अस्तित्व को लेकर आशंकाएँ बढ़ना स्वाभाविक थी। इन्हीं आशंकाओं के बीच नेपाल ने भारत के साथ संबंधों को विराम देकर चीन के साथ 1956 में मित्रता की संधि कर ली, साथ ही अगले वर्ष चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई ने नेपाल की यात्रा की, इन सब घटनाओं ने भारत की चिंताओं को बढ़ाया। अत: राजा महेन्द्र ने 1961 में भारत से बिना विचार विमर्श के चीन से सीमा संबंधी समझौता कर लिया और आधारभूत सरंचना के निर्माण में नेपाल ने चीन से आर्थिक मदद लेना प्रारम्भ किया।

1960 में राजा महेन्द्र ने वी.पी. कोइराला की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करके भारतीय प्रजातांत्रिक मूल्यों का अपमान किया। इसी समय के दौरान चीन ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील सिद्धांत नीति का उल्लंघन करके एशियाई देशों में आपसी परस्पर विश्वास पर शक नजर आया। इस समय नेपाल ने तटस्थता की नीति अपनाई। इस नीति से नेपाल के प्रति भारतीय भावनाओं का आक्रोश होना स्वाभाविक था। इसके बावजूद भारत ने संयमपूर्ण कदम उठाया और बहुआयामी संबंधों को विकसित करने पर बल दिया, परन्तु 1965 में भारत-पाक युद्ध के समय भी नेपाल का रुख तटस्थता का ही रहा, हालाँकि भारत ने इस उदासीन पक्ष को कभी मुद्दा नहीं बनाया।

सन् 1970 का दशक भारत-नेपाल संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस समय में भारत-सोवियत मैत्री संधि (1970) एवं दक्षिण-एशिया में एक नए राष्ट्र के उदय में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अत: इन सब वैश्विक घटनाक्रम ने भारत की छवि वैश्विक स्तर पर मजबूत नजर आई, परंतु 1975 में सिक्किम के भारत में विलय से पड़ोसी राष्ट्रों में भय का वातावरण उत्पन्न हो

गया एवं इसका असर नेपाल पर भी पड़ा क्योंकि नेपाल सिक्किम को वृहद् नेपाल का अंग समझता था। नेपाल ने स्वयं को 'शांति का क्षेत्र' घोषित करने के लिये भी 1970 के दशक में पहल करनी शुरु कर दी जिस पर भारत को आपत्ति थी क्योंकि इससे भारत-नेपाल संबंधों को क्षति पहुंचती है।

1970 का दशक भारत-नेपाल के बीच संबंधों का स्वर्णयुग था, इस समय नेपाल नरेश ने प्रजातांत्रिक मूल्यों की ओर कदम बढ़ाना शुरु किया और राष्ट्रीय जनमत कराने पर सहमति बनाने की कोशिश की, साथ ही दक्षिण एशिया में सोवियत संघ की दखलदांजी के विरूद्ध भारत-नेपाल ने भी एक स्वर में इसका विरोध किया।

1980 का दशक भारत-नेपाल संबंधों को लेकर काफी निराशावादी रहा। नेपाल ने सुरक्षात्मक रवैया अपनकर चीन से बड़ी मात्रा में युद्ध, साजो-सामान आयात किया, यह कदम भारत को निराश करने वाला साबित हुआ। नेपाल की यह व्यापारिक नीति ट्रेड व ट्रांजिट रुट ट्रीटी को लेकर भी मतभेद शुरु हो गया। अत: इस ''ट्रेड वार'' की नीति ने भारत-नेपाल संबंधों में दरार पैदा कर दी। भारत ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर वस्तुओं की आपूर्ति शुरु कर दी एवं भारत से नेपाल आने वाली वस्तुओं पर कड़ी कराधान नीति अपना ली।[3] नेपाल ने भारतीयों पर परमिट व्यवस्था लागू कर दी जो 1950 की भारत-नेपाल मैत्री संधि की धारा 7 का सीधा उल्लंघन था।

तृतीय चरण (उदारीकरण के दौर से वर्तमान वैश्विक दौर तक)

1990 के दशक में जन आन्दोलन एवं लोकतांत्रिक चुनावों का आयोजन राजतंत्र की समाप्ति में पहला कदम था। इसी दौरान नेपाल में राजतंत्र कमजोर तथा लोकतंत्र मजबूत नजर आया। इसे प्रथम 'मास मूवमेंट' कहा गया। इस लोकतांत्रिक प्रणाली में भारत के संबंध नेपाल से अच्छे रहे एवं भारत ने हमेशा नेपाल में मजबूत लोकतंत्र का समर्थन किया है। साथ ही बहुदलीय सरकार में प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टाई के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ।

प्रजातांत्रिक सरकार ने भारत के साथ संबंध मजबूत बनाने पर जोर दिया एवं भारत की यात्रा की और व्यापारिक एवं पारगमन सुविधा पर सहमति बनी। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री ने भी नेपाल की यात्रा की।

नेपाल में आमजन के प्रति साम्यवाद का लगाव 1995 से शुरु हो गया और इसी के परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता एवं भय का वातावरण बना तथा राजशाही में आशंका व अस्थिरता का माहौल देखा गया।

इसी बीच, जून 2001 में राजा वीरेन्द्र की हत्या ने नेपाल में आंतरिक अशांति एवं अस्थिरता का वातावरण बना दिया, इस राजनीतिक अस्थिरता के परिणामस्वरूप नेपाल में 2005 में आपातकाल की घोषणा कर दी गई।[4]

2006 में नेपाल में दूसरे जन आन्दोलन की शुरुआत हुई थी जिसके तहत माओवादी, साम्यवादी विचारधारा का परित्याग करके लोकतांत्रिक विचारधारा अपनाने को प्रयासरत थे। इसी के परिणामस्वरुप 2006 में आपातकाल की समाप्ति एवं राजा द्वारा राजशाही के त्याग के परिणामस्वरूप यू.एन.ओ. की निगरानी में नेपाल में चुनाव कराने पर सहमति बनी एवं माओवादियों के द्वारा नेपाल में मानवाधिकारों, विधि का शासन एवं पंथनिरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक नेपाल की बात कही गई। इसी के परिणामस्वरुप 2008 में नेपाल राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक राष्ट्र में परिवर्तित हो गया। भारत हमेशा से ही नेपाल में सशक्त लोकतंत्र का समर्थक रहा है, अत: भारत ने इस कदम का स्वागत किया।[5]

नेपाल में प्रथम संविधान सभा के निर्माण हेतु वर्ष 2008 में चुनावों का आयोजन करवाया गया, इस चुनाव में माओवादी नेपाली जनता का दिल एवं दिमाग दोनों जीतने में सफल रहे तथा संविधान सभा में माओवादियों का प्रभाव स्पष्ट नजर आया। इसमें प्रमुख विवाद माओवादी लड़ाकों को नेपाली सेना का हिस्सा बनाने को लेकर था।

संविधान निर्मात्री सभा में माओवादी नेताओं की विचारधारा को लेकर द्वन्द की स्थिति थी। कुछ माओवादी नेता चीन के नजदीक दिखाई दे रहे थे और कुछ भारत-चीन के बीच समन्वय का दृष्टिकोण अपना रहे थे। माओवादी लड़ाकों को सेना का हिस्सा बनाने में प्रमुख आपत्ति यह थी कि कहीं माओवादी लोकतंत्र के स्थान पर अपना शासन स्थापित न कर लें, परंतु इतने मुद्दे थे कि इनको सुलझाना आसान काम नहीं था। इस बीच 2013 में नेपाल में पुन: संविधान सभा के चुनावों का आयोजन करवाया गया। इस बार माओवादी जनता के विश्वास को नहीं जीत सके और प्राचीन नेपाली कांग्रेस बड़े दल के रूप में सामने आई।[6] एक बार फिर नेपाल में शासन का आधारभूत ढ़ाँचा किस प्रकार हो, इसको लेकर भी विवाद रहा जिसमें प्रमुख बिन्दु निम्न थे :-

1. धर्मनिरपेक्ष बनाम धर्म आधारित राष्ट्र।
2. संघीय स्वरूप।
3. राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया।
4. प्रत्येक वर्ग की शासन में भागीदारी।

नेपाल का संविधान कहीं खुशी - कहीं गम एवं उदासी के बीच 20 सितम्बर 2015 में लागू कर दिया। इस प्रकार विश्व पटल पर नेपाल एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में सामने आया, हालांकि नेपाल का संविधान समावेशी स्वरूप धारण नहीं किए हुए था क्योंकि नेपाल की जनता का एक बड़ा भाग इसके विरोध में उतर आया तथा कई जगह आगजनी, आत्महत्या एवं आर्थिक नाकेबन्दी हुई, परिणामस्वरूप इसका प्रभाव नेपाल-भारत के संबंधों पर भी पड़ा।

अंगीकृत संविधान में प्रमुख प्रावधान

नेपाल का अंगीकृत संविधान मधेशियों एवं थारुओं की आशाओं की पूर्ति करने में विफल रहा है क्योंकि थारु एवं मधेसी समुदाय तराई क्षेत्र में 70 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तराई क्षेत्र में कुल 22 जिले आते हैं जिसमें से 8 जिलों को मिलाकर एक प्रांत बनाया गया और शेष 19 जिलों को पहाड़ी क्षेत्र के साथ डाल दिया गया। जिससे मधेसी समुदाय दो भागों में बँट गया, अत: इनकी एकता को तोड़ना इनका प्रमुख लक्ष्य था। कहा यह भी जाता है कि मधेशी एवं थारु समुदाय को संविधान निर्माण प्रक्रिया से दूर रखा गया, परंतु मधेशी मताधिकार मंच विजय कुमार के नेतृत्व में संविधान सभा में शामिल थे, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें गठबन्धन से हटना पड़ा।[7] परिणामत: किसी मधेशी पार्टी में अंगीकृत संविधान पर स्वीकृति प्रदान नहीं दी गई। इसलिए मधेश-थारु समाज शुरुआती समय से ही इस संविधान के विरोध में रही है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार नेपाल के कुल भौगोलिक क्षेत्र में तराई क्षेत्र का हिस्सा 17 प्रतिशत है, जबकि नेपाल की कुल जनसंख्या का आधा भाग तराई क्षेत्र में निवास करता है। अत: नये संविधान में इनके प्रतिनिधित्व की उपेक्षा की गई। मधेसी-थारु समुदाय के साथ भेदभाव कोई नया मुद्दा नहीं है, सेना, प्रशासनिक पद एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी इनकी उपेक्षा होती रही है, परन्तु देखने वाली बात यह है कि मधेशी समुदाय लोकतांत्रिक माँगों के लिये शुरुआत से ही सक्रिय भूमिका में रहा है।[8]

अंगीकृत नये संविधान में कुछ प्रावधान जिनका विरोध थारु-मधेसी समुदाय कर रहा है जो निम्न है :-

1. **अनुच्छेद 63(3)–**भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का वर्गीकरण की बात कही गई है, परन्तु वास्तविक रूप से ऐसा नहीं हुआ है।
2. **अनुच्छेद 283–**नेपाली नागरिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय असेम्बली के सभापति, संसदीय अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री जैसे सर्वोच्च पदों पर तभी नियुक्त हो पायेंगे, जिनके पूर्वज नेपाली रहे हों, यह प्रावधान भी मधेशी समुदाय के विरोध का कारण बना। अत: यहां भारत चाहता है कि इसमें संशोधन हो और नागरिकता में जन्म एवं निवास दोनों शामिल हों।
3. **अनुच्छेद 154–**प्रत्येक 10 वर्ष बाद निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन होगा, परन्तु अंगीकृत संविधान में यह समय सीमा बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है।
4. बच्चों की नागरिकता तय करने वाले प्रावधान भी जटिल नजर आ रहे हैं।
5. अंतरिम संविधान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था परन्तु अंगीकृत संविधान में इसका लोप कर दिया गया है।

नेपाल का अंगीकृत संविधान प्रजातीय संघर्ष को बढ़ावा देने वाला प्रतीत होता है जिसमें मुस्लिम, गुरुंग और लिम्बू इत्यादि जनजाति समुदाय एवं मधेशी-थारु समुदाय एवं पहाड़ी समुदाय के बीच आपसी सत्ता का संघर्ष नेपाल में भविष्य में शांति एवं अमन नजर आता नहीं दिख रहा है।[9]

भारत पर प्रभाव

नेपाल की अस्थिरता एवं परिवर्तित विदेश नीति भारत को अवश्य प्रभावित करती है इसलिये कहा जाता है कि एक अस्थाई नेपाल भारत के लिये सदैव चिंताजनक है क्योंकि खुली सीमा से पलायन का प्रभाव भारत के आर्थिक एवं सामरिक दोनों दृष्टिकोण से चिंता बढ़ाने वाला साबित होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नेपाल का संविधान गुलदस्ते के समान हो, जिसमें विभिन्न फूल सुगंधित हो अर्थात समन्वित दृष्टिकोण व समान अधिकार एवं समान प्रतिनिधित्व नेपाल को अधिक मजबूती प्रदान करेगा।

लेखक प्रशांत झा ने कहा है कि ''इस पूरे मुद्दे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेपाल की है, जैसे ही काठमांडू व तराई का संबंध सुधरेगा वैसे ही दिल्ली भी संतुष्ट हो जायेगी।'' साथ ही भारत की दूसरी सबसे बड़ी चिंता माओवादी सरकार की परिवर्तित विदेश नीति, जिसके तहत माओवादी सरकार का चीन के प्रति झुकाव भारत को अवश्य परेशान करने वाला पहलू है। चीन ने नेपाल के नये संविधान को अधिक समन्वित एवं समावेशी बताया है। इसके सन्दर्भ में प्रो. एस.डी. मुनि के अनुसार - ''चीन चाहे जितना भी निवेश कर लें, अगर नेपाल की जनता सचमुच विकास चाहती है तो भारत का साथ आवश्यक है।'' बीते समय में आर्थिक नाकेबन्दी के दौरान चीन की तेल कंपनी 'पेट्रो चाइना' और नेपाल

ऑयल कॉरपोरेशन के बीच का करार, भारतीय हितों को सीधी चुनौती थी। इस करार के तहत 'पेट्रो चाइना' नेपाल में ऑयल आपूर्ति करेगी, लेकिन इतने समय तक यह काम भारत की तेल कम्पनी 'इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन' के पास था। साथ ही नेपाली जनता द्वारा आर्थिक नाकेबन्दी का दोषारोपण भारत पर किया एवं इस आर्थिक नाकेबन्दी के मामले को नेपाल, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने तक ही बात कहीं।[10]

परन्तु वास्तविकता यह है कि नेपाल की आर्थिक नाकेबन्दी मधेशी समुदाय द्वारा की गई क्योंकि वे तब अंगीकृत संविधान से असंतुष्ट थे। इसके अलावा भारत का असंतुष्ट होना वाजिब है, क्योंकि इसके कई और पहलू निम्न है -

नव अंगीकृत संविधान पर आम सहमति का न होना, क्योंकि यह मधेसी-थारू समुदाय, दलित एवं महिलाओं के हितों के खिलाफ था, क्योंकि भारत हमेशा से मजबूत लोकतंत्र एवं मजबूत नेपाल का सम्मान करता आया है परंतु भारत की अपेक्षा के विपरीत इस संविधान में प्रावधान शामिल किये गये तथा भारतीय मूल के लोगों के साथ उपेक्षा का व्यवहार किया गया, साथ ही भारत-नेपाल के बीच खुली सीमा से इसका प्रभाव भारत पर अवश्य पड़ेगा, वहीं नेपाल का एक बड़ा वर्ग भारत में कामगार के रूप में मौजूद है। इसके अलावा गोरखा सैनिक भारतीय सेना का एक मजबूत पक्ष रहा है, जिन्होंने समय-समय पर सर्वोच्च पराक्रम का परिचय दिया है। इनके हितों की रक्षा करना भारत का कर्त्तव्य है।

भारत का दूसरा प्रमुख पहलू यह है कि नेपाल की राजनीति के प्रमुख नेताओं की शिक्षा भारत के विश्वविद्यालयों से ही हुई है, इसके बावजूद संविधान निर्माण प्रक्रिया से भारत को बाहर रखा गया, लेकिन भारत हमेशा से दक्षिण-एशिया में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रबल समर्थक रहा है, परंतु माओवादी नेताओं का झुकाव चीन की तरफ ही रहा है, इससे नेपाल में भारत विरोधी संगठन अधिक सक्रिय होने की संभावना बनी रहती है जो भारत के सामरिक दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। भारत हमेशा से पंचशील नीति का समर्थक रहा है, जो यह आशा करता है कि लोकतांत्रिक नेपाल समन्वित रवैये के साथ भारत के साथ संबंध स्थापित करे। हाल ही में बीते चुनाव के समय नेपाल में संविधान संशोधन पहलुओं पर विचार किया गया है, अत: भारत यह आशा करता है कि ओली सरकार नेपाल के प्रत्येक समुदाय को अवश्य संतुष्ट करेगी एवं इसके हितों की रक्षा करेगी।

भारत नेपाल के बीच विवादित मुद्दे

भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक राष्ट्र है, साथ ही पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करना भारत की परम्परा रही है, फिर भी पड़ोसी राष्ट्र एक भय के माहौल में रहते हैं कि भारत इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तथा एक तरफा व्यापारिक नीति के तहत छोटे पड़ोसी राष्ट्रों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके कारण पड़ोसी देशों के साथ कुछ विवादित मुद्दे अवश्य पैदा होते हैं, जिसमें से कुछ मुद्दे नेपाल के साथ भी समय-समय पर उभर कर सामने आते हैं।

(i) भारत-नेपाल के बीच खुली-सीमा होने के कारण अनाधिकृत एवं अवैध व्यापार की प्रमुख समस्या है जिसमें मादक-पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी इत्यादि, इसका लाभ दूसरे देशों के नागरिक उठा रहे हैं।

(ii) आतंकवादी भारत-नेपाल के बीच खुली सीमा का फायदा उठाकर अक्सर भारत-विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाये जाते हैं, इसका प्रमुख उदाहरण कंधार विमान अपहरण काण्ड एवं प्रमुख आतंकवादी भारत से भागकर नेपाल में शरण लेते हैं।

(iii) जल विवाद - नेपाल सर्वाधिक नदियों वाला राष्ट्र है, जिसके पास अपार जल संसाधन मौजूद है जिसके कारण दोनों देशों के बीच जल विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण समझौते होते हैं जिसमें महाकाली नदी समझौता 1996, जिसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है, प्रारम्भ में यह परियोजना 8 साल में पूरी करनी थी परंतु इसका क्रियान्वयन 20 साल व्यतीत होने के बावजूद अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा पंचेश्वर बाँध बहुद्देशीय परियोजना, गंडक नदी समझौता, टेकनपुर समझौता इत्यादि परियोजनाओं के बारे में नेपाल हमेशा आरोप लगाता रहा है कि इसका अधिकांश लाभ भारत को मिलता है, इसके अलावा कोसी योजना इत्यादि के कारण भारत-नेपाल के बीच कटुता पैदा करते हैं।

(iv) सीमा विवाद - भारत-नेपाल के बीच खुली सीमा होने के कारण सीमा प्रबंधन एक महत्वूपर्ण मुद्दा बना रहता है, इसके अलावा 'कालापानी' क्षेत्र को लेकर भी हमेशा विवाद बना रहत है, जिस पर दोनों देशों को बैठकर मुद्दा सुलझाना होगा।

(v) पारगमन मार्ग संबंधी मुद्दा - नेपाल दक्षिण एशिया में भू-स्थलबद्ध राष्ट्र होने के कारण भारत-नेपाल को व्यापारिक मार्ग मुफ्त में उपलब्ध करवाता है जिसके तहत भारत-नेपाल सीमा पर चार चौकियों से व्यापारिक सुविधा नेपाल को उपलब्ध है, लेकिन मधेशी आन्दोलन के समय नेपाल ने

आर्थिक-नाकेबन्दी का आरोप भारत पर लगाया कि भारत अपने रास्ते से व्यापारिक अवरोध पैदा कर रहा है।

(vi) मानव तस्करी - मानव तस्करी भारत-नेपाल के बीच सबसे विवादित मुद्दा रहा है, बी.बी.सी. की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल-भारत सीमा पार से मानव तस्करी में 2014 से इजाफा हुआ है जिसमें प्रत्येक वर्ष 2.50 लाख नागरिकों को भारत लाया जाता है जिसमें घरेलु नौकर, बच्चे, महिलाएँ शामिल होते है, जिनका भारत में देह व्यापार किया जाता है, इसके अलावा इनको अवैध रूप से खाड़ी देशों में भेजा जाता है;

(vii) व्यापारिक असंतुलन - भारत-नेपाल के बीच व्यापार में व्यापार- आधिक्य हमेशा भारत के पक्ष में रहता है, इसका प्रमुख कारण भारत की विशाल अर्थव्यवस्था का होना है, इसको लेकर नेपाल की हमेशा शिकायत रही है कि व्यापार सरप्लस से नेपाल को नुकसान उठाना पड़ता है।

(viii) सिल्क रुट में नेपाल - चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना सिल्क रूट में नेपाल शामिल हो गया, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के 65 देशों को जल व थल मार्ग से जोड़ने वाली परियोजना 'वन बेल्ट, वन रोड़' के नाम से जानी जाती है। इसमें शामिल होने के लिए मई 2017 में नेपाल ने चीन के साथ समझौता कर लिया। नेपाल का परम्परागत आर्थिक एवं राजनीतिक साझेदार भारत इसका विरोध करता आया है, क्योंकि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी इस सिल्क रूट का हिस्सा है जो गुलाम कश्मीर से गुजरता है, जो भारत-पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है इससे भारत की संप्रभुता का हनन होता है।[11]

समसामयिक परिप्रेक्ष्य में भारत-नेपाल के बीच सहयोगात्मक पहलू

नेपाल में परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियाँ एवं भारत के साथ संबंध कुछ मुद्दों को छोड़कर लगभग सामान्य ही रहे एवं समय-समय पर जरूरत पड़ने पर भारत ने नेपाल के लिए सहयोगात्मक रवैया अपनाया-पिछले 12 सालों में नेपाल की यात्रा करने वालों में नरेन्द्र मोदी ने दो दिवसीय नेपाल की यात्रा की- जिसके तहत निम्न क्षेत्र में सहयोग पर सहमत हुए :-

(i) व्यापार के संबंध में भारत व नेपाल के बीच उपक्षेत्रीय सहयोग के सन्दर्भ में बी.बी.आई.एन. (बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल) मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक-व्यापारिक हितों की पूर्ति करेगा।

(ii) नेपाल के ग्रामीण क्षेत्र में भारत ''आयोडीन युक्त नमक'' की आपूर्ति की जायेगी। यह आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण पर प्रभावी कदम साबित होगा।

(iii) महाकाली नदी पर पंचेश्वर बहुआयामी परियोजना में आ रही बाधाओं का शीघ्र निपटारा किया जायेगा, जो पिछले 20 वर्षो से काम अटका पड़ा था।

(iv) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं मनोरंजन के लिए सरकारी टेलीविजन प्रतिष्ठानों दूरदर्शन प्रसारण एवं नेपाल टेलीविजन के बीच सहयोग से संबंधित समझौता हुआ।

(v) राजमार्ग सूचना ट्रांसमिशन लाइन में भारत-नेपाल की सहायता करेगा।

(vi) पशुपतिनाथ विकास प्राधिकरण को परिसर में नवीनीकरण और पुनरुद्धार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहायता करेगा।

(vii) नेपाल में तेल आपूर्ति के लिए भारत-नेपाल पाइपलाइन समझौता हुआ, यह दक्षिण एशिया में दोनों देशों के बीच पहली पाइप लाईन होगी।

(viii) भारत धार्मिक पर्यटन एवं साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नेपाल में बौद्ध सर्किट पर ढांचागत निर्माण में सहयोग करेगा जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था की मजबूती मिलेगी।

(ix) भारत नेपाल के बीच हवाई सेवाओं का विस्तार किया जावेगा।

(x) सीमा पार सहयोग व सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिए टेलीकॉम क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।

(xi) नेपाल में कृषि कार्यों के लिये कार्बनिक खेती और मृदा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सहायता करता आया है।

(xii) सुरक्षा संबंधी विषयों में बढ़ावा देने के लिये सीमा कार्य समूह का गठन तथा कालापानी और सुरक्षा विवाद का निवारण के लिए विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी। साथ ही सीमा पार मादक पदार्थों एवं मानव तस्करी पर नियंत्रण के लिये अधिकारिक वार्ता होती रहेगी।

(xiii) भारत-नेपाल को रक्षा उपकरण खरीद में सहायता तथा दोनों देशों की सेवाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने एवं परस्पर आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास किया जाता है।

(xiv) भारत-नेपाल के बीच ''द्विपक्षीय मैत्री'' संधि की समीक्षा पर सहमति बनायी जायेगी।

(xv) भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिये भारत सरकार 250 मिलियन डॉलर का अनुदान - जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास निर्माण, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण में खर्च होगा।

(xvi) भारत के विशाखापत्तनम बन्दरगाह का उपयोग नेपाल अपने पारगमन सुविधा हेतु कर रहा है। साथ ही रेल-मार्ग सुविधाओं का और सरलीकरण पर सहयोग रहेगा।

(xvii) भारत-नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने एवं द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिये प्रख्यात हस्तियों के समूह का गठन किया गया है।

(xviii) नेपाल में निवेश सम्मेलन आयोजन - 2017 में किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया ताकि नेपाल में विदेशी निवेश बढ़े।

निष्कर्ष

दो देशों के बीच आपसी संबंध हमेशा एक जैसे नजर आये, यह जरुरी नहीं है, परंतु कुछ मूलभूत आपसी संबंध जिसको बदला नहीं जा सकता है, विशेषकर पड़ोसी देशों में ऐसा संभव नहीं है, इसलिये भारत को नेपाल के साथ सदियों से चले आ रहे सम्बन्धों में प्रगाढ़ता लाने के लिए पहले पड़ोसी की नीति का प्रभावशाली ढंग से पालन करना होगा तथा भारत के द्वारा नेपाल को व्यापारिक गतिविधियों में एकतरफा छूट प्रदान करनी होगी। दोनों देशों के बीच किये गए समझौतों का क्रियान्वयन समय पर करना होगा एवं विकासात्मक परियोजनाओं को गति प्रदान करनी होगी ताकि नेपाल में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए कुछ अन्य नीतिगत सुझावों पर भी अमल करना होगा यथा- दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने हेतु एक सयुंक्त सीमा आयोग का गठन, धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धों की मजबूती के लिए प्रयास करना, भारतीय विश्वविद्यालयों में नेपाली विद्यार्थियों के लिए विशेष फेलोशिप की व्यवस्था करना एवं भारत में काम करने वाले नेपाली कामगार वर्ग की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना आदि।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बराला, एल.आर., नेपाल : प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस, कोनार्क पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1993, पृ.सं. 9.
2. चेलानी, ब्रह्मा, नेपाल पर चीनी वर्चस्व, दैनिक जागरण, नई दिल्ली, 11 फरवरी 2017
3. मंडल, मोनिका, इंडिया-नेपाल रिलेशंस, के. डब्ल्यू पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2014, पृ.सं. 21-29.
4. उपर्युक्त, पृ.सं. 56-74
5. सिंह, शिव बहादुर, नेपाल में लोकतांत्रिक संघर्ष, अध्यापन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008, पृ.सं. 104-110
6. भारद्वाज, संजय, नेपाल : फिर अवसरवादी गठबंधन, राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 17 अक्टू. 2012
7. शरण, श्याम, नेपाल हिस्ट्री रिवाइज्ड, द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, 5 मई 2017
8. द हिन्दू, नई दिल्ली, 9 मई 2017
9. सिंह, सुशील कुमार, राजनीतिक अस्थिरता में नेपाल, दैनिक जागरण, नई दिल्ली, 29 जुलाई 2016
10. जायसी, दमकांत, इन नेपाल एन ऐलुलिपे क्यूइस्ट फॉर कंसेंसस, द हिन्दू, नई दिल्ली, 21 फरवरी 2015
11. बालाजी, मधुमिता श्रीवास्तव, प्रधानमंत्री देउबा की भारत यात्रा समीक्षा, विवेकानन्द इन्टरनेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017.

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 70-74

सतत् विकास की गाँधीवादी अवधारणा

मुकेश कुमार गुप्ता

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान

श्री सन्त सुन्दरदास राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, दौसा (राजस्थान)

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

शोध सारांश

सतत् विकास एक ऐसी बहुआयामी अवधारणा है जिसके अन्तर्गत ऐसे समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास की बात की जाती है, जो न्यायोचित एवं प्राकृतिक संसाधनों के सीमित और दीर्घकालिक उपभोग पर आधारित हो। इस अवधारणा का जन्म बीसवीं शताब्दी के छठवें दशक में तब हुआ जब मानव का ध्यान औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों पर गया। विकास की प्रतिस्पर्धा में मानव समाज और पर्यावरण को जो कीमत चुकानी पड़ी है, उन चिन्ताओं के फलस्वरूप सतत् विकास की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कोशिशों के उपरान्त संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में 25-27 सितंबर 2015 को न्यूयार्क में सतत् विकास सम्मेलन में 150 राष्ट्रों ने भाग लेते हुये एजेंडा-30 के तहत् 17 लक्ष्य एवं 169 सहायक लक्ष्य अंगीकृत किये।यद्यपि महात्मा गाँधी ने सतत् विकास एवं सामाजिक, आर्थिक विकास का कोई सैद्धान्तिक मॉडल प्रस्तुत नहीं किया था लेकिन गाँधीजी के द्वारा जो अपने आनुभाविक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक और पर्यावरण पर जो मौलिक विचार दिये गये हैं, वे उनकी दूरदर्शिता व दीर्घकालिक सोच ही थी। जिन सतत् और पर्यावरणीय विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के राष्ट्रों द्वारा निर्धारित किये गये है, उन विकास लक्ष्यों को गाँधीजी ने अब से कई वर्ष पूर्व ही अपने समावेशी सामाजिक और आर्थिक मूल्यों द्वारा ही निर्धारित कर दिये थे। गाँधीजी ने अपनी पुस्तक हिन्द स्वराज में आधुनिक औद्योगिक शहरी सभ्यता को मानव और पृथ्वी के लिये विनाशकारी बताया था। उन्होंने प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जैसे- जल, वायु, पृथ्वी, पर्यावरण आदि के संरक्षण को व्यक्ति और समाज का नैतिक कर्तव्य माना था। अगर समूचे गाँधी चिन्तन को टिकाऊ विकास का घोषणा पत्र एवं गाँधी जी को सतत् और टिकाऊ विकास का प्रतिनिधि विचारक एवं पर्यावरण का मसीहा कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

संकेताक्षर : *सतत् विकास, टिकाऊ विकास, समावेशी विकास, प्राकृतिक संसाधन, एजेण्डा-30, सतत् विकास लक्ष्य*

प्रस्तावना

हम लोगों ने समाज के आगे बढ़ने का जो पैमाना निश्चित कर रखा है, वह है विकास। हमने यह मान लिया है, कि मानव का उत्थान विकास के बिना संभव नहीं है और मानव की इस सोच से ही शुरू होती है विकास की होड़। सामान्यत: विकास शब्द का अर्थ सामाजिक और आर्थिक सुधार से लिया जाता है। विकास की होड़ में हम यह भूल गये कि यह विकास किस कीमत पर कर रहे हैं? क्या हमने पृथ्वी की सहनशीलता और पर्यावरण का कोई ख्याल किया? इस बात का होश हमें बीसवी शताब्दी के छठवें दशक में तब आया जब मानव का ध्यान विकास और औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों पर गया। इसी समय 1962 में वैज्ञानिक राकल कारसन द्वारा लिखी पुस्तक दी साइलेन्ट स्प्रिंग (The Silent Spring) से सतत् विकास की अवधारणा की शुरूआत मानी जाती है जिसमें उन्होंने इस पुस्तक में कीटनाशक डी.डी.टी. के प्रयोग से मानव जीवन पर हो रहे दुष्प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

विश्व समुदाय ने पहली बार 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टोकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में यह स्वीकार किया कि पर्यावरण संकट एक गंभीर मुद्दा है लेकिन सतत् विकास की अवधारणा का वास्तविक विकास 1987 में प्रकाशित ब्रूंडलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य (Our Common Future) से माना जाता है, जिसमें उन्होनें सतत् विकास को

ऐसा विकास कहा कि, जो भावी पीढियों की आवश्यकता की पूर्ती से बिना कोई समझौता किये, वर्तमान की आवश्यकता पूरी करता है। तत्पश्चात् सतत् विकास को अलग-अलग रूपों में परिभाषित किया जाता रहा है।

सतत् विकास एक ऐसी बहुआयामी अवधारणा है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय, सामुदायिक अथवा वैयक्तिक स्तरों पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रणालियों, नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों में परिवर्तन की वांछित दिशा पर बहस तथा निर्णय लेने के लिए एक वृहद् रूपरेखा के रूप में हुआ।[1] सतत विकास के अन्तर्गत ऐसे समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास की बात की जाती है, जो न्यायोचित एवं प्राकृतिक संसाधनों के सीमित और दीर्घकालिक उपभोग पर आधारित हो। विकास के इस तरीके के अन्तर्गत भविष्य को प्रभावित किये बिना हमारी वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने पर बल दिया जाता है। विकास की प्रतिस्पर्धा में मानव समाज और पर्यावरण को जो कीमत चुकानी पडी है, उन चिन्ताओं के फलस्वरूप सतत् विकास की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कोशिशों के उपरान्त संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में 193 सदस्यीय महासभा की सहमति से आयोजित 25-27 सितंबर 2015 को न्यूयार्क में सतत् विकास सम्मेलन में 150 राष्ट्रों ने भाग लेते हुये एजेंडा-30 के तहत् 17 लक्ष्य एवं 169 सहायक लक्ष्य अंगीकृत किये।

एजेण्डा-2030 के तहत् निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों में विश्व से गरीबी उन्मुलन, भुखमरी से छुटकारा, बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर, समावेशी शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता व शुद्ध पेयजल, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सभी का आर्थिक विकास, समावेशी एवं टिकाऊ औद्योगिकीकरण, देशों में व देशों के भीतर असमानता में कमी, टिकाऊ शहरी विकास, टिकाऊ उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना, समुद्रों व समुद्री संसाधनों का संरक्षण, जंगल भूमि व जैव विविधता के क्षरण को रोकना, शांति व न्यायपूर्ण समाजों को बढ़ावा, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी आदि को शामिल किया है। उक्त लक्ष्यों की पूर्ति के लिये 2016 से 2030 तक की अवधि निश्चित की गयी है। उपर्युक्त विकास लक्ष्य मानव जीवन के लगभग हर पहलू को छू रहे हैं।

यद्यपि महात्मा गाँधी ने सतत् विकास एवं सामाजिक, आर्थिक विकास का कोई सैद्धान्तिक मॉडल प्रस्तुत नहीं किया था और न ही रूसो, मार्क्स, ग्रीन, व मिल की तरह कोई वाद या दर्शन प्रस्तुत किया है लेकिन गाँधीजी के द्वारा जो अपने आनुभाविक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक और पर्यावरण पर जो मौलिक विचार दिये गये हैं, वे उनकी दूरदर्शिता व दीर्घकालिक सोच ही थी। 1987 में ब्रूंडलैंड आयोग ने जो साझा भविष्य का विचार दिया था, उससे बहुत पहले महात्मा गाँधी ने मनुष्य की बढ़ती इच्छाओं एवं जरूरतों के अधीन आधुनिक शहरी सभ्यता के खतरों की ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक हिन्द स्वराज में मानव की अंतहीन इच्छाओं के फलस्वरूप लगातार हो रही खोजों के कारण पैदा हो रहे उत्पादों को सम्पूर्ण मानवता और पृथ्वी के लिये विनाशक बताया था। महात्मा गाँधी ने वास्तविक सभ्यता मानवता के प्रति कर्तव्य और संयमशील नैतिक आचरण को बताया है।

उनके अनुसार विकास को वर्तमान और भविष्य के समाज की मौलिक जरूरतों को पूरा करनें वाला होना चाहिये। विकास के संबंध में यह उनका विचार सतत् विकास से मिलता-जुलता है। जिन सतत् और समावेशी, टिकाऊ पर्यावरणीय विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के राष्ट्रों द्वारा निर्धारित किये गये है, उन विकास लक्ष्यों को गाँधीजी ने अब से कई वर्ष पूर्व ही अपने समावेशी सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मूल्यों द्वारा ही निर्धारित कर दिया गया था।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों में जो गरीबी और भुखमरी की समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है उस संदर्भ में गाँधीजी का विचार था कि भारत एवं सम्पूर्ण विश्व की आर्थिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति भोजन एवं वस्त्र के अभाव से पीड़ित न हों।[2] महात्मा गाँधी ने व्यापक मशीनीकरण का विरोध करते हुए कहा था कि मशीनीकरण धनवानों को अधिक धनवान और गरीबों को अधिक गरीब बनाता है, एवं बेरोजगारी को बढ़ाता है। उन्होंने कहा था कि मशीनों के प्रयोग से अगर गरीबी मिटायी जा सकती तो वे मशीनीकरण का समर्थन करते। उनके द्वारा बड़ी-बड़ी मशीनों के बजाय चरखा व सिलाई मशीन के उपयोग पर बल दिया गया। गाँवों में गरीबी उन्मूलन के लिए उनकी योजना थी कि जो वस्तुएं गाँवों में भली भँति उत्पादित की जा सकती है वह शहरों में पैदा नहीं करने दी जाए और शहरों को गाँवों की पैदावार का बिक्री केन्द्र बनाया जाए।[3] उन्होंने गरीबी व भुखमरी जैसी समस्या का समाधान राजनीति में धर्म और नैतिकता के समावेश से करने का प्रयास किया था क्योंकि गाँधीजी के अनुसार धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से एवं उन सर्वोच्च नैतिक मूल्यों से है जो लोक कल्याण पर आधारित हों।गाँधीजी इस सत्य को जानते थे कि राजनीति व्यवस्था ही समाज के गरीब, पिछडे, विपन्न, एवं साधन विहीन लोगों के बारे में निर्णय लेने वाली एकमात्र सत्ता होती है। उनके अनुसार अगर राजनीति व्यवस्था ही धर्म विहीन अर्थात कर्तव्य और नैतिकता विहीन हो जाये तो राज व्यवस्था समाज के प्रत्येक

व्यक्ति को जीवनयापन हेतु न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पायेगी और राजनीति सेवा की अपेक्षा स्वार्थपूर्ति का माध्यम बन जायेगी। आज विश्व में गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण राज्यों का कर्तव्य और नैतिकता विहीन होना ही है।

सतत् विकास लक्ष्यों में शामिल समावेशी शिक्षा गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा पर ही आधारित है। गाँधीजी ने अपनी पुस्तक वर्धा शिक्षा योजना या नयी तालीम में बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, आत्मनिर्भरता व स्वावलंबन जैसे गुणों का विकास एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाला बताया।गाँधी जी बुनियादी शिक्षा के द्वारा एक ऐसे संगठित समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहें। इस हेतु उन्होंने बाल केन्द्रित शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं महिला शिक्षा को बुनियादी शिक्षा में शामिल किया। गाँधी की नयी तालीम न केवल भारत अपितु समग्र मानव समाज को नयी दिशा देने में सक्षम है लेकिन दुर्भाग्यवश इस सर्वकल्याणकारी शिक्षा योजना का राष्ट्रीय स्तर पर भी उचित प्रयोग नहीं हो पाया।

सतत् विकास लक्ष्यों में लक्षित लैंगिक समानता की दृष्टि से देखें तो महात्मा गाँधी ने लैंगिक समानता को समन्वित विकास के लिए पूर्व निर्धारित शर्त माना है। गाँधी ने लड़कों व लड़कियों के लिए समान शिक्षा का समर्थन करते हुए 1937 में अपनी बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अन्तर्गत 7 से 14 वर्ष तक के लड़के व लड़कियों दोनों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव किया।[4] महात्मा गाँधी ने लैंगिक समानता पर जोर देते हुए महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष मानते हुए कहा था कि स्त्री किसी भी रूप में पुरुष से कम नहीं है। गाँधीजी के मतानुसार स्त्री अबला नहीं है बल्कि अपनी शक्ति को पहचाने तो पुरुष से भी सबला है और वह माता के रूप में जिस तरीके से बालक को गढ़ती है बहुत करके पुरुष वैसे ही बनते हैं।[5] गाँधीजी ने ही स्त्रियों की शक्ति को पहचानते हुए सार्वजनिक मंच पर उन्हें भूमिका निर्वहन का आह्वान किया। उन्होंने नारी को अहिंसा का अवतार मानते हुए उसे पुरुष की माता, पुरुष की निर्मात्री और पुरुष की मार्गदर्शिका माना। गाँधीजी ने कहा कि शिक्षा, बलिदान की भावना और स्वयं अपनी गरिमा में आस्था, स्त्रियों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करतें हैं।[6] अत: लैंगिक समानता के बारे में उनका मानना था कि जिस समाज में नारी का उत्थान नहीं होगा उस समाज के विकास और उत्थान की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए समाज का यह कर्तव्य है कि वह महिलाओं को समानता का दर्जा प्रदान करे।

सतत् विकास लक्ष्यों में जिस तरह स्वच्छता पर जोर दिया गया है वही भावना स्वच्छता को लेकर गाँधी दर्शन में दिखायी पड़ती है। उन्होंने स्वच्छता को सर्वोपरि स्थान देते हुए स्वच्छता को ईश्वर का पर्याय माना और यहाँ तक कि स्वच्छता को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण साधन एवं स्वतंत्रता के लिए आवश्यक कदम बताया। उनका कहना था कि कोई व्यक्ति स्वस्थ तभी रह सकता है जब वह स्वच्छता को अपनाये। गाँधीजी के लिए स्वच्छता जीवन शैली और ईश्वर की अनुभूति का साधन है। उनके अनुसार आन्तरिक और बाह्य स्वच्छता के बिना हम ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते।

सतत् विकास लक्ष्य में जो सभी के विकास की बात की गयी है वही भावना गाँधीजी के न्यासिता सिद्धान्त और सर्वोदय दर्शन में दृष्टव्य होती है। न्यासिता सिद्धान्त के द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए गाँधीजी ने समाज के पूँजीपतियों को अपनी अतिरिक्त सम्पत्ति को सार्वजनिक हित में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के हितार्थ सौंप देने पर बल दिया। गाँधीजी समता पर आधारित मानवतावादी एवं शोषणमुक्त समाज बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि अर्थव्यवस्था और नैतिकता के बीच किसी भी तरह की दीवार खड़ी नहीं की जा सकती है, नैतिक मूल्यों को अस्वीकार करने वाले अर्थतंत्र का कोई मूल्य नहीं है, अर्थव्यवस्था के अन्दर अहिंसक नियमों को समाहित करने का स्पष्ट अर्थ है कि व्यापार और वाणिज्य को नियमित और नियंत्रित करने वाले तत्वों में नैतिक मूल्यों की भूमिका सर्वोपरि होनी चाहिए।[7] सर्वोदय का आशय है सभी का उदय अर्थात् सभी का उत्कर्ष एवं विकास। गाँधीजी के अनुसार सर्वोदय समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सभी व्यक्ति समान होंगे, सभी को उनके परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा। गाँधीजी की यह मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास और जीवन को सफल बनाने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए यदि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिले तो वह समाज के अन्य व्यक्तियों की तरह अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। प्रमुख गाँधीवादी जयप्रकाशनारायण के अनुसार सर्वोदय एक ऐसा कर्म दर्शन है जिसके द्वारा मानवता को शोषण मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।[8] अत: गाँधीजी के सर्वोदय दर्शन को अपनाकर सभी के विकास का टिकाऊ लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।

सतत् विकास लक्ष्यों में शामिल पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में गाँधी चिन्तन को देखें तो हमें यह बात मालूम होनी चाहिये कि, यद्यपि गाँधी चिन्तन में पर्यावरण शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, तथापि प्रकृति प्रदत्त नियामकों से उनका गहरा लगाव दिखायी पड़ता है।

उन्होंने प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों जैसे–जल, वायु, पृथ्वी सभी जीव-जन्तु, पर्यावरण आदि के संरक्षण को व्यक्ति और समाज का नैतिक कर्तव्य माना था। गाँधीजी जहाँ एक तरफ हमारे चारों ओर के वातावरण को स्वच्छ रखने पर बल देते हुए स्वयं भी ऐसा करते थे वहीं दूसरी तरफ वे अहिंसा के अन्तर्गत समस्त प्राणियों की रक्षा पर बल देते हुए ऐसी उत्पादन पद्धति को वांछनीय समझते थे जो प्रकृति के दोहन से मुक्त रहकर मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो सके। अगर हम पर्यावरण संबंधी गाँधी चिन्तन का अनुसरण करते तो जिस पर्यावरण प्रदूषण और वैश्विक तापवृद्धि के संकट से हम जूझ रहे हैं, हमें और भावी पीढियों को यह दंश नहीं झेलना पड़ता। शान्ति और न्याय प्राप्ति के लक्ष्य की दृष्टि से देखें, तो समूचा गाँधी चिन्तन शान्ति और न्याय पर ही आधारित है। उन्होंने वैश्विक शान्ति एवं न्याय की स्थापना के लिये अहिंसा और सत्याग्रह को महत्वपूर्ण हथियार बताया। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था हिंसा के बिना क्रान्ति, यही था गाँधी का तरीका जिससे उन्होंने भारत को आजादी दिलायी, मेरा यह अटूट विश्वास है कि सब देशों के द्वारा विश्व में शान्ति लाने की समस्या भी गाँधी के तरीके को व्यापक पैमाने पर लागू करने से ही हल हो सकती है।[9] गाँधीजी ने अहिंसा को विश्व व समाज में एकता स्थापित करने का सशक्त साधन मानते हुए कहा है कि प्रेम एवं सौहार्द के माध्यम से ही कोई देश दीर्घकालिक विकास का रास्ता तय कर सकता है। शोभाकान्त झा के अनुसार गाँधीजी ने अहिंसा को जीवन में मानवता के महत्व को स्थापित करने के उद्देश्य से जीवन का नियम स्वीकार किया है, उनके मत में सत्य और अहिंसा से बड़ा कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है।[10]

महात्मा गाँधीजी ने सतत् विकास लक्ष्यों की भाँति लक्ष्य प्राप्ति के लिये सामूहिक साझेदारी अर्थात सहकारिता पर बल दिया है।

आज विश्व जिन 17 सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगा हुआ है, उनमें से अधिकतर लक्ष्यों को गाँधीजी ने अपने 15 सूत्री निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया था, उनमें कुछ प्रमुखत: स्वच्छता, स्वास्थ्य, लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, नारी उद्धार, बुनियादी शिक्षा, समग्र सेवा, आर्थिक समानता को प्रोत्साहन आदि हैं।

निष्कर्ष

वास्तव में महात्मा गाँधी द्वारा वर्षों पहले भावी पीढियों को ध्यान में रखकर विश्व समुदाय को समग्र एवं टिकाऊ विकास का जो मॉडल प्रस्तुत किया था, व्यावहारिक तौर पर उन्होंने हमें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से स्थायी रास्ता ही दिखाया था। लेकिन पृथ्वी को बचाने हेतु सतत् एवं टिकाऊ विकास के लिए गाँधीजी द्वारा जो मौलिक विचार दिये गये थे, उस ओर हमने ध्यान नहीं दिया। विकास की छटपटाहट, भौतिक जीवन की लालसा एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के चक्कर में हमने जल, जंगल, जमीन, जीव अथवा सम्पूर्ण प्रकृति का शोषण किया। इसी के फलस्वरूप आज विश्व को 21वीं शताब्दी में सतत् विकास लक्ष्य निर्धारित करने पड़े हैं। लेकिन केवल सैद्धान्तिक रूप से ही लक्ष्य निश्चित करने से टिकाऊ विकास नहीं होगा। वास्तव में सतत् विकास लक्ष्यों का व्यवहारिक रूप में क्रियान्वयन गाँधी चिन्तन में ही निहित है। गाँधी दर्शन में ही हमें प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग में स्व की बजाय पर का स्थान दिखायी पड़ता है। गाँधीवाद ही सतत् विकास की दृष्टि से विश्व के लिए नयी आशा की किरण और एक नये भविष्य का प्रारूप प्रस्तुत करता है। आज मानवता के सामने जो समस्याएँ उपस्थित हैं, उनका समाधान यदि किसी के पास है तो वह गाँधी है, वे समस्या का सतही समाधान नहीं सुझाते वरन् उसके कारण एवं निवारण की भी तकनीक बताते थे।[11] गाँधी जी के सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक एवं नैतिक विचार सतत् विकास लक्ष्यों कि व्यवहारिक क्रियान्विती के लिए आज भी अत्यधिक प्रासांगिक और सशक्त विकल्प है। बस जरूरत है कि गाँधी दर्शन व चिन्तन का गहरायी से अध्ययन करके उन्हें आज के परिपेक्ष में देखकर जोड़ा जाये। जिस प्रकार शाश्वत मूल्य अपनी प्रासंगिकता नहीं खो सकते उसी तरह गाँधी विचार व चिन्तन समूचे विश्व के लिए दिन प्रति दिन अधिक प्रासांगिक होते जा रहे हैं। महात्मा गाँधी के जीवन, कार्य और विश्व इतिहास में उनके स्थान को पिछली शताब्दी के महानतम् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा एक यादगार समीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हमें यह कठिन पाठ पढ़ लेना चाहिए कि मानवता का भविष्य केवल तभी सहनीय होगा जब विश्व के मुद्दे और अन्य मुद्दों में भी हमारा मार्ग न्याय और कानून पर आधारित होगा न कि, शक्ति प्रदर्शन की धमकियों पर, आने वाली पीढ़ियों को कठिनता से विश्वास होगा कि ऐसा भी कभी कोई हाड़ मांस में इस धरती पर चला होगा।[12] अगर समूचे गाँधी चिन्तन को टिकाऊ विकास का घोषणा पत्र एवं गाँधी जी को सतत् और टिकाऊ विकास का प्रतिनिधि विचारक एवं पर्यावरण का मसीहा कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

संदर्भ सूची

1. गर्ग, प्रो. एस.सी., सतत् विकास : मुद्दे और चुनौतियां, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली) पृ.सं. 11
2. शर्मा, प्रो. बी.एम., शर्मा, डॉ. रामकृष्णदत्त एवं शर्मा, डॉ. सविता, गाँधी दर्शन के विविध आयाम, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, द्वितीय संसकरण 2009, पृ.सं. 48
3. राधाकृष्णनन्, सर्वपल्ली, गाँधीजी का धर्म और राजनीति, गाँधी अभिनन्दन ग्रन्थ, सस्ता साहित्य मण्डल, 1971, पृ.सं. 12
4. पटेल, एम.एस., द एज्यूकेशनल फिलोसॉफी ऑफ महात्मा गाँधी, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद (1953), पृ.सं. 109A
5. मसरूवाला, किशोरलाल, गाँधी विचार दोहन, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, 1999, पृ.सं. 42
6. गाँधी, महात्मा, हरिजन सेवक (साप्ताहिक पत्रिका), 10 नवम्बर 1946, पृ.सं. 387
7. गाँधी, महात्मा, यंग इंडिया, (साप्ताहिक पत्रिका), 13 अक्टूबर 1921, पृ.सं. 325
8. नारायण, जयप्रकाश, ए पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोश्यल ऑर्डर, अखिल भारतीय सेवा संघ तंजोर, सन् 1955, पृ.सं. 43
9. जैन, डॉ. सुमन, गाँधी विचार और साहित्य, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, 2016, पृ.सं. 137
10. झा, शोभाकान्ता, अहिंसा की प्रयोग स्थली चंपारन, स्मृति पत्रिका, गाँधी स्मृति एवं दर्शन समीति, नई दिल्ली, अंक 19, अगस्त 2001, पृ.सं. 9
11. जैन, डॉ. सुमन, गाँधी विचार और साहित्य, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, 2016, पृ.सं. 376
12. नन्दा, बलराम, इन सर्च ऑफ गाँधी, एसेज़ एण्ड रिफलेक्शन, ऑक्सफोर्ड, नई दिल्ली, 2002 पृ.सं. 26A

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 75-78

मुक्तिबोध उपन्यास : मुक्ति और पलायन का द्वंद्व

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

ममता कंवर बारहठ

शोधार्थी, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

शोध सारांश

जैनेन्द्र के आकाशवाणी के निमित्त लिखे गए दस परिच्छेदों में विभक्त लघु उपन्यास ''मुक्तिबोध'' में जीवन से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न को केन्द्र में रख कर लिखा गया है- ''मुक्ति का प्रश्न''। उपन्यास अंत तक सहाय साहब नामक किरदार के माध्यम से उनके भीतरी द्वंद्व को सुलझाता रहता है। सहाय साहब के मन में जो मुक्ति की कामना जागी है, उसके स्वरूप पर बहुत सूक्ष्मता से विचार किया गया है। जिसे मुक्ति की आकांक्षा समझा जाता है, कहीं वह जीवन के आवश्यक कर्त्तव्यों से पलायन तो नहीं। उपन्यास में सहाय साहब उस वृद्ध वर्ग का प्रतीक है जो अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाने के बाद जब मृत्यु को नजदीक से देखता है तो उसे अब तक किये गये अपने कर्मों की व्यर्थता नजर आती है। यहीं से उनके भीतरी द्वंद्व की शुरूआत होती है जो उनकी बेचैनी, छटपटाहट व ऊब का कारण बनता है। उपन्यास में बताया गया है कि मुक्ति निर्वहन में है, कर्म करने में है। मुक्ति के नाम पर कर्मों से भागना उचित नहीं। किस प्रकार सहाय साहब का सभी अपनों के प्रति व्यवहार बदलता है, आपसी सम्बन्धों को देखने की नयी दृष्टि मिलती है। पीढ़ियों का विचारगत अंतर, भीतरी मन और बाहरी व्यवहार का द्वंद्व, गाँव के प्रति जागा लगाव, खेती करने का विचार, श्रम की महत्ता को जानना, प्रेम का नया अर्थ; नि:स्वार्थ प्रेम में जानना, मुक्ति के अर्थ को आत्मा से जोड़ना, अन्तत: कर्म से ही कर्तव्य निर्वहन में ही आत्मा की मुक्ति का अर्थ पाना आदि इस उपन्यास के मुख्य आयाम है जिनमें इस उपन्यास का विस्तार है। ''मुक्ति'' के इस शाश्वत प्रश्न के साथ गुंजायमान होने वाले जीवन से जुड़े अनेक ऐसे विषय हैं जो इस प्रश्न के साथ एक साथ उठ खड़े होते हैं और समाधान तक पहुँचते-पहुँचते सभी के नये अर्थ खुलते हैं। असल में मुक्ति उन विषयों के नये अर्थ खुलने से हैं, यही उपन्यास का मूल मन्तव्य है।

संकेताक्षर : *मुक्तिबोध, जैनेन्द्र, बन्धन, मुक्ति का प्रश्न, पलायन, मृत्युबोध*

प्रस्तावना

'मुक्तिबोध' जैनेन्द्र द्वारा आकाशवाणी के निमित्त लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास के आरंभ में वे बताते हैं कि इसका एक परिच्छेद रविवार को लिखा जाता और सोमवार को प्रसारित किया जाता। उपन्यास में दस परिच्छेद हैं और यह रेडियो कार्यक्रम भी दस हफ्ते चला। रचना के पीछे लेखक का कोई राजनीतिक मन्तव्य नहीं रहा बल्कि 100 पृष्ठों के इस लघु उपन्यास में जीवन से जुड़े एक अति महत्वपूर्ण पृष्ठ की खुदबुदाहट देखी जा सकती है - 'मुक्ति का प्रश्न'।

सम्पूर्ण उपन्यास मुख्य किरदार सहाय साहब के इर्द गिर्द घूमते हुए सिर्फ एक प्रश्न पर ला छोड़ता है- मनुष्य की मुक्ति किसमें है? उपन्यास में राजनीति से जुड़ी कई छोटी बड़ी बातें आयी है कि राजनीति का जीवन और रिश्तों पर किस प्रकार का असर पड़ता है। ओहदे के चलते लोगों की चापलूसी, झूठा अपनापन, साथ का ढोंग, स्वार्थ के खेल इत्यादि को इस रचना में बखूबी देखा जा सकता है। मृत्यु का ख्याल किस तरह मुक्ति की आकांक्षा लेकर आता है ये सहाय के व्यवहार में हम देख पाते हैं।

असल में जिसे मुक्ति की आकांक्षा समझ लिया जाता है कई बार वो जिम्मेदारी से पलायन भी हो सकता है। लेखक उपन्यास में बताना चाहते हैं कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए ही मुक्त हुआ जा सकता है। अर्थात सांसारिक कर्तव्य को निभाते हुए उसमें बंधा न जाए। कर्म करते हुए कर्म से अलग रहा जाए। उपन्यास में आयी

एक पंक्ति में उपन्यासकार का मन्तव्य स्पष्ट होता है - ''मुक्ति और सृष्टि परस्पर समन्वित शब्द है।''[1]

मनुष्य चाहे किसी भी समय का हो मुक्ति का प्रश्न सदैव हर एक में मौजूद रहा है। किस तरह व्यक्ति मन कर्तव्यों को निभाते-निभाते कई बार उचटने लगता है और वो एक ऐसे मुक्ति भाव को महसूस करता है जो संसार से अलग कहीं है, जिसे अकेले में रहकर ही पाया जा सकता है। उसे अकेले में रहना अच्छा लगता है, किसी अन्य की उपस्थिति उसे खलती है। इस अकेलेपन के स्वीकार की कई वजहें हो सकती है लेकिन उपन्यास में मुख्य रूप से इसका कारण कर्तव्य से पलायन की चाह को बताया है और साथ ही बताया है कि इस तरह कर्तव्य से भागकर मुक्ति नहीं पाई जा सकती बल्कि असल मुक्ति कर्तव्य निभाते हुए चलने में है।

उपन्यास के आरम्भ में ही सहाय साहब अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट नजर आते हैं। वे अपने जीवन के आरंभिक समय में किस तरह के विचार रखते रहे और आज उसके बिल्कुल उलट ही किसी विचार को घटता पाते हैं। 55 वर्ष की उम्र में उन्हें अब तक का अपना जीवन घुटता हुआ महसूस होता है। वे अब जब मंत्री पद के लिए चुने जा रहे हैं तब उन्हें लगने लगा है कि वे अपने लिए जीना चाहते हैं। उनके प्रतिमान कुछ और थे जो आज वास्तविकता में कुछ और हैं। उन्हें याद आता है कि-''काफी जिंदगी मैं चल आया हूँ। क्या चाहता था मैं जब यह जिंदगी खुली? यूनिवर्सिटी से निकला और देश के काम में पड़ गया। देश को आजाद होना था लेकिन सच यह था, अब देखता हूँ कि मुझे आजाद होना था।''[2]

सहाय साहब अपने आजादी के स्वप्न के पीछे भागते भागते जाने कब बँध गए उन्हें भी इस बात का आभास अब तक नहीं हुआ। अब जब मृत्यु को अपने इतने करीब देखते हैं तो उन्हें जीवन बन्धन सा नजर आने लगता है। और वे अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ अब मुक्त होना चाहते हैं। सहाय साहब अपने आदर्श (जिसमें वे एक खेत में हल चलाना और फसल उगाना चाहते हैं।) की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन उपन्यास में बताया गया है कि आदर्श की तरफ कभी भी अकेला बढ़ना नहीं हुआ करता। सब के साथ मिलजुल कर चलना होता है। सबको साथ लेकर जिस आदर्श की सिद्धि हो वही आदर्श है, नहीं तो केवल महत्वाकांक्षा भर है। ऐसे आदर्श दूसरों के लिए सिर्फ समस्या ही बनते हैं। जैनेन्द्र के औपन्यासिक पात्रों की लड़ाई किसी अन्य से या बाहरी संस्था से न होकर स्वयं अपने से होती है। इस विषय पर बच्चन सिंह लिखते हैं कि ''जैनेन्द्र के उपन्यासों के पात्रों में स्थूल सामाजिक, नैतिक संघर्ष के स्थान पर आत्मस्थ नैतिक संघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। इस तरह की विषयवस्तु को लेकर लघु उपन्यास ही लिखे जा सकते हैं।''[3] अत: 'मुक्तिबोध' उपन्यास भी अपने लघु कलेवर में इसी तरह के सही-गलत के प्रश्न में उलझी मानसिकता को दर्शाता है।

सहाय साहब जो शुरू से लोगों से घिरे रहे, उन्हें आज मुक्ति सबके साथ नहीं अकेले में महसूस हो रही है। राजनीति किस तरह मनुष्यता को क्षति पहुँचाती है ये इस उपन्यास में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। उपन्यास में जगह जगह इस बात का जिक्र आया है कि राजनीति के क्या दुष्प्रभाव है-

''शायद राजनीति में यही होने लग जाता है। उपयोगिता की वेदी पर हार्दिकता को इंसान कुर्बान करने लग जाता है।''[4]

व्यक्ति पर राजनीति इस तरह हावी होने लगती है कि वह खुद को भूलने लगता है और अपने अंत तक वह स्वयं को ही नहीं जान पाता। राजनीति में ऊँचे पद पर होने के कारण सहाय साहब के पास कई नाते रिश्तेदार केवल स्वार्थवश रहते हैं। ऐसे रिश्तेदारों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। सभी लोग इस तरह एक व्यक्ति के पद का स्वार्थ के चलते फायदा उठाते हैं, धोखा करते हैं। यह तय कर पाना कठिन होता है कि कौन सही, कौन गलत। इस प्रकार की सच्चाई को उजागर करने वाले कई अंश उपन्यास में आये हैं।

उपन्यास में पुरुष और स्त्री के स्वभावगत अंतर को बखूबी लेखक ने जगह जगह उभारा है। किस तरह स्त्री सब कुछ का स्वीकार रखती है और पुरुषवादी मानसिकता सदैव किसी अन्य का सोचे बिना सब कुछ को छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। स्त्री सदैव जोड़ने का भाव लिए रहती है और पुरुष तोड़ने का। राजश्री एक जगह कहती है-

''कह चुकी हूँ मैं इनसे कि हम घरवालियों का मन अलग होने के लिए नहीं होता है।''[5]

आगे कहती है कि ''यह तो मैं मानती हूँ कि ओहदों में या दूसरे तरह के बड़प्पन में असल सुख नहीं है, पर तुम मर्दों का उधर से मन हटे न! हटता है तब जब बढ़ने की सूरत नहीं रहती, या अंदर शक्ति नहीं रहती।''[6]

राजश्री जीवन भर सहाय साहब के हर फैसले में उनका साथ देती है। अपने कष्ट और तकलीफ छुपाती है। आमतौर पर घरों में स्त्रियाँ इस प्रकार अपने आप को भुला कर पति के फैसले को अंतिम और स्वयं ही का फैसला मान कर रह जाती हैं। कभी सवाल नहीं उठाती। ऐसे सम्पन्न घरों में भी स्त्रियाँ किस प्रकार खुद को मिटाते

हुए जिये जाती हैं ये इस उपन्यास में सहाय साहब और राजश्री की आपसी बातचीत में देखा जा सकता है। उपन्यास में ठाकुर जो कि सहाय साहब के मित्र हैं एक जगह कहते हैं कि-

''पागल हुए हो सहाय!कष्ट की बात वह कहेगी? अब तक उन्होंने क्या पाया है, सच कहना?

सहाय साहब विवाह राजश्री से करते हैं लेकिन प्रेम नीलिमा से करते हैं। जैनेन्द्र के लगभग सभी उपन्यासों में ये विषय देखा जा सकता है कि उनके पात्र प्यार किसी और से करते हैं और विवाह किसी अन्य से। इसके चलते हुए भी किसी को आपस में एक दूसरे से कोई शिकायत, क्रोध और ईर्ष्या जैसे भाव नहीं रहे। इस उपन्यास में देखा गया कि किस तरह राजश्री, नीलिमा और सहाय के रिश्ते से वाकिफ होते हुए भी कभी उनको रोकती नहीं। नीलिमा से किसी प्रकार का द्वेष और क्रोध नहीं रखती। इसी बात से यह स्पष्टत: देखा जा सकता है कि उपन्यासकार स्त्री को लेकर चली आने वाली इस विचारधारा को तोड़ना चाहते हैं कि स्त्री में दूसरी स्त्री को लेकर ईर्ष्या अधिक होती है। राजश्री का नीलिमा के साथ किया जाने वाला बर्ताव इस बात का अच्छा उदाहरण है कि ईर्ष्या जैसा शब्द केवल स्त्री से जोड़कर ना देखा जाए।

पिता और पुत्री के सम्बन्धों का द्वंद्व इस उपन्यास में देखा जा सकता है। वहीं सहाय साहब के उनके पुत्र वीरेश्वर और पुत्री तमारा के साथ बिगड़े सम्बन्ध में पीढ़ी का अन्तर साफ नजर आता है। नई पीढ़ी के मूल्यों में बदलाव आ रहा है और ये बदलाव पुरानी पीढ़ी के मूल्यों को किस प्रकार भूलता जा रहा है। किस तरह दोनों को अपनी बात और समझ सही लगती है और दोनों अपनी अपनी बात को रखने के लिए आपस में सामंजस्य नहीं रख पाते। दोनों ही अपनी जगह पर होते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इस प्रकार के उद्धरण उपन्यास में जगह जगह देखे जा सकते हैं। एक जगह पर सहाय साहब को लगता है कि-

''मुझे लगा कि युवकों की दुनिया आगे निकल रही है। जैसे हमारी दुनिया के साथ उनका परिचय कम होता जा रहा है और कुछ उनका जगत सर्वथा अलग मूल्यों पर नया बनता जा रहा है।''[8]

मृत्यु बोध किस तरह मुक्ति का बोध लेकर आता है ये इस उपन्यास में सहाय साहब के व्यवहार में देखा जा सकता है। उपन्यास में एक जगह आया है कि सहाय साहब कमरे में अकेले बैठे सोच रहे हैं कि- ''कुछेक वर्षों में जैसे इस मुझ को ही चले जाना है, सभी को जाना है। आयु के इस गिनती के वर्षों में आखिर क्या है जो आदमी चाहता है, जिसके लिए अयास-प्रयास में लगा रहता है?''[9]

आगे जाकर वे अस्तित्व के प्रश्न को भी नकारते हैं और कहते हैं कि प्रश्न अनस्तित्व और समाप्ति का है।

''कहते हैं, मूल में अस्तित्व है, उसी को बचाना और बनाना हैं। इस आधार पर लोगों ने जीवन को समझा है, समझाया है। लेकिन अस्तित्व स्वयं अपना प्रयोजन हो तो अन्त में ऊपर से भेजी मृत्यु क्यों आए? इसलिए लगता है कि प्रयोजन को मृत्यु की, अनस्तित्व की भाषा में खोजना होगा। निज की सम्पत्ति की और अर्पण-विसर्जन की भाषा में।''[10]

इसी प्रकार की बात ठाकुर एक जगह और कहते हैं जब वे एक पति की घर में स्थिति और प्रभाव बताते हैं। इस तरह के वक्तव्य उपन्यास में देकर लेखक इसी बात की झलकियाँ देते हैं कि समाज में इस प्रकार का व्यवहार चलता आ रहा है और अभी जारी है- ''तुम पति हो सहाय, इसलिए वह कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं कह सकता। इस हैसियत का लाभ न लो ज्यादा।''[11] इसी प्रकार की एक बात जो पत्नी वर्ग को लेकर सहाय साहब द्वारा कही गयी जो परिवार और घर में पत्नी का स्थान दिखाती है- ''और मैं संसार की असारता के साथ स्त्री के हीनबुद्धि होने का विचार करता रहा। खासकर पत्नी-वर्ग की स्त्री।''[12]

नीलिमा जो सहाय साहब की मित्र है, उसके व्यक्तित्व में जीवन का पूर्ण स्वीकार भाव देखा जा सकता है। वो भी इसी बात के पक्ष में है कि कई बार व्यक्ति अपने काम से ऊबकर भी एकांत में अपनी मुक्ति खोजने लगता है और जीवन में कई बातों से अलग होना चाहता है। वो इसे भागना कहती है। नीलिमा जीवन में मिलने वाली हर बात का स्वीकार भाव, एक खुलापन रखती है। असल में सहाय साहब स्वयं भी आश्चर्य करते हैं कि नीला में ऐसी क्या शक्ति है जो वहाँ कुछ भी बँधा नहीं रहता है। वे एक जगह कहते हैं कि- ''मैं समझ नहीं पाता हूँ कि नीला की शक्ति क्या है। पर शक्ति का अनुभव करता हूँ। साथ होता हूँ तो लगता है, वातावरण उससे बनता है, मुझसे नहीं। परिस्थिति में जो मोड़ आता है, उससे आता है।''[13]

वास्तव में नीलिमा का यह व्यक्तित्व ही एक प्रकार से मुक्ति की सही परिभाषा है। जिसमें वो सब कुछ भोगते हुए भी सबसे अलग रहती है। नीलिमा के व्यक्तित्व का खुलापन इस उद्धरण में देखा जा सकता है- ''आप कीजिए विश्वास नियम में और संयम में। मुझे आकाश पसंद है जो खुला है, दिशाएँ पसन्द है जो पास बुलाती है चारों तरफ से, किसी तरफ से रोकती नहीं! मैं नहीं रहना चाहती कमरों में, दड़बों में, आदर्शों में। मैं अनंत में रहना चाहती हूँ। पर छोड़िए, शब्द और भाषा बड़ी ओछी पड़ती है।''[14]

असल में उपन्यास का मूल सन्देश नीलिमा के व्यवहार में देखा जा सकता है कि व्यक्ति कर्मों से भागकर मुक्त होने की अकांक्षा करता है लेकिन असल मुक्ति कर्म में रत रहकर ही पायी जा सकती है, कर्म से भागकर नहीं। नीलिमा बार बार सहाय साहब को यही समझाना चाहती है। उपन्यास में मूलत: यही बताया गया है कि जिम्मेदारियों से भागकर व्यक्ति कभी फूल की तरह नहीं खिलता। एक जगह नीलिमा सहाय साहब से कहती है कि- ''लेकिन तुम समझते हो, आदमी फूल के मानिंद होता है तो जिम्मेदारियों से भागकर होता है। नहीं, जिम्मेदारियों से निबटकर आदमी वह खुशी पाता है कि जिससे फूल खिलता है और महकता है।[15]

अत: लेखक उपन्यास में सहाय साहब के माध्यम से मुक्ति को लेकर एक दृष्टि हमारे समक्ष ला रखते हैं कि मुक्ति संसार में रहकर और जिम्मेदारियों को निभाकर ही सम्भव है। सृष्टि में से ही मुक्ति है। संसार में रहते हुए संसार से मुक्त होना असंभव है- ''मुक्तिबोध की कहानी यहीं कहीं खत्म हो जाती तो अच्छा था लेकिन जग का जंजाल खत्म होने के लिए नहीं होता है। परम्परा विस्तृत होती चलती ही जाती है कि सब अंत में मुक्ति में पर्यवसान पाए। अर्थात् मुक्ति और सृष्टि परस्पर समन्वित शब्द हैं। शायद सृष्टि में से मुक्ति है चाहे तो देखें कि सृष्टि सदा बन्धनों की ही सृष्टि हुआ करती है।''[16]

यही पंक्तियाँ ''मुक्तिबोध'' उपन्यास का और सहाय साहब के जीवन का भी सार है। अचानक मुक्ति का बोध जागना ओर उस बोध के बदलते अर्थ हम इस उपन्यास में देखते हैं।

निष्कर्ष

जैनेन्द्र का यह लघु उपन्यास एक मुक्ति की कामना रखने वाले बड़े राजनेता के जीवन की कहानी है। जिसका समाधान जैनेन्द्र अपने आदर्शवादी दर्शन से देते हैं। उपन्यास में बाहरी उठापटक की बजाय भीतरी द्वंद्व की खुदबुदाहट है। मुक्ति का प्रश्न भीतरी है या बाहरी सबसे पहले उपन्यासकार इस एक दुविधा को सुलझाते नजर आते हैं, उसके पश्चात मुक्ति किस में है, इस प्रश्न को। डॉ. रामचन्द्र तिवारी अपने गद्य साहित्य के इतिहास में लिखते हैं- ''जैनेन्द्र की दार्शनिक प्रवृत्ति मुक्तिबोध के प्रश्न को लेकर समाधान ढूँढने में गहनतर होती गयी है। मुक्ति का प्रश्न सामाजिक-राजनीतिक स्तर पर सुलझाया जा सकता है या आत्मिक स्तर पर?''[17]

प्रेम और विवाह की समस्या जैनेन्द्र के अन्य उपन्यासों की भाँति इसमें भी है। पीढ़ियों में बढ़ते फासले के कारण आयी विचारगत भिन्नता और टकराव के साथ राजनीति के दुष्प्रभाव दिखाना उपन्यासकार का मन्तव्य रहा है। अन्तत: उपन्यास के मूल प्रश्न मुक्ति के प्रश्न का समाधान कर्मरत रहने में बताया गया। साथ ही बताया गया कि मुक्ति का प्रश्न बाहरी नहीं पूर्णत: भीतरी है, आत्मिक है।

सन्दर्भ सूची

1. कुमार, जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृ.सं. 10
2. उपर्युक्त
3. सिंह, बच्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ.सं. 379
4. कुमार, जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, पूर्वोक्त, पृ.सं. 13
5. उपर्युक्त, पृ.सं. 22-23
6. उपर्युक्त, पृ.सं. 24
7. उपर्युक्त, पृ.सं. 32
8. उपर्युक्त, पृ.सं. 29
9. उपर्युक्त, पृ.सं. 30-31
10. उपर्युक्त, पृ.सं. 31
11. उपर्युक्त, पृ.सं. 33
12. उपर्युक्त, पृ.सं. 38
13. उपर्युक्त, पृ.सं. 42
14. उपर्युक्त, पृ.सं. 43
15. उपर्युक्त, पृ.सं. 84
16. उपर्युक्त पृ.सं. 102
17. तिवारी, रामचन्द्र, हिंदी का गद्य साहित्य, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, 2015, पृ.सं. 872

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 79-84

ग्रामीण विकास एवं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना

डॉ. रामफूल जाट
सहायक आचार्य, समाजशास्त्र
राजकीय कला महाविद्यालय, दौसा (राजस्थान)

शोध सारांश

हाल के वर्षों में वैसे तो ग्रामीण व कृषि विकास की अनेक परियोजनाएं और कार्यक्रम चर्चित रहे हैं लेकिन इन सभी कार्यक्रमों, योजनाओं में समाजवादी दृष्टिकोण की कमी होती गई है। सबसे निर्धन वर्ग को केन्द्र में रखकर निर्णय लिए जाने होगें। इस सिद्धान्त की अब तक उपेक्षा होती रही है। सबसे निर्धन परिवार उपेक्षित महसूस कर रहे है और प्रवासी मजदूर के रूप में दूर-दूर भटकने की मजबूरी बढ़ रही है। देश के चहुंमुखी विकास के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होना अति आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वतन्त्रता पश्चात् तीसरे दशक से ही ग्रामीण क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास ने नवीन मोड़ लिया और अत्यन्त पिछड़े तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे लाभ पहुचानें की दिशा में प्रयास किये गये, राजस्थान में ग्रामीण विकास को और अधिक प्राथमिकता एवं विशेष महत्व प्रदान करते हुए वर्ष 1971 में विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना की गई। जिसे वर्ष 1979 में पुनर्गठन के साथ-साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे ''विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग'' नाम दिया गया। एक अप्रैल, 1999 से इस विभाग का नाम ग्रामीण विकास विभाग किया गया। वर्तमान में इस विभाग का नाम 'ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग' है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से किया जा रहा हे। प्रस्तुत लेख में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ''मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना'' का विस्तृत उल्लेख किया गया है जिसमें योजना का परिचय, उद्देश्य, कार्यनीति, आदर्श ग्राम पंचायत का चयन, संसाधन, आयोजना, भुमिकाएं और जिम्मेदारियां जिसमें विधानसभा सदस्य, राज्य सरकार, जिला स्तर, इत्यादि को भूमिकाओं व जिम्मेदारियों का विवरण एवं परिणामों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

संकेताक्षर : *ग्रामीण विकास, जनसहभागिता, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, जिला*

प्रस्तावना

स्वतन्त्रता के समय से ही भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र रहा है और इसका प्रमुख उद्देश्य अनेक निवासियों का कल्याण करना है, गरीबी के उन्मूलन के लिए नीतियों और कार्यक्रम बनाना भारत में नियोजित विकास का मूल उद्देश्य रहा है। यह महसूस किया गया कि गरीबी उन्मूलन की रणनीति विकास की प्रक्रिया में उत्पादक रोजनार अवसरों की वृद्धि पर आधारित होनी चाहिए। विकास की नीतियां बनाने में गरीबी उन्मूलन निरक्षता समाप्त करने, रोग उन्मूलन, असमानता दूर करने और अवसरों की उपलब्धता पर बल दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यक्रमों तथा उनकी क्षमता, गुणवत्ता और स्वाधिकारितापूर्ण निरंतरता बढ़ाने, उनकी कमियों और कमजोरियों को मिटाने तथा गांवों की उपेक्षित, उत्पीड़ित और सीमांत बहुसंख्यक जनशक्ति को इन प्रक्रियाओं में अग्रणी तथा प्रमुख भूमिका प्रदान करने के लिए नीतिगत व्यवस्था करना भारत में राष्ट्रीय सामाजिक समन्वित विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राथमिक अंग है। ग्रामीण विकास का महत्व गांवों तथा ग्राम वासियों की अधिक जनसंख्या मात्र पर आधारित नहीं है। समग्र राष्ट्रीय विकास किसी भी कसौटी पर किन्हीं खास क्षेत्रों, उद्योगों, तबकों, वर्गों, जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रस्थितियों आदि पहलुओं तक सीमित करना अथवा

उन्हें अलग-अलग करके किसी विशेष प्रकार की क्रमबद्धता, खासकर स्व-प्रवाहित क्रमबद्धता में बांधना विकास की मूल भावना को नकारता है और उसे दूषित करने के गम्भीर जोखिम को बढ़ाता है। (काबरा कमलनाथ अप्रैल 2003) इस प्रकार से देखने पर यह साफ दिखाई देता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों एवं वहां के लोगों खास कर गरीबों के विकास को कुछ खास कार्यक्रमों तथा नीतियों तक सीमित कर देना तथा सामान्य, सर्वपक्षीय, मुख्य विकास धारा का महज एक टापू बना देना सर्वथा अनुचित तथा समन्वित, राष्ट्रीय विकास का विलोम होगा परन्तु विकास की मुख्यधारा को ग्रामीणोन्मुख बता देने के बावजूद उनकी सदियों से उपेक्षित स्थिति का निराकरण करने, उनकी सहज परन्तु अस्फुटित विकास क्षमता को सक्रिय बनाने के लिए उनकी तुलनात्मक तथा प्रतियोगितात्मक क्षमता को राष्ट्र की सामान्य स्थिति के समकक्ष बनाकर उन्हें एक साथ विकास का प्रणेता, निर्धारक, कर्ता, तथा सकारात्मक कार्यनीति के तहत विकास प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेष स्थान देता भारतीय विकास अवधारणा, रणनीति तथा प्रक्रिया का सार्थक, प्रभावशील और अपरिहार्य कसौटी है।

विकास के मौजुदा अर्थशास्त्र में यह सिद्धान्त करीब-करीब मान्य हो चूका है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का अत्यधिक विनिमय एवं विकास आवश्यक है। इस और विचारकों का ध्यान अपेक्षाकृत कम गया है कि विकास के आधुनिक समीकरण में भौतिक वस्तुओं की तुलना में देश की मानव शक्ति समुचित विकास एवं उपयोग हो। (पटवर्धन अच्युत राव 2014) ग्रामीण विकास में ग्रामीण जनसहभागिता सुनिश्चित हो इसके लिए सतत् प्रयास आवश्यक है।

देश के चहुंमुखी विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होना अति आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के तीसरे दशक से ही ग्रामीण क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास ने नवीन मोड़ लिया और अति पिछड़े तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे लाभ पहुँचाने की दिशा में प्रयास किये गये, राजस्थान में ग्रामीण विकास को और अधिक प्राथमिकता एवं विशेष महत्व प्रदान करते हुए वर्ष 1971 में विशिष्ट योजना संगठन की स्थान की गई। वर्ष 1979 में पुनर्गठन के साथ-साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे ''विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग'' का नाम दिया गया। एक अप्रैल, 1999 से इस विभाग का नाम ''ग्रामीण विकास विभाग'' कर दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। जिला स्तर पर समन्वय हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषद् में विलय करते हुए कार्यकारी अधिकारी के अधीन ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया। राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने एवं कार्यक्रमों के सही नियोजित क्रियान्वयन के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग का विलय किया गया है। वर्तमान में इस विभाग का नाम ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अधीन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान द्वारा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है -

1. स्वरोजगार द्वारा गरीबी उन्मूलन–इसके अन्तर्गत निम्न योजनाएं है-

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)
- पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना (एमपॉवर),
- रोजगार सृजन द्वारा गरीबी निवारण :- इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु -

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) क्रियान्वित की जा रही है।

3. क्षेत्रीय विकास द्वारा ''गरीबी एवं क्षेत्रीय असंतुलन'' निवारण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु -

- सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा सुचारू रूप से किया गया।

4. ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये -

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना
- गुरू गोलवलकर जन-भागीदारी विकास योजना
- स्व-विवेक जिला विकास योजना
- श्री-योजना।

5. गरीब/शोषित के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण क्रियान्वित की जा रही है।

6. अन्य योजनाओं में डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना एवं बायोफ्यूल प्राधिकरण––राजस्थान का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त सभी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पिछड़े वर्गो एवं महिलाओं के विकास को ध्यान में रख कर क्रियान्वित की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, असमानता दूर करने एवं रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षो में अनेक नये कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये है। पूर्व संचालित कार्यक्रमों को संशोधित कर उन्हें और अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने तथा विकास की प्रक्रिया में जन-सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रयास किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में जन-सुविधाओं का विस्तार, रोजगार के अधिकतम अवसर एवं गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु अनवरत प्रयास किया जा रहा है। फलस्वरूप विकास की प्रक्रिया में अनेक गुणात्मक एवं क्रियात्मक सुधार किये गये और उनके निरन्तर सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे है।

प्रस्तुत शोध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान द्वारा राज्य प्रवर्तित योजना ''मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (एम.ए.जी.पी.आई.)'' का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (एम.ए.जी.पी.वाई.)

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (MAGPY) वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ की गई है। जिसके क्रियान्वयन के दिशा निर्देश दिनांक 04-02-2015 को जारी किये गये है। योजना के लक्ष्य तत्कालीन संदर्भ में मुख्यमंत्री महोदया के समग्र विकास के विजन को सार्थक करता है।

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (एम.ए.जी.पी.वाई) के माध्यम से आधारभूत संरचनात्मक विकास के साथ ही पंचायतों में संपूर्ण विकास करना तथा सामान्य जन के मन-मस्तिष्क में नैतिक भावनाओं का विकास करना है।

- सामान्यजन की सक्रिय जन-सहभागिता सुनिश्चित करना, खासकर शासन से संबंधित निर्णयों में ग्रामीण समाज के सभी वर्गो एवं महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- लैंगिक समानता एवं महिलाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित करना।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।
- सामुदायिक सेवा एवं स्वैच्छिक सेवा की भावना को बढ़ाना।
- स्वच्छता सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण विकास में संतुलन सुनिश्चित करना।
- स्थानीय ग्रामीण सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना और इसे प्रोत्साहन देना।
- पारस्परिक सहयोग, स्व-सहायता और आत्म-विश्वास की भावना विकसित करना।
- ग्रामीण समुदाय में शांति और सौहार्द को बनाए रखना।
- सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी बढ़ाना।
- स्थानीय स्व-शासन को सहायता प्रदान करना।

एम.ए.जी.पी.वाई. के उद्देश्य–निर्धारित ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण विकास में उपयोगी प्रक्रियाओं को गति प्रदान करना। आबादी के सभी वर्गो के जीवन-स्तर और जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्य करवाये जायेंगे - उन्नत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अधिकतम उत्पादकता बढ़ाना। गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना। बेहत्तर मानव विकास। बेहत्तर आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाना। असमानता में कमी लाना। अधिकार एवं हकदारी के लिए पहुँच दिलाना। वृह्द सामाजिक एकजुटता विकसित करना। समृद्ध सामाजिक पूंजी को बढ़ावा देना। आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना जिससे कि आसपास की ग्राम पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके।

एम.ए.जी.पी.वाई. के क्रियान्वयन की नीति–योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित किये गए गाँव (ग्राम पंचायत) को विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के माध्यम से आदर्श ग्राम में बदलने के लिए निम्नलिखित कार्य नीति अपनायी गई है -

- सकारात्मक सामुहिक कार्यवाही के प्रति समुदाय को एकजुट एवं प्रेरित करने के लिए प्रारंभिक कार्य कलाप शुरू करना।
- सामान्य-जन की जरूरतों और प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए भागीदारीपूर्ण योजना बनाना।
- जहां तक संभव हो केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और साथ ही राज्य की अन्य योजनाओं से प्राप्त संसाधनों में अभिसरण (Convergence) करना।

- यथा संभव मौजूदा आधारभूत संरचना की मरम्मत एवं उनका उनरूद्धार करना।
- ग्राम पंचायतों और इसके अंतर्गत रहने वाले जन समुदाय की संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना एवं पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, योजना के कार्यान्वियन के प्रमुख आधार है।

एम.ए.जी.पी.वाई. में आदर्श ग्राम का चयन–इस योजना के क्रियान्वयन हेतु-

- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक आदर्श ग्राम पंचायत विकसित की जाएगी। जिससे ग्रामीण विकास का आदर्श मॉडल विकसित होगा। चयनित ग्राम पंचायत मैदानी क्षेत्र में तीन से पाँच हजार जनसंख्या वाली तथा जनजातीय क्षेत्र व रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक से तीन हजार की जनसंख्या की होगी, इस प्रावधान में अब शिथिलता प्रदान कर दी गई है। जिसमें पंचायत की जनसंख्या की ऊपरी सीमा की बाधा समाप्त कर दी गई है। चयनित ग्राम पंचायत स्वयं विधायक या विधायक की पत्नी/पति की स्वयं की ग्राम पंचायत नहीं होगी। उपरोक्त मापदण्ड को ध्यान में रखकर माननीय विधायक स्वयं आदर्श ग्राम पंचायत का चयन कर सकते है या उक्तानुसार निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने वाली सभी ग्राम पंचायतों में से लॉटरी के माध्यम से ग्राम पंचायत का चयन किया जा सकता है। शहरी निर्वाचन क्षेत्र के मामले में विधायक द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के आस-पास के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र की किसी ग्राम पंचायत का चयन करेंगे। साथ ही नगरी क्षेत्र के विधायक गण द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र की कच्ची बस्ती वाले वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में चयन कर विकसित किया जा सकेगा।
- एम.ए.जी.पी.वाई. में चयनित आदर्श ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण विकास हेतु संसाधनों की व्यवस्था - केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से कनवर्जेन्स के तहत मिला बजट, सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मद से एवं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सीबिलिटी फण्ड (सी.एस.आर.) की सहायता से एवं जनसहभागिता से भामाशाहों द्वारा भागीदारी और राज्य सरकार की और से योजना के लिए आवंटित बजट के द्वारा विकास के लिए संसाधन जुटाये जायेंगी।

आयोजना–योजना के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक समग्र पंचायत विकास योजना तैयार की जायेगी जिसके अन्तर्गत सभी गरीब परिवारों को गरीबी से उभारने में सहायता करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। योजना की तैयारी प्रारम्भ होने से पूर्ण व्यवस्थित माहौल तैयार करने और सामाजिक जागरूकता लाने हेतु व्यवस्था की जाएगी, जिसकी अगुवाई स्वयं विधायक करेंगे। इस कार्य में ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण समुदाय की पूरी भागीदारी की अपेक्षा रखी गई है। जिसके अन्तर्गत प्रमुख कार्य रहेंगे।

- ग्राम सभा, महिला सभा, बाल सभा का आयोजन एवं उसमें इसकी वृह्द/विषद् चर्चा।
- चयनित ग्राम पंचायत के व्यवसायिक समूहों और स्थानीय संगठनों (युवा क्लबों सहित) के साथ चर्चा।
- सांस्कृतिक एवं खेलकूद समारोहों का आयोजन।
- दीवारों पर लेखन, शिविरों का आयोजन आदि के माध्यम से जागरूकता लाना।
- पंचायत को आदर्श ग्राम किस तरह से बनाया जाए, इस विषय पर चित्रकारी और साहित्यिक लेख लिखवाना एवं पंचायत विकास के लिए उत्कृष्ट कार्यो का वीडियों दिखाना आदि कार्य किये जायेंगे।

भूमिकाएं और जिम्मेदारियां–मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और संबंधित कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के कार्मिकों की होगी। ग्राम की सामान्य जरूरतों और कमजोर परिवारों की विशिष्ट जरूरतों का सही निर्धारण करने, विभिन्न कार्यक्रमों से संसाधन जुटाने, कार्यान्वयन में जन सहभागिता को आसान बनाने, इस योजना के तहत प्रारम्भ किये गये कार्यो की निगरानी और रखरखाव के लिए इन दोनों की मिलजुल कर कार्य करना होगा।

विभिन्न स्तरों पर समग्र समन्वय और समीक्षा तंत्र भी निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा यह योजना अन्य क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार के लिए सर्वोत्तम कार्यों के प्रदर्शन के प्रयोजन की पूर्ति भी करेगी। इससे संबंधित विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की रूपरेखा इस प्रकार होगी -

विधानसभा सदस्य द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पंचायत का निर्धारण और चयन करना, गांव के जन समुदाय से संपर्क करना और उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के कार्यो को स्वयं द्वारा प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना, योजना के मूल्यों एवं उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार करना। सही सामाजिक माहौल तैयार करने के लिए प्रारम्भिक कार्याकलाप

प्रारम्भ करना, आयोजना की प्रक्रिया में सहयोग करना, विशेष रूप से सीएसआर और कल्याणकारी संस्थाओं से यथासंभव अतिरिक्त संसाधन जुटाना। योजना की अहम् कमियों की पूर्ति विधायक सदस्य स्थानीय क्षेत्र योजना की निधियों से करना, समय-समय पर योजना की प्रगति की निगरानी करना और मुद्दों व समस्याओं के समाधान में अग्रणी भूमिका निभाना। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सक्रिय प्रचार-प्रसार करना और लोक शिकायतों के निदान में सहयोग करना, वांछित एवं अमूर्त, विशेषकर सामाजिक परिणामों की प्राप्ति के लिए जन समुदाय से समन्वय स्थापित करना।

राज्य सरकार की भूमिका–ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज्य स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा। योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण हेतु दो राज्य स्तरीय समितियाँ होगी –

(1) राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग होंगे और उसमें योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन और निर्णयानुसार अन्य प्रमुख विभागों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। यदि आवश्यक हो तो यह समिति समस्याओं का निर्धारण और समाधान करने के लिए विधानसभा सदस्यों के छोटे समूहों से विचार-विमर्श कर सकती है।

(2) विशेषाधिकारी प्राप्त समिति :- इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव, महोदय होंगे और इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आयोजना, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्कूली शिक्षा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता, विद्युत, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा, दूर संचार सूचना प्रौद्योगिकी, जल संसाधन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता जनजातीय कार्य, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, कृषि, खेलकूद और युण कार्य एवं अन्य संगत विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

विशेषाधिकार प्राप्त समिति इस योजना के प्रमुख विषय-विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों का सहयोग ले सकती है। राज्य स्तर पर गठित PMU (Project Monitoring Unit) जिसमें संविदा आधार पर विशेषज्ञों को शामिल किया जायेगा, जो इस समिति की सहायता करेंगे। समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे-

- निर्धारण और आयोजना की प्रक्रिया की निगरानी करना।
- योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करना।
- समवर्ती निगरानी और परियोजना के उपरांत मूल्यांकन के तंत्र निर्धारित करने के उद्देश्य से वेब-आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करना।
- अवरोधों और समस्याओं की पहचान करना और जहां कही भी आवश्यक हो, वहां सुधार हेतु कार्यवाही करना और इस योजना के दिशा-निर्देशों में अपेक्षा एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना।
- विभिन्न जिलों में क्षमता विकास के लिए प्रत्येक विभाग जो कि विशिष्ट संसाधन और सहायता प्रदान करेगा, वहा सहायता दर्शाना।
- जिलों को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। ग्राम स्तर पर विकास के सर्वोत्तम कार्यो का विडियों एवं प्रिन्ट के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।
- इस योजना के विषय में सामान्य अथवा मद-विशिष्ट प्रचालन दिशा-निर्देश और सलाह समय-समय पर जारी करना।
- इस योजना के संबंध में शिकायत निवारण तंत्र की रूपरेखा तैयार करना, जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभारी अधिकारी और जिले के स्तर पर स्थापित किया जाएगा।

जिला स्तर–जिला कलक्टर मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगा। जिला कलक्टर संबंधित भागीदारी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच भी इन मासिक बैठकों में आमंत्रित किए जाएंगे।

जिला कलक्टर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पर्याप्त वरीयता वाला एक सक्षम प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेगा, जो कि स्थानीय स्तर पर पंचायत में योजना का क्रियान्वयन एवं समन्वय करेगा और क्रियान्वयन के लिए पूर्णत: जिम्मेदार एवं जवाबदेह होगा।

जिला कलक्टर की भूमिका इस प्रकार रहेगी–बेसलाइन सर्वे करवाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए राशि रूपये 50,000 की कार्यवाही की प्रक्रिया पूरी करवाना, राशि आवंटित होने तक उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा संचालित विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना/अन्य योजना से व्यय की जा सकती है। ग्राम विकास योजना तैयार करने में सहायता करना, संगत योजनाओं से तालमेल बिठाना, सभी संबंधित विभागों में इस योजना के क्रियान्वयन का समन्वय करना, हर महीने प्रगति की समीक्षा करके

रिपोर्ट सरकार को भेजना - संबंधित योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित शिकायतों का निवारण और स्वत: प्रकटीकरण मानकों का अनुपालन करना, प्रगति का जायजा लेने के लिए समय-समय पर कार्यस्थलों के दौरों की व्यवस्था करना।

परिणाम–एम.ए.जी.पी.वाई. से अपेक्षित कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार होंगे-

आजीविकाओं/रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, प्रवजन/पलायन में कमी करना, बंधुआ मजदूरी, बालश्रम और मैला ढ़ोने से मुक्ति दिलाना, मृत्यु और जन्म के शत-प्रतिशत मामलों का पंजीकरण करना, ग्रामीण समुदाय के सभी वर्गो के लिए स्वीकार्य वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का विकास करना, शांति और सौहार्द बनाना, अन्य ग्राम पंचायतों पर आदर्श ग्रामों के प्रदर्शन का प्रभान जानना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत् 200 में से 196 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन वर्ष 2018-2019 तक किया जा चुका है। चयनित आदर्श ग्राम पंचायतों की अनुमोदित ग्राम विकास योजना में सम्मिलित 16643 कार्यो में से 7077 कार्य पूर्ण किये गये एवं 674 कार्य प्रगति पर थे। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के द्वितीय चरण में 200 में से 82 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है।

निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं को निश्चित तौर पर सैद्धान्तिक स्तर पर ग्रामीण विकास को सफल बनाने का आधार कहा जा सकता है, किन्तु व्यवहार में पारंपरिक प्रभुत्व की जो अवधारणा उभरी है उसका विश्लेषण भी आवश्यक है। ग्रामीण सत्ता में पारंपरिक प्रमुत्व को उभारने में अथवा उसको बढ़ावा देने वाले कई कारक रहे है। जो ग्रामीण विकास की योजनाओं ने क्रियान्वयन को प्रभावित करते है। ग्रामीण समाज में अशिक्षा, दुर्बल आर्थिक स्थिति, जटिल जातिगत संरचना के चलते असमानता की भावना, जातिगत सोपान, राजनीतिक जागरूकता का अभाव, महिलाओं के संबंध में रूढ़िवादी सोच, प्रशासनिक कार्यो की जटिलता और ग्रामीण पहुँच से दूर परंपरागत सत्ता की बनाये रखने की आकांक्षा आदि। (मनोज राजगुरू, ललित कुमावत - 2013) आदि कारण है जो ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहभागिता को प्रभावित करते है। यह योजना ग्रामीण विकास में कितनी सहायक सिद्ध होती है। ग्रामीण जन सामान्य की अपेक्षाओं और आशाओं पर कितना खरा उतरती है। साथ ही देश के सम्पूर्ण विकास में कितनी भागीदारी निभाते हैं।

सन्दर्भ सूची

1. काबरा, कमलनाथ, कुरूक्षेत्र, पृ.सं. 7 अप्रैल, 2013
2. चौधरी, धीरज, महिला सरपंच एवं ग्रामीण विकास, अन पब्लिशर्स, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 2000
3. जन सत्ता, नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2019
4. जाट, रामफूल : जनसहभागिता एवं ग्रामीण विकास, आदि पब्लिकेशनस, जयपुर, 2015
5. जाट, रामफूल, पंचायती राज में कमजोर वर्ग, सामाजिक विमर्श, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, पृ.सं. सं. 146-164, अंक 2, 2010-11
6. देसाई, डी.के., मेनेजमेन्ट इन रूरल डवलपमेन्ट, ऑक्सफोर्ड एण्ड आई.बी.एच., नई दिल्ली, 1983
7. पटवर्धन, अच्युतराव, भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा, 1(2), पृ.सं. 149, भारतीय समाजशास्त्र परिषद्, नई दिल्ली, जुलाई-दिसम्बर, 2014
8. भारत 2019, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
9. राजगुरु, मनोज एवं कुमावत, ललित, राजस्थान जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, पृ.सं. 161, अक्टूबर, 2013
10. राजस्थान जर्नल ऑफ सोसियोलॉजी, वॉल्यूम 5, अक्टूबर 2013
11. वार्षिक प्रतिवेदन : 2018-2019, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. सिंह कटारिया, ग्रामीण विकास, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली, 2011

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 85-89

लॉर्ड एक्टन और राष्ट्रीयता की अवधारणा

डॉ. दिनेश भार्गव
सह आचार्य, इतिहास विभाग
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर (राजस्थान)

शोध सारांश

वैचारिक जगत में एक दौर ऐसा था जब राष्ट्रीयता की अवधारणा को संकीर्ण सीमाओं से आबद्ध मानते हुए इससे परे वैश्विक-नागरिकता की परिकल्पना की गई। यूरोप में मूर्त रूप लेने वाला यह विचार बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में पुन: राष्ट्रीयता को सर्वोपरि मानते हुए इसे नित नए स्वरूप में परिभाषित करने की होड़ दिखाई देती है। इस उत्साह में अति राष्ट्रवाद की आहट भी सुनी जा सकती है। उदारवादी इसे अंततोगत्वा तानाशाही की ओर बढ़ा कदम मानते हैं जो नागरिक और व्यक्ति, दोनों रूपों में प्राप्त अधिकारों को लील जाएगा। यह आशंका राष्ट्रवाद के नाम पर बहुरूपता को एकरूपता में बदल देने की जिद से भी सम्बंधित है। द्वंद्व की इस स्थिति में ब्रिटिश इतिहासकार एवं नैतिकतावादी लॉर्ड एक्टन (1834-1902) के आज से लगभग एक सौ पचास वर्ष पूर्व राष्ट्रीयता पर व्यक्त विचार न केवल समसामयिक प्रतीत होते हैं बल्कि कहीं कहीं नसीहत भरे भी। उन्नीसवीं सदी का वह समय राजनैतिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण और वंशानुगत शासन व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्र-राज्य के आगमन का था। इन परिवर्तनों के प्रति संशयात्मक दृष्टि रखते हुए एक्टन बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्गो के सहजीवन तथा इससे सम्बंधित विविधता को सुरक्षित रखने के हिमायती हैं। प्रस्तुत शोधपत्र एक्टन के आलेखों पर आधारित है और उनके विचारों की प्रासंगिकता का परीक्षण करता है।

संकेताक्षर : *राष्ट्रीयता, राष्ट्र-राज्य, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, स्वतंत्रता*

प्रस्तावना

वर्ष 1862 में एक्टन ने अपना प्रसिद्ध लेख 'राष्ट्रीयता' पूर्ण किया। यद्यपि राष्ट्रीयता की संकल्पना को वह तात्कालीन राजनीतिक दर्शन में एक 'नया प्रश्न' कह कर संबोधित करते हैं, तथापि इस लेख के लिखे जाने तक यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से उपजी राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हो चुका था और इसने महाद्वीप के राजनीतिक एवं सामाजिक परिदृश्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया था। यह प्रभाव केवल सत्ता के निकटतम वृत्तों तक सीमित नहीं था वरन् लोकप्रिय आन्दोलनों की शक्ल लेता जा रहा था। फ्रांसीसी क्रांति से अवधारित राष्ट्रवाद को या तो व्यापक समर्थन मिला अथवा इसका कड़ा विरोध किया गया। बहरहाल एक्टन अपने इस आलेख के माध्यम से राष्ट्रीयता की ऐतिहासिक सन्दर्भ में विवेचना करते हैं और पाठकों को इस अवधारणा का समय सापेक्ष महत्त्व समझाते हुए इसे फ्रांसीसी क्रांति से प्रवर्तित सबसे वर्चस्वकारी शक्ति बताते हैं। उनके इन विचारों पर अनेक दार्शनिकों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है जिनमें अरस्तू, एक्विनास और लाइबनित्ज प्रमुख थे।

एक्टन के विचारों की विवेचना से पूर्व आवश्यक है संक्षेप में उस महत्त्वपूर्ण काल की बात करना जिसने लगभग हर क्षेत्र में वैश्विक धारणाओं को परिवर्तित किया, हालाँकि राष्ट्रवाद और अन्य संस्थाओं के मध्य निरंतर परिवर्तनशील अन्त:सम्बन्ध और परस्पर सीमाएं सदैव विमर्श का विषय रही हैं। जैसा कि हमें विदित है, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात् मध्यकालीन यूरोप में राज्य चर्च के प्रभुत्त्व में रहा और शासक वर्ग की शक्ति चर्च से उनके संबंधों के सापेक्ष परिभाषित हुई। संत ऑगस्तीन राज्य को ईश्वर द्वारा रचित संस्था मानते थे जिसका कार्य दंड और सुधार की प्रक्रिया से सम्बंधित था। राज्य पूरी तरह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी और चर्च के आधीन था। यही विचार किसी ना किसी रूप में उनके

बाद भी प्रतिध्वनित हुए, किन्तु तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दियों तथा पुनर्जागरण काल में इस स्थिति में बदलाव आया जब तर्क की प्रधानता और मानववाद की अवधारणाओं ने चर्च के प्रति अंधश्रद्धा को प्रश्नों के घेरे में ला दिया।

एक्टन का मानना था कि नए विश्व की खोज के पश्चात मध्य काल का आधुनिक में अवस्थांतर वस्तुत: प्राचीन विश्व की पुन: प्राप्ति से हुआ जिसकी वजह पुनर्जागरण-कालीन प्रवृत्तियाँ थीं। ''मध्यकालीन धर्म केन्द्रित व्यवस्था मृत्यु के लिए तो तैयार कर सकती थी, लेकिन जीवन की अनिश्चितताओं और मुश्किलों के लिए प्राचीन विश्व की बौद्धिक सम्पदा और ज्ञान ही इस दौर का सहारा बने।'' धर्म शास्त्रों पर आधारित पादरियों के उपदेशों की बनिस्पत जनमानस लौकिक चिंतन की ओर आकृष्ट हुआ। ''पुनर्जागरण काल में धर्म-दर्शन अज्ञानता और साक्ष्यों की अपूर्णता के साथ ही धर्म प्रचारकों की कपोल-कल्पनाओं और मिथ्याकरण के अतिरेक से पतनोन्मुख हुआ।'' चर्च का पतन 'प्राचीन राज्य' का पुनरागमन था जो नैतिकता का अंकुश लिए किसी मध्यकालीन चर्च से परिचित नहीं था; जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली था; और जिसे कोई धर्म संहिता नहीं रोक सकती थी। इसी कड़ी में सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में धर्मसुधार आंदोलन चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार का प्रभावी विरोध था जिसके प्रहारों ने शक्ति संतुलन राज्य की ओर कर दिया। अंधकार के युग की मान्यताओं और संस्थाओं के प्रभाव में परिवर्तन ने आने वाली शताब्दियों में राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाया।

एक्टन राष्ट्रीयता को विश्व इतिहास के अनुरूप दो प्रकार की मानते हैं - एक 1688 का आंग्ल राष्ट्रवाद, तथा दूसरा 1789 का फ्रांसीसी राष्ट्रवाद। फ्रांस में राष्ट्रीयता का फैलाव क्रांति के साथ हुआ और इसके सैलाब ने यूरोप में पुरातन राज्य व्यवस्था की जड़ों को झकझोर दिया। पुरातन व्यवस्था के प्रमुख अंग वंशानुगत राज्य, अभिजात्य वर्ग और चर्च थे। क्रांति के आदर्श इन तीनों का ही विरोध करते थे। वस्तुत: फ्रांस में क्रांति ने जिस अमूर्त राष्ट्रीयता को स्थापित किया वह आदर्शवाद पर आधारित यूटोपियन राज्य की कल्पना है जहाँ राष्ट्र सर्वोपरि है और उसके आगे शेष संधारणाएं गौण। इसकी वाहक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था थी जिसका मकसद यूं तो हर क्षेत्र से नागरिकों को शासन में प्रतिनिधित्व प्रदान करना था, पर एकरूप राष्ट्रीयता सभी प्रकार की विविधता को कुचलने के लिए अन्तत: शक्तियों के संकेन्द्रण की ओर ही बढ़ती है। राज्य की अन्य घटक संस्थाओं की स्वायत्तता अधिग्रहित कर उन पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में निरंतर गतिमान यह व्यवस्था ही एक्टन के लिए चिंता का सबब है। इसके अतिरिक्त लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था में निर्णय का अधिकार बहुमत से प्राप्त होता है, अत: यह बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुरूप होती है और अंतत: अल्पसंख्यकों या निम्न समझे जाने वाले वर्गों की दासता अथवा उनके उन्मूलन की दिशा में प्रवृत्त होती है।

एक्टन के अनुसार फ्रांसीसी राष्ट्रवाद की तुलना में आंग्ल राष्ट्रवाद अपने राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से विपरीत ध्रुव पर खड़ा है। यह उदारता का पोषक है और बहुरूपता को समाप्त कर एकरूपता स्थापित करने के लिए उत्सुक भी नहीं। फ्रांसीसी राष्ट्रवाद जहाँ क्रांति पूर्व इतिहास को यूटोपियन भविष्य की दिशा में सबसे बड़ी रूकावट मानता है और इससे सम्बंधित सभी प्रतीकों को नष्ट कर देना चाहता है, आंग्ल राष्ट्रवाद ऐतिहासिक घटनाओं में राष्ट्रीयता की उत्पत्ति देखता है। यह अपनी परम्पराओं की विविधता को संरक्षित करता है। आंग्ल राष्ट्रवाद राज्य की शक्तियों को असीम बनाने के लिए इनके केन्द्रीकरण की हिमायत नहीं करता और इसलिए निरंकुशता से परे है। यह संस्थाओं और व्यक्ति की स्वायत्तता पर प्रहार नहीं करता, अत: स्वतंत्रता के सिद्धांत के निकट है।

फ्रांस की क्रांति ने व्यवस्था के प्रति लोगों के विरोध को एक नयी दिशा प्रदान की। जहाँ पूर्व में लोग भ्रष्ट आचरण और शोषण से बचने के लिए पारंपरिक तंत्र के मूल स्वरूप की ओर लौटते थे, 1789 के बाद उन्होंने एक नयी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की मांग की। फ्रांस में क्रांतिकारियों ने अपने देश के इतिहास से नाता तोड़ना चाहा। अब लक्ष्य अतीत की सीमाओं से मुक्त हो देश के लिए नए गौरवपूर्ण भविष्य का निर्माण करना था। इसके लिए केंद्रीकृत शक्तियों को हक था कि वे मार्ग की सभी बाधाओं को नष्ट कर दें। क्रांति के बाद होने वाले विरोध प्रदर्शन बड़ी तेजी से फैले। इनका स्वरुप भिन्न था और ये स्वत: स्फूर्त, आक्रामक, अविवेकपूर्ण किन्तु लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में लोग इनसे जुड़े जिन्हें इन गतिविधियों ने परंपरा और स्थापित अधिकारों के प्रति अवज्ञाकारी बना दिया।

मैजिनी के आगमन के साथ ही राष्ट्रीयता इन लोक आन्दोलनों में प्रभुत्वशाली बन गयी। इसने क्षेत्रीय व्यवस्था और संप्रभु राज्यों की वैधानिकता पर प्रहार कर विद्यमान व्यवस्था को पलट दिया। एक्टन राष्ट्र-राज्यों के इस प्रकार निर्माण की प्रक्रिया के प्रति सशंकित थे। उनका दृढ़ विष्वास था कि इससे यूरोप के स्थिर स्वरुप को अत्यधिक क्षति पहुंचेगी। हांलांकि वे राष्ट्रीयता की शक्ति के प्रति नत थे।

इटली के एकीकरण और तात्कालीन ऑस्ट्रिया के प्रति एक्टन का लेखन उनकी राष्ट्रीयता की अवधारणा को और स्पष्ट करता है। 1859 में कैवूर और लुई नेपोलियन ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जब ऑस्ट्रिया के साथ बेजा कारणों पर युद्ध शुरू किया तो उन्होंने दक्षिणी यूरोप में राष्ट्रीयता के संकट को गहरा कर दिया। इटली में एकीकरण के साथ 1861 में इस समस्या का अंत हुआ। परिणामत: वहाँ एक अति-केंद्रीकृत राष्ट्र-राज्य व्यवस्था कायम हुई जो किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय स्वायतता के प्रतिकूल थी। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया में पराजय ने संशय उत्पन्न किया कि भविश्य के लिए किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया जाए - यथा विएना से संचालित एकल राज्य, अथवा स्वायत्त प्रदेशों का एक संघ, या फिर स्वतन्त्र राष्ट्र-राज्य।

1859 से 1861 तक एक्टन ने काफी समय मध्य यूरोप में बिताया। इटली के सन्दर्भ में राष्ट्रीयता पर एक्टन लिखते हैं कि यह यूरोप में मौजूदा व्यवस्था को उलट देगी तथा क्रांति के उत्पाद राष्ट्र-राज्यों की विध्वंसक शक्ति के प्रति आगाह करते हैं। अन्यत्र उन्होंने इस आशंका को यूरोप के प्रति आसन्न खतरे के रूप में वर्णित किया - उदारवाद और क्रांति राष्ट्रीयता के ध्वज तले चल रहे हैं और उनकी विजय स्वतंत्रता की समाप्ति का उद्घोष होगी। राज्यों को स्वतंत्र कर लोगों के हाथ में सत्ता दिए जाने पर ऐसे लोकतंत्र बनेंगे जहाँ बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर हावी हो जायेंगे। कोई भी निरंकुश तंत्र इससे अधिक सम्पूर्ण नहीं हो सकता जो आधुनिक उदारवादियों का लक्ष्य है। उदारवादी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए वैयक्तिक स्वतंत्रता की बलि चढ़ा देंगे।

ऑस्ट्रिया के सन्दर्भ में वे न तो विएना से केंद्रीकृत नौकरशाही द्वारा संचालित एकल राज्य प्रणाली को स्वीकार करते हैं; न ही केंद्रीकृत राष्ट्र-राज्यों में इसके विभाजन को। एक्टन के अनुसार दोनों ही विकल्प दमनकारी सिद्ध होंगे जो बहुसंख्यकों को राज्य पर हावी कर देंगे और परिणामत: अल्पसंख्यक अवमर्दित हो जायेंगे अथवा कर दिए जायेंगे। वे मध्य-मार्ग चुनते हैं जो एकता में विभिन्नता को नहीं खोता। ऑस्ट्रिया में एक्टन ऐसी व्यवस्था के पक्ष में हैं जो राज्य की एकता तो सुरक्षित करे किन्तु वहां विद्यमान इतिहास सम्मत बहु राष्ट्रीयता को स्वशासन का अधिकार भी दे।

एक्टन लुई नपोलियन की उपस्थिति से भी उत्साहित नहीं हैं। उनके अनुसार फ्रांस में उपस्थित उदारवादी, लोकतान्त्रिक प्रवृत्तियों का हश्र निरंकुशता ही है। लुई ने भी यही किया- जनमत का प्रतीक बन पहले शासन का केन्द्रीकरण और फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिक स्वतंत्रता और अपने विरोधी अल्पसंख्यकों का दमन। पुन: इस द्वितीय क्रांति का यूरोप में प्रसार इसी चक्र के अधीन रहा - लोकतंत्र - केन्द्रीकरण - निरंकुशता। एक्टन आधुनिक उदारवाद की इस पराजय के लिए फ्रांसीसी क्रांति को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके अनुसार क्रान्तिकारी भविष्य के लिए एक पथभ्रष्ट प्रेरणा ही रहे। राज्य पहले भी निरंकुश था और अब उसकी शक्तियां असीम हो गयीं। वही पुराने तौर तरीके अब प्रचंडता के साथ व्यवस्था का आधार बने जिन्होंने शासन को अधिक स्वेच्छाचारी स्वरूप दे दिया। लुई ने राष्ट्रीयता का प्रयोग एक ऐसे बल के रूप में किया जो यूरोप की राज्य व्यवस्था को समाप्त करने में सक्षम था।

ऑस्ट्रिया को एक्टन ने अपेक्षाकृत स्थिर राज्य माना। वह इसे यूरोप का इकलौता प्रदेश मानता था जहाँ अभी भी स्वतंत्रता विद्यमान थी। उसका विश्वास था कि किसी समाज के स्वतंत्र रहने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण अनेक संस्थाओं में होना चाहिए जो बिना राजकीय हस्तक्षेप अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर सकें। ऑस्ट्रिया स्वतन्त्र था क्योंकि इसमें दो महत्त्वपूर्ण संस्थाओं - अभिजात्य वर्ग और कैथोलिक चर्च के पास साम्राज्य के अंतर्गत आवश्यक स्वायतता थी। कालांतर में कैवूर के आने से स्थिति में परिवर्तन हुआ। फ्रांसीसी उदारवादियों की भांति उसने राज्य की शक्ति बढाने के लिए अभिजात्य वर्ग और चर्च के अधिकारों में कमी की।

पीडमोंट में अभिजात्य वर्ग से सम्बंधित वंशानुगत उच्च सदन और ज्येष्ठाधिकार की समाप्ति ने इस संस्था पर प्रहार किया। वहीँ चर्च की सम्पत्ति जब्त कर इसे आर्थिक रूप से राज्य पर निर्भर कर दिया गया। इस नीति का प्रभाव यह रहा कि चर्च जो पूर्व में राज्य की शक्ति पर अंकुश था, अब राज्य के लिए शक्ति अर्जन का साधन बन गया। चर्च ने इससे निजात पाने के लिए ऑस्ट्रिया की मदद चाही और अंतत: यह बात ऑस्ट्रिया तथा कैवूर के मध्य संघर्ष का कारण बनी जिसे एक्टन ने राष्ट्रीयता की ओट में जघन्य अपराध की संज्ञा दी। चर्च उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में उदारवादी राज्य की केंद्राभिसारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक अवरोध रहा और इसे राज्य पर आश्रित कर फ्रांसीसी क्रांति के चर्च विरोधी चरित्र का ही अनुकरण किया गया। एक्टन मानता था कि चर्च विभिन्न राष्ट्रों के मध्य प्राकृतिक और ऐतिहासिक वैभिन्य से उत्पन्न वैर को भुला कर परस्पर उदारता और एक दूसरे की संप्रभुता के प्रति सम्मान बनाये रखने में सहायक हो सकता है। चर्च की शक्ति कम करना इस लक्ष्य को खोना है।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में यूरोप में राष्ट्र-राज्य का उदय वंशानुगत शासन के अंतर्गत अभिजात्य वर्ग और चर्च पर निर्भर

राजनीतिक व्यवस्था के ढहने की शुरुआत थी और एक्टन के अनुसार इस परिवर्तन के केंद्र में इसे निरंतर ऊर्जा देने वाली शक्ति राष्ट्रीयता ही थी। राष्ट्रीयता जो उचित रूप में वांछनीय थी किन्तु क्रांति के साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए आवश्यक तत्त्वों का विनाश करने में सक्षम थी। इस कारण एक्टन ने लोकतंत्र का विरोध किया और स्वतंत्रता के पथ को श्रेष्ठ बताया। उसने कहा कि सही अर्थो में स्वतन्त्र समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब सत्ता अनेक स्वाधीन संस्थाओं में विभक्त रहे। इसके विपरीत यदि समस्त शक्ति एक लोकतान्त्रिक राज्य में निहित हो गयी तो एक ऐसी शासन प्रणाली अस्तित्व में आएगी जो बहुसंख्यकों के अनुरूप कार्य करेगी और अल्पसंख्यकों का दमन – 'लोकतंत्र की यही खामी थी जहाँ बहुमत की इच्छा सर्वोपरि थी और अन्य सभी हित इसके समक्ष गौण। वैयक्तिक या संस्थानिक – किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता – यदि वह बहुमत के विरुद्ध हो तो उसे अवांछनीय माना जाता था'। अत: एक्टन ने आगाह किया कि लोकतंत्र में राज्य अंतत: निरंकुश हो जायेगा और अपने सच्चे लक्ष्यों में स्वतंत्रता की प्राप्ति असंभव। एक्टन का दृढ़ विश्वास था कि स्वाधीन संस्थाओं द्वारा ही राज्य में उचित शक्ति संतुलन बनाया जा सकता है जिसमें अल्पसंख्यकों के हित भी सुरक्षित रहें। संस्थाओं को अपने क्षेत्रों में बिना हस्तक्षेप कार्य करने देना ही स्वतंत्रता का पोषण करता है। समाज की संरचना अत्यंत जटिल है जो दीर्घ काल में विकसित होती है। इसी क्रम में एक्टन ने स्वाधीन संस्थाओं का विकास भी अनेक शताब्दियों से निरंतर जारी प्रक्रिया के तहत माना जिसे उदारवादियों ने सहेजने के बजाय नष्ट करने का कार्य किया। इतिहास के सबक भूल जाना अत्यंत अदूरदर्शी कदम था जिसका परिणाम बहुसंख्यकों की अतिवादिता के रूप में सामने आया।

फ्रांसीसी क्रांति ने अतीत की उपेक्षा कर लोकतंत्र के अधीन समानता का लक्ष्य तय किया। क्रांति के घटनाचक्र में 'इतिहास का फ्रांस भी पारंपरिक शासन के साथ नष्ट हो गया जिसके निर्माण में अनेक शताब्दियाँ व्यतीत हुई थीं'। आगे चलकर मेजिनी के रूप में क्रांति और राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक का उदय हुआ जिसकी लोकप्रियता ऑस्ट्रिया में व्याप्त कुशासन से बढ़ी। एक्टन के अनुसार इटली में राष्ट्र-राज्य का निर्माण इटली के इतिहास के अनुरूप नहीं था जहाँ ऐसी एकता अनुपस्थित थी। 'वहां अलग अलग हिस्सों की अलग अलग परम्पराएं, पृथक कानून और भिन्न स्वरुप थे। इस प्रकार इटली में अनेक राष्ट्र मौजूद थे न कि एक।' इस सन्दर्भ में एक्टन ने राष्ट्रीयता को जैविक सिद्धांत के अनुरूप परिभाषित किया, जिसमें राष्ट्रीय एकता किसी एक लोकतान्त्रिक राज्य में नहीं वरन् एक विस्तृत साम्राज्य में अनेक राष्ट्रों के शांतिपूर्ण एवं परस्पर लाभकारी सहअस्तित्त्व के रूप में परिलक्षित हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्र भी स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली अन्य स्वायत्त संस्थाओं की भांति राज्य में शक्ति संतुलन बनाये रखने की दिशा में कार्य करेगा।

निष्कर्ष

वस्तुतः कोई एक शक्ति राज्य में सत्ता के केन्द्रीकरण, भ्रष्टाचार, या निरंकुशता को नहीं रोक सकती, किन्तु राज्य में अनेक राष्ट्रों की उपस्थिति जो विचारों या मतों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करे ऐसा करने में सक्षम है। राष्ट्र की इस अवधारणा में विकास के ऐतिहासिक क्रम का अनुसरण भी है। क्रांति के साथ राष्ट्रीयता जहाँ मत वैभिन्यता को कुचलकर एक कृत्रिम एकता की रचना करती है, एक्टन की राष्ट्रीयता इस विविधता को सुरक्षित रखती है। यह बहुरूपता विकास के ऐतिहासिक क्रम से प्राप्त हुई धरोहर है जो अपने घटक राष्ट्रों के विशिष्ट स्वरूप से सम्बंधित है। एक राज्य में भिन्न राष्ट्रों की उपस्थिति उतनी ही आवश्यक है जितनी समाज में भिन्न व्यक्तित्वों का मिश्रण। इनके मध्य का पारस्परिक व्यवहार राज्य की उन्नति के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। किन्तु यह स्वतन्त्र राष्ट्र-राज्यों में संभव नहीं हो पाता जो एक दूसरे से अलगाव को प्रश्रय देते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. एक्टन, 'नेशनलिटी' इन होम एण्ड फॉरेन रिव्यू, 1, लंदन, विलियम्स एण्ड नॉरगे, जुलाई, 1862, पृ.सं. 125। यह लेख फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप, खास तौर पर इटली और ऑस्ट्रिया में राज्य व्यवस्था में होने वाले बड़े एवं महत्त्वपूर्ण बदलावों के संदर्भ में है।
2. एल्थोज, जे.एल., मैकएलरथ, डी., एवं हॉलैण्ड, जे.सी., दि कॉरेसपोन्डेन्स ऑफ लॉर्ड एक्टन एण्ड रिचर्ड सिम्पसन, वॉल्यूम 2, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1973, पृ.सं. 149
3. मैसी, एच.जे., ''लॉर्ड एक्टन्स थियोरी ऑफ नेशनलिटी'' इन दि रिव्यू ऑफ पॉलिटिक्स, वॉल्यूम 31, नं. 4, इण्डियाना, यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डेम, अक्टूबर, 1969, पृ.सं. 495
4. लॉशर्स, एफ.डब्ल्यू., ''सेण्ट ऑगस्टिन्स कनसेप्शन ऑफ दि स्टेट'' इन चर्च हिस्ट्री, वॉल्यूम 4, नं. 1, केम्ब्रिज, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, मार्च, 1935, पृ.सं. 16-42 ऑगस्तीन के अनुसार इतिहास केवल दैवीय योजना का खुलासा करता है। साम्राज्यों का उत्कर्ष या पतन इसी योजना के अनुरूप होता है। राज्य ईश्वर की सत्ता के अधीन है और राज्य की सत्ता तब तक ही मान्य है जब तक वह ईश्वर के प्रति मनुष्य के कर्त्तव्यों को प्रभावित ना करे - अन्यथा नागरिकों के लिए राज्य के ऐसे नियम मानना आवश्यक नहीं।
5. पुनर्जागरण काल में प्राचीन साहित्य को मूल स्वरूप में स्वयं पढ़ने और समझने की ओर रुझान विकसित हुआ। यह उस परम्परा के विपरीत था जिसमें केवल किसी अन्य द्वारा श्रेण्य ग्रंथों पर लिखित टीकाओं पर ही समस्त विमर्श केंद्रित रहता था। इस चाह ने धर्म के प्रति तर्क-आधारित 'मानववादी' दृष्टिकोण को प्रोत्साहित एवं पुष्ट किया।

6. बर्कहार्ट, जे., दि सिविलाइजेशन ऑफ दि रेनेसां इन इटली, पेन्गुइन क्लासिक्स, लंदन, 1990

7. एक्टन (एडिटेड बाय) फिगीज, जे.एन. एवं लॉरेन्स, आर.वी., लैक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, लंदन, मैकमिलन, 1996, पृ.सं. 71

8. उपर्युक्त, पृ.सं. 72

9. उपर्युक्त, पृ.सं. 75

10. उपर्युक्त, पृ.सं. 77

11. धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण काल की अनेक नवीन प्रवृत्तियों का उद्धर्धन है। ईश्वर को चर्च के अनुसार समझने के बजाय खुद बाइबिल या अन्य धर्मग्रंथों को पढ़ना बेहतर समझा गया। पुनर्जागरण ने तो धर्मग्रंथों के कथन की प्रामाणिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। तर्कवाद के इस दौर ने राज्य और चर्च सम्बन्धों पर गहरा प्रभाव डाला। अब राजा के लिए दैवीय अनुमति की अपेक्षा शासन सम्बन्धी शक्ति एवं योग्यता की बात होने लगी और यह चर्च पर राज्य की निर्भरता के युग के अंत की शुरुआत थी।

12. सुधारवादी विचारकों जैसे प्रोटेस्टेंट लूथर और मानववादी इरेस्मस ने विश्व को एक नया नजरिया दिया जो चर्च के प्रति अंधश्रद्धा की अपेक्षा मानव मस्तिष्क की सम्भावनाओं पर अधिक आधारित था।

13. एक्टन, नेशनलिटी इन होम एण्ड फॉरेन रिव्यू, पूर्वोक्त, पृ.सं. 6

14. यूरोप की पुरातन व्यवस्था में राष्ट्रीयता से सम्बंधित अधिकार ना तो शासक द्वारा स्वीकार किए जाते थे और ना ही शासितों द्वारा अपेक्षित थे। राष्ट्र-हित के स्थान पर राजवंशों के हित नीतियों का निर्धारण करते थे। हिमेलफार्ब, जी., एसेज ऑन फ्रीडम एण्ड पावर बाइ जॉन अमेरिक एडवर्ड डलबर्ग-एक्टन, बॉस्टन, दि बीकन प्रेस, 1949, पृ.सं. 169

15. एक्टन इसे निरंकुशता के एक नए युग की शुरुआत मानते हैं जहाँ शासन को यह शक्ति लोकतंत्र द्वारा प्रदत्त है।

16. यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि समानता की आकाँक्षा उन प्रमुख बातों में से एक थी जो फ्रांसीसी क्रांति के मूल चरित्र को परिभाषित करती हैं। एक्टन, नेशनलिटी इन होम एण्ड फॉरेन रिव्यू, पूर्वोक्त, पृ.सं. 9

17. फिगीज, 1906, पृ.सं. 219-32

18. राष्ट्रीयता जो विगत के राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो। इस हेतु पुरातन राज्य व्यवस्था के साथ इतिहास को भी त्याज्य माना गया।

19. एक्टन, जुलाई 1862, पृ.सं. 2, देखें लेंग टिमोथी, ''लॉर्ड एक्टन एण्ड दि इनसेनिटी ऑफ नेशनलिटी'' इन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, वॉल्यूम 3, नं. 1, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया प्रेस, पेंसिल्वेनिया, जनवरी, 2002, पृ.सं. 130

20. एक्टन मैजिनी के प्रशंसक नहीं हैं। उनका मानना था कि मैजिनी एकीकरण और राष्ट्रीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के चलते स्वाधीनता को भुला बैठे।

21. बीसवीं सदी में जब विश्व-युद्ध लड़े गए तो कुछ लोगों ने कई दशक पूर्व एक्टन द्वारा व्यक्त आशंका कि अति-राष्ट्रवाद अंततः अधिनायकवाद में परिवर्तित हो सकता है-को भविष्यवाणी की तरह देखा। मॅकरै, डी. जी., ''दि पॉलिटिक्स ऑफ लॉर्ड एक्टन'' इन दि पॉलिटिकल क्वार्टरली, बासिल ब्लैकवैल, वॉल्यूम 24, इश्यू 3, जुलाई, 1953, पृ.सं. 285

22. राष्ट्र-राज्यों के प्रति एक्टन की अनासक्ति की वजह यह धारणा थी कि राष्ट्रीय इकाईयों के प्रति अतिविश्वास अधिनायकवाद और अराजकता का आगमन सुनिश्चित करेगा। मैसी, अक्टूबर, 1969, पृ.सं. 497

23. एक्टन, कन्टैम्पोरेरी इवेन्ट्स इन रेम्बलर, 2, 3 सीरिज, लंदन, जनवरी, 1860, 265 एक्टन पुनः चेतावनी देते हैं कि स्वाधीनता की किसी भी अवधारणा में निरंकुश सत्ता का स्थान नहीं है। फासनॉट, जी.ई., एक्टन्स पॉलिटिकल फिलोसॉफी-एन एनालिसिस, लंदन, हॉलीज एण्ड कारटर, 1952, पृ.सं. 139

24. बहुराष्ट्रवाद से एक्टन का पर्याय एक राज्य में उपस्थित विभिन्न सांस्कृतिक समूहों से है जो स्वयं में पृथक राष्ट्र कहे जा सकते हैं। किंतु इनकी प्रतिबद्धता एक राज्य के प्रति हो सकती है। इस प्रकार राष्ट्र एक्टन की सांस्.तिक इकाई है जबकि राज्य राजनीतिक।

25. एक्टन, कन्टैम्पोरेरी इवेन्ट्स इन रेम्बलर, 2, 3 सीरिज, पूर्वोक्त, पृ.सं. 261-262

26. एक्टन, ''केवर'' इन रेम्बलर, 7, 3 सीरिज, जुलाई, 1861, पृ.सं. 148

27. एक्टन, ऑप.सिट. ''दि रोमन क्वेशचन'', जनवरी, 1860, पृ.सं. 142

28. एक्टन, ''पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ दि अमेरिकन रिवॉल्यूशन'' वउ रेम्बलर, 5, 3 सीरिज, मई, 1861, पृ.सं. 17-19

29. बहुलतावाद, उदारवाद और प्रगति की संकल्पनाओं ने एक्टन को व्यक्तिवादी बना दिया जो संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति में नैतिक और राजनीतिक अधिकार निहित मानता था। लेकिन व्यक्ति की स्वायतत्ता का पक्षधर होते हुए भी एक्टन उपयोगितावादियों से भिन्न मत रखते हैं।

30. एक्टन, नेशनलिटी इन होम एण्ड फॉरेन रिव्यू, पूर्वोक्त, पृ.सं. 6-7

31. जैविक राष्ट्रीयता का सिद्धांत भी फ्रांस की क्रांति की ही उपज माना जाता है जो नेपोलियन के विजय अभियान के प्रति यूरोप का प्रतिरोध था। नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों में अनेक लोकप्रिय आंदोलन प्रारंभ हुए जिनका उद्देश्य फ्रांसीसियों को बाहर निकालना तथा नेपोलियन के प्रशासनिक ढांचे को समाप्त करना था। ये आंदोलन क्रांति की केंद्रीकृत प्रवृत्ति के अतिरिक्त पुराने शासन की निरंकुशता के विरुद्ध भी थे। हालांकि ये आंदोलन अल्प समय रहे और पुनःस्थापन काल में हाशिये पर धकेल दिए गए।

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 90-100

भारत में महिला सुरक्षा और सामाजिक विधायन : एक अध्ययन

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

डॉ. मुकेश कुमार वर्मा
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

महिला सुरक्षा के मौलिक लक्ष्यों को स्पष्ट तौर पर संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धान्तों, एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों एवं पिछड़े वर्गों के बारे में अधिनियमों व विशेष व्यवस्थाओं में भी देखा जा सकता है। परन्तु इन सबके बावजूद आज भी वांछित समूहों के एक वर्ग को न तो समुचित लाभ मिल पा रहा है और न ही सुरक्षा प्राप्त हो पा रही है। प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य समाज के आवश्यक अविभाज्य, किन्तु पिछड़े हुये प्रमुख अंग (महिला वर्ग) को आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का अध्ययन करना है। इस हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों, राजकीय योजनाओं, विविध कानूनों एवं अधिनियमों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है ताकि महिलाओं की आर्थिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, राजनैतिक और पारिवारिक परिस्थितियों में आ रहे परिवर्तन की विवेचना की जा सके। प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु आँकड़े एवं सूचना के संकलन हेतु विभिन्न दस्तावेजों का अध्ययन करने के साथ-साथ प्रमुखतया द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं कार्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन, प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य प्रकाशन, संदर्भ पुस्तकें, शोध पत्र-पत्रिकाओं तथा विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेखों इत्यादि से सूचनाएँ एकत्रित की गई है। शोध के लिये संस्थागत, औपचारिक अध्ययन पद्धति के साथ-साथ वैधानिक अध्ययन पद्धति भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इनके अलावा ऐतिहासिक एवं अनुभवमूलक पद्धति के आधार पर महिलाओं की स्थिति एवं दशा को विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के परिवेश में संकलित तथ्यों का विवेचनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धतियों के माध्यम से यथा संभव निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास किया गया है।

संकेताक्षर : *लोक कल्याणकारी राज्य, मानव संसाधन, मानव विकास, महिला सुरक्षा, सामाजिक विधायन*

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मूल्य अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से सम्बधित हो। ऐसे वर्गों में मुख्य रूप से समाज के वंचित वर्गों को अग्रिम पंक्ति पर रखा जाता है क्योंकि देश का विकास समाज के सभी वर्गों के समुचित विकास पर ही निर्भर करता है और जब तक समाज के इन वंचित वर्गों का समुचित विकास नहीं हो जाता और इन्हें हाशिये से समाज की मुख्य धारा में नहीं लाया जाता तब तक देश के विकास की कल्पना नही की जा सकती। आज हमारे भारतीय समाज में ऐसे अनेक वर्ग हैं जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है और जिनका विकास होना न केवल आवश्यक है अपितु अपरिहार्य भी है। ऐसे वर्गों में समाज का महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, बालक-बालिकाओं का वर्ग, निशक्तजन वर्ग, श्रमिक वर्ग, दलित वर्ग इत्यादि है चूंकि ये समस्त वर्ग समाज का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है इसलिए देश के विकास के लिये इन सभी वर्गों का विकास होना आवश्यक है। शोध की प्राक्क्लपनानुसार भी किसी भी देश का विकास उस देश के समस्त मानवीय संसाधनों के समुचित विकास पर निर्भर करता है और चूंकि देश के समस्त मानवीय संसाधनों का आधा भाग महिला रूपी मानव संसाधन है अत: इस दृष्टिकोण से महिलाओं का विकास आवश्यक हो जाता है। दूसरी और यदि देश की महिलाओं की स्थिति, प्रस्थिति एवं विकास का अध्ययन करें तो निष्कर्षत:

कहा जा सकता है कि वर्तमान में देश की महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्न है। अत: देश की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किये बिना एवं तुलनात्मक रूप से महिलाओं को अधिक सशक्त किये बिना हमारे समाज और देश का विकास संभव नहीं है। भूमण्डलीकरण की चुनौतियों एवं राज्य की भूमिका सीमित होने के बावजूद समाज के कमजोर, निम्न एवं पिछड़े वर्गों की विशेष रूप से महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। व्यापक एवं विशाल स्तर पर सामाजिक सुरक्षा नीतियों के क्रियान्वयन के पश्चात् भी वांछित समूहों तक इन नीतियों का लाभ नहीं पहुंच पाया है। इसलिये महिला सुरक्षा का प्रश्न महत्वपूर्ण है।

भारत में महिला सुरक्षा

प्रत्येक लोकतान्त्रिक देश के अपने मूल्य होते हैं। जनता को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करना लोकतन्त्र का सर्वप्रमुख मूल्य होता है। सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने में सामाजिक सुरक्षा एक सशक्त माध्यम है और सामाजिक सुरक्षा राज्य की नीतियों, नियमों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर निर्भर करती है। लोक कल्याणकारी राज्य के रुप में भारत का दायित्व नागरिकों को न्यूनतम मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करना होता है ताकि समाज के वंचित, पीड़ित एवं असहाय वर्ग को सुरक्षा प्रदान कर उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके एवं विकास की मुख्य धारा में जोड़ कर देश के विकास में उनके योगदान को सुनिश्चित किया जा सके। ऐतिहासिक दृष्टि से महिला सुरक्षा के लिये 17वीं शताब्दी से प्रयास किये जा रहे हैं। 17वीं शताब्दी में सुधारवादी वकीलों, मेरी वुल्सटोनें क्राफ्ट से लेकर जॉन स्टुअर्ट मिल एवं अन्य ने 19वीं शताब्दी के मध्य तक में महिलाओं को राजनैतिक एवं व्यावसायिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्रदान करने का आन्दोलन चलाया। महिला सुरक्षा आन्दोलन के दौरान काफी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये और महिलाओं को व्यवसायों या पेशों में आर्थिक अवसर प्राप्त हुये और राजनैतिक एवं विधिक प्रस्थिति और सामाजिक सुरक्षा काफी हद तक प्राप्त हुई जो औसतन महिला के जीवन में एक क्रान्ति का द्योतक है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धी घोषणा पत्रों के अन्तर्गत महिलाओं की भूमिका में विचारों की क्रान्ति को प्रतिबिम्बित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 का वर्ष ''अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष'' के रूप में मनाया गया जिसमें प्रारम्भ में महिलाओं के पिछड़ेपन का दिग्दर्शन फिर उत्थान की योजनाएँ बनाने तथा उनकी चेतना के नये क्षितिजों की खोज पर विचार किया गया था। इस वर्ष में मैक्सिको व बर्लिन में दो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किये गये जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर राजनीतिक, सामाजिक व विकास सम्बन्धी मुद्दों पर महिलाओं की भूमिका की चर्चा की गई। इसी के साथ विश्व स्तर पर महिलाओं की भूमिकाओं से सम्बद्ध अन्य मुद्दों पर भी अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया गया। जिनमें यूनाइटेड नेशनल कांफ्रेंस ऑफ सैटलमेंट्स (1976), वर्ल्ड कांफ्रेंस ऑफ एम्पलॉयमेंट इन्कम डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड सोशल प्रोगेस, इन्टरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर (आई.एल.ओ. 1976), यूनाइटेड नेशनल कांफ्रेंस ऑन डेसिविफिकेशन (1977), दी वर्ल्ड कांफ्रेंस ऑफ अग्रेरियन रिफोर्म एण्ड रूरल डेवलपमेंट (यूनाइटेड नेशनल 1979) एण्ड दी वर्ल्ड यूनाइटेड नेशनल कांफ्रेंस ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी (1981) आदि सम्मिलित हैं। एक नवीन विस्तृत विश्व स्तरीय अभियान 1980 में कॉपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र महिला दशक के विश्व सम्मेलन में सुनिश्चित किया गया तथा बाद में उसे 1985 में दशक के अन्त में नैरोबी सम्मेलन में संगठित किया गया। विश्व मंच पर महिला सुरक्षा सम्बन्धी बढ़ते हुए प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए तथा उनके प्रभाव स्वरूप भारत ने भी प्रारम्भ से इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किये हैं और आज भी निरन्तर इस दिशा में कार्य कर रहा है। सभी स्तरों पर उन्हें आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील बनाने के लिये चर्चाएँ संगोष्ठियाँ तथा सम्मेलनों के विभिन्न आयोजन किये गये। देश में महिला विकास योजनाएँ तैयार की गई जिनके सफल तथा त्वरित क्रियान्वयन से महिलाओं में चेतना का प्रदुर्भाव हुआ। यहाँ तक की विभिन्न पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत महिला सुरक्षा पर पहले की तुलना में कहीं अधिक बल दिया जाने लगा। केन्द्र स्तर पर पृथकत: ''महिला एवं बाल कल्याण मन्त्रालय'' की स्थापना की गई जबकि पूर्व में यह समाज कल्याण में ही समाहित था। वर्तमान समय में भारत सरकार की और से महिलाओं हेतु अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के लोगों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा अनुसरित किये जाने वाले उद्देश्य में महिला सुरक्षा को उचित स्थान दिया गया। संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याण को उन्नत करने में राज्य की भूमिका का मूल्यांकन करते हुए कल्याणकारी राज्य के आदर्श की प्राप्ति हेतु संविधान में कुछ व्यवस्थाएँ की। महिला सुरक्षा के मौलिक लक्ष्यों को स्पष्ट तौर पर संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धान्तों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों एवं पिछड़े वर्गों के बारे में विशेष व्यवस्थाओं में भी देखा जा सकता है। सरकार ने सातवें एवं आठवें दशक में सामाजिक

कुरीतियों एवं बुराइयों को दूर करने तथा समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाने हेतु अधिनियम पारित किये है। जैसे नागरिक सुरक्षा कानून (1955), अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम (निवारण) अधिनियम (1989), समान वेतन कानून (1976), हिन्दू विवाह कानून (1955), विशेष विवाह कानून (1955), (संशोधित कानून 1976), बाल विवाह प्रतिषेध कानून संशोधन कानून 1955, दहेज निषेध कानून 1961 (संशोधित 1984), महिलाओं एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार दमन कानून, 1956 (संशोधित 1978), सती निषेध कानून, 1987, किशोर न्याय कानून, 1986, बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) कानून 1986, श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923, फैक्टरी संशोधन कानून, 1976, प्रसूति लाभ कानून 1961 (संशोधित 1976), कर्मचारी राज्य बीमा कानून (1948), कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध व्यवस्था कानून 1952, अनुग्रह भुगतान कानून 1972 आदि इन कानूनों का सामान्यतया सम्बन्ध समाज के पीड़ित वर्गों से है, जैसे-बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं श्रमिक। भारतीय संसद द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिए समय-समय पर अनेक अधिनियम पारित किए गए, जिनमें प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन 1993, सती निषेध अधिनियम 1987, वेश्यावृत्ति निवारण (संशोधन अधिनियम स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ठेका श्रम अधिनियम 1970, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम 1966, खान अधिनियम 1952, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 प्रमुख है। महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में उक्त अधिनियमों के अधीन परित्यक्ता महिलाओं के लिये गुजारा भत्ता संशोधन विधेयक, बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण विधेयक, घरेलू हिंसा निरोधक विधेयक, भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2001 और महिला राजनीतिक आरक्षण विधेयक (विचाराधीन) राज्य द्वारा महिला सुरक्षा की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है। सरकार द्वारा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा लिए कई विकास कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके और विकास कार्यों में उनकी अधिक-से-अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सरकार द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं में ड्वाकरा योजना, नौराड योजना, किशोरी बालिका योजना, महिला समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना, महिला स्वशक्ति योजना आदि प्रमुख है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अलावा कई राज्यों में भी महिला आयोग का गठन हो चुका है, इसके अलावा सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति के रूप में 'महिला सशक्तीकरण नीति-2001' बनाई गई है, जो महिलाओं के चहुँमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। इन सबके अलावा भी सरकार द्वारा महिलाओं के लिये निरन्तर अनेक सामाजिक विधायनों, विकास कार्यक्रमों तथा कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है ताकि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की सके।

सामाजिक विधायन की आवश्यकता

सामाजिक विधायन सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। सामाजिक विधायनों का उद्देश्य समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं एवं कुरूतियों को समाप्त कर उनका समाधान करने तथा समाज सुधार एवं कल्याण के द्वारा सामाजिक असुरक्षा को रोकना होता है। मानव व्यवहार को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिये प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ आदर्श नियम जैसे जन-रीतियाँ, प्रथाएँ, रूढ़ियाँ और कानून पाये जाते हैं। ज्यों-ज्यों एक समाज परम्परा से आधुनिकता की ओर बढ़ता है उसमें नगरीकरण, औद्योगीकरण, धर्म-निरपेक्ष मूल्यों, जन-कल्याण की भावना बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उसमें सामाजिक विधायनों का महत्व भी बढ़ता जाता है। इस तरह औपचारिक एवं संगठित तरीकों में सामाजिक विधायन परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। राज्य द्वारा पारित किये जाने वाले विधायनों के पीछे राज्य की शक्ति होती है और इनका उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा एक निश्चित दण्ड की व्यवस्था की जाती है। सामाजिक विधायनों का सम्बन्ध हमारे व्यवहार के बाह्य पक्ष से होता है अर्थात् किसी विधायन को हम उचित न भी समझे या हमारा उसमें विश्वास न भी हो फिर भी हमें अपना व्यवहार उसके अनुरूप बनाना होता है। आधुनिक समाजों में जहाँ राज्य का अधिकार क्षेत्र व्यापक हैं, विधायन ही सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्त्रोत माना जाता है, विधायन ही हमारे कर्तव्यों और अधिकारों की स्पष्ट परिभाषा करता है। अत: आधुनिक समाजों में सामाजिक विधायन ही सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण एवं प्रत्यक्ष साधन है। अत: इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला सुरक्षा के लिये सामाजिक विधायनों का निर्माण

किया गया है क्योंकि सामाजिक विधायन ही महिला सुरक्षा का एक बड़ा मानक है और सामाजिक विधायन ही वह उपकरण है जिससे महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा व उनके शोषण को रोका जा सकता है। सामाजिक विधायनों से ही महिलाएं स्वयं को सुरक्षित कर समाज में अपनी सशक्त व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है। सामाजिक विधायन महिला के व्यक्तित्व व बुद्धि का विकास करने में मदद कर उसे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कार्यों को सम्पन्न करने के योग्य बनाती है। जिससे महिलाओं में जागरूकता, दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है। सामाजिक विधायनों द्धारा महिलाएं न केवल स्वयं लाभाविन्त होगी साथ-साथ उससे भावी पीढ़ी भी लाभाविन्त होगी। सामाजिक विधायनों से महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा व उनका शोषण रोकने में मदद मिलेगी वह समाज में अपने हक के लिये लड़ भी सकेगी। समूचे भारत में स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान के लिये सामाजिक विधायनों की आवश्यकता है क्योंकि अगर विधायन होंगे तो महिलाओं में चेतना का विकास होगा। वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकेगी। अपने हक के लिये इन सामाजिक विधायनों के माध्यम से संघर्ष करेगी तथा लड़ सकेगी जिससे महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा व उनका शोषण रोकने में मदद मिलेगी। अत: वर्तमान में सामाजिक विधायन महिला सुरक्षा का एक बड़ा मानक है।

भारत में महिला सुरक्षा हेतु निर्मित प्रमुख सामाजिक विधायन

देश के गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी देश भर में अपराध के आंकड़ों का ब्योरा रखने वाली सर्वाधिक विश्वसनीय संस्था है जो हर साल अपराध से संबंधित आंकड़े जारी करती है। अक्टूबर 2019 में वर्ष 2017 के जारी किये एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और यह वृद्धि लगभग सभी राज्यों में हुई है। एनसीआरबी के मुताबिक देश भर में साल 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,59,849 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यह लगातार तीसरें साल बढ़ोत्तरी हुई है। 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,29,243 मामले दर्ज किए गए थे जबकि 2016 में 3,38,954 मामले दर्ज हुए थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज मामलों में हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, एसिड हमले जैसे अपराध शामिल है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में इस तरह के 56,011 जबकि महराष्ट्र में 31,979 मामले दर्ज किए गए। इसके मुताबिक देश भर में संज्ञेय अपराध के 50 लाख केस दर्ज हुए, जो कि 2016 की तुलना में 3.6 फीसदी ज्यादा है। इस दौरान हत्या के मामलों में 3.6 फीसदी की कमी आई है जबकि अपहरण के मामले नौ फीसदी बढ़ गए। एनसीआरबी के मुताबिक भारतीय दंड संहिता यादि आईपीसी के तहत देश भर में कुल 30,62,579 मामले दर्ज हुए, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 29,75,711 था। जहाँ तक राज्यों का सवाल है तो इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है जहां कुल मामलों के करीब दस फीसदी यानी 3,10,084 केस दर्ज हुए है। यूपी के बाद नंबर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और दिल्ली का है। देश में दर्ज अपहरण के कुल मामलों में से करीब 21 फीसदी मामले अकेले यूपी में ही दर्ज किए गए। यहाँ 2016 के मुकाबले चार हजार मामले ज्यादा दर्ज हुए हैं। 2017 में अपराध के दर्ज मामलों की संख्या 19,921 है। इस मामले में भी यूपी के बाद महाराष्ट्र का ही नंबर है। तीसरे नंबर पर बिहार है। खास बात यह है कि इस मामले में पांचवें नंबर पर आने वाली राजधानी दिल्ली में अपरहरण के मामलों में कमी आई है। दिल्ली में अपहरण के दर्ज मामलों की संख्या 2016 में जहां 6,619 थी वहीं 2017 में घटकर 6,095 रह गई (एनसीआरबी रिपोर्ट-2018)। एनसीआरबी के जारी किये आंकड़ों के मुताबिक देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि आज भी महिला सुरक्षा का प्रश्न प्रासंगिक है जिसमें सामाजिक विधायनों का महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। भारत में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में निम्नांकित सामाजिक विधायनों की प्रमुख भूमिका रही है–

हिन्दू उत्तराधिकारी (संशोधन) अधिनियम 2005–भारत में महिलाओं को सुरक्षा दिलाने की दिशा में 9 सितम्बर, 2005 के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन ''हिन्दू उत्तराधिकारी, (संशोधन) अधिनियम 2005'' अस्तित्व में आया। जिसके अन्तर्गत हिन्दू समाज की अभी तक की प्रचलित मान्यताओं के विपरीत परिवर्तन किए गए। इस नये संशोधन कानून से हिन्दू उत्तराधिकारी कानून 1956 की धारा 6 के स्थान पर एक नई धारा स्थानापन्न की गई है, जिसके अनुसार 9 सितम्बर 2005 से हर हिन्दू पुत्री जन्म से ही संयुक्त परिवार में पुत्र के बराबर भागीदार गिनी जायेगी और उसे संयुक्त परिवार की सम्पति में पुत्र के बराबर अधिकार रहेगा। इसके साथ -साथ पुत्र के बराबर ही उस सम्पति में जो देनदारियाँ

होगी उनमें भी वह सहभागिनी होगी। लेकिन यदि किसी संयुक्त परिवार का विभाजन 20 दिसम्बर 2004 से पहले हो गया है, अर्थात जो पुराने हिन्दू कानून के अन्तर्गत हो गया है, जिसके अन्तर्गत पुत्रियों को संयुक्त परिवार की सम्पति में कोई अधिकार नही था तो ऐसा विभाजन रदद् नहीं किया जाएगा। परन्तु 9 सितम्बर, 2005 से हिन्दू परिवार के विभाजन में जो हक पुत्र को प्राप्त होगा, वही हक पुत्री को भी प्राप्त रहेगा और उसे उतना ही हिस्सा दिया जाएगा जैसे कि पुत्र को दिया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी पुत्री का देहान्त पहले हो जाता है जो संयुक्त परिवार के विभाजन के समय जीवित थी और जिस प्रकार दिवंगत पुत्र की सम्पति उसके पुत्रों और उसके उत्तरधिकारियों में बांटी जाती है, उसी प्रकार दिवंगत पुत्री के उतराधिकारियों मे भी वह सम्पति बांटी जाएगी। संशोधन के पश्चात अब हिन्दू महिला को संयुक्त परिवार की सम्पति में अपने हिस्से को अपनी वसीयत के अनुसार बांटने का पूरा हक रहेगा। इस प्रकार एक हिन्दू महिला की मृत्यु के समय संयुक्त परिवार की सम्पति का विभाजन उसी प्रकार होगा जैसे वह मृत्यु के दिन जीवित थी और उसका जो भी हिस्सा उस समय बनता था वही उसके उत्तराधिकारियों में विभाजित होगा जैसे कि पुत्र का होता है। अब हिन्दू महिला संयुक्त परिवार के रिहायशी मकान का विभाजन मांग सकती है। संशोधन के पश्चात अब हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 4 (2) समाप्त कर दी गई है, जिसका असर यह होगा कि 9 सितम्बर 2005 से यदि हिन्दू महिलाओं को कृषि भूमि में उत्तराधिकार के रूप में कोई हक मिलेगा तो उसे कृषि भूमि के विभाजन का पूरा हक रहेगा, जैसे कि एक पुत्र को रहता है। इस नये संशोधन अधिनियम के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 24 को समाप्त कर दिया गया है, जिससे पूर्व दिवंगत पुत्र की विधवा स्त्री आदि या पूर्व दिवंगत पुत्र के दिवंगत पुत्र या भाई की विधवा को पुनर्विवाह के पश्चात भी अपने पिता या संयुक्त परिवार की सम्पित उत्ताधिकार का अधिकार नहीं मिलता था। अब ऐसी विधवा को उसके पुनर्विवाह के पश्चात भी अपने पिता या संयुक्त परिवार की सम्पति में पुत्र के बराबर हिस्सा प्राप्त करने को पूरा अधिकार रहेगा।

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (दुरूपयोग का विनियम व निवारण) अधिनियम, 1994–भारत सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम के उदेश्य से प्रसव पूर्व निदान तकनीक के लिए 1994 में एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के अनुसार भ्रूण हत्या व लिंग अनुपात के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए कुछ नियम लागू किए हैं, जो कि निम्नानुसार है–

- गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना या करवाना गैर कानूनी है।
- शब्दों या इशारों से गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में जानने के लिए उकसाना गैर कानूनी है।
- कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाए बिना अल्ट्रासाउंड इत्यादि मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकता।
- जांच केंन्द्र पर यह लिखवाना अनिवार्य है कि यहाँ पर भ्रूण के लिंग की जांच नही की जाती, यह कानूनी अपराध है।
- कोई भी व्यक्ति अपने घर पर भ्रूण के लिंग की जांच के लिए किसी भी तकनीक व मशीनों का प्रयोग नहीं करेगा।
- गर्भवती महिला को उसके परिजनों या अन्य द्वारा लिंग जांचने के लिए प्रेरित करने आदि पर जुर्माना हो सकता है।
- दूसरी बार पकड़े जाने पर पाँच वर्ष कैद व एक लाख रूपये का जुर्माना हो सकता है।
- लिंग जांच करने वाले क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन रदद् कर दिया जाता है।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961–मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 प्रसव के पहले और बाद में कुछ अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं की नियुक्ति को विनियमित करता है और मातृत्व एवं अन्य लाभों की व्यवस्था करता है। ऐसे लाभों का उद्देश्य महिलाओं और उनके बच्चों का जब वह कार्यरत नहीं रहती है पूर्ण रूप से स्वास्थ्य रखरखाव की व्यवस्था करने के द्वारा मातृत्व की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। यह अधिनियमि खानों, फैक्टरियों, सर्कस उद्योग, बागान, दुकानों और प्रतिष्ठानों जो दस या अधिक व्यक्तियों को कार्य पर लगाते हैं, के लिए प्रयोज्य है। यह राज्य सरकारों द्वारा अन्य प्रतिष्ठानों तक विस्तारित किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय में केन्द्रीय औद्योगिक श्रम संबंध मशीनरी (सी.आई.आर.एम.)इस अधिनियम को प्रवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। सी.आई.आर.एम. मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है और यह मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) (सी.एल.सी.सी.) संगठन के रूप में भी जाना जाता है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- कोई नियोक्ता उसके प्रसव या गर्भपात के तुरन्त बाद छः सप्ताह तक किसी प्रतिष्ठान में जान बूझकर महिला को नियुक्त नहीं करेगा।
- कोई महिला अपने प्रसव या गर्भपात के तुरन्त बाद छः सप्ताह के दौरान किसी प्रतिष्ठान में कार्य भी नहीं करेगी।

- प्रत्येक महिला का यह हक होगा और उसका नियोक्ता पर यह दायित्व होगा कि औसत दैनिक मजदूरी की दर से उसकी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिए उसके प्रसव के दिन सहित इसके तुरन्त पहले और उस दिन के बाद छः सप्ताह तक के लिए उसे मातृत्व लाभ का भुगतान किया जाएगा।
- कोई भी महिला तब तक मातृत्व लाभ का हकदार नहीं होगी जब तक कि उसने वास्तव में नियोक्ता के प्रतिष्ठान में जिससे वह मातृत्व लाभ का दावा करती है, आशयित प्रसव के तुरन्त पहले बारह माहों में कम से कम एक सौ साठ दिनों की अवधि के लिए कार्य किया है। दिनों की गणना के प्रयोजन से जिन दिनों ने प्रतिष्ठान में वास्तविक रूप से कार्य किया है, जिन दिनों के लिए उसे भुगतान किया गया है, यह उसके आशयित प्रसव के तुरन्त पहले बारह माह की अवधि के दौरान, को ध्यान में रखा जाएगा।
- अधिकतम अवधि जिसके लिए महिला मातृत्व लाभ के लिए हकदार होगी वह बारह सप्ताहों के लिए होगी अर्थात उसके प्रसव का दिन सहित पहले छः सप्ताह तक तथा उस दिन के तुरन्त बाद छः सप्ताह।
- मातृत्व लाभ के लिए हकदार महिला की दैनिक मजदूरी से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।
- जब किसी अवधि के लिए महिला अनुपस्थित होने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा अनुमति होने के बाद किसी प्रतिष्ठान में कार्य करती है उस अवधि के लिए मातृत्व लाभ का दावा वह नहीं करेगी।
- यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम के प्रावाधानों का या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे कारावास की सजा हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, 1961–विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई संगठनों का मानना है कि मां और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कामकाजी महिलाओं को 24 हफ्ते का मातृत्व अवकाश देना जरूरी है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक बच्चों की उत्तरजीविता (सरवाइवल) दर में सुधार के लिए 24 हफ्ते तक उन्हें सिर्फ स्तनपान कराना जरूरी होता है। संगठन का यह भी मानना है कि पर्याप्त मातृत्व अवकाश और आय की सुरक्षा न होने की वजह से महिलाओं के करिअर पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा 2015 में विधि आयोग ने मूल कानून में संशोधन करके मातृत्व की अवधि को बढ़ाकर 24 हफ्ते करने का भी सुझाव दिया था। साथ ही, बदलते समय के साथ सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करने और बच्चे गोद लेने के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए ऐसी महिलाओं को भी इस कानून के दायरे में लाने के लिए यह संशोधन किया गया है। संशोधित विधेयक में नौ से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कामगार महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है। विधेयक में अवकाश का लाभ प्रसव की संभावित तारीख से आठ हफ्ते पहले किया जा सकता है। 1961 के मूल कानून में यह अवधि छः हफ्ते की थी। अगर महिला के दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे केवल 12 हफ्ते का ही अवकाश मिलेगा। इसका लाभ प्रसव की संभावित तारीख से छह हफ्ते पहले ही उठाया जा सकता है। मूल कानून में बच्चों की संख्या तय नहीं की गई थी। संशोधित विधेयक में कई नए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इनमें ऐसी महिलाओं को जिन्होंने तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनन गोद लिया है, 12 हफ्ते का अवकाश दिया जाएगा। साथ ही सरोगेसी के जरिये संतान सुख पाने वाली महिला को भी इतने ही हफ्ते का लाभ दिया जाएगा। यह अवधि उस तारीख से मानी जाएगी जब बच्चे को गोद लिया गया हो या सरोगेसी के जरिये संतान पाने वाली महिला को बच्चा सौंपा गया हो। संशोधित विधेयक में 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों से क्रेच की सुविधा देने को भी कहा गया है। नए विधयेक में काम की प्रकृति इजाजत दे तो महिलाओं को घर से काम करने की भी सुविधा देने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वे महिला कर्मचारी को नियुक्ति के समय मातृत्व का लाभ के बारे में जानकारी लिखित और ई-मेल के रूप में उपलब्ध कराएं। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन केन्दीय मंत्रिमण्डल ने संसद में मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 के जरिए मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधनों को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मातृत्व के समय महिला के रोजगार की रक्षा करता है और मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है-अर्थात अपने बच्चे की देखभाल के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है। यह अधिनियम दस सा उससे अधिक व्यक्तियों के रोजगार वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है। ये संशोधन संगठित क्षेत्र के लगभग 118 मिलियन श्रमबल के लिए मददगार साबित होंगे।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961–दहेज निषेध अधिनियम, 1961 दहेज लेने और देने पर प्रतिबंध लगाता है। यह दहेज को एक ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति मानता है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाह के समय या उसके बाद दिया जाता है। इस अधिनियम में दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 406 के अन्तर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्री धन को उसे सौंपने से मना करते हैं। यदि किसी लड़की की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया तो भारतीय दंडसंहिता की धारा 304-बी के अन्तर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है तथा साथ ही केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है।

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971–सरकार ने गर्भ समापन को समाजिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से देखते हुये सन् 1971 में चिकित्सकीय गर्भ समापन कानून बनाया गया तथा वर्ष 2002 में इस कानून में आवश्यक संशोधन किये गये। इस कानून के अन्तर्गत महिलायें कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी अस्पताल में या सरकार की ओर से अधिकृत व प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा गर्भपात करा सकती है। गर्भ समापन के लिए घर के किसी सदस्य की लिखित इजाजत की जरूरत नहीं होती है, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं अथवा जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, लेकिन जो पागल हो, को माता-पिता या पति (यदि कोई नाबालिग लड़की की शादी हो गई हो) की लिखित इजाजत की जरूरत होती है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं का केवल स्वयं की लिखित स्वीकृति देना जरूरी है। गर्भवती स्त्री कानूनी तौर पर गर्भपात केवल निम्नलिखित स्थितियों मे करवा सकती है :-

- गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में पडेगा अथवा उसकी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर क्षति की जोखिम होगी अथवा यदि इस बात की पर्याप्त जोखिम।
- यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं को पीड़ित होगा कि वह गम्भीर रूप से विकलांग हो तो वह गर्भ रजिस्ट्री कृत चिकित्सा-व्यवसाय द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
- गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो।
- बच्चा गम्भीर रूप से विकलांग हो या अपाहिज पैदा हो सकता हो।
- महिला या पुरुष द्वारा अपनाया गया कोई भी परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हों।
- यदि इनमें से कोई भी स्थिति मौजूद हो, गर्भवती स्त्री एक डॉक्टर के सलाह से बारह हफ्तों तक गर्भपात करवा सकती है। बारह हफ्तों से ज्यादा तक बीस हफ्ते (पाँच महिने) से कम को गर्भ से गिरवाने के लिए दो डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। बीस हफ्तों के बाद गर्भपात नहीं करवाया जा सकता है।

समान मजदूरी अधिनियम, 1976–नारी को समान मजदूरी दिये जाने की दृष्टि से वर्ष 1976 से 1975 के आध्यादेश को समान मजदूरी अधिनियम 1976 का रूप दिया गया। इसके अन्तर्गत नारी के साथ मजदूरी संदाय में पुरुषों के साथ किसी भी भेदभाव को मना किया गया है। समान मजदूरी अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कहा गया है कि कोई भी नियोजक किसी भी श्रमिक को जो उसके वहाँ कार्यरत हैं, जो नारी है उसी के समान कार्य कर रहे अन्य श्रमिकों की अपेक्षा कम मजदूरी नहीं दे सकता। **धारा 3** के अनुसार किसी भी अन्य विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी किसी समझौते में अथवा सेवा की संविदा में चाहे इस अधिनियम के पूर्व अथवा पारित होने पश्चात् वह किया गया हो यह अधिनियम प्रभावशाली रहेगा। **धारा 4** नियोजक को पुरुषों और महिलाओं में समान कार्य के लिये समान मजदूरी देने का कर्तव्य अधिरोपित करता हैं। धारा 4 के अनुसार कोई भी नियोजक किसी भी कर्मकार को जो कि उसके द्वारा नियोजित है कम अनुकूल दर पर नकद अथवा किसी भी प्रकार में उनसे कम मजदूरी नहीं देगा जो उसके विपरीत लिंगीय व्यक्ति को उसी संगठन से उसी कार्य के लिए अथवा उसी प्रकार के कार्य के लिये दिया जा रहा हो तथा कोई भी नियोजक उपबंध (1) के प्रावधानों के अनुपालन

में किसी भी कर्मकार के मजदूरी के दर को कम नहीं करेगा। **धारा 5** पुरुष तथा महिला कर्मकार के भर्ती के समय किसी प्रकार के विभेद को मना करता हैं। **धारा 6** एक परामर्श कमेटी के नियुक्ति का प्रावधान करता हैं जो यह निर्धारित करेगा कि उस संस्था अथवा संगठन में कितनी महिला कर्मकारों की नियुक्ति की जा सकती हैं। **धारा 7** परिवाद तथा अनुदावों की सुनवाई तथा निर्णयन के लिये प्राधिकारियों के नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित सरकार की शक्तियों का वर्णन करता हैं। समुचित सरकार अधिसूचना के माध्यम से ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी जो एक श्रम अधिकारी की स्तर से कम न हों जो इस प्रकार के मामले की सुनवाई तथा निर्णय कर सकते है। उपरोक्त प्रत्येक परिवाद तथा अनुदावे विहित पद्धति के अनुसार किया जायेगा। जब कभी कोई प्रश्न इस बात पर उठता है कि क्या दो अथवा इससे अधिक कार्य एक ही प्रकृति में हैं अथवा समान प्रकृति के हैं तो इसका निर्णयन उपरोक्त नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। **धारा 8** के अनुसार नियोजक को उनके द्वारा नियोजित कर्मकार के सन्दर्भ में कुछ पंजिकाओं का रख-रखाव आवश्यक होता हैं। **धारा 9** के अनुसार निरीक्षकों के नियुक्ति-हैसियत (प्रास्थिति) शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित हैं। धारा 9 के अनुसार समुचित सरकार ऐसे व्यक्तियों को निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है जिन्हें ये अन्वेषण के लिये आवश्यक समझे जा इस बात को तय करेंगे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये नियमों का अनुपालन सही दिशा में हो रहा है कि नहीं। **धारा 10** अनुशास्ति सम्बन्धी प्रावधान निर्मित करता है। **धारा 11** कम्पनी द्वारा अपराध से सम्बन्धित है। **धारा 12** अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षण तथा संज्ञान से सम्बन्धित है। धारा 12 के अनुसार कोई भी न्यायायल जो किसी मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी से कनिष्ठ है इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी अपराध का परीक्षण नहीं करेगा। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का संज्ञान उसी समय लेगा जबकि यह वात उसके ज्ञान में आई हों अथवा समुचित सरकार द्वारा कोई परिवाद दाखिल किया गया हो अथवा किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इसके संज्ञान में लाया गया हो। अथवा उस अपराध से दुखित व्यक्ति द्वारा किये गये परिवाद के आधार पर इसके संज्ञान में आया हो। **धारा 14** के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को राज्य के लिये इस अधिनियम के अनुपालन के लिये निदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है।

महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण (निषेध) अधिनियम, 1986–इस अधिनियम का उद्देश्य विज्ञापन के माध्यम, प्रकाशन, लेखन, रंग-चित्रण या आकृतियों में महिलाओं के अशिष्टरूपण को प्रतिषेध करने हेतु तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के लिये दण्ड सम्बन्धी प्रावधान है। यह अधिनियम महिलाओं को अश्लील रूप में प्रस्तुत करने वाले पत्रों (डाक), पुस्तकों पर्चों और पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन पर या उन्हें भेजने पर रोक लगाता है और महिलाओं को अश्लीन रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रकाशनों, प्रदर्शनियों में सभी व्यक्तियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी को वर्जित करता है। यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी राजपत्रित अधिकारी को किसी भी ऐसे स्थानों पर प्रविष्ट होने और उसकी जांच करने का अधिकार देता है। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में सजा और जुर्माना होता है।

सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1987–यह अधिनियम सती प्रथा और उसे महिमामंडित करने की रोकथाम की व्यवस्था करता है। यह अधिनियम सती प्रथा को इस रूप में परिभाषित करता है- किसी विधवा को उसके मृत पति या अन्य संबंधी या पति से संबंधित वस्तुओं आदि के साथ जिंदा जलाना या जिंदा गाड़ देना-फिर चाहे इस तरह से विधवा का जलाया जाना या दफन किया जाना स्वैच्छिक हो या न हो इससे कोई अंतर नहीं पडता। यह अधिनियम सती प्रथा के मामले में 'महिमामंडन' (ग्लोरिफिकेशन) को इस रूप में परिभाषित करता है- किसी महिला के सती होने पर समारोह आयोजित करना, प्रदर्शन करना और किसी भी रूप में सती-प्रथा का समर्थन करना, उसे न्यायोचित ठहराना या फिर उसका प्रचार-प्रसार करना, सती होने वाले के लिए कोई ट्रस्ट बनाना, निधियां एकत्र करना, मंदिर बनाना और पूजा करना ताकि सती होने वाली महिला का सम्मान किया जाये और उसे याद रखा जाये। यह अधिनियम सती प्रथा से संबंधित सजाओं, ऐसे अपराधों की रोकथाम करने के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारों का विवरण प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रीय महिला अधिनियम आयोग, 1990–इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का अनुदेश दिया गया है। यह आयोग महिलाओं से संबंधित विभिन्न सांवधिक प्रावधानों, नीतियों और विधायनों के कार्यान्वयन की जांच और समीक्षा करेगा। यह आयोग के गठन, कार्य-प्रक्रियाओं, शक्तियों और कार्यों पर भी विचार करता है। इस आयोग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है : संविधान के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले और सभी संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की नियमित रूप से और समय-समय पर समीक्षा करना और साथ ही जो कमियां रह गई हैं, कानूनों में जो कमियां है उनकी समीक्षा

करना। इसके साथ ही महिलओं को अधिकारों से वंचित करने, नीतिगत फैसलों का पालन न करने आदि के संबंध में शिकायतों पर ध्यान देना और अपनी ओर से मामलों को सामन लाने का प्रयास करना।

विशाखा मार्गनिर्देश, 1992–यह याचिका भारत के संविधान की धारा 14, 19 और 21 के अतंर्गत कामकाजी महिलाओं के बुनियादी अधिकारों को लागू करने के लिए दायर की गई है। इस याचिका में यौन-उत्पीडन से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर नियोक्तओं द्वारा अपनाये जाने वाले मार्गनिर्देश प्रस्तुत किये गये हैं। यह मार्गनिर्देश कार्य स्थल पर यौन-उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में नियोक्ताओं और अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों के कर्तव्य, यौन उत्पीड़न की परिभाषा, शिकायत समिति, श्रमिकों की पहलकदमी, जागरूकता और तीसरे पक्ष द्वारा उत्पीड़न आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

प्रसव-पूर्व जांच तकनीक (नियमन और रोकथाम) का दुरूपयोग अधिनियम, 1994–यह अधिनियम प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण-जिसकी वजह से बालिका भ्रूण की हत्याएं की जाती है, के उद्देश्य से प्रसव-पूर्व जांच तकनीक के दुरूपयोग के नियमन और रोकथाम का प्रयास करता है। यह जेनेटिक परामर्श केंद्रों, जेनेटिक प्रयोगशालाओं और क्लीनिकों द्वारा लिंग निर्धारण के लिए इस प्रकार की तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। साथ ही इसमें अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा और उसमें सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के गठन का प्रावधान भी है। इसके अलावा यह केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के गठन, कार्य-प्रक्रियाओं और नियमों का वर्णन भी करता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005–इस अधिनियम का उद्देश्य परिवार के भीतर किसी भी प्रकार की हिंसा से पीडित महिलाओं के संविधान के अन्तर्गत प्रदान किए अधिकारों की अधिक प्रभावकारी रूप से रक्षा करना है। यह अधिनियम पति, पुरुष साझेदार या किसी संबंधी द्वारा की गई हिंसा से पत्नी या महिला साझेदार की रक्षा हेतु प्रावधान करता है, इस कानून का विस्तार बहन, विधवाओं और माताओं को भी संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत घरेलू हिंसा का अर्थ है शारीरिक घरेलू हिंसा के मामलों के संबंध में पुलिस अधिकारियों, संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओ और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और शक्त्यिों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें घरेलू हिंसा के मामलों से निबटने के लिए संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान भी है। अधिनियम चिकित्सा जांच, कानूनी मदद, सुरक्षित आश्रय आदि के संबंध में पीडित महिलाओं को सहायता प्रदान करने में गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका को भी स्पष्ट करता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013–सन् 2013 में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था। जिन संस्थाओं में दस से अधिक लोग काम करते हैं, उन पर यह अधिनियम लागू होता है। ये अधिनियम, 9 दिसम्बर, 2013 में प्रभाव में आया था। यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है। यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण को स्पष्ट करता और उल्लंघन के मामले में, पीड़ित को निवारण प्रदान करने के लिए भी ये कार्य करता है। यह कानून यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिह्नित करता है, और यह बताता है कि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है। ये अधिनियम विशाखा केस में दिये गये लगभग सभी दिशा-निर्देशों को धारण करता है और ये बहुत से अन्य प्रावधानों को भी निहित करता है जैसे : शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियाँ प्रदान की है; यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रुपये से अधिक अर्थ दंड भरना पड़ेगा, ये अधिनियम अपने क्षेत्र में गैर-संगठित क्षेत्रों जैसे ठेके के व्यवसाय में दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक या घरों में काम करने वाली नौकरानियाँ या आयाएं आदि को भी शामिल करता है। इस प्रकार, ये अधिनियम कार्यशील महिलाओं को कार्यस्थल पर हो ने वाले यौन उत्पीड़न के खतरे का मुकाबला करने के युक्ति है। ये विशाखा फैसले में दिये गये दिशा निर्देशों को सुव्यवस्थित करता है औ इसके प्रावधानों का पालन करने के लिए नियोक्ताओं पर एक सांविधिक दायित्व अनिवार्य कर देता है। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित व्यवहार या कृत्य 'यौन उत्पीड़न' की श्रेणी में आता है :-

- इच्छा के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना जैसे यदि एक तैराकी कोच छात्रा को तैराकी सिखाने के लिए स्पर्श करता है तो वह यौन उत्पीड़न नहीं कहलाएगा। पर यदि वह पूल के बाहर, क्लास खत्म होने के बाद छात्रा को छूता है और वह असहज महसूस करती है, तो यह यौन उत्पीड़न है।
- शारीरिक रिश्ता/यौन सम्बन्ध बनाने की मांग करना या उसकी उम्मीद करना जैसे यदि विभाग का प्रमुख, किसी जूनियर को प्रमोशन का प्रलोभन दे कर शारीरिक रिश्ता बनाने को कहता है, तो यह यौन उत्पीड़न है।

- यौन स्वभाव की (अश्लील) बातें करना जैसे यदि एक वरिष्ठ संपादक एक युवा प्रशिक्षु/जूनियर पत्रकार को यह कहता है कि वह एक सफल पत्रकार बन सकती है क्योंकि वह शारीरिक रूप से आकर्षक है, तो यह यौन उत्पीड़न है।
- अश्लील तस्वीरें, फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना जैसे यदि आपका सहकर्मी आपकी इच्छा के खिलाफ आपको अश्लील वीडियो भेजता है, तो यह यौन उत्पीड़न है।
- कोई अन्यकर्मी यौन प्रकृति के हों, जो बातचीत द्वारा, लिख कर या छूकर किये गए हों।

अत: सरकार ने प्रारंभ से सामाजिक कुरीतियों एवं बुराइयों को दूर कर समाज की वंचित, पीड़ित एवं असहाय महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु हेतु अनेक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किये हैं। इन सबके अलावा भी सरकार निरन्तर अनेक अन्य सामाजिक विधायनों का निर्माण एवं विकास कार्यक्रमों तथा कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं।

निष्कर्ष

किसी भी देश का विकास उस देश के समस्त मानवीय संसाधनों के समुचित विकास पर निर्भर करता है और चूंकि देश के समस्त मानवीय संसाधनों का आधा भाग महिला रूपी मानव संसाधन है अत: इस दृष्टिकोण से महिलाओं का विकास आवश्यक हो जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है की देश के विकास में महिलाओं की सहभागिता न मिलने के कारण देश की जितनी प्रगति होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है जिसका कारण है-महिला असुरक्षा। महिला सुरक्षा मुद्दा आज पूरे भारत में भी नीति निर्माणकर्त्ताओं के लिये महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों ने प्रारंभ से ही इस क्षेत्र में सार्थक एवं प्रभावी सामाजिक विधायनों के निर्माण एवं क्रियान्वयन पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है ताकि समाज के वंचित, पीड़ित एवं असहाय महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके। उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके, उन्हें सुदृढ़ तथा आत्मनिर्भर बनाया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक विधायनों, विकास कार्यक्रमों तथा कल्याणकारी योजनाओं के परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं। परन्तु इन सबके बावजूद आज भी वांछित समूहों के एक वर्ग को न तो समुचित लाभ मिल पा रहा है और न ही सुरक्षा प्राप्त हो पा रही है जो की अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्धारा जारी किये आंकड़ों से भी जाहिर होता है। भारत द्धारा महिला सुरक्षा के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाने में अनेक समस्याएँ दृष्टिगोचर होती है। इनमें एल.पी. जी. के कारण सीमित हुई राज्य की भूमिका, महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीति का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, महिला सुरक्षा योजना का सीमित क्षेत्र होना, महिला सुरक्षा योजनाओं के संचालन में शिथिलता, महिला सुरक्षा योजनाओं के विधान एवं प्रभावी क्रियान्वयन में कमी, शासकीय नियन्त्रण व राजनैतिक दखल, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, अशिक्षा, अज्ञानता, जागरूकता की कमी आदि प्रमुख हैं। परन्तु 20 मार्च 2020 को 7 वर्ष बाद निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा देना निश्चित रूप महिला सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सार रूप में कहा जा सकता है की वर्तमान में महिला सुरक्षा से संबन्धित सामाजिक विधायनों को सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य से निकालकर व्यावहारिक बनाने व उनके उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहूजा, राम, क्राइम अंगेस्ट वीमेन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1987
2. आप्टे, प्रभा, भारतीय समाज में नारी, क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1996
3. अग्रवाल, सुशीला, स्टेटस ऑफ वीमेन, प्रिन्टवैल पब्लिशर्स, जयपुर, 1988
4. अल्टेकर, ए.एस., पोजीशन ऑफ विमन इन द हिन्दू सिविलाइजेशन, कल्चर पब्लिकेशन्स, बनारस, 1938
5. अंसारी, एम.ए., नारी चेतना और अपराध, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1989
6. आर्य, अनिता, वीमेन एण्ड डवलपमेन्ट (वॉल्यूम-III), ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2005
7. अवस्थी, सुधा, महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, अशोका लॉ हाऊस, नई दिल्ली, 2007
8. बाबेल, डॉ. बसन्ती लाल, महिला एवं बाल कानून, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद, 2008
9. बाबेल, डॉ. बसन्ती लाल, महिलाएं एवं अपराधिक विधि, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद, 2017
10. गुप्ता, डॉ.एच.पी., नारी एवं बाल विधि, इलाहबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, इलाहबाद, 2006
11. जैन, एस.पी., वायॅलेन्स अंगेस्ट वीमेन, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2000
12. कौशिक, आशा, महिला सशक्तीकरण - भूमण्डलीकरण के दौर में चुनौतियाँ, एक और अन्तरीप, जयपुर, 2002

13. कौशिक, आशा, (सपा.), नारी सशक्तीकरण, विमर्श एवं यथार्थ, पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, (2004), 2011
14. कौशिक, आशा, (सपा.), महिला मानवाधिकार - संरक्षण बनाम वस्तुस्थिति, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2016
15. मेहता, चेतन, महिला और कानून, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1996
16. नाटानी, प्रकाश नारायण, महिला जागृति और कानून, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर 2003
17. नाटाणी, प्रकाश नारायण, भारत में सामाजिक समस्याएँ, पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2000
18. पवार, डॉ. कनिका, वॉयलेन्स अंगेस्ट वीमन, रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2011
19. परमार, पी.एस., सोशल वर्क एण्ड वेलफेयर इन इण्डिया, सबलाइम पब्लिकेशन्स, जयपुर 2002
20. राजकुमार, महिला और विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 2003
21. राय, नीरज कुमार, महिला हिंसा, ब्ल्यू बक पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2016
22. सचदेव, डॉ. डी.आर., भारत में समाज कल्याण प्रशासन, किताब महल, इलाहबाद, 2018
23. शर्मा, के.एल., भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2006
24. शर्मा, पी.आर., भारतीय नारी तथा कानूनी संरक्षण, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2001
25. सिंह, मनोज कुमार, भारतीय महिलाएँ - अधिकार एवं चुनौतियाँ, अंकित पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010
26. श्रीवास्तव, सुधारानी, भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, कॉमन वैल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1997
27. श्रीवास्तव, सुधारानी, मानवाधिकार एवं महिला उत्पीड़न, कॉमनवैल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2001
28. श्रीवास्तव, सुधारानी, महिलाओं के प्रति अपराध, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1999

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 101-104

लैंगिक विषमताएँ एवं समावेशी विकास

डॉ. सीमा अग्रवाल

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर कैम्पस, जयपुर (राजस्थान)

ISSN 2348-3857

शोध सारांश

प्रस्तुत पत्र विकास की प्रक्रिया एवं उसके लाभों को विश्व की लगभग आधी जनसंख्या यानि महिलाओं के संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। समावेशी विकास की संकल्पना समाज के सभी वर्गो एवं समूहों की विकास की निर्णय प्रक्रियाओं में भागीदारी एवं उसके लाभों तक सबकी समान पहुँच से जुड़ी हुई है। परन्तु लिंग, जाति, वर्ग, वंश, रंग इत्यादि के आधार पर विभेदकारी सामाजिक व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप अभी भी अनेक समूहों की विकास की शक्ति संरचनाओं में कोई सहभागिता नहीं है। प्रस्तुत पत्र इन्हीं भेदभावमूलक संरचनाओं विशेषत: लैंगिक आधार पर व्याप्त विषमताओं का विश्लेषण करता है। पत्र प्राकृतिक विषमता एवं सामाजिक विषमताओं के अन्तर को स्पष्ट करते हुए लैंगिक विषमताओं के मौलिक कारणों की समीक्षा करता है। पत्र, सामाजिक या परम्परागत विषमताओं के कारण उत्पन्न शोषणकारी एवं विभेदकारी भूमिकाओं तथा अवसर, सुविधाओं, सम्मान, प्रतिष्ठाओं के अन्तर को समाप्त कर समतावादी समाज के निर्माण की आवश्यकता को प्रतिपादित करता है। प्रस्तुत पत्र समावेशी विकास की प्रक्रिया को मनोदशा, उपेक्षा, अधिकारविहीनता, शक्तिहीनता जैसे प्रश्नों के साथ सम्बन्धित करता है तथा महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया का समावेशी विकास के लिए अपिहार्यता प्रतिपादित करता है। प्रस्तुत पत्र इस संदर्भ में महिलाओं के विकास से संबंधित WID, WAD एवं GAD सिद्धान्तों की भी समीक्षा करता है तथा विकास की प्रक्रिया में महिला वर्ग को लाभान्वित प्राप्तकर्ता के साथ-साथ अभिकर्ता की भूमिका की आवश्यकता को भी प्रतिपादित करता है जिससे समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

संकेताक्षर : *समावेशी, बहिष्कृत, अभिकर्ता, सशक्तीकरण, लैंगिक अवधारणा, नारीवादी, बहुस्तरीय*

प्रस्तावना

"The mere things change, the more they stay the same." **—French Writer-Jean Baptiste**

यह उक्ति महिलाओं के संदर्भ में सटीक बैठती है। अनेकों कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधानों, अधिकारों एवं परिवर्तनों एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के बावजूद महिलाओं की दशा उपेक्षित या उपार्जित वर्ग के रूप में बनी हुई है।

महिला एवं महिला प्रकृति उपेक्षित क्यों हैं इसका उत्तर जानने के लिए हमें प्राकृतिक विषमता एवं परम्परागत या सामाजिक विषमता में अन्तर को समझना होगा। रूसो ने *''डिस्कोर्स ऑन इनइक्वेलिटी''*[2] में विषमताओं में अन्तर को स्पष्ट किया है। शारीरिक आकार, प्रकार, स्वास्थ्य, रंग, कद, सौन्दर्य, बाल, आवाज, जनन क्षमता इत्यादि का अन्तर प्राकृतिक है जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता लेकिन अधिकार, कर्तव्य, शिक्षा, शक्ति, अवसर, पद, प्रतिष्ठा, धन-सम्पत्ति, सुख-सुविधाओं, स्थिति के अन्तर प्राकृतिक नहीं हैं अपितु सामाजिक व्यवस्था की देन है जो न्यायपूर्ण नही है और इनमें परिवर्तन होना चाहिए।

इन दोनों विषमताओं को एक मानकर महिला प्रकृति के बारे में गलत धारणाओं ने ही महिला को वंचित, शोषित एवं उपेक्षित स्थिति में पहुँचा दिया है। क्योंकि स्त्री और पुरूष के प्राकृतिक विभेदों को ही उनकी सामाजिक विषमता से संबंधित कर एक ही मान लिया गया है। यही अन्तर जेन्डर और सैक्स में है। सैक्स जहाँ स्त्री-पुरूष की जैविक विभिन्नताओं का परिचायक है वहीं जेन्डर उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक या परम्परागत स्थिति के अन्तर को स्पष्ट करता है।[3] जैविक विभिन्नताओं में बदलाव नहीं किया जा सकता है लेकिन लैंगिक विभिन्नताएँ मनुष्यों ने बनाई हैं जिन्हें

परिवर्तित किया ही जाना चाहिए। सैक्स और जेन्डर विभेद को एक ही मानकर निरन्तर महिलाओं का शोषण किया जाता रहा है।

समानता के सिद्धान्त और अधिकार के अनुसार लिंग, रंग, वंश, नस्ल, जन्म, धर्म के आधार पर कोई सामाजिक विभेद नहीं होना चाहिये एवं सभी को समान रूप से शिक्षा, पद-प्रतिष्ठा, अधिकार, सम्पत्ति, एक जैसे अवसर, सुविधाएँ एवं स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। लेकिन जेन्डर के आधार पर किये जाते रहे इस सामाजिक विभेद पर अन्य विभेदों की तुलना में बहुत कम ध्यान दिया गया है। जेन्डर वस्तुत: पुरूषत्व और स्त्रीत्व के व्यवहार की रूढ़िवादी धारणा पर आधारित होता है। नारीवादी आंदोलन की दूसरी लहर ने सैक्स एवं जेन्डर को अलग-अलग बताए जाने का विरोध किया एवं जैविक विभिन्नताओं को एक स्थिति माना। उनके अनुसार सैक्स एवं जेन्डर का अन्तर सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए रेडिकल नारीवादी चिन्तक लैंगिक विषमताओं (जेन्डर विभेद) को किसी भी सामाजिक विभेद से अधिक गहरा एवं राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं।[4]

नारीवादी विचारधारा जेन्डर पर आधारित स्त्री एवं पुरूष के मध्य विभेद एवं उसी के अनुरूप निर्धारित अलग-अलग सामाजिक क्रियाकलापों एवं भूमिकाओं का विरोध करता है एवं एक समतावादी समाज के निर्माण पर बल देती है जिसमें सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा समान हो।

समतावादी समाज के लिए समावेशी विकास आवश्यक है और समावेशी विकास वह है जो यह सुनिश्चित करता है कि विकास प्रक्रियाओं में सभी अधिकारविहीन एवं बहिष्कृत समूह शामिल हो तथा सभी तक उनके लाभ पहुँच पायें। लेकिन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट, 2002 के अनुसार 1960 के दशक से ही जेन्डर आधारित असमानता को मिटाने के महत्वपूर्ण प्रयासों के बावजूद आज भी पूरे विश्व में काम लिये गये कुल घंटों में महिलाओं का योगदान 66 प्रतिशत होता है जबकि कुल वेश्विक आय में केवल 10 प्रतिशत ही वे कमाती हैं और विश्व की कुल सम्पत्ति में तो उनका हिस्सा केवल एक प्रतिशत ही है।[5]

यू.एन.डी.पी. का यह मानना है कि समाज के कई समूहों को उनके लिंग; यौन अभिविन्यास, जातीयता, रंग, आयु, अक्षमता या निर्धनता के कारण विकास के दायरे से बाहर रखा गया है यहीं से उपेक्षितवर्गीय दृष्टिकोण सामने आता है। उपेक्षित या उपाश्रित शब्द उन लोगों की तरफ संकेत करता है जो लिंग, जाति, वंश, वर्ग, आयु, पद या अन्य किसी आधार पर दूसरों के अधीन हो। यानि समाज में जो भी समूह या वर्ग सामाजिक पराधीनता और तरह-तरह की विषमताओं के कारण शोषणपूर्ण, अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय जीवन जीने को विवश है वे सभी उपाश्रित वर्ग में आते हैं। यह दृष्टिकोण समतामूलक समाज के निर्माण के लिए न्याय के संदर्भ में एवं समावेशी विकास के लिए इन वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसी तरह का एक वर्ग महिला है।

विकास की प्रक्रिया को केवल निवेश-निर्गत एवं रोजगार से संबंधित अर्थव्यवस्था के प्रश्न के आधार पर नहीं समझा जा सकता है यह मनोदशा, निस्सहायता, उपेक्षा एवं निराशापूर्ण स्थिति से भी समान रूप से जुड़ा प्रश्न है। इसका उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के उच्च स्तर, न्यूनतम गरीबी, स्वच्छ पर्यावरण, अवसरों की अधिक समानता, विशाल वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं समृद्ध जीवन भी है।[6] (विश्व बैंक विकास रिपोर्ट 1991)

लैंगिक या नारीवादी अवधारणा का केन्द्रीय विषय यही है कि किस प्रकार महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त किया जाये एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में असमानता को दूर कर समावेशी एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

सशक्तिकरण एक बहुआयामी, बहुमुखी एवं बहुस्तरीय अवधारणा है जिसमें महिलाएं संसाधनों पर अधिक नियंत्रण हासिल करती हैं।

यदि समाज का आधा भाग निरन्तर अशिक्षा, अज्ञान, कुपोषण, असुरक्षा और शक्तिहीनता से ग्रसित हो तो वह समाज संतुलित विकास नहीं कर सकता। सशक्तीकरण की प्रक्रिया से व्यापक रूप से इस प्रकार के संस्थागत वातावरण को तैयार करना है जिसमें महिला को व्यक्ति के रूप में भौतिक तथा बौद्धिक साधनों तक पहुँच प्राप्त हो सके। सशक्तिकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य व्यवस्था में निहित उन कारणों को परिवर्तित करना है जो विकास की प्रक्रिया में उस वर्ग विशेष को उत्तरोतर पीछे छोड़ देते हैं।

महिला सशक्तिकरण विकास के संदर्भ से जोड़े बिना संभव नहीं है। विकास के उदारवादी मॉडल के तहत महिलाओं को विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत लाने का प्रयास शुरू हुए। 1950 एवं 1960 के दशक में महिलाओं की विकास में भूमिका को ''वीमेन इन डेवलपमेन्ट'' (WID) के रूप में रेखांकित किया गया। इसमें उन्हें केवल विकास द्वारा की गई लोक कल्याणकारी गतिविधियों का लाभ ग्रहण करने वाले अभिकरण के रूप में देखा गया तथा विकास प्रक्रिया के इन लाभों को प्राप्त करने की दृष्टि से उनका सशक्तिकरण हुआ। इस प्रक्रिया के परिणाम, शहरीकरण ने उनको सशक्त करने की बजाय और अधिक घरेलू बना दिया।

1970 के दशक में W.I.D. की आलोचना के बाद WAD (विकास और महिलाएं) का सिद्धान्त आया जिसने महिलाओं को वंचित

समूह के रूप में चिन्हित करने के प्रयास किये एवं महिलाओं की बुनियादी आवश्यक्ताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविका, प्रशिक्षण आदि पर ध्यान दिया गया। लेकिन महिला विकास के आंकड़ों की प्राथमिकता में स्त्री-पुरूष समता का प्रश्न कहीं पीछे छूट गया एवं महिला की स्थिति सीमान्तक की सी बनी रही।

1980 के दशक में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की नारीवादियों, विचारकों एवं आन्दोलनों ने अपने विशिष्ट सांस्कृतिक परिवेश की विशिष्ट समस्याएं उठाना प्रारम्भ किया। इसके बाद यह निष्कर्ष सामने आया कि यद्यपि महिला उत्पीड़न की समस्या सार्वभौमिक रही है किन्तु उसकी जड़ें विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक परिवेश में है। अत: महिला समानता एवं समग्र विकास के लिए उसे स्वयं को सशक्त करना होगा। तब GAD (लिंग और विकास) का सिद्धान्त आया। यह दृष्टिकोण महिला को जेन्डर के रूप में पुन: परिभाषित करके विकास प्रक्रिया की बात करता है। इस विकास प्रक्रिया में राज्य की शक्ति संरचनाओं, सामाजिक संरचनाओं में महिला समूहों की भूमिका होगी जिसमें महिला मात्र लिंग स्त्री के रूप में नहीं अपितु बुनियादी सामाजिक इकाई के रूप में महत्वपूर्ण होगी। यह दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम है क्योंकि इसमें महिला को लाभान्वित प्राप्तकर्ता के स्थान पर एक अभिकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। यह महिला में अन्तर्निहित क्षमताओं, विशिष्टताओं एवं गुणों के माध्यम से उसके विकास का आग्रह है।[8] लेकिन अवसरों की समानता के लिए बाह्य अभिकरणों की सकारात्मक भूमिका भी आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण तभी हासिल होगा जब महिलाएं अपने सशक्तिकरण को एक सार्थक सत्य मानेंगी लेकिन इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है जिससे वे अपनी क्षमताओं एवं शक्ति का उपयोग कर संसाधनों पर अधिक नियंत्रण हासिल कर सकें साथ ही ऐसी स्थितियाँ बनाना भी जरूरी है जिनमें इन लक्ष्यों को संभव बनाने के लिए महिलाओं की आवाज को उनके सशक्तिकरण की नीतियाँ तथा कार्यक्रमों (विश्व बैंक 2014) में प्रमुख शर्त के रूप में शामिल करने के प्रयास किये जाने चाहिए।[9]

इस प्रकार समावेशी विकास का लक्ष्य विश्व की आधी आबादी महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तीकरण के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि जब तक सभी बहिष्कृत, उपेक्षित समूह अवसरों के सृजन में योगदान नहीं करते, विकास के लाभ साझा नहीं करते है तथा निर्णय लेने में भागीदार नहीं बनते हैं तब तक हम सतत विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। समावेशी विकास का लक्ष्य मतभेदों को समायोजित करने तथा विविधता का सम्मान करने में सक्षम समावेशी समाज का निर्माण करना है। महिला विकास एवं लैंगिक अवधारणाओं के प्रति एक बहुदिशात्मक व्यवस्थित दृष्टिकोण निश्चित रूप से समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।

आवश्यकता इस बात की है कि विकास के अर्थ में केवल आय संवर्धन या कल्याण के अतिरिक्त कई अन्य चीजों विशेषकर सशक्तीकरण को जोड़ा जाये। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डालने वाले सामाजिक मूल्यों एवं व्यवहार को बदलने के प्रयास किये जाने अधिक आवश्यक हैं क्योंकि विकास की मुख्यधारा जिसमें महिलाओं के एकीकरण की बात की जा रही है उसमें यही समस्या है कि इसमें नीति निर्धारण में महिलाओं को शामिल ही नहीं किया जाता है। समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता एवं विकास कार्यो पर पुरूषों के प्रभुत्व को समाप्त किये बिना न तो लिंग आधारित विकास प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है और न ही विकास के लाभ महिलाओं तक समान रूप से पहुँच पाते हैं।

यह सही है कि महिलाओं की स्थिति, जनन क्षमता, स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की स्थिति इत्यादि अनेक विकास के सूचकांक, महिलाओं की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसरों से गहरे जुड़े हुए हैं लेकिन शिक्षा एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम महिलाओं की समान सहभागिता एवं समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। आय, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसरों तक महिलाओं की पहुँच एवं भागीदारी कई सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारणों से अवरूद्ध हो जाती है। अधिकांश शिक्षा एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की प्रकृति में महिलाओं को लाभान्वित के रूप में देखा जाता है तथा विकाास में महिलाओं में एकीकरण की प्रक्रिया ने परिवार और सामाजिक, आर्थिक स्तरों पर शक्ति और अधिकार को बाँटने के सार्थक प्रयत्न नहीं किये जाते है। विकास में लगभग सभी नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं के विकास की आवश्यकताओं को केवल परिवार की आवश्यकताओं के संदर्भ में देखे जाने वाले दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। समावेशी विकास के लिए उत्पादन के संसाधनों तक महिलाओं की असमान पहुँच एवं लैंगिक असमानताओं के कारण सामाजिक-राजनतिक एवं आर्थिक सभी क्षेत्रों में उनके दोयम स्तर पर प्रश्न उठाना एवं ऐसे कारकों को परिवर्तित करना आवश्यक है।

सामान्यत: विकास के सभी कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाया जाता है जिसमें महिलाएं घर और बाहर, दोनों काम कर सकें तथा उन्हें मुख्य रूप से परिवार के प्रबंधक एवं गौण कमाने वाले के

रूप में देखा जाता है जिसके कारण महिलाओं की उत्पादकता एवं श्रम के मूल्य (घर और बाहर) को नहीं आंका गया। इन्हीं सबके कारण महिलाएं निम्न स्तर की आमदनी वाले कार्यो में केन्द्रित होकर रह गयी। विकास के कार्यक्रम महिलाओं को सीधे बाजार अर्थव्यवस्था से जोड़ना तो चाहते हैं लेकिन यह उनके लिए उनकी घरेलू भूमिकाओं के अतिरिक्त कार्य होता है साथ ही इसके लिए लैंगिक भूमिकाओं को बदलने के प्रयास भी नहीं होते हैं। समावेशी विकास के लिए न केवल महिलाओं की घरेलू भूमिकाओं को बदलने या बांटने की आवश्यकता है अपितु लिंग आधारित असमानताओं जैसे उत्पादन संसाधनों, ऋण सुविधाओं, तकनीकी मदद, प्रशिक्षण कार्यक्रम, आय संवर्द्धन के अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने की आवश्यकता है। साथ ही महिलाओं के घरेलू एवं प्रजनन संबंधी कार्यो को अनुत्पादक श्रम की श्रेणी में मानने की बजाय उत्पादक श्रम की श्रेणी में माना जाना चाहिए जिससे महिलाओं की स्थिति में वास्तविक बदलाव संभव हो सके।

समावेशी विकास के लिए शक्ति असंतुलन को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। जिसके लिए महिलाओं को सशक्त करना एवं होना होगा। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में हीनता के ढांचों एवं स्थिति में परिवर्तन, कानूनों, सम्पत्ति में वास्तविक हिस्सेदारी, स्वामित्व के ढांचों एवं नीति निर्धारक संस्थाओं में परिवर्तन तथा घरेलू कार्यो में बराबर भागीदारी इत्यादि सभी शामिल होने चाहिए तभी वास्तविक परिवर्तन संभव है। विकास एवं सशक्तिकरण की नीतियों एवं कार्यक्रमों को विकेन्द्रीकृत एवं लचीला होना चाहिए तथा इनमें अधिकाधिक महिलाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

ऐसे कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए जो महिलाओं में आत्मविश्वास एवं नेतृत्व एवं संगठन क्षमता का विकास करें तथा उन्हें हीनता की स्थिति से बाहर निकल पाने में सहायक सिद्ध हों। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भी सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (MDG) के आठ लक्ष्यों में से एक लक्ष्य लैंगिक असमानता एवं महिला सशक्तीकरण को रखा इसके बाद (2015-2030) के अपने घोषित सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के 17 महत्वपूर्ण लक्ष्यों में 5वें लक्ष्य के रूप में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त करने की आवश्यकता को प्रतिपादित किया है। संयुक्त राष्ट्र के ये विकास कार्यक्रम यही सुनिश्चित करते हैं कि यदि स्थायी सतत् विकास चाहिये तो उसे समावेशी बनाना होगा तथा लैंगिक असमानताओं को दूर करके महिलाओं में सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना होगा।[10]

निष्कर्ष

समावेशी विकास एवं सशक्तिकरण के लिए स्वयं महिलाओं को शक्ति प्राप्त करनी होगी, नेतृत्व क्षमता का विकास, नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका, शिक्षा प्रशिक्षण, अवसर, रोजगार एवं क्षमताओं में वृद्धि करनी होगी तथा साथ ही संगठित होकर पितृसत्तात्मक सम्बन्धों को चुनौती भी देनी होगी जिससे वे अपने जीवन पर स्वयं अधिक से अधिक नियंत्रण रख सकें। इसके लिए प्रत्येक नीति निर्माण के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी जिससे संरचनात्मक बदलाव लाये जा सकें तभी सच्चे अर्थों में समावेशी विकास संभव हो सकता है।

संदर्भ सूची

1. फ्रैंच लेखक, जीन बेपतिस्ता की उक्ति।
2. रूसो, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वेलिटी, पेंगुइन क्लासिक, मयूर पैपरबेक्स, नोएडा, 1984, पृ.सं. 374-377
3. गावा, ओ.पी., राजनीतिक सिद्धान्त की रूपरेखा, 2001
4. विस्वाल, तपन, मानवाधिकार, जेन्डर एवं पर्यावरण, वीवा बुक्स, दिल्ली, पृ.सं. 215-225
5. यू.एन.डी.पी., 2002
6. विश्व बैंक विकास रिपोर्ट, 1991
7. बोसरूप, एस्टर, वीमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेन्ट, न्यूयार्क, 1970
8. कौशिक, आशा, नारी सशक्तिकरण, विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर, जयपुर, 2004, पृ.सं. 83
9. योजना, मार्च 2019, पृ.सं. 50-51
10. यू.एन.डी.पी., 2015

Research Reinforcement | **A Peer Reviewed International Refereed Journal** | **ISSN 2348-3857**
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | **Vol. 7, Issue 2** | **Nov. 2019 - April 2020** | **pp. 105-108**

अनुभवातीत संस्थागत और अनुभूति केन्द्रित न्याय

विमल कुमार महावर
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान
राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांदीकुई (राजस्थान)

शोध सारांश

सामाजिक न्याय एक नवीन अवधारणा है लेकिन चिन्तन परम्परा प्राचीन है। राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो के चिन्तन से प्रारम्भ न्याय की धारणा समकालीन राजनीतिक विचारक जॉन रॉल्स की 'ए थ्यॉरी ऑफ जस्टिस' की प्रमुख विषयवस्तु है। न्याय पर चिन्तन कोई नवीन विषय नहीं है, फिर भी 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसे बहुत प्रोत्साहन मिला। थॉमस हाब्स, जीन-जैकोस रूसो, जॉन लॉन इम्मैनुअल कांट और जॉन रॉल्स ने प्रमुख रुप से न्याय की अवधारणा को विकसित करने से महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि हॉब्स, रूसो, जॉन लॉक ने अपने चिन्तन में 'न्याय' को स्थान दिया, लेकिन जॉन रॉल्स के चिन्तन की केन्द्रिय विषयवस्तु 'न्याय' है। विख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने न्याय विषयक मीमांसा में माना है कि यूरोपीय ज्ञानोदीप्ति काल 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसे (सामाजिक न्याय के विषय में चिन्तन) बहुत प्रोत्साहन मिला। परिवर्तन के राजनीतिक वातावरण और उन अवधियों में यूरोप और अमरिका में चल रहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन-चक्रों का चिन्तन पर विशेष सकारात्मक प्रभाव रहा। व्यवस्थागत खामियों से उत्पन्न अन्याय को व्यवस्थागत सुधार से ही दूर किया जाए। व्यवस्था ऐसी की जाए कि पुन: उसे व्यवस्था से वैसा अन्याय उत्पन्न न हो। तभी लोगों का व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा। जो लोगों के सामान्य व्यवहार को न्याय संगत बनाएगा। जो न्याय को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करेगा।दार्शनिकों, विचारकों और सुधारकों के चिन्तन एवं विभिन्न आन्दोलनों के द्वारा उस उचित मार्ग की खोज का प्रयास किया गया है। समय-समय पर दार्शनिकों और विचारकों द्वारा न्याय के सम्बन्ध में दिये गये उनके दर्शन को उक्त अध्याय में समझने का प्रयास किया गया है। जिससे हम हमारे शासकों की नीतियों को समझ सके, राजनेताओं के दर्शन को समझ सके उनके विचार और कार्य समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, समझ सके। इस शोध में सिद्धान्तपरक विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

संकेताक्षर : *सामाजिक न्याय, अनुभवातीत संस्थागत अवधारणा, सामाजिक पारस्परिकता*

प्रस्तावना

प्रत्येक देश अपनी परिस्थितियों और आवश्कताओं के अनुसार एक निश्चित मार्ग पर चलना चाहता है। उस देश के दार्शनिक, विचारक और सुधारक अपने बुद्धि और अनुभव से एक न्यायसंगत, उचित और जनकल्याणकारी मार्ग का चयन करने में मदद करते हैं। सभी चाहते हैं उनका देश उनके बनाए मार्ग का अनुसरण करें। मनुष्य और समाज को व्यवस्थित करने में राज्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव जीवन को सुव्यवस्थित और सुगम बनाए रखना न्याय के निष्पादन से ही संभव हो सकता है। किसी भी सुव्यवस्थित समाज और राज्य का लक्ष्य अपनी सीमाओं के अन्तर्गत न्याय की स्थापना और उसे बनाए रखना होता है। न्याय की स्थापना से ही कोई समाज समृद्धशाली हो सकता है और कल्याणकारी बन सकता है। मनुष्य, समाज और राज्य में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, जिसे न्याय के आदर्श के द्वारा संयत किया जा सकता है। व्यवस्थागत खामियों से उत्पन्न अन्याय को व्यवस्थागत सुधार से ही दूर किया जाए। व्यवस्था ऐसी की जाए कि पुन: उसे व्यवस्था से वैसा अन्याय उत्पन्न न हो। तभी लोगों का व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा। जो लोगों के सामान्य व्यवहार को न्याय संगत बनाएगा। जो न्याय को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करेगा। नि:सन्देह न्याय एक दुधारु प्रक्रिया है जो एक ओर अपने मार्ग में अपने वाले अवरोधक तत्वों का विनाश करती है तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व को प्रभावी बनाने के लिए साधक तत्वों, मूल्यों एवं

अभिकरणों की स्थापना करता है। इस प्रकार न्याय के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रुप है। न्याय उत्सर्जक है तो विध्वंसक भी है। वह कानून से प्रभावी बनता है तो धर्म और नैतिकता से अभिवृद्ध होता है।

न्याय शब्द ग्रीक भाषा के Syllogism का हिन्दी अर्थ है। Syllogism का अर्थ है 'एक साथ रहना' इस प्रकार न्याय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो विचारों या दो तर्क वाक्यों को साथ लेकर इससे एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है।

सामाजिक न्याय एक नवीन अवधारणा है लेकिन हम पर चिन्तन परम्परा प्राचीन है। राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो के चिन्तन से प्रारम्भ न्याय की धारणा समकालीन राजनीतिक विचारक जॉन रॉल्स की 'ए थ्यॉरी ऑफ जस्टिस' की प्रमुख विषयवस्तु है। न्याय पर चिन्तन कोई नवीन विषय नहीं है, फिर भी 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसे बहुत प्रोत्साहन मिला। थॉमस हाब्स, जीन-जैकोस रूसो, जॉन लॉन इम्मैनुअल कांट और जॉन रॉल्स ने प्रमुख रुप से न्याय की अवधारणा को विकसित करने से महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि हॉब्स, रूसो, जॉन लॉक ने अपने चिन्तन में 'न्याय' को स्थान दिया, लेकिन जॉन रॉल्स के चिन्तन की केन्द्रिय विषयवस्तु 'न्याय' है। विख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने न्याय विषयक मीमांसा में माना है कि यूरोपीय ज्ञानोदीप्ति काल 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसे (सामाजिक न्याय के विषय में चिन्तन) बहुत प्रोत्साहन मिला। सभी को न्याय या नैतिकता अथवा विधि के एक ही मापदण्ड में बांधना बहुत मुश्किल कार्य है। परिवर्तन के राजनीतिक वातावरण और उन अवधियों में यूरोप और अमरिका में चल रहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन-चक्रों को हम चिन्तन पर विशेष सकारात्मक प्रभाव रहा। उस युग के आमूल सुधारवादी दार्शनिकों की न्यायविषयक चिन्तन की दो मूल धाराएँ है।

अनुभवातीत संस्थागत अवधारणा

थॉमस हॉब्स और रूसो जैसे उत्कृष्ट विचारकों द्वारा अपनाई गई विधि ने समाज के एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थाना का आग्रह किया है। इस विधि को अनुभवातीत संस्थागत कह सकते है। इसकी **अनुभवातीत संस्थागत अवधारणा** की दो विशेषताएँ है–

(i) यह न्याय के परम स्वरूप पर केन्द्रित है, न्याय और अन्याय के बीच सापेक्षता (तुलना) पर नहीं। यह उन **सामाजिक अभिलक्षणों का अन्वेषण** करती है, जो न्याय की परिधि में नहीं समा पाते। इसका केन्द्र उन सभी सम्भव सामाजिक व्यवस्थाओं की तुलना नहीं है, जो सम्भवत: सम्पूर्णता के आदर्शो को नहीं प्राप्त कर पाते।[1]

(ii) इस सम्पूर्णता की खोज में अनुभवातीत संस्थावाद उस समाज-रचना की ओर केन्द्रित नहीं है जो अन्तत: उदित होगी। इसका ध्यान तो मुख्यत: सही संस्थाओं की पहचान करने तक सीमित है। संस्थाओं के किसी समुच्चय से उदित होने वाली सामाजिक रचना व्यक्तियों के **वास्तविक व्यवहार और सामाजिक पारस्परिकता** जैसी गैर-संस्थागत विशेषताओं पर भी निर्भर रहेगी। अनुभवातीत संस्थावाद मात्र **सम्पूर्णतायुक्त संस्थाओं** की पहचान पर आग्रह करता है। उनके सम्भव परिणामों की चिन्ता नहीं करता।[2]

अनुभवातीत संस्थावाद की इन विशेषताओं के दर्शन हमें हॉब्स, लॉक, रूसो और इम्मेनुअल कांट के अनुबंधात्मक चिन्तन में होते है। अनुबंधात्मक अथवा संविदा सिद्धान्त में ऐसे काल्पनिक 'सामाजिक अनंबंध' के चयन की बात हो रही है, जो समाज विशेष में व्याप्त होने वाली अराजकता का एक आदर्श विकल्प होगा। इन लेखकों द्वारा जिन अनुबंधों की चर्चा की गई है, वे मूल संस्थानओं के चयन से सम्बन्धित है। कुल मिलाकर ऐसे न्याय सिद्धान्त का विकास ही इन सबका परिणाम रहा जो **आदर्श संस्थाओं के अनुभवातीत अभिज्ञान** पर केन्द्रित थे।[3]

यहाँ यह मानना उचित होगा कि न्याय न तो विशुद्ध नैतिक सद्गुण है न ही कठोर विधि का अपृथक अंग। इसका सम्बन्ध नैतिकता और विधि दोनों से है। इस बात का प्रो. हार्ट ने विवेचन किया है, ''न्याय नैतिकता के एक अंश को निर्मित करता है मुख्यत: वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित न होकर उन तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों के वर्गो का उपचार किया जाता है। यह वही पक्ष है जो न्याय को, विधि और सार्वजनिक या सामाजिक संस्थाओं की आलोचना के सन्दर्भ में उसकी विशेष प्रासंगिकता प्रदान करता है। यह सद्गुणों में बहुत ही सार्वजनिक और विधिक है सद्गुण है। लेकिन न्याय के सिद्धान्त नैतिकता की धारणा को समाप्त नहीं करते, और न ही कानून की समस्त आलोचना करते, जिसे नैतिक आधारों पर किया जाता है, न्याय के नाम पर की जाती है। कानूनों की नैतिक दृष्टि से आलोचना की जा सकती है क्योंकि वे व्यक्तियों से उन विशेष कार्यो को करवाना चाहते है, जिन्हें नैतिकता करने से मना करती है, या इसलिए कि वे मनुष्यों को उन कार्यो से अलग रहने को कहते है जो नैतिक रुप से जरूरी है।''[4] उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण रुप से न्याययुक्त संस्थाओं की अन्वेषणा में व्यस्त अनुभवातीत संस्थावाद ने सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त व्यवहार के नैतिक एवं राजनीतिक तकाजों का भी बहुत ही सारगर्भित एवं ज्ञानदायी विश्लेषण किया है। इम्मैनुअल कांट और जॉन रॉल्स ने अनुभवातीत संस्थावादी अन्वेषण में भाग लेते हुए साथ ही व्यवहार

की कसौटियों की आवश्यक विशेषताओं का भी गहन विश्लेषण किया है। यद्यपि इन्होंने संस्थागत चयन पर आग्रह किया है, फिर भी इनके विश्लेषण को न्याय के प्रति व्यवस्था आधारित दृष्टिकोण की संज्ञा दे सकते है। इस व्यवस्था में सभी संस्थाएँ और सभी द्वारा सही व्यवहार सम्मिलित होगा।[5]

जिस तरह से अभी तक न्याय की धारणाओं के उद्धत एवं स्पष्ट किया गया है, न्याय की संरचना बड़ी जटिल है। उसका कार्यात्मक पक्ष तो और भी जटिल तथा बहुआयामी है। वस्तुत: व्यक्तियों के बीच जितनी समानताएँ हैं उतनी ही विभिन्नताएँ भी है। सभी को न्याय या नैतिकता अथवा विधि के एक ही मापदण्ड से बांधना बहुत ही मुश्किल कार्य है। अनुभवातीत संस्थावादी विश्लेषण विधि के प्रमुख प्रयोगकर्त्ता न्याय सिद्धान्तकारों हॉब्स, लॉक, रूसो, इम्मैनुअल कांट, जॉन रॉल्स के अतिरिक्त रोनाल्ड डॉर्किन, डेविड गौटियर, रॉबर्ट नॉजिक आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके सिद्धान्त ने एक न्यायपूर्ण समाज के आग्रह के विषय में कुछ अलग महत्वपूर्ण अन्तर्बोध प्रदान करते हुए भी न्यायपूर्ण नियमों और संस्थागत व्यवस्थाओं सम्बन्धी सांझे लक्ष्य की अनदेखी नहीं की है। इन्होंने इन व्यवस्थाओं को बहुत ही विलक्षण स्वरूप में चित्रित किया है।

अनुभूतिकेन्द्रित अवधारणा

यह अवधारणा सभी द्वारा आदर्श व्यवहार की कसौटी के अनुपालन के स्थान पर **व्यक्तियों के वास्तविक व्यवहार पर केन्द्रित** रहती है।

अनुभवातीत संस्थावादियों से अलग रुप में अनेक अन्य अनुभूतिवादी विचारकों ने वास्तविक सामाजिक अनुभूतियों को एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने वाली सापेक्षतापूर्ण विधियों का विकास किया है। मार्कीस डि कॉडोर्स, एडम स्मिथ, जेरेमी बैंथम, मेरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट कार्ल मार्क्स, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि अनेक प्रमुख नूतन विचार प्रणेताओं ने 18-19वीं शताब्दी में ऐसे तुलनात्मक चिन्तन की अनेक धाराओं का प्रतिपादन किया है। ये विचारक किन्हीं वास्तविक या उदित हो सकने वाले समाजों की तुलना कर रहे थे, किसी अनुभवातीत संपूर्णतायुक्त न्यायपूर्ण समाज की अन्वेषणा नहीं। ये अनुभूति आधारित तुलना करने वाले विचारक विश्व में व्याप्त उन स्पष्ट अन्यायों के निवारण का आग्रह कर रहे थे जो उन्हें दिखाई दे रहे थे।[6]

अनुभवातीत संस्थावाद और अनुभूतिकेन्द्रित विधियों के मध्यम अन्तर अत्यन्त गुरुतर है। आधुनिक राजनीति शास्त्र की मुख्य धारा न्याय सिद्धान्त की अपनी अन्वेषणा में अनुभवातीत संस्थावाद की प्रथम धारा से अधिक प्रेरित लग रही है। न्याय के प्रति इस दृष्टिकोण की सबसे प्रबल एवं प्रभावोत्पादक प्रस्तुति हमारे युग को प्रमुख राजनीतिक दर्शनशास्त्री जॉन रॉल्स की रचनाओं में मिलती है। वस्तुत: रॉल्स की पुस्तक 'ए थ्यॉरी ऑफ जस्टिस' में उनके न्याय सिद्धान्तों की व्याख्या पूर्णत: न्यायपूर्ण संस्थाओं के सन्दर्भ में की गई है। साथ ही रॉल्स ने राजनीतिक और नैतिक परिप्रेक्ष्यों में उचित व्यवहार की कसौटियों / मानकों का भी बहुत ज्ञानदायी अन्वेषण किया है।[7]

प्रसिद्ध उपन्यासकार चार्ल्स डिकेन्स के उपन्यास 'ग्रेट एक्सपेरिमेंटन्स' में एक पात्र 'पिप' कहता है कि 'अन्याय का अहसास बहुत अन्दर तक होता है। अन्याय का यह अहसास हर किसी को होता है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हम पूरे न्याय की आशा करते हैं, शायद यह संभव भी नहीं है। इतनी आशा और प्रयत्न तो होना ही चाहिए कि हमारे चारों ओर जो अन्याय है उसे समाप्त करने का प्रयत्न किया जाए।[8]

यह सत्य है कि हमें अपने जीवन में अनेक विषमताएँ और वशवर्तिताएँ भुगतनी पड़ती है जो हमें सहजता से स्वीकार्य नहीं होती। यदि **अपरिहार्य अन्याय** उद्वेलित नहीं करता तो गाँधी ट्रेन से फेंके जाने पर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती नहीं देते, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक भेदभाव और छूआ छूत के विरुद्ध संघर्ष नहीं करते, मार्टिन लूथर किंग गोरों के प्रति संघर्ष का बिगुल नहीं बजाते, वे यथा संभव अन्याय का निराकरण करना चाहते थे। **परिहार्य अन्याय** का बोध ही हमें न्याय और अन्याय के प्रश्नों के विषय में सोचने को विवश करता है।

आधुनिक न्यायसिद्धान्तों में पूर्णत: न्यायपूर्ण संस्थाओं की रचना एक केन्द्रभूत प्रयास बन गयी है। अन्य शब्दों में अधिकांश आधुनिक न्यायसिद्धान्त 'एक न्यायपूर्ण समाज' की अवधारणा पर आग्रह कर रहे है।

न्याय विश्लेषण की अनुभवातीत संस्थावादी विधि के विपरीत डॉ. अमर्त्य सेन न्याय की प्रगति या प्रतिवर्तन की अनुभूति आधारित तुलनाओं के अन्वेषण पर बल देते हैं। उनके अनुसार सांसें दिशा-परिवर्तन से आगे चल किन्हीं अन्य सांसे लाइन पर पहुँचाने पर भी ध्यान देना होगा। वास्तविक समस्याओं से हल खोजना होगा उदाहरणार्थ न्याय की प्रगति या संवर्धन कैसे होगा? या सम्पूर्ण रुप से न्यायपूर्ण संस्थाएँ जैसी होगी आदि। अमर्त्य सेन के अनुसार इस विधि के दोहरे प्रभाव होंगे। प्रथम: इस प्रकार हम तुलनात्मक मार्ग का अनुसरण करेंगे, अनुभवातीत का नहीं, द्वितीय: हमारा ध्यान समाज की वास्तविक अनुभूतियों पर केन्द्रित हो जाएगा, केवल संस्थाओं और नियतों तक सीमित नहीं रहेगा। किन्तु

हमारी समकालिक राजनीतिक दर्शनधारा में प्रचलित प्रवृत्तियों की दृष्टि से तो हमारा यह विचार न्याय सिद्धान्त की रचना में अमूल परिवर्तनकारी होगा। डॉ. सेन ने इस तथ्य पर बल दिया कि वास्तविक चयन के लिए किसी भी व्यावहारिक तर्क शास्त्र में न्यायपूर्णता की तुलना तो अपरिहार्य होती है। यहाँ किसी सम्भव विकल्पों में से चयन महत्वपूर्ण होता है, न कि एक ऐसी सम्पूर्ण स्थिति की पहचान जिससे आगे और बेहतर हो पाना सम्भव नहीं।

अमर्त्य सेन का दिशा परिवर्तन के सम्बन्ध में आग्रह वास्तविक अनुभूतियों और सम्प्राप्तियों से जुड़ा है। डॉ. सेन के अनुसार न्याय अनुभवातीत संस्थावादी विधि एवं अनुभूतिकेन्द्रित अवधारणा के मध्य व्यापक टकराव है। न्याय राजीनतिक अधिकारों, सामाजिक दायित्वों, नैतिक मूल्यों, आर्थिक योजनाओं, प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित क्रियान्वयन की सतत प्रक्रिया है। पहली विचारधारा के अनुसार न्याय की अवधारणा किसी संगठनात्मक तार तन्त्र, संस्थाओं, नियमों के व्यवहार के मानदण्डों पर आधारित होनी चाहिए।[9] इनकी जीवन्त उपस्थिति ही इस बात का प्रमाण होगी कि न्याय हो रहा है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या न्याय केवल किन्हीं संस्थाओं और नियमों की मांग करता है? क्या हमें इस बात पर भी विचार नहीं करना चाहिए कि उन संस्थाओं के परिणामस्वरुप समाज में क्या घटनाचक्र चलता है और उसके सदस्य किस प्रकार का जीवन व्यतीय कर पायेंगे। आखिर इन संस्थाओं के साथ-साथ और भी अन्य कारणों के प्रभाव अभिन्न रुप से जुड़े रहते हैं।

निष्कर्ष

वस्तुतः न्याय की संरचना बहुत जटिल है, उसका कार्यात्मक पक्ष तो और भी जटिल और बहुआयामी है। वस्तुतः व्यक्तियों के बीच जितनी समानताएँ हैं उतनी जटिलताएँ हैं। सभी को न्याय या नैतिकता अथवा विधि के एक ही मापदण्ड में बांधना बहुत मुश्किल कार्य है। हम सभी किसी न किसी समाज के सदस्य हैं, इसलिए कुछ प्रश्न दफनाकर उन्हीं प्रश्नों या मुद्दों को उठाना श्रेयकर मानते हैं जिनका सीधा सम्बन्ध या प्रभाव समाज व्यवस्था से होता है और वर्तमान समाज न्याय संगत बन सकता है, भले ही यह न्याय संगत समाज भविष्य में कोई भी रुप धारण कर ले। हम आज समस्त भविष्य की व्यवस्था को निश्चित नहीं कर सकते। न्याय वर्तमान परिस्थिति का परिचायक है। भूतकाल में उसकी स्थिति क्या थी यह ज्ञान का विषय है और भविष्य में उसकी स्थिति क्या रहेगी यह अनुमान की प्रक्रिया है। वर्तमान में न्याय की स्थिति क्या है। वर्तमान परिस्थितियों को उत्तम बनाने के लिए सहमति और सहयोग होना चाहिये। न्याय कमजोर और निर्धन को संभलाता है और अमीर को सुधारता है अपनी प्रक्रिया और व्यवस्था में कुछ जोड़ता है तो कुछ तोड़ता भी है। अतः न्याय व्यक्ति का संरक्षक, समाज का धारक, राज्य का हथियार और मानवता का उद्धारक है। मनुष्य एक चिन्तनशील प्राणी है। इसीलिए वह अन्य प्राणियों से भिन्न है। वह अपने सामाजिकता के स्वभाव के कारण सदैव इस बात के लिए चिन्तनशील रहा है कि कौनसी व्यवस्था अथवा मार्ग न्यायसंगत है, उचित और जनकल्याणकारी हो सकती है। दार्शनिकों, विचारकों और सुधारकों के चिन्तन एवं विभिन्न आन्दोलनों के द्वारा उस उचित मार्ग की खोज का प्रयास किया गया है। समय-समय पर दार्शनिकों और विचारकों द्वारा न्याय के सम्बन्ध में दिये गये उनके दर्शन को उक्त अध्याय में समझने का प्रयास किया गया है। जिससे हम हमारे शासकों की नीतियों को समझ सके, राजनेताओं के दर्शन को समझ सके उनके विचार और कार्य समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, समझ सके। सभी चाहते हैं कि उनका देश उनके बताए मार्ग पर चले परन्तु कौनसा मार्ग उचित है इसका चयन हम बेहतर रुप से कर सके, परिवार, समुदाय और राज्य के सन्दर्भ में यह दृष्टिपात होती है, कालान्तर में कुछ विचार और कार्य व्यापक रुप से मान्य और मूल्यवान सिद्ध होते है।

संदर्भ सूची

1. सेन, अमर्त्य, दा आईडिया ऑफ जस्टिस (न्याय का स्वरूप) का हिन्दी संस्करण, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 2016, पृ.सं. 29
2. उपर्युक्त, पृ.सं. 30
3. उपर्युक्त, पृ.सं. 31
4. हार्ट, एच.एल.ए., द कन्सेप्ट ऑफ लॉ, 1970, पृ.सं. 103
5. सेन, अमर्त्य, दा आईडिया ऑफ जस्टिस, पूर्वोक्त, 2016, पृ.सं. 30
6. उपर्युक्त, पृ.सं. 31
7. उपर्युक्त, पृ.सं. 31
8. डिकेन्स, चार्ल्स, ग्रेट एक्सपेरिमेंटशन्स (1860-61) (लंदन पेंगुसन 2003) अध्याय 8, पृ.सं. 63
9. सेन, अमर्त्य, दा आईडिया ऑफ जस्टिस, पूर्वोक्त, पृ.सं. 33

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 109-113

महात्मा गाँधी का चिंतन एवं पंथनिरपेक्षता : एक विश्लेषण

डॉ. प्रेम सिंह

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

शोध सारांश

महात्मा गाँधी भारतीय स्वतंत्रता के दूत ही नही थे अपितु जैसा कि एक अमरीकन पादरी डॉ. जॉन हेन्स हाम्स के शब्दों में ''ईसा मसीह के बाद गाँधी जी संसार के सबसे महान व्यक्ति थे'' उन्होंने नैतिक साधनों से न केवल भारत को सदियों की गुलामी के भँवर में से बाहर किया बल्कि सम्पूर्ण विश्व को प्रेम, भ्रातृत्व और सहयोग का मंत्र दिया। उनका चिंतन का आधार सत्य और अहिंसा था। गाँधी जी मूलत: एक आध्यात्मिक सन्त थे उनके चिंतन और आंदोलन चाहे वे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षणिक हो सभी में पंथनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गाँधी जी के विचार, दर्शन और कार्य आज के विग्रह, विघटन, विरोध, विनाश से ग्रसित समाज में संगठन, सहयोग, सद्‌भावना, शांति, समन्वय, सहिष्णता, सहनशीलता का आहवान करते हैं। गाँधीजी के अनुसार धर्म और राजनीति को पृथक नही किया जा सकता है क्योंकि धर्म मनुष्य को सदाचारी बनाने के लिए प्रेरित करता है। स्वधर्म सबका अपना होता है पर धर्म मनुष्य को नैतिक बनाता है सत्य बोलना चाहिये, चोरी नही करना, परदु:खकातरता, दूसरों की सहायता करना आदि यही सभी धर्म सिखाते हैं।

संकेताक्षर : *पंथनिरपेक्षता, आध्यात्मिक दर्शन, आदर्शवादिता, सामाजिक विचार*

प्रस्तावना

महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 ई. को गुजरात के पोरबन्दर नामक नगर में एक वैष्णव परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचन्द गांधी था। गांधी जी के पिता करमचन्द गांधी काठियावाड़ की छोटी रियासत में दीवान पद पर कार्यरत थे और अपनी ईमानदारी के कारण क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध थे। उनकी माता श्रीमती पुतलीबाई धार्मिक प्रवृति वाली उदार महिला थी। खान-पान, रहन-सहन, आचरण में पवित्रता तथा सादगी इस परिवार के जीवन का महत्वपूर्ण अंग था।

गाँधी जी के अनुसार पंथनिरपेक्षता

गाँधी जी की पंथनिरपेक्षता धार्मिक समुदायों के भाईचारे के प्रति उनके सम्मान और सत्य की खोज पर आधारित थी। पंथनिरपेक्षता एक ऐसा शब्द है जिसे आसानी से गलत समझा जाता है और शायद कहीं न कहीं इसका परिणाम भारत की तुलना में खराब है भारत की पंथनिरपेक्षता गाँधी के हिस्से में है और यह निश्चित रूप से सच है कि गाँधी जी चाहते थे कि भारतीय राज्य हिन्दुओं, मुस्लिमों सिक्खों और ईसाइयों के लिए समान हो। गाँधी की उम्मीद एक ऐसे राज्य के लिए थी जिसमें वास्तव में धार्मिक मूल्य राजनीतिक क्षेत्र सहित जीवन के सभी पहलुओं की अनुमति देते हैं।

गाँधी जी ने कहा था कि ''मैं दुनिया के सभी महान धर्मों के मूलभूत सत्य को मानता हूँ। मेरा मानना है कि वे सभी ईश्वर प्रदत्त है और मेरा मानना है कि वे उन लोगों के लिए आवश्यक थे जिनके लिए इन धर्मों का पता चला था। और मुझे यह विश्वास है कि यदि हम केवल इन विश्वासों के अनुयायियों के दृष्टिकोण से अलग-अलग धर्मों के धर्मग्रन्थों को पढ़ सकते है तो हमें यह पता लगाना चाहिए कि वे सभी एक में सबसे नीचे के और सभी एक दूसरे के सहायक थे।''

पंथनिरपेक्षता के आधार

1. धर्म प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। उसमें किसी भी प्रकार का अन्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।

2. राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं होना चाहिए।

3. सभी धर्मों को समाज में समान स्थान प्राप्त होना चाहिये।

गांधीजी के विचारों तथा व्यक्तित्व पर उनके पारिवारिक गुणों, प्राचीन भारत के गौरव ग्रन्थों, पाश्चात्य जगत की प्रमुख रचनाओं तथा विभिन्न धर्मों के धार्मिक ग्रन्थों का तथा अपने इंग्लैण्ड, दक्षिण अफ्रीका यात्रा प्रवास के अनुभवों का काफी प्रभाव पड़ा।

महात्मा गांधी का परिवार ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कष्टों को दृढता से सहन करने की महत्त्वपूर्ण क्षमता रखता था। अपने पिता की ईमानदारी और अन्याय के प्रति न झुकने की प्रवृति तथा माता की उदार धार्मिक प्रवृति ने गांधीजी के दृष्टिकोण को बहुत प्रभावित किया। इसी प्रकार उन पर विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों का भी व्यापक प्रभाव पड़ा। रामायण से श्रीराम के मर्यादित आचरण तथा अन्याय के विरूद्ध उनके संघर्ष एवं देश की जनता के कल्याण की तत्परता का गांधीजी पर बहत प्रभाव पड़ा। श्रीमद्भगवत् गीता का तो गांधीजी पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि वे कहा करते थे कि जब कभी उन्हें निराशा घेर लेती और आशा की दूर तक कोई किरण नजर नहीं आती तो वे गीता पढ़ते थे। गीता का कोई न कोई श्लोक उन्हें अपनी निराशा दूर करने में सहयोग प्रदान कर ही देता। उन पर उपनिषद् का भी प्रभाव पड़ा था।

गाँधीजी की पंथनिरपेक्षता एवं विचारों में सम्बन्ध

गाँधी की पंथनिरपेक्षता राज्य की दृष्टि में एक ऐसा स्थान है जहाँ धार्मिक मूल्यों और प्रवचन को जीवन के सभी क्षेत्रों, जनता के साथ - साथ निजी रूप से पोषित और सम्मानित किया जाता है लेकिन जिसमें किसी एक धर्म को दूसरे पर हावी होने की अनुमति नही है।

पंथनिरपेक्षता को धार्मिकता, धार्मिक मूल्यों की अनुपस्थिति या नकारने के बजाय, बहुलतावादी समाजों में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देने के लिए चर्च और राज्य के अलगाव के बजाय बराबर किया गया था।

दुर्भाग्य से आधुनिक नास्तिकों में पंथनिरपेक्षता को गलत समझा है इसका मतलब यह है कि किसी को भी अपने राजनीतिक प्रवचन में धार्मिक भाषा को रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसमें गाँधी जी को बोलने से रोका जा सके। गाँधी जी के धार्मिक प्रवचन को उनके दर्शकों ने स्वीकार किया और उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित करने में प्रभावी रहे क्योंकि वे बड़े व धार्मिक लोग थे,

गांधीजी का आध्यात्मिक दर्शन एवं पंथनिरपेक्षता

गांधी मूलत: एक आध्यात्मिक सन्त थे। अत: उनके चिन्तन और आन्दोलन चाहे वे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षणिक हो, सभी में आध्यात्मिकता आदर्शवाद में ईश्वर, सत्य, नैतिकता, साधन की उच्चता, अहिंसा आदि महत्वपूर्ण हैं।

महात्मा गांधी के जीवन और चिन्तन में ईश्वर की अवधारणा सदैव सर्वोपरि रही है। ईश्वर के प्रति अपने अटूट विश्वास के कारण उन्होंने कहा- ''मैं यह भी कह सकता हूँ कि वायु और जल के बिना तो शायद मैं रह सकता हूँ किन्तु उसके (ईश्वर) बिना मैं नही रह सकता। तुम मेरी आंखें निकाल सकते हो, किन्तु उससे मैं नहीं मरूँगा। तुम मेरी नाक काट सकते हो, किन्तु उससे मैं नहीं मर सकता, परन्तु ईश्वर में से मेरा विश्वास गया और मैं मरा। ''गांधीजी ईश्वर की अवधारणा सत्य की अवधारणा से जुड़ी हुई है। उनके लिए सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है।

सत्य गांधीजी के दर्शन और चिन्तन का आधारभूत तत्व रहा है। सत्य और ईश्वर में कोई अन्तर न करते हुए उन्होंने सत्य को छोड़ किसी बात से स्वीकार करना कभी पसन्द नहीं किया। उनके अनुसार सत्य बोलना या सत्य के प्रति निष्ठा रखना मात्र ही सत्य नहीं हैं अपितु मन, वचन और आचरण तीनों सत्य से युक्त होना चाहिए।

गांधीजी ने सत्य के दो रूप बताए - निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य का तात्पर्य ईश्वर की सत्ता से है। उनके अनुसार यह सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और शाश्वत होता है। निरपेक्ष सत्य अन्तिम सत्य होता है, जबकि सापेक्ष सत्य वह सत्य है जिसे हम किन्हीं विशेष परिस्थितियों के विषय में देखते हैं। यह पूर्ण और अन्तिम सत्य नहीं होता, क्योंकि जो विशेष परिस्थितियों में सत्य हो सकता है, वह अन्य परिस्थितियों में सत्य न भी हो सकता है।

गांधीजी ने सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा को अति आवश्यक सत्य माना है। वे अहिंसा को साध्य नहीं मानते थे अपितु साध्य (सत्य) प्राप्ति का उसे एक पवित्र साधन माना। उनका दृढ़ विश्वास था कि सभी मानवीय समस्याओं का निराकरण अहिंसा के अमोघ अस्त्र से किया जा सकता है। उनके अनुसार अहिंसा, घृणा और द्वेष को समाप्त करके एक-दूसरे के प्रति प्रेम और आदर की भावना को जन्म देती है। इस प्रकार गांधीजी अहिंसा को निषेधात्मक रूप में न लेकर एक विधेयात्मक शक्ति मानते थे।

धर्म सम्बन्धी अवधारणा एवं पंथनिरपेक्षता

गांधीजी ने धर्म को सृजनात्मक शक्ति माना तथा उसे नैतिकता की धारणा से बहुत निकट माना। उनका मानना था कि धर्म व्यक्ति के जीवन और समाज का आधारभूत तत्व है। अत: दोनों में से धर्म तत्व निकाल देने पर वे शून्य हो जायेंगे। किन्तु गांधीजी ने सम्प्रदायवाद को धर्म नहीं माना अपितु उसे संसार के नैतिक

अनुशासन की व्यवस्था करने वाला तत्व माना। यद्यपि उनकी हिन्दू धर्म के प्रति गहरी आस्था थी क्योंकि उनका दृढ विश्वास था कि वह धर्म अन्य सभी धर्मों के साथ शान्तिपूर्वक सह-अस्तित्व में विश्वास करता है तथा सत्य के प्रति अपने दृष्टिकोण को अन्तिम सत्य होने का दावा नहीं करता है। हिन्दू धर्म का अभिप्राय बताते हुए गांधीजी कहते हैं कि सभी धर्म एक-दूसरे के साथ शान्तिपूर्वक रहे, यही हिन्दू धर्म है, किन्तु उन्होंने अन्य धर्मों को भी अपने विचारों में सम्मान जनक स्थान प्रदान किया है।

गांधीजी ने धर्म की आराधना के लिए किसी एकान्त, पर्वत या गुफा पर जाने की आवश्यकता के स्थान पर असहाय, पीड़ित, अभावग्रस्त लोगों की सेवा करना अधिक महत्वपूर्ण माना। उन्होंने इसे सबसे बड़ा धर्म बताया। गांधीजी की प्रार्थना की शक्ति में काफी विश्वास था। उनके अनुसार प्रार्थना ईश्वर के प्रति याचना नहीं है अपितु ईश्वर का यशोगान है। उनके अनुसार प्रार्थना करने से व्यक्ति के मन में सन्तोष और शान्ति की शक्ति उत्पन्न होती है। वे निष्काम कर्म को भी धर्म का आधारभूत लक्षण मानते थे।

गांधीजी का राजनीतिक दर्शन एवं पंथनिरपेक्षता

महात्मा गांधी आध्यात्मिक सन्त के साथ-साथ उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे, लेकिन राजनीति को छल-कपट, झूठ अथवा नैतिकता धर्म रहित विषयों का अखाड़ा बनाने के विरोधी थ। उनका मानना था कि राजनीति का प्रयोग नैतिकता तथा लोक-कल्याण के साधन के रूप में किया जाना चाहिए। गांधीजी के राजनीतिक चिन्तन और व्यवहार में सत्य और अहिंसा के प्रति उनका आग्रह भी हावी रहा। यद्यपि उनके राजनीतिक विचार किसी पुस्तक विशेष में व्यवस्थित रूप से संकलित नहीं है, किन्तु उनके राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान दिये गये भाषणों, लेखों तथा कार्यकलापों से हम उनके राजनीतिक दर्शन को व्यापक रूप में पाते हैं।

गांधीजी के अनुसार राजनीति और धर्म का अनिवार्य और गहरा सम्बन्ध है। उनका मानना था कि मनुष्य के लिए धर्म और राजनीति दोनों ही अत्यावश्यक है। वे मानते थे कि धर्म हमारे जीवन का केन्द्रीय तत्व है तथा राजनीतिक लाख बुराइयों के बावजूद हमारे लिए अनिवार्य है। उनका मानना था कि जिस प्रकार सांप किसी चीज के चारों ओर कुंडली मारकर बैठ जाता है उसी प्रकार राजनीति ने हमें चारों ओर से लपेट रखा है तथा हम कितने ही प्रयत्न क्यों न कर लें, राजनीति से मुक्त नहीं हो सकते अर्थात् वे राजनीति को आवश्यक बुराई मानते थे। अत: उन्होंने राजनीति की बुराइयों को समाप्त करने के लिए धर्म को राजनीति से सम्बद्ध करना चाहा।

गांधीजी के सामाजिक विचार एवं पंथनिरपेक्षता

गांधीजी केवल राजनीतिक विचारक और नेता ही नहीं थे अपितु वे सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक भी थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित-बुराइयों तथा कुरीतियों से काफी दु:खी थे, क्योंकि उनका मानना था कि देश में व्याप्त सामाजिक बुराइयां हमारे समाज को दीमक की तरह भीतर से खोखला कर रही है। उनका मानना था कि भारतीय समाज में बुराइयों के प्रवेश के कारण ही समाज अध:पतन की स्थिति में पहुँच गया। उन्होंने सामाजिक समस्याओं, बुराइयों को देश के आर्थिक विकास तथा राजनीतिक व्यवस्था में सुस्थिरता के लिए बाधक माना। अत: गांधीजी रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की उन्नति के पक्षधर थे।

गांधी के चिन्तन में व्यक्ति सर्वोपरि स्थान रखता है। उन्होंने व्यक्ति को साध्य माना है। गांधीजी व्यक्ति को मूलत: अच्छाई तथा गुणों से युक्त मानते हैं। गांधीजी नैतिक गुणों से सम्पन्न एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते थे, जो सत्य की प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर दे। वे व्यक्ति को सर्वोच्च विकास में आने वाली बाधाओं का निर्माण करने वाली संस्थाओं के विरोधी थे, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि गांधी के विचारों में समाज का कोई स्थान नहीं था।

गांधीजी के विचारों में व्यक्ति और समाज के साथ उसके सम्बन्धों में कोई टहराहट का भाव नहीं था। वे समाज और व्यक्ति को एक दूसरे का पूरक मानते थे, अत: व्यक्ति और समाज दोनों में से किसी एक को वरीयता देना गांधीजी के सिद्धान्तों के प्रतिकूल था। उनका मानना था कि व्यक्ति और समाज दोनों ही चेतना के एक ही स्त्रोत से शासित होते हैं अत: उनमें अन्तर्विरोध नहीं हो सकता। गांधीजी का विश्वास था कि व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रताओं का सही उपयोग हितों के अनुकूल करके ही कर सकता है।

गांधी ने वर्ण-व्यवस्था के उस मौलिक प्राचीन भारतीय व्यवस्था का समर्थन किया जिसमें कर्म के आधार पर वर्णों का निर्धारण होता था अर्थात् वे व्यक्ति के कर्त्तव्यों अथवा कर्मों के आधार पर समाज का वर्गीकरण करने के पक्ष में थे। गांधीजी की इस वर्ण-व्यवस्था में जाति के आधार पर वर्णों के निर्धारण को कोई स्थान नहीं था।

गांधी अस्पृश्यता को न केवल गम्भीर अपराध मानते थे अपितु भारतीय समाज पर कलंक मानते थे। यही कारण था कि गाँधीजी की सम्पूर्ण सामाजिक गतिविधियों में अस्पृश्यता निवारण सर्वो-

परि कार्य था। उन्होंने इसे भयंकर अभिशाप माना। उनकी राय में अस्पृश्यता का वर्तमान रूप ईश्वर और मनुष्य के खिलाफ किया गया भयंकर अपराध है।

गांधीजी का मानना था कि भारतीय समाज ने जब अस्पृश्यता की घृणित भावना को अपनाया होगा वह हमारे पतन की चरम सीमा रही होगी। उनका मानना था कि वह पूर्णत: कृत्रिम चीज है। अत: उनके दृष्टिकोण में यदि भारतीय समाज से अस्पृश्यता रूपी बुराई निकाल दिया जाये तो इसका न केवल भारतीयों पर नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। उनका कहना था कि जब तक हम अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों को गले नही लगायेंगे तब तक हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है।

गांधीजी भारत में स्त्रियों की वर्तमान दशा से काफी दु:खी थे तथा स्त्रियों को पुरुषों के समान समाज में दर्जा देने के पक्षधर थे। गाँधीजी का मानना था कि स्त्रियाँ किसी भी दृष्टिकोण से पुरुषों से कम नहीं है। अत: उन्हें भी पुरुषों क समाज स्वतन्त्रता, अधिकार तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेने की छूट होनी चाहिए। गाँधीजी का महिलाओं से यह आग्रह था कि वे इस हीन विचार को त्याग दें कि वे पुरुषों की दासी मात्र है। गाँधीजी का दृढ़ विश्वास था कि एक पुरुष के भाग्य का निर्माण करने में स्त्री, माता, बहिन, पत्नी के रूप में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करती है वे अक्सर कहा करते थे भारत का भविष्य स्त्रियों पर निर्भर है क्योंकि वे ही अपने वाली पीढ़ियों का पालन करेगी।

गांधीजी सामाजिक एकता तथा राष्ट्र की अखण्डता के लिए समाज के विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों में एकता तथा सद्‌भावना स्थातिप करने के पक्षधर थे। गांधीजी का विश्वास था कि हिन्दू-मुस्लिम एकता से भारत को स्वराज्य प्राप्त हो जायेगा। उनका मानना था कि साम्प्रदायिक एकता राजनीति के माध्यम से जबरदस्ती थोपी नहीं जानी चाहिए अपितु विभिन्न सम्प्रदायों के अनुयायियों के हृदय में इस प्रकार की भावना विकसित की जानी चाहिए कि वे एक - दूसरे के सुख - दु:ख को अपना सुख-दु:ख समझे। उन्होंने जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त तथा पाकिस्तान के निर्माण तथा भारत के विभाजन का जबरदस्त विरोध किया। उन्हें विश्वास था कि देश के स्वतंत्र होते ही साम्प्रदायिक मतभेदों का कोहरा दूर हो जायेगा।

गांधीजी के आर्थिक विचार एवं पंथनिरपेक्षता

''सच्चा अर्थशास्त्र वहीं है, जो सामाजिक न्याय तथा नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन करता है। आधुनिक परिभाषा में व्यक्तित्व खोकर मशीन का पुर्जा मात्र बन जाना मनुष्य की प्रतिष्ठा को गिरना है।''

महात्मा गांधी के चिन्तन और कार्यों के हर क्षेत्र में सत्य, अहिंसा तथा नैतिकता का प्रभाव देखने को मिलता है। अत: उनके आर्थिक विचारों में भी इस तथ्वों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यद्यपि उन्होंने कोई निश्चित आर्थिक योजना प्रस्तुत नहीं की, किन्तु उनके समय-समय पर दिये गये भाषणों तथा विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लिखे गये आर्थिक लेखों से उनके उच्च स्तरीय आर्थिक दर्शन का ज्ञान होता है।

गांधीजी यन्त्रों को अवांछनीय मानते थे तथा इस पर आधारित अनियन्त्रित औद्योगिक विकास के विरोधी थे। उनका मानना था कि यन्त्रों के बढ़ते उपयोग का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हो रहा है कि मनुष्य परिश्रम करने से कतराने लग गया। वे यन्त्रों के बढ़ते प्रयोग को मानवीय सभ्यता की बड़ी विजय मानने से असहमत थे। उनका मानना था कि यन्त्रों के विचार से न केवल बेरोजगारी बढ़ने की आशंका बनी रहती है अपितु पाश्चात्य देश इनके आधार पर अन्य देशों का शोषण करने में सफल रहेंगे। यन्त्रों के बढ़ते प्रयोग का एक अन्य बुरा परिणाम यह निकलेगा कि उत्पादन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित हो जाएगा जो अन्ततोगत्वा शोषण को संरक्षण देगा।

गांधीजी वहाँ यन्त्रवाद और औद्योगीकरण के विरोधी थे, वहीं वे कुटीर तथा लघु उद्योगों के प्रबल समर्थक थे। उनके दृष्टिकोण से मुनष्य के शारीरिक श्रम का सही उपयोग कुटीर तथा लघु उद्योगों में ही होता है। गांधीजी के कुटीर और लघु उद्योगों सम्बन्धी दृष्टिकोण में यथार्थवादी स्वरूप स्पष्टत: झलकता है। वे इस बात से परिचित थे कि देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के हल हेतु तथा भारत के ग्रामीण परिवेश के लिए कुटीर तथा लघु उद्योग सबसे उत्तम उपाय है। अत: उनका कुटीर और लघु उद्योगों से वास्तविक अभिप्राय ग्रामोद्योग से ही था।

गांधी केन्द्रीयकृत अर्थ-व्यवस्था के विरोधी थे। वे उसे हिंसा का प्रतीक मानते थे। उनका मत था कि समाज में व्याप्त असमानता तथा अन्याय का कारण आर्थिक शक्तियों का केन्द्रीयकरण है। उनका मत था कि केन्द्रीयकरण से उत्पन्न अन्यापूर्ण असमानता के कारण जहाँ चन्द लोग तो सम्पन्न है, मालामाल हैं, वहीं सामान्य जनता को भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अत: उनका विश्वास था कि इस शोषणयुक्त असमानता तथा अन्याय का निराकरण हम आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के माध्यम से कर सकते हैं।

गांधीजी समाज में पूंजीवाद के कारण उत्पन्न बुराइयों से न केवल दु:खी थे अपितु वे इसे समाप्त भी करना चाहते थे लेकिन वे पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था को हटाने के लिए साम्यवादियों की तरह

हिंसात्मक कार्यवाहियों का प्रश्रय देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे क्योंकि साम्यवाद शोषण को हटाने के लिए हिंसा का सहारा लेकर अपने साध्य को दूषित कर देता है। गांधीजी अर्थ-अर्थव्यवस्था की इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए अहिंसा तथा सत्य का सहारा लेना चाहते थे। अत: उन्होंने न्यासिता अथवा ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त प्रस्तुत किया।

गांधीजी ने राजनीति के साथ धर्म का समन्वय कर राजनीति के कुटिल अभिप्राय का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया। उन्होंने राजनीति को छल-कपट अथवा हिंसात्मक गतिविधियों का साधन न मानकर उसे नैतिक मूल्यों से संयुक्त करके विश्व के सामने महान आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने राजनीति को मानवीय जीवन के अन्य पहलुओं के समान ही महत्वपूर्ण माना। उन्हीं के शब्दों में ''आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा विशुद्ध धार्मिक कार्यो को पूर्णतया पृथक-पृथक नहीं देख सकते।'' उन्होंने राजनीति का आध्यात्मीकरण करके अन्याय के विरूद्ध संघर्ष कर सफलता प्राप्त की। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को ऐसे उच्च आध्यात्मिक स्तर पर उठा दिया कि जिस पर अन्य किसी देश का राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं पहुँच पाया। सत्याग्रह को अपनाकर गांधीजी ने राजनीति का आध्यात्मीकरण कर दिया और उस दीवार को गिरा दिया जिससे कि बहुत दिन तक धर्म को राजनीति से अलग रखा था। यह गांधी जी मानवता को एक सबसे बड़ी देन है। उन्होंने अपने अमोघ अस्त्र सत्याग्रह से यह साबित कर दिया कि सत्य की प्राप्त निश्चित रूप से की जा सकती है। बशर्ते उसके अहिंसक साधन हो।

निष्कर्ष

सारांशत: गांधीजी के विचार, दान और कार्य आज के विग्रह, विघटन, विरोध, विनाश से ग्रसित समाज में संगठन, सहयोग, सद्भावना, शान्ति, समन्वय, सहिष्णुता, सहनशीलता का आह्वान करते हैं। गांधी अस्पृश्य जातियों को हिन्दू समाज का अंग समझते थे। वे अस्पृश्ता निवारण के प्रति कृत संकल्प थे तथा अछूतों की दशा में सुधार चाहते थे। वे विधान मण्डलों में अछूतों के प्रतिनिधित्व तथा स्थानों के आरक्षण के विरूद्ध थे। वे ऐसा मानते थे कि आरक्षण से घटकवाद व पृथकता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हिन्दू समाज कमजोर होगा। महात्मा गांधी की पंथनिरपेक्षता सम्बन्धी विचार निश्चित तौर पर श्रेष्ठ हैं। पंथनिरपेक्ष समाज की स्थापना पर बल देते हैं। फलस्वरूप उनके पंथनिरपेक्षता सम्बन्धी विचार दलितोद्धार संबंधी विचारों की तुलना में गौण प्रतीत होते है। महात्मा गांधी का चिंतन सार्वभौमिक तत्त्वों से युक्त था एवं वसुधैव कुटुम्बकम् के दृष्टिकोण को केन्द्र में रख कर परिभाषित था, इसलिए महात्मा गांधी के चिंतन में पंथनिरपेक्षता का चिंतन अन्य विद्वानों एवं विचारकों की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व, गहन, व्यापक एवं सांमजस्य से युक्त था।

गाँधीयन पंथनिरपेक्षता की विचारधारा ने ऐसे समाज एवं कार्य प्रणालियों के निर्माण को आकार दिया जहाँ सभी की आवाज और परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया जा सके। गाँधीजी के अनुसार पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में कमजोरों को भी उतना ही मौका दिया जाना चाहिये जितना ताकतवरों को। गाँधीजी के पंथनिरपेक्ष विचारों को सम्मान जनक सह अस्तित्व के आधार पर कार्य करने दिया गया। साथ में राजनीतिक सहिष्णुता एवं धार्मिक विविधता पर उनका जोर समकालीन भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिता को बनाये रखता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्र, रामेश्वर, गाँधी जी और ईसाइयत, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000, पृ.सं. 52
2. नंदा, बी.आर., महात्मा गाँधी एक जीवनी, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1986, पृ.सं. 126
3. गाँधी, मोहनदास करमचंद, आत्मकथा, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1940, पृ.सं. 105-107
4. गाँधी, मोहनदास करमचंद, अहिंसा और सत्य, उत्तर प्रदेश गाँधी स्मारक निधि, वाराणासी, 1965 पृ.सं. 49
5. नारायण, इकबाल, आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएँ, ग्रंथ विकास, जयपुर, 2000, पृ.सं. 105
6. वर्मा, वी.पी., आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2000, पृ.सं. 128
7. मंत्री, गणेश, गाँधी और अम्बेडकर, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 1999, पृ.सं. 55
8. अवस्थी एवं अवस्थी, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2000, पृ.सं. 139
9. जैन, पुखराज, आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएँ, साहित्य भवन, आगरा, 1974, पृ.सं. 158
10. कमल, के.एल., भारतीय राजनीतिक चिंतन, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1998, पृ.सं. 89
11. चतुर्वेदी, मधुकरश्याम, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, कालेज बुक हाऊस, जयपुर, 2000, पृ.सं. 315-318

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 114-118

मेकियावेली के राजनीतिक विचारों की आधुनिकता : एक आलोचनात्मक व्याख्या

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

डॉ. मीना रानी

सहायक आचार्य, लोकप्रशासन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

अनेक विचारकों ने राजनीति विषय पर हमारे ज्ञान संवर्धन में महान् योगदान दिया है। आधुनिक युग के आंरभिक दौर का विश्वविख्यात इतावली विचारक निकोलो मेकियावेली उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे तो मेकियावेली का नाम राजनीतिक यथार्थवाद और छलकपट का पर्याय माना जाता है, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेकियावेली ने अपने समय की वास्तविक राजनीति को जैसा देखा, उसके बारे में वैसा ही लिखा। राजनीति के प्रति काल्पनिक आशावाद को त्यागते हुए उसने उस दौर में यथार्थवाद के प्रति आस्था व्यक्त की जबकि समस्त राजनीतिक सिद्धांत धार्मिक विचारों से ओतप्रोत थे। यही कारण है कि मेकियावेली कृत 'द प्रिंस' और 'डिस्कोर्सेज ऑन लिवी' ने राजनीति के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव डाला है। उक्त आलेख में मेकियावेली के राजनीतिक विचारों, मुख्य रूप से वैश्विक राजनीति, गणतंत्रवाद, लोकप्रशासन की आधुनिकता और प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया है। मेकियावेली पर गहन शोध करने वाले पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को आधार बनाकर इस आलेख का निष्कर्ष है कि राजनीति पर मेकियावेली की वास्तविक देन उसके सुझावों में नहीं है, बल्कि उसके विचारों की सैद्धान्तिक गहराई में है।

संकेताक्षर : *शक्ति, राज्य, शासक, हिंसा, गणतंत्र, द प्रिंस*

प्रस्तावना

निकोलो मेकियावेली का जन्म मध्यकालीन इटली के शहर फ्लोरेंस में उस युग में हुआ था जब धार्मिक प्रभुत्व का सिद्धांत यूरोप में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। आध्यात्मिक समस्याओं से ध्यान हटाकर तत्कालीन विचारक सांसारिक समस्याओं की तरफ ध्यान देने लगे थे। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में सुदृढ़ धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र-राज्य अस्तित्व में आ चुके थे, लेकिन इटली राजनीतिक भ्रष्टाचार और नैतिक अपकर्ष में फंसा था। इटली पाँच नगर-राज्यों यथा फ्लोरेंस, मिलान, नेपल्स, वेनिस एवं रोम में विभाजित था। मेकियावेली को कई बार फ्लोरेंस गणराज्य का राजनयिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। विदेशी राज्यों में निरंकुश तंत्र की सफलता देखकर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि इटली को चिंताजनक हालात से उबारने के लिये वहां निरंकुश शासन की स्थापना अनिवार्य है। इन्हीं विचारों ने मेकियावेली को 'द प्रिंस' और 'डिस्कोर्सेज ऑन लिवी' का लेखन करने के लिये प्रेरित किया। अपने समस्त लेखन में मेकियावेली का राजनीति के लिये एक विशेष जुनून प्रदर्शित होता है जो राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय संस्थाओं के उदय, पतन और विघटन में उसकी ऐतिहासिक और राजनीतिक जिज्ञासाओं को खोजती है।

मेकियावेली की यथार्थवादी दलील *'द प्रिंस'* में अपने विशुद्ध रूप में प्रकट हुई है। 'द प्रिंस' में उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अनैतिक साधनों के प्रयोग की छूट देने के कारण उसके निष्कर्षों की वैधता पर पिछली पाँच शताब्दियों से बहस चल रही है। इस प्रख्यात पुस्तक में मेकियावेली ने उन सब युक्तियों का विवरण दिया है जो राजतंत्र के अन्तर्गत एक कुशल शसक को अंगीकार करनी चाहिये। यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं है कि मेकियावेली का राजनीतिक लेखन वो निर्देश-पुस्तिकाएँ है जो एक अराजक एवं अनैतिक विश्व में फलने-फूलने के तौर-तरीके सिखाती हैं। मेकियावेली मानता है कि संप्रभु शासक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि वह राज्य के चरित्र, उसकी ख्याति और शक्ति का मूर्त स्वरूप है। अत: संप्रभु को परिस्थितियों के अनुसार दोहरे मापदंड अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिये। मेकियावेली के शासक को ताकत और

चालाकी दोनों गुणों से युक्त होना चाहिये। शासक के शरीर में शेर की ताकत और दिमाग में लोमड़ी की धूर्तता अपेक्षित है। शेर की बहादुरी सर्वविदित है, लेकिन फंदे में फँसने पर वह बहादुरी उसे बाहर नहीं निकाल पाती। लोमड़ी अपनी चालाकी के लिये जानी जाती है, परंतु भेड़ियों से वह खुद को बचा नहीं पाती। इसलिये लोमड़ी की चतुराई शासक को फंदे से बाहर निकालेगी और शेर की बहादुरी उसे भेड़ियों को भगाने के काम आयेगी।

मेकियावेली के अनुसार किसी राज्य को अपनी शक्ति बनाये रखने और वैश्विक स्तर पर ख्याति अर्जित करने के लिये राजनयिक अनुशीलन अनिवार्य है। मेकियावेली संधियों और गठबंधनों के महत्व को तो नहीं नकारता लेकिन उसका विश्वास है कि एक राज्य को विदेशी राज्यों से सकारात्मक रिश्ते कायम करने के अवसर कुछ खास दशाओं में ही मिलते है। मेकियावेली चेतावनी भरे लहजे में कहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि जिस देश के साथ गठबंधन किया गया है, वह हमेशा उस गठबंधन की शर्तो के प्रति निष्ठावान रहेगा। भौगोलिक कारकों का उल्लेख करते हुए मेकियावेली कहता है कि दूरस्थ राज्यों से किये गये गठबंधन में सबसे बड़ी दुविधा यह होती है कि वह राज्य अत्यधिक दूरी अथवा आतंरिक कलह के कारण आपत्ति के समय तत्काल मदद के लिये नहीं आ सकता। यह विचार आज भी प्रासंगिक है।

राजनीतिक क्षेत्र की स्वतंत्रता

मेकियावेली मानता है कि राजनीति एक स्वतंत्र क्षेत्र है जिसे धार्मिकता के बंधन नहीं जकड़ सकते। राजनीतिक क्षेत्र के अपने नियम-कानून हैं जो नैतिक नियमों से भिन्न हैं। नैतिक दार्शनिक यह दावा कर सकते हैं कि राजनीति तात्विक रूप से नैतिक उद्‌देश्यों की पूति के लिये संचालित की जाने वाली गतिविधि है। परन्तु इसके विपरीत मेकियावेली के लिये राजनीतिक क्षेत्र का तात्विक उद्‌देश्य है–उत्तरजीविता, दीर्घजीवन एवं वैभव। मेकियावेली का चिंतन आधुनिक राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी संस्करण से भिन्न है। यह सही है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान अपने-आप को किसी नैतिक पूर्वाग्रह से नहीं बांधता लेकिन साथ ही वह राजनीतिक मनोरथ के किसी मत विशेष की आलोचना भी नहीं करता। शक्ति को साधन बनाकर अपना अस्तित्व बनाये रखना मेकियावेली के लिये समस्त राजनीतिक कार्यकलाप का एकमात्र साध्य है।

राजनीति की अराजक प्रकृति की दुहाई देकर मेकियावेली राज्य को समस्त नैतिक दायित्वों से मुक्त कर देता है। आलोचक यह मानते हैं कि उसके तर्क साम्राज्यवाद के पोषक हैं और ताकतवर देशों को कमजोर देशों के दमन की असीमित छूट देते हैं। वह राजनीतिक समुदाय के लिये उन नूतन एवं निर्नैतिक आधारों को विकसित करता है जो उसकी दृष्टि में विश्व राजनीति की अनिवार्यताओं के अनुरूप हैं। 'द प्रिंस' के अध्याय तीन में मेकियावेली विश्वव्यापी साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण करने के लिये प्राचीन रोमवासियों की प्रशंसा करते हुए इस नीति को बुद्धिमान शासकों के लिये अनुकरणीय बताता है। रोम ने यूनान को इसलिये जीता क्योंकि सीरिया का सम्राट स्वयं यूनान पर हमले की योजना बना रहा था। न तो यूनान और न ही सीरिया से रोम की सुरक्षा को तात्कालिक खतरा था, लेकिन रोम ने अपनी सुरक्षा के प्रति संभावित खतरे की आशंका को मिटाने के लिये यूनान को विजित करने की नीति अपनायी। मेकियावेली की दृष्टि में एक देश के सामने केवल दो विकल्प होते हैं–या तो वह स्वयं पहल करे या फिर विरोधी द्वारा आक्रमण के लिये चुने गये अवसर की प्रतीक्षा करे। मेकियावेली द्वारा समझी गयी विश्व राजनीति की परिस्थितियाँ एहतियाती हमले को न्यायोचित ठहराती हैं। मेकियावेली स्वयं के लिये एक चिकित्सक की भूमिका निर्धारित करता है, जो खतरे को भांपकर उसके निदानात्मक उपाय करता है। वह निदानात्मक उपाय है-एहतियाती हमला।

मेकियावेली ने चर्च के नीतिशास्त्र को राज्य के नीतिशास्त्र से प्रतिस्थापित कर दिया। मेकियावेली ने तो ईसाई धर्म में प्रचलित 'सद्‌गुण' की परिभाषा ही बदल डाली। समकालीन ईसाई परम्परा की आलोचना करते हुए मेकियावेली लिखता है कि 'हमारे धर्म ने कर्मशील पुरुष की बजाय विनम्र और चिंतनशील पुरुष का गौरवगान किया है। इसने मानव का सर्वाच्च गुण विनम्रता और सांसारिक वस्तुओं के त्याग को माना है। यदि हमारा धर्म यह कहता है कि आप ताकतवर बनो, वो वह ताकत दुख झेलने की हो, साहसिक कार्य करने की नहीं।' उसकी दृष्टि में 'सद्‌गुण' प्रभावी नेतृत्व का आवश्यक गुण है, चाहे युद्ध का क्षेत्र हो या फिर राजनीति का क्षेत्र। राज्यशिल्प के सद्‌गुण वही हैं जो सफलता एवं अस्तित्व के लिये अनुकूल हैं। जो बात पराजय एवं विफलता की तरफ धकेलती है, वो अवगुण की श्रेणी में आती है। राजनेताओं एवं सेनानायकों को अपने साध्यों की प्राप्ति के लिये हर हथकंडा अपनाना चाहिये और साधन की वैधता पर ज्यादा सोच-विचार नहीं करना चाहिये। युद्ध का सरोकार विजय और पराजय से है, युद्ध का न्याय और निष्पक्षता से कोई लेना देना नहीं है।

मेकियावेली ने इतावली नवजागरण के चतुर एवं निर्दयी राजनय को निकट से देखा और राजनयिक की हैसियत से स्वयं उसका

अनुभव भी किया। मेकियावेली के विचार इन सबसे व्यापक स्तर पर प्रभावित हुए। मेकियावेली ने साधारण मनुष्य को कृतघ्न, सनकी, धूर्त, डरपोक और लालची माना है। इसी कारण वह उनके मन में भय उत्पन्न कर उन्हें वश में करने की सलाह भी शासक को देता है। मेकियावेली के शासक को हत्या करने की तो छूट है लेकिन उसे लूटपाट की मनाही है। इसका कारण यह है कि 'लोग अपने पिता की मृत्यु को जितनी जल्दी भूल जाते हैं, पैतृक संपत्ति की हानि को उतनी जल्दी नहीं भुला पाते।' मेकियावेली की तुलना प्राय: कौटिल्य से की जाती है। मेकियावेली ने अनैतिक प्रयासों से राज्य की रक्षा को उचित ठहराते हुए राज्य को अंतिम साध्य माना है। मेकियावेली के दर्शन में राज्य के गौरवगान से आगे कोई लक्ष्य नहीं है। कौटिल्य ने भी राज्य की रक्षा के लिये प्रत्येक सही-गलत उपाय का विधान किया है, परंतु इसके बावजूद उसके लिये राज्य साध्य न होकर मानव-समाज के कल्याण का एक साधन है।

लोकप्रशासन

राजनीति का एक अहम क्षेत्र लोक प्रशासन है। इस पर मेकियावेली के विचारों की प्रासंगिकता स्वयंसिद्ध है। जो दिशानिर्देश मेकियावली ने प्रशासकों और सार्वजनिक अधिकारियों के लिये निर्धारित किये हैं वे धार्मिक या दार्शनिक सिद्धांतों पर अवलंबित नहीं होकर अनुभवजन्य निष्कषों पर आधारित हैं। इनमें प्राचीन काल और उस वक्त की सर्वोत्तम प्रथाओं के उदाहरण शामिल हैं। मैकियावेली के दृष्टिकोण में ज्ञान और क्रिया का निकट में संबंध है। ज्ञान का अर्थ ही उसकी उपयोगिता है। अनुपयोगी ज्ञान निरर्थक है। ज्ञान लोगों को यह तय करने में मदद करता है कि उन्हें कैसे कार्य करना है। प्रत्येक दिशानिर्देश अपनी विशिष्ट सलाह प्रदान करने, कौशल विकसित करने और उचित अभिविन्यास के लिए मदद करते हैं।

विशेषज्ञता पर बहस लोकप्रशासन में बहुत पुरानी है। मेकियावेली ने विशेषज्ञ सलाहकारों की भूमिका और उनके काम करने के तौर-तरीकों पर विस्तार से लिखा है। मेकियावेली बताते हैं कि लोकप्रिय समर्थन बनाए रखने के लिए प्रशासकों को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि वे सही परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं, और सही परिणाम केवल तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब शासक उपलब्ध सर्वोत्तम ज्ञान पर अपनी नीतियों का निर्माण करें। हालांकि शासक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सलाहकार किसी खास सलाह में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ या लाभ नहीं ढूंढ रहे हैं। शासक को अपने प्रशासनिक अधिकारियों की चापलूसी से सचेत रहना चाहिए। इसलिए शासक को अपने सलाहकारों को सत्य वचन बोलने की शक्ति भी प्रदान करनी चाहिए। मैकियावेली यह दिखाता है कि एक शासक को विशेषज्ञ सलाहकारों पर भरोसा करना चाहिए। हालाँकि, वह यह भी स्पष्ट करता है कि दोनों के मध्य यह एक जटिल रिश्ता है। मैकियावेली के अनुसार, एक शासक जो स्वयं बुद्धिमान नहीं है, उसे अच्छी तरह से सलाह नहीं दी जा सकती है। ऐसा शासक न तो अपने सलाहकारों को समझ पाएगा और न ही उनकी सलाह की गहराई को जान पाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक शासक को विशेषज्ञ सलाहकारों की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि विशेषज्ञों का ज्ञान किसी न किसी अर्थ में शासक के ज्ञान से अधिक होगा, इसलिये शासक में कम से कम अपने विशेषज्ञों के समान बुद्धिमत्ता अवश्य होनी चाहिये।

शासक और विशेषज्ञ के इस जटिल रिश्ते का एक और पहलू भी मेकियावेली ने रेखांकित किया है। यह सही है कि शासक और विशेषज्ञ के बीच अंतर स्पष्ट प्रतीत है–शासक शक्ति रखता है और उसे लोकप्रिय समर्थन प्राप्त है, लेकिन यह सब विशेषज्ञ के पास नहीं है। लेकिन शासक की अपने सलाहकारों पर निर्भरता उसे एक अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में रख सकती है। एक विशेषज्ञ जो सलाह देना चाहता है, उस सलाह में बेहतरीन विशेषज्ञता के साथ ही शासक की श्रेष्ठता पर प्रश्न न उठाने का आश्वासन भी शामिल होना चाहिये। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मेकियावेली के इन विचारों की आज के जटिल होते लोकप्रशासन में प्रासंगिकता और बढ़ गयी है।

गणतंत्रवाद

मेकियावेली ने स्वतंत्र राज्य के गठन, सैन्य शक्ति के रखरखाव और अच्छे नेतृत्व के बारे में अपने विचार रखे हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। गणतंत्र के प्रति मेकियावोली का झुकाव स्पष्ट है। गणतंत्र लचीला होता है जिस पर विजय पाना अपेक्षाकृत कठिन होता है क्योंकि आम लोग राज्य के साथ अपने आप को भावनात्मक रूप से जोड़ लेते हैं। जब लोगों को अपने नेता चुनने और कानूनों के निर्माण को प्रभावित करने की अनुमति मिल जाती है तो नागरिक के रूप में वे अपनी एक खास पहचान बना लेते हैं। स्किनर के अनुसार रोम की सफलता का राज खोजने के लिए लिवी की जांच करते हुए मेकियावोली ने माना है कि नगर-राज्य को स्वशासित होना चाहिए और अच्छे कार्यो को आगे बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। नागरिक निकाय में सदाचार होना चाहिए, जिसे कानूनों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। संविधान को सामाजिक शक्तियों को संतुलित करना चाहिए और किसी एक नागरिक की अत्यधिक शक्ति या धन को रोकना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेकियावेली के विचारों ने आधुनिक गणतंत्रवादी

विचारों को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। मेकियावेली का प्रमुख जोर उस बात पर था जिसमें गणतंत्र अपनी अस्थिरता की समस्या का सामना करता है, जिसे पोकॉक ने 'मैकियावेलियन पल' कहा है। मैकियावेली के लेखन में इस समस्या की जांच करने के बाद, पोकॉक अपना ध्यान इंग्लैंड और फेडरलिस्ट अमेरिका में गणतंत्रवादी विचारधारा के पुनरुद्धार पर केन्द्रित करते हुए तर्क देते हैं कि अमेरिकी क्रांति को पुनर्जागरण के नागरिकतावाद के अंतिम महान कार्य के रूप में माना जा सकता है।

यहां वेब्स विंटर द्वारा मेकियावेली के हिंसा पर विचार की चर्चा करना प्रासंगिक होगा। विंटर लिखते हैं कि मेकियावेली ने अत्याचारियों द्वारा की गई अपमानजनक क्रूरता को उलटपुलट करने वाली माना है, लेकिन मूलभूत या क्रांतिकारी क्रूरता को अभिजात्य वर्ग विरोधी राजनीति के लिये उपयोग के लिये स्वीकार किया है। विंटर के अनुसार उन स्थायी संस्थानों का निर्माण जो सार्वजनिक रूप से अधिकृत हिंसा का प्रयोग कुलीन प्रयासों के विरुद्ध कर सकें, यह मेकियावोली के राजनीतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का बुनियादी घटक है।

वैसे मेकियावेली की महानता को उसके ऐतिहासिक विश्लेषणों में ढूंढना सार्थक नहीं होगा। एक इतिहासकार की हैसियत से मेकियावेली बहुत विचक्षण नहीं था। मानवीय प्रकृति पर उसके विचारों में गतिशीलता नहीं थी। मेकियावेली ने इटली की दुर्बलता के सामाजिक-आर्थिक कारणों की पड़ताल करने में ज्यादा रूचि नहीं दिखाई। पहले से स्थापित व्यावसायिक संघों के प्रतिबंधों से आर्थिक गतिशीलता में आयी कमी का उसने उल्लेख नहीं किया। मेकियावेली ने ऐतिहासिक घटनाओं को महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कृत्यों तक समेट कर रख दिया। मेकियावेली के कई राजनीतिक सूत्र विरोधाभासी हैं। उदाहरणार्थ, 'द प्रिंस' में अध्याय पांच के अन्तर्गत मेकियावेली लिखता है कि यदि शासक किसी नई इलाके पर अधिकार कर ले तो वहां आधिपत्य जमाने के लिये उसे आमूलचूल बदलाव लाने होंगे। परंतु अध्याय तीन में मेकियावेली नये कैंजाये इलाकों के बारे में सलाह देता है कि वहां के पुराने तौर-तरीकों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिये। इस विरोधाभासी सलाह का क्या अर्थ लगाया जाये? मेकियावेली के सूत्र जिन ऐतिहासिक घटनाओं के अवलोकन पर आधारित हैं, वे कई बार एक दूसरे को काटते भी हैं। खासकर उसका मध्य मार्ग का विचार जिसके अन्तर्गत संयम एवं सावधानी की सलाह दी गई है। एक साधारण सिद्धांत के रूप में मेकियावेली का सुझाव यह है कि शासक को निर्णायक कदम उठाने चाहिये क्योंकि हिचकिचाहट घातक सिद्ध होती है। परंतु उसकी कृतियों में कई जगह टालमटोल की सलाह भी की गई है।

निष्कर्ष

राजनीति में पारंपरिक रूप से 'मेकियावेलियन' होने का अर्थ है कि शक्ति और धन की खोज में सफल होने के लिए कुछ भी करने की छूट। मेकियावेली को एक राजनीतिक दानव के रूप में गलत रूप से समझा और प्रस्तुत किया गया है, जो राजनेताओं को विश्वासघाती बनने, बलप्रयोग करने की सलाह देता है। सच्चाई यह है कि मेकियावेली की यह लोकप्रिय छवि पूरी तरह से वास्तविक नहीं है। विश्व राजनीति के क्षेत्र में मेकियावेली के सुझाए गये तरीकों से अनेक राजनेता प्रेरणा प्राप्त कर चुके हैं। कई आलोचकों ने तो मेकियावेली को समकालीन अधिनायकवादियों और तानाशाहों का प्रेरणास्रोत भी कहा है। हालांकि इस मुद्दे पर बहस की एक लम्बी परम्परा है, लेकिन राजनीतिक जगत को मेकियावेली की वास्तविक देन शासकों को दिये उसके सुझावों में नहीं है, बल्कि उसके विचारों की सैद्धान्तिक गहराई में है। वह एक अत्यन्त व्यावहारिक विचारक था, और अपने उपागम की मौलिकता एवं विश्लेषणात्मक धारणाओं ने मेकियावेली को महान बनाया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जैसे अनेक लोकलुभावन नेताओं का उदय निश्चित रूप से नेतृत्व और प्रभावशीलता के कई अहम मुद्दों को ज्वलंत कर दिया है। आज के लोकलुभावन नेता आधुनिक सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर लेते हैं, जिससे राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की स्वायत्तता में बाधा और बहुसंख्यकवादी निरंकुशता के उद्भव जैसे दुष्परिणाम भी सामने आये हैं। इसलिये आज जब समूचा विश्व लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बचाये रखने का संघर्ष कर रहा है, तो सत्ता, स्वतंत्रता और राजनीतिक स्थिरता पर मेकियावेली के विचारों का स्मरण होना स्वाभाविक है। मेकियावेली राज्य द्वारा अपरिहार्य हिंसा का समर्थक नहीं है क्योंकि इससे शासक को अपनी प्रजा का समर्थन खोना पड़ेगा। आज मेकियावेली के राजनीतिक विचारों को कुशासन और अनुदारवादी शासकों के खिलाफ चेतावनी के रूप में पढ़ा जा सकता है। अतं में यही कहा जा सकता है कि मेकियावेलियन उपाय और मानक आज भी प्रासंगिक हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. द ग्रेजिया, सेबेस्ट्रियन, *मेकियावेली इन हैल*, विंटेज पब्लिकेशन, न्यूयॉर्क, 1994

2. विवांति, कोराडो, *निकोलो मेकियावेली: एन इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी*, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन न्यूजर्सी, 2013
3. बेलियोटी, रेमंड एंजेलो, *निकोलो मेकियावेली: द लाफिंग लॉयन एंड द स्टिंग फॉक्स*, रोमैन एंड लिटिन फील्ड, टोरेन्टो, 2009
4. सेसा, मार्को, *मेकियावेली ऑन इंटरनेशनल रिलेशन्स*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 2014
5. स्ट्रॉस, लियो और जोसेफ क्रॉपसे, *हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल फिलॉसफी*, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, शिकागो, तीसरा संस्करण, 1987
6. हेसर, बीट्राइस, *थॉट्स ऑन वॉर एंड सोसायटी मैकियावेली टू क्लॉजविट्ज*, प्रेजर प्रेस, कोलोराडो, 2010
7. बॉयल, मार्जोरी ओ'रोरके, 'मैकियावेली एंड द पॉलिटिक्स ऑफ ग्रेस', *एमएलएन*, अंक 114, जनवरी 2014
8. ब्लैक, रॉबर्ट, *मेकियावेली*, रूटलेज प्रेस, लंदन, 2013
9. बैनर, ऐरिका, *मेकियावेलीज प्रिंस*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 2013
10. स्किनर, क्विंटिन, *मेकियावेली: ए वैरी शॉर्ट* इंट्रोडक्शन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 2001
11. पोकोक, जे.जी.ए. *द मेकियावेलियन मोमेंट: फ्लोरेंटाइन पॉलिटिकल थॉट एंड द एटलांटिक रिपब्लिकन ट्रेडिशन*, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिसंटन न्यूजर्सी, 2003
12. विंटर, वेब्य, *मेकियावेली एंड द ऑर्डर्स ऑफ वायलेंस*, कैम्ब्रिज यूनिवसिर्टी प्रेस, कैम्ब्रिज, 2018
13. मैन्सफील्ड, ग्रेजिया हार्वे, *मेकियावेलीज न्यू मोड्स एंड ऑडर्स*, यूनिवर्सिर्टी ऑफ शिकागो, शिकागो, 2001

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 119-124

भारतीय विदेश नीति में उभरते नये आयाम

प्रियंका रानी

पी.जी.टी.(राजनीति विज्ञान)
शिक्षा विभाग, हरियाणा

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र के लेखन का उद्देश्य भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्तों की व्याख्या करते हुए 21वीं सदी में भारतीय विदेश नीति में आये नये आयामों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, हिन्द महासागर में बढ़ती चीन एवं अमेरिका की सामरिक गतिविधियां, भारत को रणनीतिक रूप से घेरने की चीन की कोशिश एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था (नई विश्व व्यवस्था) में आये बदलावों के परिणामस्वरूप भारतीय विदेश नीति को मिल रही चुनौतियों का अध्ययन इस शोध पत्र के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। विशेषकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सत्ता सम्भालने के पश्चात भारतीय विदेश नीति में आये बदलावों का अध्ययन इस शोध पत्र में किया गया है।

संकेताक्षर : *गुटनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद, नि:शस्त्रीकरण, सर्जिकल स्ट्राइक, शक्ति-सन्तुलन, जीरो टोलरेंस*

प्रस्तावना

''विदेश नीति कुछ स्वीकृत सिद्धान्तों का समूह होती है, एक कार्य योजना होती है तथा दूसरे देशों के साथ सम्बन्धों को स्थापित करने तथा चलाने की एक सोची-समझी योजना होती है जिनके आधार पर राष्ट्रीय हितों को परिभाषित एवं मान्यता प्राप्त उद्देश्यों एवं परिणामों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है।''[1] विदेश नीति की यह परिभाषा भारतीय विदेश नीति पर भी लागू होती है। ''भारतीय विदेश नीति का विकास हुआ है न कि निर्माण। इसके विकास में एक लम्बी प्रक्रिया रही है। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य, सिद्धान्त स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान ही विकसित कर लिये थे।''[2] भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्राचीन भारतीय परम्पराओं और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ''स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करने के बाद देश की विदेश नीति के उन मुख्य सिद्धान्तों के आधार पर नींव रखने का प्रयास किया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी एवं राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति मिल सके।''[3] पामर एवं पर्किंस के अनुसार ''भारत की विदेश नीति की जड़ें विगत कई शताब्दियों में विकसित समस्याओं के मूल में छिपी है और इसमें चिन्तन शैलियों, ब्रिटिश नीतियों की विरासत, स्वाधीनता आन्दोलन तथा वैदेशिक मामलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहुंच, गांधीवादी दर्शन के प्रभाव, अहिंसा तथा साध्य और साधनों के महत्व के गांधीवादी सिद्धान्तों आदि का प्रभावशाली योग रहा है।''[4] गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान, जातीय भेदभाव एवं साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध, नि:शस्त्रीकरण एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आधारभूत सिद्धान्त रहे हैं। भारत ने अपनी विदेश नीति के मूल भावों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में भी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का प्रयास करेगा, राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को पंच फैसलों द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। इतिहास साक्षी है कि भारत लंबे समय से निरस्त्रीकरण और शांति का झंडाबरदार रहा है। ''1940 में जवाहर लाल नेहरू ने कहा था-''अहिंसा के सिद्धान्त से हमारे लगाव और विश्व घटनाओं की हमारी समझ से निकले व्यावहारिक निष्कर्ष, इन दोनों वजहों से हमारा मानना है कि अगर दुनिया को बर्बरता में नहीं झोंक देना है तो सभी

राष्ट्र राज्यों के पूर्ण निरस्त्रीकरण का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।''[5] इसलिए भारत ने 1963 में पहल करते हुए आंशिक प्रतिबन्ध सन्धि का समर्थन किया। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध का अन्त हुआ और इससे सैनिक गुटों का भी अन्त हुआ एवं अब राजनीतिक मुद्दों की बजाय आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गये हैं। नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन के उदय ने वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया, परिणामस्वरूप भारत ने भी देश में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को शुरू करते हुए 1991 में उदारवाद को अपनाया। इसी दौरान परमाणु अप्रसार कार्यक्रम की भेदभावपूर्ण नीति भी जारी रही। विकसित देशों ने CTBT अर्थात व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (1993) लागू करके गैर-परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों के सुरक्षा विकल्पों को ही सीमित कर दिया। ''भारत ने इस संधि पर सिद्धान्तों तथा तर्क के आधार पर आपत्ति की थी। इस सी.टी.बी.टी. में पक्षपातपूर्ण प्रावधान यह था कि इस संधि के तहत विद्यमान परमाणु अस्त्र संपन्न देशों को वैध करार दिया गया था।''[6] अत: भारत ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए। सोवियत संघ के पतन के पश्चात भारत का हर मामले में साथ देने वाला एक शक्तिशाली मित्र नहीं रहने से भारत के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों को मधुर बनाये, साथ ही बदलते परिवेश में भारत ने अपनी आर्थिक नीति एवं सुरक्षा नीति को मजबूत बनाने के प्रयास भी शुरू किए। अपनी आर्थिक नीति को मजबूत बनाने के लिए भारत ने ''पूर्व की और देखो'' (Look east policy) की नीति का अनुसरण करते हुए पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ अपने आर्थिक सम्बन्धों को मजबूत बनाने पर बल देना शुरू किया, साथ ही सामरिक हितों की रक्षा के लिए भारत ने अमेरिका के साथ सैन्य सम्बन्ध भी जोड़े। वर्ष 1996 में देश के विदेशमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने छोटे पड़ोसी राष्ट्रों को एक तरफा छूट देने का प्रावधान किया, जिसे गुजराल सिद्धान्त कहा जाता है। यह सिद्धान्त भारत को पड़ोसी देशों के साथ बिग ब्रदर की भांति व्यवहार करने के सिद्धान्त पर बल देता है।

भारत की विदेश नीति के सम्मुख चुनौतियां

हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वाभाविक रूप से हमारा पड़ोस है, क्योंकि जब तक हमारा पड़ोस समृद्ध एवं शांतिपूर्ण नहीं होगा, हम सामाजिक-आर्थिक विकास के अपने प्राथमिक कार्य पर ध्यान नहीं दे पायेंगें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ''इंडिया फर्स्ट'' को सारगर्भित तरीके से विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य बना दिया और अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस राष्ट्रों को न्योता देकर पड़ोस को प्राथमिकता दी, जिसे कई पर्यवेक्षकों ने उत्कृष्ट और असाधारण लेकिन आवश्यक शुरूआत का नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सद्भावना भरी कूटनीति दिखाए जाने अथवा बहुचर्चित 'सर्जिकल स्ट्राइक' या आतंकवाद पर नोटबंदी का कथित असर होने के बावजूद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी समूहों की ओर से आतंकवाद दशकों से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है। चीन जैसे राष्ट्र स्वयं आतंकवाद की समस्या से पीड़ित होने के बावजूद मसूद अजहर जैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने का प्रयास करते हैं। रूस जैसे राष्ट्र भी अपनी राष्ट्रीय हितों के निहितार्थ पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने का इरादा नहीं रखते हैं। इससे भारत विरोधी आतंकी हरकतों को जारी रखने के पाकिस्तानी इरादे और भी मजबूत होते हैं। अभी हाल ही में 5 अगस्त 2019 को भारत ने अपने राज्य जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किया था जिस पर पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में ही कश्मीर की समस्या पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की थी। ''चीन के समर्थन से दिनांक 16 अगस्त 2019 को सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक क्लोज डोर बैठक बुलाकर इस प्रश्न पर चर्चा हुई। इसमें चीन के अलावा किसी अन्य देश ने पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन नहीं किया। सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्यों का मत था कि कश्मीर का मामला भारत व पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है।''[7] पाकिस्तान का नाभिकीय कार्यक्रम भी भारत के लिए गंभीर चुनौती है क्योंकि जहां भारत का नाभिकीय सिद्धान्त स्पष्ट और शान्तिपूर्ण है वहीं पाकिस्तान का नाभिकीय सिद्धान्त अस्पष्ट है और भारत को केन्द्र में रखकर विकसित किया गया है।

दूसरी तरफ नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की चाइना फर्स्ट और प्रो-इण्डिया नीति एवं नेपाल द्वारा चीन की बेल्ट एण्ड रोड इनीशिएटिव परियोजना का हिस्सा बनना भी भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हालांकि ''भारतीय प्रधानमंत्री की जनकपुर यात्रा (वर्ष 2018) में उन्होंने कहा कि ''नेपाल के बिना भारत के धाम व आस्था अधूरे हैं''[8] बांग्लादेश से आने वाली अवैध घुसपैठ रोहिंग्या समुदाय के लोगों के कारण और अधिक विकट बनी हुई है जिससे भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध जटिल हुए है। श्रीलंका अपनी सामरिक स्थिति के कारण भारतीय सुरक्षा के लिए अत्यन्त संवेदनशील है। श्रीलंका में चीन का बढ़ता हुआ सामरिक प्रभाव भारत की सुरक्षा एवं व्यापार दोनों के लिए चिन्ता का विषय है, साथ ही श्रीलंका में चीन की उपस्थिति भारत के सामरिक प्रभाव के लिए भी घातक है, क्योंकि भारत सदैव हिन्द महासागर को अपने स्वाभाविक प्रभाव का क्षेत्र मानता रहा है। जहां तक भारत-चीन सम्बन्धों की बात करे तो चीन अपनी वित्तीय एवं

सैन्य ताकत के जरिये तथा दरियादिली से खैरात बांटकर भारत के पड़ोस में अपना प्रभाव मजबूत कर लिया है, जो हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों की राह में बाधा बन सकता है। चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' रणनीति, उसकी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना एवं बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए सटीक बैठती हैं तो यह भारत के लिए चिन्ता का विषय हो सकता हैं। चीन 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' रणनीति के तहत हिन्द महासागर में नौसैनिक अड्डों की स्थापना कर रहा है जिनमें ग्वादर (पाकिस्तान), हैनान द्वीप (दक्षिण चीन सागर), हागंई, कोको (म्यांमार), मराओ (मालद्वीप), हबंनटोटा (श्रीलंका), चटगांव (बांग्लादेश) मुख्य रूप से है। चीन का असली इरादा हिन्द महासागर और प्रशान्त महासागर के बीच संचार व्यवस्था को नियंत्रित करना है। ''दूसरी और बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर और अरब सागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व के कारण सुरक्षा की दृष्टि से भारत स्वयं को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। भविष्य में भारत को चीनी नौसेना से कड़ी चुनौती मिलेगी और भारत को इससे निपटने के लिए अभी से प्रयास आरम्भ करने होंगे।''[9] वैश्विक मंच पर जगह पाने के भारत के दावे का चीन द्वारा निरन्तर किया जा रहा विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने एवं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के हमारे प्रयत्नों को विफल करता रहेगा।

भारतीय विदेश नीति के सम्मुख दूसरी चुनौती है कि विश्व की महाशक्तियों के साथ अपने सम्बन्धों को कैसे कायम रखा जाये। पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में काफी घनिष्ठता आई है जिसके फलस्वरूप रक्षा और सुरक्षा मसलों, आतंकवाद का विरोध, अंतरिक्ष, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में व्यापक संबंध स्थापित हुए हैं। असैन्य परमाणु ऊर्जा में सहयोग का 18 जुलाई 2005 का निर्णय इस बदलते सम्बन्ध का प्रतीक है। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में भारत को सदस्यता दिलाने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। आतंकवाद के खात्मे के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं है, जैसे ''सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान करने के प्रश्न पर अमेरिका अब भी चुप है। विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत और अमेरिका के हित मेल नहीं खाते एवं एनटीपी और सीटीबीटी पर भारत ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किये है जिसकी अपेक्षा अमेरिका को है।''[10] फिर भी भारत को अमेरिका की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का बारीकी से विश्लेषण करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में भारत जब कभी भी अपने राष्ट्रीय हितों के दृष्टिगत कोई ठोस निर्णय लेता है, तो अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करने लगता है। ''अक्टूबर 2018 में भारत ने अपने रक्षा जरूरतों को देखते हुए रूस के साथ पांच अरब डॉलर के एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद किए जाने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए तो अमेरिका भारत पर आग बबूला हो उठा और उसने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी।''[11]

रूस के साथ भारत के रिश्ते बहुत पुराने है और रूस ने भारत के साथ अपनी मित्रता को समय आने पर साबित भी किया है, लेकिन कुछ समय से अमेरिका के साथ हमारी बढ़ती नजदीकियों के कारण रूस हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। यह भारत के लिए एक चुनौती तो है ही, साथ ही चिंता का विषय भी है फिर भी खनिजों एवं हीरों के अलावा सैन्य उपकरणों तथा असैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए भारत आज भी रूस के लिए बड़े बाजारों में शामिल है इस वजह से भारत रूस संबंध संतुलित है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता एवं नाभिकीय आपूर्ति समूह (एनएसजी) की सदस्यता प्राप्त करना भी भारतीय विदेश नीति के लिए बड़ी चुनौती है।

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद दशकों से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर समग्र संधि (सीसीआईटी) कराने के भारत के प्रयास प्रमुख देशों की प्रतिबद्धता कम होने के कारण विफल रहे हैं।

भारतीय विदेश नीति को घरेलू मोर्चे पर भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकता संशोधन कानून (10 जनवरी 2020 से देश में लागू) एवं जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जैसे भारत के आन्तरिक एवं घरेलू मामलों को पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विवादास्पद मुद्दों के रूप में प्रचारित करने का प्रयास कर रहा है एवं इन्हें भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के रूप में प्रचारित कर रहा है। ''नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ यूरोपीय संघ की संसद में भी छह राजनीतिक दलों जिनमें यूरोपियन यूनाइटेड लेफ्ट/नॉर्डिक ग्रीन लेफ्ट मुख्य है, द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा है कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया 'नागरिकता संशोधन कानून' अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। ऐसा करना मानवाधिकार और राजनीतिक संधियों की भी अवमानना है।''[12] इस प्रस्ताव पर यूरोपिय संघ की संसद में मार्च 2020 में मतदान होगा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर भी मलेशिया एवं तुर्की जैसे राष्ट्र पाकिस्तान के

समर्थन में खड़े है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसप तैयप एर्दोगान ने फरवरी 2020 में अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ''कश्मीर जितना पाकिस्तान के लिए अहमियत रखता है। उतना ही तुर्की के लिए भी।''[13] इसी प्रकार मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने भी 'नागरिकता संशोधन कानून' एवं जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाये जाने का विरोध किया था। भारत ने मलेशिया सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए इसे भारत के आन्तरिक मामलों में दखल बताया एवं विरोध स्वरूप भारत ने मलेशिया से पॉम ऑयल के आयात पर रोक लगा दी।

उपरोक्त चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की विदेश नीति को नये परिणामों, विकल्पों एवं अभिमुखन प्रक्रिया से गुजरना होगा साथ ही ''विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारतीय राजनय को नये मापदण्डों के साथ कार्य करना होगा। इसके अन्तर्गत विदेश नीति को लचीला होने के साथ अत्यधिक कल्पनाशील होना पड़ेगा ताकि विश्व राजनीति में आये परिवर्तनों के अनुरूप अपने को ढाल सके।''[14] साथ ही नई पहल के साथ राष्ट्रीय हितों के सन्दर्भ में विदेश नीति में मूलभूत परिवर्तन करके इसे तर्कसंगत एवं सार्थक बनाना होगा।

भारतीय विदेश नीति में उभरते नये आयाम

विदेश नीति के बारे में प्राय: माना जाता है कि यह लगभग स्थायी होती है क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। यह भी माना जाता है कि सरकारें बदलने के साथ विदेश नीति प्राय: नहीं बदलती, परन्तु वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों एवं घरेलू राजनीति में परिवर्तन होने के कारण विदेश नीतियों में भी आंशिक बदलाव देखने को अवश्य मिलता है। यही बात भारतीय विदेश नीति में भी देखने को मिलती है। भारतीय विदेश नीति में 21 वीं शताब्दी में जो नये आयाम उभरकर सामने आ रहे हैं, उन्हें निम्न बिन्दुओं में समझ सकते है-

भारत की विदेश नीति का झुकाव हाल ही के वर्षों में अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। ''सोवियत संघ के पतन के पश्चात भारत के लिए सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिकी नीतियों का समर्थन करना आवश्यक भी हो गया है। डॉ. मनमोहन सिंह की जुलाई 2005 में अमेरिकी यात्रा के दौरान किया गया परमाणु समझौता इसी तथ्य को स्पष्ट करता है। दूसरी तरफ दक्षिण एशिया एवं हिन्द महासागर में शक्ति-संतुलन एवं चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए अमेरिका को भी भारत के सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही अमेरिका का भी मानना है कि भारत अब बदल रहा है और कई मंचों पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसलिए भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी प्रशासन ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में भारत को वैश्विक शक्ति का दर्जा दिया है, जिसका प्रमाण सितम्बर 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान ह्यूस्टन में भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम 'हाउडी मोदी' है। 24-25 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत यात्रा के दौरान भारत के विश्व में बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करते हुए भारत को अमेरिका के 'स्वाभाविक मित्र' की संज्ञा दी है।

भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर है इसी के मद्देनजर भारत ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया है। ''पाकिस्तान की परमाणु धमकी के विरोध में भारत के गृहमंत्री ने सितम्बर 2019 में कहा था कि भारत की 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी' अन्तिम नहीं है तथा उसमें पुनर्विचार किया जा सकता है। इसका निहितार्थ यह है कि भारत आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकतानुसार पहले भी परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है।''[16]

वर्तमान में भारत सरकार पड़ोसी राष्ट्रों से सम्बन्ध घनिष्ठ करने के लिए 'पड़ोसी प्रथम' की नीति का अनुसरण कर रही है।

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतान्त्रीकरण पर बल देते हुए सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है।

भारत दक्षिण एवं पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ नये सम्बन्ध कायम कर रहा है।

भारत इजराइल के साथ नये रणनीतिक एवं सैन्य सम्बन्ध विकसित कर रहा है।

'पूर्व की ओर देखो' की नीति को आगे बढ़ाते हुए भारत आसियान राष्ट्रों के साथ आर्थिक सम्बन्धों की सुदृढ़ता पर बल दे रहा है।

आतंकवाद पर भारत की नीति अब जीरो टोलरेंस (Zero tolerance) की है जिसका उदाहरण ''सितम्बर 2016 में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हमले के विरोध में भारतीय सेना द्वारा 29 सितम्बर 2016 को पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना है।''[17]

भारत पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को भारतीय क्षेत्र में शामिल करने के लिए कृतसंकल्प है।

आज 'डोकलाम विवाद' पर भारत का कड़ा रूख भी भारत की नई विदेश नीति को दर्शाता है कि अब भारत कमजोर राष्ट्र नहीं है।

डोकलाम क्षेत्र में त्रिपक्षीय सीमा विवाद में ज्यादातर देश भारत के पक्ष में खड़े नजर आये थे।

लम्बे समय पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2015 में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा एवं फरवरी 2018 में पहली बार फिलीस्तीन की आधिकारिक यात्रा हमारी बदलती विदेश नीति की कुशलता को दर्शाता है।

भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के प्रति 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में बदल दिया है। 2018 के गणतंत्र दिवस परेड व समारोह के लिए पहली बार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के 10 देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिगांपुर, थाईलैण्ड और वियतनाम) के प्रमुखों को भारत आमंत्रित किया जाना एक मास्टरस्ट्रोक कहा जा सकता है।

अपनी एक पुरानी नीति से हटते हुए ''भारत ने सयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक सामाजिक परिषद (Ecosoc) में जून 2019 में फिलीस्तीन व इजराइल के बीच के एक मामले में इजराइल के पक्ष में मतदान किया। यह मतदान फिलीस्तीन के मानवाधिकार संगठन शहीद को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान करने के मामले में कराया था।''[18] विगत दो दशकों में सम्भवत पहली बार ऐसा हुआ है कि फिलीस्तीन या उसकी किसी संस्था के विरूद्ध जाते हुए भारत ने इजराइल के पक्ष में मतदान किया है।

वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति का मुख्य बल आर्थिक राजनय पर रहा है। साथ ही भारत क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है।

2019 में दिल्ली में हुए रायसीना डायलॉग में विदेश सचिव विजय गोखले का यह कथन कि ''भारत गुटनिरपेक्षता के अतीत से बाहर निकल चुका है। भारत आज अपने हितों को देखते हुए दुनिया के दूसरे देशों के साथ रिश्ते बना रहा है।'' समकालीन भारतीय विदेश नीति के बदलते आयामों का सटीक विश्लेषण करता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार आज भारत अपनी विदेश नीति को इतना मजबूत बना चुका है कि उसकी विदेश नीति किसी भी राष्ट्र के साथ सुदृढ़ एवं लाभप्रद सम्बन्ध कायम करने में सक्षम है साथ ही अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाने में भी पूरी तरह सक्षम है एवं अपने समक्ष प्रस्तुत हर चुनौती का मुकाबला करने में समर्थ है। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्वीकृति लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के अलावा कई अन्य राष्ट्र भी भारत को आज एक उभरती हुई ताकत के रूप में देखने लगे है और भारत की नीतियों एवं रणनीतियों पर उनकी निगाहें लगी रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन ने अपनी सैन्य एवं वित्तीय ताकत के जरिए तथा भारत के पड़ोस में भारी मात्रा में आर्थिक निवेश कर अपने प्रभाव को मजबूत किया है जो हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों एवं महाशक्ति बनने की राह में बाधक बन सकता है, लेकिन विशाल भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, आर्थिक एवं सैन्य शक्ति तथा रणनीतिक लाभ के चलते अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर चीन के विरोध के बावजूद भारत ऐसी स्थिति में है जहां उसे वैश्विक महाशक्ति स्वीकार करने की औपचारिकता ही शेष रह गई है। मोदी सरकार ने पिछले छः सालों में वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को बदलने की कोशिश की है, उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राथमिकताओं को परिभाषित करने की इच्छा और योग्यता रखता है। भारत दुनिया में अपने लिए जो भूमिका चाहता है उसे लेकर नरेन्द्र मोदी सरकार ने हिचक खत्म कर दी है। संक्षिप्त में आज भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य 2015 में तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशंकर के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटिजिक स्टडीज में भारत अमेरिका और चीन पर फुल टर्न लेक्चर को इंगित करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि ''आज का भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनना चाहता है, न कि बैलेसिंग पावर।''

सन्दर्भ सूची

1. घई, यू.आर., अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति : सिद्धान्त तथा व्यवहार, न्यू एकेडेमिक पब्लिशिंग कम्पनी, जालन्धर, 2016, पृ.सं. 228
2. कोली, सी.एम., प्रमुख देशों की विदेश नीतियां, साहित्यागार, जयपुर, 2001, पृ.सं. 13
3. जैन, बी.एम., प्रमुख देशों की विदेश नीतियां, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000, पृ.सं. 273
4. शर्मा, मथुरालाल एवं नाटाणी, प्रकाश नारायण, विदेश नीतियां, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2005, पृ.सं. 157
5. सिंह, जसजीत (संपादक), भारतीय परमाणु शस्त्र, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 1999, पृ.सं. 86-87
6. दीक्षित, जे.एन., भारतीय विदेश नीति, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 1999, पृ.सं. 394
7. प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर, 2019, पृ.सं. 67
8. प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त, 2019, पृ.सं. 112
9. कुमार, सतीश एवं कुमार, बजरंग, 21वीं सदी में भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ, मोहित पब्लिकेशन्स, नई दिल्लीं 2015, पृ.सं. 40

10. फड़िया, बी.एल. एवं फड़िया, कुलदीप, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन, आगरा, 2016, पृ.सं. 379
11. राजस्थान पत्रिका, सम्पादकीय पृष्ठ, फरवरी 22, 2020
12. राजस्थान पत्रिका, जनवरी 28, 2020, पृ.सं. 15
13. राजस्थान पत्रिका, फरवरी 15, 2020, पृ.सं. 01
14. यादव, आर.एस., भारत की विदेश नीति एक विश्लेषण, किताब महल, इलाहाबाद, 2005, पृ.सं. 803
15. पंत, पुष्पेश, जैन, श्रीपाल एवं पंचौला, राखी, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध-सिद्धान्त और व्यवहार, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 2016-17, पृ.सं. 389
16. प्रतियोगिता दर्पण, दिसम्बर 2019, पृ.सं. 72
17. प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त 2019, पृ.सं. 91
18. प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 2019, पृ.सं. 44

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 125-129

ब्रह्म जिनदास कृत 'रामरास' का दर्शन पक्ष

डॉ. सारिका

व्याख्याता, हिन्दी, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होते है। दर्शन के धरातल पर भी हमें प्रत्येक प्राणी की समता का उद्घोष करना होगा। प्रजातंत्रात्मक जीवन पद्धति के स्वतंत्रता एवं समानता दो बहुत बडे मूल्य हैं। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था एवं प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में मूलभूत अन्तर है। जाँति-पाँति, ऊँच-नीच की भेदभावना एवं आर्थिक विषमता में मध्ययुगीन राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का भी योगदान रहा है। उस युग में किसी देश की राजधानी में सबसे अधिक वैभवपूर्ण भवन या तो राजा का महल होता था या देवता का मंदिर। राजागण अपने को भगवान जैसे समझते थे। मध्य युग में धर्म के क्षेत्र में भक्ति का विकास हुआ। भक्ति का मूल है–आराध्य की सेवा, शरणागति एवं आराधना। भक्ति में साधक अपनी साधना के बल पर मुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता, उसके लिए भगवत कृपा होना जरूरी है। जैन-दर्शन समाज के प्रत्येक मानव के लिए समान अधिकार जुटाता है। भगवान महावीर ने घोषणा की कि प्रत्येक प्राणी में आत्म शक्ति है। प्रत्येक प्राणी सम्यग् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यग् चारित्र के बल पर उच्चतम विकास कर सकता है। सामाजिक क्षमता एवं एकता की दृष्टि से जैन दर्शन एवं धर्म का अप्रतिय महत्व है। इस दर्शन धर्म में मानव को मानव के रूप में देखा गया है।

संकेताक्षर : *चैतन्य, कर्म, मोक्ष, माया, ज्ञान*

प्रस्तावना

ब्रह्म जिनदास विक्रम की 15वीं शताब्दी के कवि हैं। कवि ब्रह्म जिनदास का प्राकृत, संस्कृत, गुजराती, राजस्थानी और हिन्दी पर पूर्ण अधिकार था। गुजराती और राजस्थानी के प्रति इन्हें विशेष अनुराग था। ब्रह्म जिनदास की 86 रचनाएँ प्राप्त हुई जिनमें 15 संस्कृत, एक प्राकृत, 70 रचनाएँ हिन्दी में मिली हैं। 'रामरास' 1521 का यह रास ग्रंथ न केवल राजस्थानी भाषा अपितु हिन्दी भाषा के वृहत् रामकाव्यों में से है। रामरास आठवें बलभद्र 'राम' के उज्ज्वल जीवन-चरित्र को सात हजार एक सौ चालीस छंदों में अंकित किया है।[1]

दर्शन वह विज्ञान है जिसमें प्राणियों को होने वाले ज्ञान या बोध, सब तत्वों तथा पदार्थो के मूल और आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, विश्व, सृष्टि आदि से संबंध रखने वाले नियमों, सिद्धान्तों आदि का गंभीर अध्ययन निरूपण तथा विवेचन होता है। उसमें सब बातों के रहस्य, स्वरूप आदि का विचार करके तत्व, नियम आदि स्थिर किए हुए होते है। जैन दर्शन सृष्टि व्यवस्था में ईश्वर की कर्त्तव्य शक्ति का निषेध करता है। जैन दर्शन में प्रत्येक मुक्त आत्मा ही परमात्मा है।

(क) जीव

जैनदर्शन के अनुसार जीव स्वतंत्र भौतिक तत्व है। उसका प्रमुख लक्षण है - चैतन्य, जिससे वह समस्त जड़ पदार्थो से भिन्न जाना जा सकता है। वह न उत्पन्न होता है, न किसी का अंश है। वह अनादि/निधान है फिर भी वह देह-प्रमाण है। जीवों के दो भेद है - संसारी जीव अर्थात् वे जीव जो अपने कर्म संस्कारों के कारण नाना योनियों में उत्पन्न होते हुए शरीर को धारण करते हुए जन्म-मरण द्वारा संसरण करते रहे हैं, और दूसरा मुक्त अर्थात् वे जीव जो अपने कर्म-संस्कारों से मुक्त होकर शुद्ध रूप में सदा स्थित रहते है।[2]

'रामरास' के ब्रह्म जिनदास ने संसारी जीवों की स्थिति का वर्णन किया है। जिनदास लिखते है कि संसारी जीव जुए में जुते हुए तैली के बैल की तरह संसार में भटकता हुआ कभी नहीं थकता। वह संसार में आते-जाते, मरते हुए सबको रूलाता है। वह नट की तरह सैकड़ों रूप ग्रहण कर जन्म, ज़रा और मरण की परम्परा में भटकता रहता है। संसारी जीव चाहे किसी भी कुल अर्थात् क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र का हो अन्ततः फल एक ही समान मिलता है। यहाँ जीव तत्व की दृष्टि से सभी में समानता है, जो कर्म फल सीता, लक्ष्मण, रावण को मिलता है वही फल ब्राह्मण पुत्र प्रभाव कुमार को राजा सुमित की पत्नी चुराने पर मिलता है। तथा वहीं फल रावण को सीता अपहरण से मिलता है। इंसान जैसा कर्म करेगा उसे क्रमशः-क्रमशः कौआ, भैंसा, सुअर, फिर सात बार भैंसा, सात बार नौकरानी, फिर ब्राह्मण के गर्भ से जन्म लेकर ही मोक्ष की प्राप्ति होती थी। यहाँ कर्म को हेय माना तथा वर्ण को उच्च माना गया है। (81वीं कथा, पृष्ठ सं. 721)[3]

जीव सम्बन्धी अधिक जानकारी ब्रह्म जिनदास ने हनुमान के शब्दों में दी है। धर्मपाल वासुदेव को हनुमान जी कथा सुनाते हुए कहते है, इस अनित्य संसार में सांसारिक व्यक्ति अशरण होता है। वह असहाय है। जीव अपने पाप-कर्मो से आच्छन्न होकर अकेला ही उनके फलों को भोगता रहता है। कहा जा सकता है कि जीव के विशिष्ट जन्म के सन्दर्भ में पूर्वजन्म होते हैं, परवर्ती जन्म भी होते है। 'रामरास' में भी राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, जटायु आदि के पूर्वभवों का वर्णन किया है। उन्होंने भामण्डल, लक्ष्मण, रावण आदि के परवर्ती भवों का भी चित्रण किया है। जन्म और मृत्यु के सन्दर्भ में कहना होगा कि जीव के जीवत्व रूप भाव का नाश कभी भी नहीं होता। मृत्यु शरीर की होती है न कि जीव की।

(ख) परमात्मा

जैनदर्शन के अनुसार आत्मा के तीन भेद है - बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। कर्म फलस्वरूप अज्ञान से शरीरादि बाह्य पदाथो। में आसक्त तथा इन्द्रियों के विषयों में निमग्न जीव बहिरात्मा कहा जाता है। इस दृष्टि से चन्द्रनखा द्ववारा राम-लक्ष्मण को मोहित करने का प्रयास (कथा 56, पृष्ठ सं. 204)[4], रावण द्वारा सीता अपहरण (कथा 58, पृष्ठ सं. 210)[5], श्रीकंव द्वारा पद्मा का अपहरण (कथा सं. 4, पृष्ठ सं. 10)[6] आदि बहिरात्माएं हैं जिनकी दृष्टि बाह्य पदार्थो से हटकर अपनी आत्मा की ओर उन्मुख होती है। वस्तुतः सभी को अपने कर्म के अनुसार फल भी मिलता है। राजा दशरथ द्वारा रानी कैकेयी को भरत के लिए राज्य देना तथा राम को वनवास भेजना। राम की बारह वर्ष के लिए वन गमन करते हुए अपने धर्म का पालन करते हैं। राम का वन गमन एक उनके जीवनकाल का महत्वपूर्ण पक्ष है। राम एक नगर से दूसरे नगर गमन करते हुए आम जनता, राजा, महाराजाओं की मदद करते हुए आगे बढ़ते जाते है तथा वनवास के समय अनेक जैन मंदिरों का भी निर्माण करते है। लक्ष्मण वनवास के समय अनेक राजकुमारियों से विवाह करते हैं। हनुमान द्वारा सीता की खोज के लिए लंका जाना, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर विशल्या को लेने अयोध्या जाना आदि अपने जीवन काल में एक दूसरे की सहायता कर अपने कर्त्तव्य का वहन करते हैं। जिनके कर्म एक दूसरे से बंधे हुए प्रतित होते हैं।

घरबार आदि का परित्याग करके साधु-जीवन को अंगीकार करते हुए जो आत्मस्वरूप की साधना में तत्पर हो जाते है, वे उत्तम अन्तरात्मा है। इस दृष्टि से दशरथ, राम, सीता, भरत, हनुमान, लक्ष्मण, बाली आदि अपने पूर्वभव की कथा सुनकर उत्तम अन्तरात्मा हो जाते हैं। दशरथ, सीता, लक्ष्मण, रावण, तथा भरत अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मफलों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करते है।

जो उत्तम अन्तरात्मा की सर्वोच्च दशा में पहुँच कर अपने आन्तरिक विकारों का अभाव कर परम कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, उसे परमात्मा कहते हैं। इस दृष्टि से मुनि, कुल-भूषण, जमनादास, अप्रमेयबल परमात्मा है; राम भी अन्तिम समय में मुनिधर्म को स्वीकार करके कैवल्यज्ञान का उपर्जान करने में समर्थ हो जाते हैं।

(ग) मोक्ष

जैनदर्शन के अनुसार जीव के सम्पूर्ण कर्मो के क्षय हो जाने को 'मोक्ष' कहते हैं। जिस मार्ग से कर्म का आस्रव है, उसका 'संवर' या निरोध करते हुए कर्मो की 'निर्जरा' (विनाश) करने से जीव को मोक्ष लाभ हो जाता है। इस स्थिति में आत्मा का विनाश या किसी अन्य परमात्मा में विलीन होना अपेक्षित नहीं है। मोक्ष को प्राप्त हुआ जीव निर्मल, निश्चय और अनन्त चैतन्यमय हो जाता है।[7] राम इसी प्रकार के जीव है। राम भी लक्ष्मण की मृत्यु के बाद छह माह तक लक्ष्मण को कंधों पर बैठाकर घूमते रहे। लक्ष्मण को नहलाना, खाना खिलाना, सुलाना आदि कार्य करते थे। अनेक उदाहरणों के द्वारा राम को समझाया गया कि लक्ष्मण का देहांत हो चुका है। अन्ततः राम स्वयं अंतिम क्रिया कर्म करते हैं। राम स्वयं कहते हैं कि कर्मो के नष्ट हो जाने पर जीव शरीर से विमुक्त हो जाता है और लोक के अन्त को प्राप्त करता है। 'रामरास' के अनेकानेक पात्र मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और सिद्धशिला पर निवास करने के अधिकारी हो जाते हैं।

(घ) जगत

जैनदर्शन के अनुसार जगत को अनन्त और सर्वव्यापी आकाश में स्थान प्राप्त है। इस जगत का कोई निर्माता नहीं है, इस दृष्टि से वह स्वयंसिद्ध तथा अनादि है। फिर भी प्रत्येक द्रव्य की भाँति वह परिगमन करता रहता है।[8] रामरास में भी कवि महावीर जी के मुख से भोगविलास, धन-दौलत, सांसारिक माया आदि की निस्सारता भव्य जीव को उसका परित्याग करने की प्रेरणा अनेक देशों के राजाओं जैसे - कौशल देश के अयोध्या नगर, कच्छ देश के कच्छ राजा, पोदनपुर के राजा बाहुबली, विदेह वंश के राजा हरी, हस्तिनापुर के राजा श्रीयांश उत्तर भारत के राजा सहस्त्र लोचन, दक्षिण भारत के राजा पूर्णधन आदि का उल्लेख राजा श्रेणिक के यहाँ जनसभा में करते हैं।

महावीर जी कहते है कि भोग-विलास, धन-दौलत आदि का भान होने पर दशरथ ने सर्वत्याग करके प्रव्रज्या ग्रहण की। एक तारे की गिर कर विनष्ट होने को देखकर हनुमान ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। इस निस्सार राज्य-वैभव के लिए लड़ाई-झगड़ा क्यों करे - इस विचार से बाली ने राज्य श्री सुग्रीव को सौंप प्रव्रज्या ग्रहण की। भरत ने राम को राज्य लौटा कर वही किया। कुसुमपुर के श्रेष्ठ सेठ प्रभबान ने भी अपना सब कुछ अपने सातो पुत्रों में बाँटकर दीक्षा ग्रहण कर ली। सीता के दीव परीक्षण से उसके मन में वैराग्य भाव जग गया और बारह वर्ष तक कठोर तपस्या करी।

(च) माया

जैन ग्रंथों के अनुसार माया चार कषायों में से एक है। मन, वचन और काय का प्रयोग जहाँ पर विषमरूप से किया जाए वहाँ मयाकषाय समझना चाहिए।[9] अर्थात् दूसरे को धोखा देने या ठगने के अभिप्राय से अपने मन के अभिप्राय को छिपाकर दूसरा आशय प्रकट करने वाले वचन बोलने या शरीर से वैसी कोई चेष्टा करने तथा इसी प्रकार वचन और काय में भी वैषम्य रखने को माया कहते है। रामरास में मायासुग्रीव प्रकरण में राजा सहस गति विद्याधर द्वारा तारा के रूप सौन्दर्य पर मोहित होकर सुग्रीव का रूप धारण किया। माया द्वारा उसका मायावी रूप समझ जाना। यह माया का मूर्तिमान उदाहरण है। रावण ने भी अवलोकनी विद्या की सहायता से सिंहनाद उत्पन्न करवाकर सीता की रक्षा करने वाले राम को धोखा दिया। राम के दूर चले जाने पर सीता का अपहरण किया। इस प्रकार रावण माया कषाय से लिप्त हो गया। चन्द्रनखा द्वारा राम-लक्ष्मण को धोखा देने का यत्न भी इसी श्रेणी में आता है।

(छ) कर्म

जैनदर्शन में कर्म सिद्धान्त विशिष्ट स्थान रखता है। इसे भारत के प्राय: सभी दार्शनिक सम्प्रदायों में स्वीकार किया है। जैनदर्शन में कर्म संबंधी दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। यहाँ संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि शरीर, मन और वचन की क्रिया या योग से आकर्षित पुद्गल परमाणु आत्मा में चिपकते हैं। आत्मा के सम्पर्क में आने वाले का मार्ग वर्गणा के परमाणु 'कर्म' कहलाते है। रामरास में सीता ने घर पर मुनिवर का अपमान किया तथा घर में रखी बारह तीर्थंकरों की मूर्तियों को घर से बाहर फेंक दिया। फलस्वरूप उसके आधे चेहरे पर बाल उग आये, शरीर से भयंकर दुर्गन्ध आने लगी। तब मुनिवर ने बताया कि वेदमति (सीता) को बारह वर्ष तक जंगल में रहकर कठोर तपस्या करनी पड़ेगी तभी उसका शरीर ठीक होगा। रावण हत्या के बाद लक्ष्मण तीसरे नरक में जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मणी की कोख से जनम लेकर मोक्ष को प्राप्त करते है।[10]

जैनदर्शन के अनुसार कर्म का कर्त्ता और कर्म फल का भोक्ता स्वयं जीव होता है। रामरास ने ऐसी कोई कथा नहीं मिलती जिसमें राम किसी का उद्धार करते हैं वो सिर्फ उसकी मदद करते हैं। रावण सीता का अपहरण जरूर करता है पर उसके साथ अनैतिक आचरण नहीं करता।

(ज) ज्ञान

जैनदर्शन में जीव के उपयोग लक्षण के भेदों में से बाह्य पदार्थो को अवगत करने की शक्ति का नाम ज्ञान है। साधक ने ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म से आच्छन्न रहता है। साधक विशिष्ट साधना द्वारा उस कर्म का क्षय करते हुए ज्ञान को प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक्ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान, मति, अवधि, केवल के अनेक भेद बतलाये गये है। 'रामरास' के सन्दर्भ में उनमें से कैवलज्ञान का उल्लेख मिलता है। ज्ञानावरणीय आदि चारों धातिकर्मो का नाश करने से साधक को कैवलज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब वह साधक 'कैवली' कहलाता है। राम को कैवली हो जाने का उल्लेख मिलता है। लक्ष्मण मृत्यु के बाद राम को समझाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। देवताओं द्वारा राम के ज्ञान को जाग्रत किया गया। राम दीक्षा लेकर महेन्द्रवन चले और 28 मूल गुणों से दिगम्बर की शिक्षा और तपस्या करने लगे। अन्त में माघ शुक्ला द्वादशी के दिन उन्होंने चार धातिकर्मो का नाश करके परम उज्ज्वल कैवलज्ञान प्राप्त किया तो त्रिलोक त्रिकाल उन्हें हस्तामलकवत दिखाई देने लगे। तब इन्द्रादि देवों ने वहाँ आकर उनकी वंदना की। तदनन्तर इन्द्र ने लवण आदि की स्थिति के बारे में जिज्ञासा प्रकट की तो कैवली राम ने उनके स्थित्यन्तरों का वर्णन किया।

जैन दर्शन समाज के प्रत्येक मानव के लिए समान अधिकार जुटाता है। भगवान महावीर ने घोषणा की कि प्राणी में आत्म शक्ति है। सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान एवं सम्यग् चारित्र के बल पर उच्चतम विकास कर सकता है। सामाजिक क्षमता एवं एकता की दृष्टि से जैन दर्शन एवं धर्म का अप्रतिम महत्व है। इस दर्शन धर्म में मानव को मानव के रूप में देखा गया है। वर्णो, वादों, सम्प्रदायों आदि का लेबिल चिपाकर मानव-मानव को बांटने वाले दर्शन के रूप में नहीं । मानवीय महिमा का जितना जोरदार समर्थन जैन दर्शन में हुआ है, वह अनुपम है। जैन दर्शन आत्मा की स्वतंत्रता की प्रजातंत्रात्मक उद्घोषणा करता है। अस्तित्व की दृष्टि से प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। साधना की सिद्धि परमात्मा में विलय हो जाने में नहीं, स्वयं परमात्मा हो जाने में है। जैन दर्शन में स्वरूप की दृष्टि से सभी आत्मायें समान है। व्यवहार से बन्ध और मोक्ष का हेतु अन्य जीव स्वयं बन्ध का हेतु है और यही जीव स्वयं मोक्ष का हेतु है। संसार में अनन्त प्राणी है और उनमें से प्रत्येक में जीवात्मा विद्यमान है। कर्म बंध के फलस्वरूप में जीवात्मायें जीवन की नाना दशाओं, नाना नाना प्रकार के शरीरों एवं अवस्थाओं में परिलक्षित होती है किन्तु सभी में उच्चतम विकास की समान शक्तियां निहित है। अहिंसावाद पर आधारित क्षमा, मैत्री, संयम एवं प्रत्येक प्राणी को आत्म तुल्य मानने से परस्पर सौहार्द एवं बन्धुत्व की भावना सहज रूप से उत्पन्न होती है। जो ज्ञानी आत्मा इस लोक में छोटे बडे सभी प्राणियों को आत्मतुल्य देखते हैं, षट् द्रव्यात्मक इस लोक का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं तथा अप्रमत्त भाव से संयम में रत रहते है, वे ही मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी है।

दर्शन की प्रासंगिकता एक व्यक्ति की मुक्ति में ही नहीं है। धर्म की प्रासंगिकता एवं प्रयोजनशीलता शान्ति, व्यवस्था, स्वतंत्रता, क्षमता, प्रगति एवं विकास से संबंधित समाज सापेक्ष परिस्थितियों के निर्माण में भी निहित है। धर्म का संबंध आचरण से है। धर्म आचरणमूलक है। दर्शन एवं धर्म में अन्तर है। दर्शन मार्ग दिखाता है, धर्म की प्रेरणा से हम उस मार्ग पर बढते है। हम किस प्रकार का आचरण करें - यह ज्ञान दर्शन से प्राप्त होता है। जिस समाज में दर्शन एवं धर्म में सामंजस्य रहता है, ज्ञान एवं क्रिया में अनुरूपता होती है, उस समाज में शान्ति होती है तथा सदस्यों में परस्पर मैत्री-भाव रहता है।

भारतवर्ष में दर्शन और चिन्तन के धरातत्व पर जितनी विशालता, व्यापकता एवं मानवीयता रही है, उतनी आचरण के धरातल पर नहीं रही। जब चिन्तन एवं व्यवहार में विरोध उत्पन्न हो गया तो भारतीय समाज की प्रगति एवं विकास की धारा भी अवरूद्ध हो गयी।

दर्शन के धरातल पर उपनिषद् के चिन्तकों ने प्रतिपादित किया कि यह जितना भी स्थावर जंगम संसार है, वह सब एक ही परब्रहमा के द्वारा आच्छादित है। उन्होंने संसार के सभी प्राणियों को 'आत्मवत्' मानने एवं जानने का उद्घोष किया, मगर सामाजिक धरातल पर समाज के सदस्यों को उनके गुणों का आधार पर नहीं अपितु जन्म के आधार पर जातियों, उपजातियों, वर्णो, उपवर्णो में बाँट दिया तथा इनके बीच ऊंच-नीच की दीवारें खडी कर दीं।

धर्म साधना की अपेक्षा रखता है। धर्म के साधक को राग-द्वेषरहित होना होता है। धार्मिक चित्त प्राणीमात्र की पीडा से द्रवित होता है। तुलसीदास जी ने कहा–परहित सरिस धरम नहीं भाई, परपीडा सम नहिं अधभाई। सत्य के साधक को बाहरी प्रलोभन अभिभूत करने का प्रयास करते हैं। मगर वह एकाग्रचित्त से संयम में रहता है। प्रत्येक धर्म के ऋषि, मुनि, पैगम्बर, संत, महात्मा आदि तपस्वियों ने धर्म को अपनी जिन्दगी में उतारा।

भगवान महावीर ने प्रतिपादित किया कि धर्म न कहीं गांव में होता है और न कहीं जंगल में बल्कि वह तो अन्तरात्मा में होता है। बाह्य जगत् की कल्पित शक्तियों के पूजन से नहीं अपितु अन्तरात्मा के दर्शन एवं परिष्कार से कलयाण सम्भव है। जैन दर्शन की भांति ही विश्व के सभी धर्मो में नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन है, मानव मूल्यों की स्थापना है, मानव-जाति में सदाचारण के प्रसार का प्रयास है, इन नैतिक मूल्यों, सद्गुणों एवं सदाचारों को व्यक्त करने वाली शब्दावली में भिन्नता होने के कारण बाह्य धरातल पर हमें धर्मो के साधना-पक्ष में अन्तर प्रतीत होता है, तात्विक दृष्टि से सभी धर्म मनुष्य के सद्पक्ष को उजागर करते है, सामाजिक जीवन में शान्ति, बन्धुत्व, प्रेम, अहिंसा एवं समतामूलक विकास के पक्षधर हैं।

निष्कर्ष

संक्षेप में कहा जा सकता है कि जैन रामकथा के विवेकवान पात्रों के आचार-विचार जैनदर्शन से अनुप्राणित है। जो इसका ध्यान नहीं रखते उनका अद्य: पतन हो जाता है। वस्तुत: दर्शन जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। वह अमूर्त है, जबकि साधनापक्ष व्यावहारिक होता है। जैन रामकथा के अनुसार राम जैसे आदर्श पात्र व्यवहार-पक्ष का ध्यान रखते हुए जीवन के चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाते है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. रांवका, डॉ. प्रेमचंद, पुस्तक महाकवि ब्रह्मजिनदास : व्यक्तित्व एवं कृतित्व, 1980, प्रकाशन-महावीर ग्रन्थ अकादमी, पृ.सं. 21
2. जैन, महावीर सरन, भगवान महावीर एवं जैन दर्शन, लोकभारती पेपर बैक्स, इलाहबाद, 1998, पृ.सं. 191

3. पाण्डुलिपि प्राप्ति स्थान, श्री ए. पन्नालाल दिगम्बर जैन मंदिर, ब्यावर अजमेर, रचनाकाल 1521, पत्र सं. 405, वेष्ठन सं. 66, पृ.सं. 721., कथा सं. 81
4. उपर्युक्त, कथा सं. 56
5. उपर्युक्त, कथा सं. 58
6. उपर्युक्त, पृ.सं. 10, कथा सं. 4
7. जैन, डॉ. हीरालाल, भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, 2003, पृ.सं. 240
8. उपर्युक्त, पृ.सं. 242
9. उपर्युक्त, पृ.सं. 262
10. ब्रह्म जिनदास, रामरास पाण्डुलिपि (1521), कथा सं. 77, पृ.सं. 525

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 130-134

भारत में संघवाद : केन्द्र राज्य सम्बधों में वर्तमान स्थिति

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

अवधेश कुमार जाजोरिया
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

किसी राष्ट्र में शासन शक्तियों के वितरण के आधार पर हम सरकारों के स्वरुप को दो रूप में पाते हैं। एकात्मक एवं संघात्मक स्वरुप। संघ सरकार का अभिप्राय है शासन की शक्तियों का केन्द्र व राज्य सरकारों में विभाजित होना और यह विभाजन किसी राष्ट्र के संविधान में वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखकर होता है। सघंवाद की अवधारणा का स्वयं का एक इतिहास रहा है। यूनानी नगर राज्यों से होते हुये इसे वर्तमान स्वरूप अमेरिकी सघंवाद के अन्तर्गत प्राप्त हुआ। वर्तमान में भी इससे निरन्तर सकारात्मक परिवर्तन हो रहे है। जैसा कि हमें पता है कि भारत वर्षो की ब्रिटिश गुलामी से आजाद होकर सन्-1947 को आजाद हुआ, वह भारतीय समाज की बहुलता को देखते हुये राष्ट्र के बुद्धिजीवियों ने देश के लिये सघांत्मक व्यवस्था को उचित माना था। इसी को ध्याान में रखकर संविधान में भी भाग विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय सम्बन्धों का उल्लेख किया गया।वह संविधान की सातवीं अनुसूची में संघसूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची व अवशिष्ट सूची द्वारा शासन के विषयों को केन्द्र न राज्यों में विभाजित किया गया है।जिससे केन्द्र-राज्य में समन्वय बना रहे व देश की एकता व अखण्डता को बनाये रखा जा सके। परन्तु प्राय: यह देखा जाता है कि देश में राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक वर्चस्व की प्रेरणा से सघंवाद को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जाती है। वर्तमान में जब से केन्द्र व राज्य में अलग-अलग दलों की सरकार बनने लगी है तब से केन्द्र व राज्य में खींचतान देखी जा सकती है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार व केन्द्र-सरकार के मध्य राजनीतिक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा हो या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाविवाद हो या भीमा-कोरगांव विवाद यह सभी केन्द-राज्य, राज्य-राज्य, में उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का उदाहरण है। वह इससे सघंवाद के स्वरुप को तो क्षति पहुंचती है। इसके साथ विकास कार्यो की गति में भी बाधा पहुंचती है। वह सघंवाद को क्षति पहुचाने में क्षेत्रवाद, भाषावाद, भूमिपुत्र अवधारणा का भी अहम योगदान है।

संकेताक्षर : *फेडरेशन, सहकारी सघंवाद, प्रतिस्पर्धी सघंवाद, सम-विकासवाद, विकेन्द्रकीकरण, बजटीय अभिभाषण, क्षेत्रवाद, संघीय चरित्र*

प्रस्तावना

संघवाद परिचय–एकाग्रता और शक्तियों के वितरण के आधार पर हम दो प्रकार की सरकार पाते है, सरकार का एकात्मक तथा संघात्मक स्वरूप। सरकार का संघीय स्वरूप एक आधुनिक खोज है, जो अमेरिकी सविंधान के प्रादुर्भाव से अस्तित्व में आया है। जिसका अर्थ है संधि या समझौता। संघवाद शब्द की उत्पति लैटिन भाषा के (Foedus) शब्द से हुई है। संघ दो तरह की सरकारों के मध्य सत्ता साझा करने और उनके सबंधित क्षेत्रों को नियन्त्रित करने हेतु एक समझौता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद है।

1. केन्द्रीय स्तर
2. राज्य स्तर

संघवाद का ऐतिहासिक सन्दर्भ–संघवाद की शुरूआत प्राचीन काल के यूनानी नगर राज्यों व दूसरी शताब्दी के डच महासंघ से मान सकते है। हालांकि इसका प्रबल उदाहरण 1787 ईस्वी में अमेरिकी संघवाद की स्थापना में मिलता है। 1787 ईस्वी में अमेरीका में तथा 1848 ईस्वी में स्विट्जरलैण्ड में जन भावनाओं को प्रभाव में लाने के लिए संघवाद को अस्तित्व में लाया गया। यह उल्लेखनीय है कि 1787 ईस्वी में संघीय संविधान में आने से पहले अमेरिकी उपनिवेशों ने ग्रेट ब्रिटेन से प्रतिरोध के दौरान 1777 ईस्वी में

परिसंघ के अनुच्छेदों की रूपरेखा तैयार कर ली थी। 1787 ईस्वी में वर्तमान अमेरीकी संविधान के सिद्धान्त को 1777 ईस्वी के अनुछेदों के सिद्धान्तों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न थे।

वेयर के अनुसार- वर्तमान सविंधान तथा परिसंघ के अनुच्छेदों में अन्तर इस तथ्य से स्पष्ठ है कि वर्तमान संविधान सामान्य सरकार की क्षेत्रीय सरकारों में तालमेल व अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता के सिद्धान्त को लागू करता है।

भारत में संघवाद–केन्द्र और राज्यों के बीच सबन्धों का उल्लेख संविधान के भाग XI व XII में विधायी, प्रशासनिक तथा वितीय सबन्धों के तहत् किया गया है।

- विधायी संबंध :-केन्द्र व राज्य द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहा जाता है। इसमें विषयों को 3 सूचियों केन्द्र सूची (100 विषय), राज्य सूची (61 विषय), समवर्ती सूची (52 विषय) में विभाजित किया गया है। केन्द्र सूची पर कानून केन्द्र बनाता है, राज्य सूची पर कानून राज्य बनाता है, एवं समवर्ती सूची पर कानून प्राय: राज्य व केन्द्र दोनों बना सकते है। परन्तु विवाद होने पर केन्द्र द्वारा निर्मित कानून ही वैध माना जायेगा।
- प्रशासनिक संबंध :- संविधान के अनुच्छेद 256-263 तक केन्द्र व राज्यों के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य केन्द्र व राज्यों की कार्यपालिका संबंधी तालमेल से होता है। सामान्य रूप से संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है परन्तु प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है व राष्ट्रहितों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार के प्रशासन पर संघ को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की भर्ती तो केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है परन्तु उनकी नियुक्ति राज्यों में होती है। उन पर अन्तिम नियंत्रण केन्द्र सरकार का होता है।
- वितीय संबंध :- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268-293 तक केन्द्र व राज्यों के वितीय संबंधों की व्याख्या की गई है। साथ ही संघ व राज्यों के मध्य वितीय संसाधनों का विभाजन किया गया है जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है।

परिचय

भारत में लोकतन्त्रात्मक शासन में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। देश की विभिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए संघात्मक प्रणाली को अंगीकृत किया गया है। भारत का संघात्मक शासन उस रूप में नहीं अपनाया गया है, जिस रूप में अमेरिका आदि देशों में **फेडरेशन** को शासन का आधार बनाया गया है। भारत में यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप भारत राज्यों का संघ होगा, इस प्रणाली को अपनाया गया है जैसा कि हम सभी जानते है भारत में संघवाद के **कनाडाई मॉडल** को अपनाया गया है अत: भारत में संघात्मक लक्षणों के साथ एकात्मकता के लक्षण पाये जाते है।

सहकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद

केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच सम्बन्धों के आधार पर संघवाद की अवधारणा को दो भागों में विभाजित किया गया है।

(1) सहकारी संघवाद

(2) प्रतिस्पर्धी संघवाद

सहकारी संघवाद में केन्द्र व राज्य एक दूसरे के साथ परस्पर (सम्बन्ध स्थापित करते हुये एक दूसरे के सहयोग से आपसी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते है। सहकारी संघवाद की इस अवधारणा मे यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्र व राज्य परस्पर पूरक है। सहकारी संघवाद द्वारा केन्द्र राज्य समस्याओं का परस्पर मिलकर समाधान किया जाता है।

वही प्रतिस्पर्धी संघवाद में केन्द्र-राज्य सरकारों के मध्य सम्बन्ध प्रतिस्पर्धी व राज्य-सरकारों में आपसी सम्बन्ध सहयोग पूर्ण होते है। प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा देश में 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद से प्रारम्भ हुआ।

भारतीय संघवाद की प्रमुख चुनौतियाँ

- क्षेत्रवाद को भारत में संघवाद के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों में से माना जाता है। राजनीति विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा यह माना गया है कि संघवाद व्यवस्था सबसे अधिक लोकतंत्र में ही सफल हुई है। क्योंकि यह केन्द्र व राज्यों के मध्य शक्ति विवरण को सफल बनाता है।
- भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति एक संवेदनशील मुद्दा रहा है क्योंकि यह कभी-कभी भारतीय संघ के संघीय चरित्र के लिए खतरा बन जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा इस के सवैधानिक कार्यकाल का दुरूपयोग किया जाना सदैव ही संघीय व्यवस्था को चुनौती देने के समान है।
- भारत में भाषाओं की विविधता भी कभी-कभी संविधान की संघीय भावना को ठेस पहुंचाती है। भारत में संविधान मे 22 भाषाएँ स्वीकृत है। इसके अलावा देश के कोने-कोने

मे सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। समस्या तब विकराल रूप ग्रहण कर लेती है जब एक क्षेत्र द्वारा किसी अन्य क्षेत्र पर क्षेत्र विशेष की भाषा को थोप दी जाती है। भारत में अधिकारिक भाषा के लिए अभी लडाई ज्वलंत विषय है।

- भारत विश्व का सबसे वृहद लोकतांत्रिक गणराज्य है, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति, जाति, वर्ग और समाज की आवाज सता के केन्द्र तक पहुँचे इसकी व्यवस्था की गई है लेकिन पिछले कुछ दशकों से हो रहे चुनावों के परिणामों पर गौर करे तो यह समझ आता है कि वर्तमान में क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों के लिए चुनौती बनते जा रहे है। यह भी संघीय व्यवस्था को चुनौती का कारण है।
- केन्द्र-राज्य एवं राज्यों-राज्यों के मध्य होने वाले विवादों द्वारा हम केन्द्र राज्य सम्बधों को निम्न वर्तमान घटनाओं से समझ सकते हैं।

1. पं. बंगाल व केन्द्र के मध्य विवाद
2. महाराष्ट्र व कर्नाटक में उपजे बेलगाम विवाद

भारतीय संघवाद की समस्या

वर्तमान में भारत में संघ व्यवस्था को विभिन्न राज्यों में स्थित क्षेत्रीय दलों की सरकार द्वारा चुनौती दी जा रही है जिससे केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में खटास उत्पन्न हुई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर के घर पर CBI टीम पहुँचने का विरोध करते हुये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा धरना शुरू किया गया व CBI के अधिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्म हो गया था। वह इस घटना कम को केन्द्र सरकार द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। वह आरोप लगाया की मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक शक्ति द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इन सभी घटनाओं ने राजनीति में उभर रहे केन्द्र-राज्यों के सम्बधों मे एक शर्मनाक अध्याय जोड़ दिया है।

देश की प्रमुख जाँच एजेन्सी तथा राज्य पुलिस को इस कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया, जो मुख्य रूप से भाजपा तथा तृणमूल कांग्रेस के बीच एक राजनीतिक वर्चस्व की लडाई थी। कार्यवाही का समय जो था वह एक स्पष्ट संकेत था कि इसका स्वरूप आने वाले आम चुनाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। जहाँ केन्द्र सरकार ने कार्रवाही की शुरूआत राज्य को सूचित किए बिना कोलकाता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से पूछताछ के लिए सी.बी.आई की टीम भेजकर की, वहीं इस पूरे घटनाक्रम का लाभ अपने राजनीतिक फायदे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया।

कार्यवाही की पृष्ठभूमि

- जैसा कि हम जानते है यह कार्यवाही केन्द्र सरकार द्वारा भाजपा प्रमुख अमित शाह को रैली को सम्बोधित करने तथा उतर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के हैलीकाप्टर को लैंड करने की इजाजत न देने की शीघ्र बाद की गई।
- जहां भाजपा तृणमूल कांग्रेस इस विषय का राजनीतिक लाभ उठाने में सफल रही है, इस घटनाक्रम ने केन्द्र व राज्यों के मध्य टकराव की आशंका बढा दी है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है लेकिन CBI एक केन्द्रीय जाँच ऐजेन्सी है ऐसा माना जाता है कि सी.बी.आई का इस्तेमाल केन्द्र में सतासीन सरकार द्वारा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इसका उलेख पिजरें में तोते के रूप में किया है।
- वही पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनकड़ व मुख्यंमत्री ममता बनर्जी के मध्य भी दिन-प्रतिदिन नए विवाद जन्म लेते रहते हैं। चाहे वह बजटीय अभिभाषण को लेकर हो या अन्य कारणों से। जहां तक बजटीय अभिभाषण की बात है यह सम्बधित राज्य की मन्त्रिमण्डल द्वारा ही तैयार किया जाता है जो कि सरकार की आने वाले वितीय वर्ष में कार्य योजनाओं व विगत वितवर्ष की उपलब्धियों को प्रदर्शित करती हो परन्तु राज्यपाल महोदय द्वारा अपने भाषण बदलाव व अपने सुझाओं को स्थान देने को लेकर मुख्यमंत्री व राज्यपाल के मध्य नए विवाद को जन्म दिया।
- गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आकडों के अनुसार बीते वर्षों के दौरान पं. बंगाल में हिंसा की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2017 में यह आकड़ा 509 हिंसक घटनाएं वहीं 2018 में 1035 तक जा पहुची 2019 में इसमें लगातार वृद्धि हुई है इन आँकड़ों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य मे कानून व्यवस्था व केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित योजनाओं की क्या स्थिति है।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बगाल में कई केन्द्रीय योजनाओं को लागू नहीं किया गया उदारहण के तौर पर देखे तो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धनों को दी जा रही पाँच लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाली आयुष्मान योजना वहां लागू नहीं की गई। इस योजना के तहत 60 प्रतिशत राशि केन्द्र को 40 प्रतिशत राशि राज्य को वहन करने का प्रावधान है। चूंकि स्वास्थ्य राज्यसूची का विषय है, लिहाजा इसमें राज्य सरकार की सहमति के बिना केन्द्र कुछ नहीं कर सकता है।

- इस परिप्रेक्ष्य में देखै। तो यही हाल केन्द्र द्वारा प्रायोजित किसान सम्मान निधि को लेकर भी है। इसमें सम्पूर्ण खर्च केन्द्र द्वारा वहन किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि में राज्य की भूमिका इतनी है कि इस राशि की पात्रता रखने वाले किसानों की सूची राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को उपलब्ध करवायी जानी थी लेकिन केन्द्र द्वारा बार बार यह सूची मांगे जाने पर यह सूची पं. बगाल सरकार द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है। जिस कारण योजना का लाभ पं. बंगाल राज्य के किसान नहीं ले पा रहे है।
- जैसा कि संविधान में केन्द्र राज्य सम्बधों को लेकर तमाम प्रावधान करते हुए यही अपेक्षा की गई की केन्द्र - राज्य परस्पर समन्वय व समझ के साथ राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करेंगे मगर अभी केन्द्र व पं. बगाल के सरकार के मध्य जो संबंध दृष्टि गोचर हो रहे हैं वह संवैधानिक अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। और यह वर्तमान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के भी प्रतिकूल है।
- वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा पारित नागरिक संशोधन बिल भी केन्द्र राज्य सम्बधों में टकराहट का कारण बना हुआ है। वह विरोध किये जाने जाने को केन्द्र सरकार द्वारा देशद्रोह का आरोप गढ़ा जाता है। जो कि गलत है अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय के माननीय न्यायधीश द्वारा भी कहा गया है कि असहमति या विरोध को देशद्रोह का नाम देना गलत है। और यह राजनीतिक रूप से चैतन्य जनता व लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नही है।

2. महाराष्ट्र- कर्नाटक विवाद

वर्तमान में केन्द्र -राज्य सम्बधों के साथ-साथ दो पड़ौसी राज्यों में भी आपसी क्षेत्र व सीमा को लेकर लगातार विवाद का विषय बन जाता है। इसी सन्दर्भ में दृष्टिपात करे तो वर्तमान महाराष्ट्र-कर्नाटक में जो बेलगाम को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। यह भी भारत की संघीय अवधारणा की आत्मा को कहीं-न-कहीं आघात पहुँचाती है।

मुख्य बिन्दु

- बेलगाम कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है जहां मराठी भाषी बहुसंख्यक निवास करते है।
- बेलगाम पर महाराष्ट्र अपना दावा करता है इसके पीछे उसका तर्क है कि वहां मराठी भाषी लोगों की बड़ी आबादी रहती है। लेकिन यह जिला कर्नाटक राज्य के अन्तर्गत आता है।
- हाल ही में एक कन्नड़ संगठन की और से महाराष्ट्र एकीकरण समिति पर की गई टिप्पणी के बाद बेलगाम को लेकर जारी दशकों पुराना यह विवाद आपस में गर्मा गया।
- महाराष्ट्र एकीकरण समिति कर्नाटक के मराठी भाषी आबादी वाले इलाकों को महाराष्ट्र में सम्मिलित करने के लिए संघर्ष कर रही है।
- महाराष्ट्र सरकार ने दिसम्बर 2019 की शुरूआत में कर्नाटक सरकार के साथ सीमा विवाद से सम्बधित मामलों पर बातचीत तेज करने के प्रयासों की समीक्षा के लिए दो मन्त्रियों को समन्वयक बनाया गया है।

निष्कर्ष

सारत: कहा जा सकता है कि केन्द्र व राज्यों के बीच तनाव विकास एवं जनकल्याण के मार्ग को अवरूद्ध कर रही है ऐसे में केन्द्र-राज्य सम्बधों में समन्वय आवश्यक हो जाता है। इस सन्दर्भ में कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है जो तनाव की राजनीतिक को कम करने में सहायक साबित हो सकते है।

1. भारत में संध को मजबूती प्रदान करने के लिए आर्थिक उदारीकरण के साथ-साथ राजनीतिक शक्ति व व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है।
2. राज्यपालों की नियुक्ति के मापदण्डों में परिवर्तन होने चाहिए। सहकारी आयोग द्वारा सुझाये गये बिन्दुओं को अमल में लाना चाहिए। वह राज्यपाल को चाहिए व संघ सरकार के speed braker (अवरोध) के रूप में कार्य न करके सम्बधित राज्य के प्रगति व जनकल्याण के लिए सर्वैधानिक मापदण्ड में रहकर कार्य करे।
3. पं.बंगाल के सन्दर्भ में देखा जाये तो केन्द्र को सम्बधित राज्य में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए व राज्य सरकार को भी चाहिए कि जनउपयोगी योजनाओं को जिनका लाभ वचिंत वर्गो को मिलना चाहिए उसमें अनावश्यक बाधा ना पहुचाए। वह इन जनउपयोगी योजनाओं का लाभ की राजनीति (Profit of politics) न बनने दे।
4. भारतवर्ष की संघीय व्यवस्था को हमे एक नये आयाम तक लेकर जाना है जिससे संघीय व्यवस्था की नयी कोपलों का विकास भारत की तरह से विश्व को नया उपहार हो। वह संघीय व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण भारत की तरफ से पेश हो।
5. वर्तमान में बदलते परिदृश्य से क्षेत्रवाद के स्वरूप को समझना होगा। यदि यह विकास की मांग तक है तो यह उचित है। परन्तु यह अगर क्षेत्रीय टकराव को बढावा देने

वाला है तो इसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। वर्तमान में क्षेत्रवाद संसाधनों पर अधिकार करने और विकास की लालसा के कारण अधिक पनपता दिखाई दे रहा है। इसका एक ही उपाय है कि विकास योजनाओं को सुदुर तक विस्तार हो। सम विकासवाद का सही उतर हो सकता है।

6. 2014 में सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक नई अवधारणा को जन्म दिया जिसे को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म (सहकारी संघवाद) कहा गया। इससे ऐसा लगा की वोट के लिए संघर्ष करती राजनीतिक पार्टिया जनहित के विषयों को सर्वोपरि रखेगी। परन्तु एक अन्य घटना 2018 में भीमा-कोरेगाँव की घटना ने वर्तमान शिव सेना सरकार व केन्द्र सरकार में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। व वर्तमान शिव सेना सरकार ने एस.आई.टी. जाँच की रिपोर्ट अपनी सरकार के शिल्पी एन.सी.पी. प्रमुख शरद पवार द्वारा नाराज होने पर नहीं दी गई।

इस प्रकार हम देखते है कि चाहे राष्ट्रीय विषय हो या क्षेत्रीय विषय इनको लेकर केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में समय-समय पर खटास पड़ जाती है। जिससे संघवाद की अन्तर आत्मा को कहीं-न-कहीं आघात पहुंचता है। जो भारतीय लोकतन्त्र के लिए चिंता का विषय है। केन्द्र व राज्यों को चाहिए की वह मर्यादित राजनीति द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष एवं उसकी इकाइयों के विकास के लिए काम करे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बसु, दुर्गादास, भारत का संविधान एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2013
2. चौधरी, बी.बी., भारतीय संविधान का कार्यात्मक रूप एवं राजनीतिक सिद्धान्त, महावीर पब्लिकेशन, दिल्ली, 2015
3. आस्टिन, ग्रेनविल, भारत का संविधान : राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफॉर्ड पब्लिकेशन, जयपुर, 1999
4. विस्वाल, तपन, तुलनात्मक राजनीति एवं सस्थाएं एवं प्रक्रियाएं, ऑरियेन्ट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, 2016
5. चारी, चन्द्रा, फेडरल कॉनसेप्ट-दॉ इण्डियन एक्सपिरियन्स, एलाइड पब्लिशर, नई दिल्ली, 1992
6. सिंघवी, डॉ. लक्ष्मीमल, भारत का संविधान, प्रभात पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011
7. शर्मा, जयप्रकाश, फेडरल सिस्टम ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, प्रिन्टवेल पब्लिकेशन, जयपुर, 1987
8. शर्मा, धर्मराज, भारतीय संघ व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2016
9. राव, हेमलता, फिशकल फेडरलिज्म ईश्यु एण्ड पॉलिसिज, न्यू सेन्चुरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 135-138

दलित उत्थान में महात्मा गाँधी की भूमिका

डॉ. शालिनी सांदू

सहायक आचार्य
संत जयाचार्य महिला महाविद्यालय, शास्त्री नगर, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

दलित उत्थान में महात्मा गाँधी का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है वे मानव मानव के बीच के भेद को मानने से इनकार करते थे महात्मा गाँधी इस युग के एक महान अलौकिक युग पुरुष हुए है। उनके कार्य कलाप अनेक दिशाओं में फैले हुए थे जहाँ वे राजनीति में अग्रणी थे, वहां सामाजिक सुधारों की प्रति भी ना केवल उनका उत्साह सराहनीय था अपितु उनके समाज सुधार के भारत व्यापी आन्दोलन में इस दिशा में क्रान्ति फैला दी थी। उनका कहना था कि किसी भी समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों से सम्पूर्ण विश्व का अंत होता है वे छुआछुत को सबसे बड़ी बुराई मानते थे।

संकेताक्षर : *अस्पृश्यता उन्मूलन, दलितोत्थान, लोक शिक्षण*

प्रस्तावना

महात्मा गाँधी के जीवन से हमे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महात्मा गाँधी जिन्होंने सत्याग्रह, सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चले और भारत को स्वतंत्रता दिलवाई, गाँधी के जीवन में अनेक ऐसी विशेषताए है जिन्हें जानकर हमे समझना है कि क्या कारण था कि हर व्यक्ति गाँधी जी के जीवन से जुड़ने लगा व भारत की सेना के रूप में खड़ा हुआ। गाँधी जी ने दलित उत्थान की बात कही दलितों को पहले कई नामों से पुकारा जाता था उनको हरिजन नाम गाँधी जी ने ही दिया।[1]

अध्ययन का उद्देश्य

1. गाँधी जी के दलित उद्धार सम्बन्धी किये गये प्रयासों का स्पष्टीकरण करना।
2. गाँधी जी व अम्बेडकर के प्रयासों में अंतर को बताना।
3. हिन्दू समाज में दलितों को ईश्वर का नाम देकर उन्हें ईश्वर तुल्य मानना।
4. हिन्दू समाज में ऊंच व नीच के भेदभाव को समाप्त करना।
5. हिन्दू समाज को विभाजित किये बिना दलितों का उद्धार करना।

अस्पृश्यता उन्मूलन

सत्य के लिए गाँधी की अटल खोज ने शीघ्र ही उनके जाति प्रथा के उत्पीडन एवं अनादर भाव का अनुभव करा दिया था वे जान गये थे कि निम्न जाति के लोग जो अछूत जो अस्प्रश्य कहलाते थे यहाँ तक कि उन्हें शुद्र और चांडाल भी कहा जाता था वे कितनी अवमानना और दमन सह रहे थे वे अभागे व्यक्ति जिन्हें सदियों से गाँव की सीमा के बाहर रहना पड़ता था अपने जीविका उपार्जन के लिए निम्नतम व घृणित कार्य करते थे। गाँधी ने इन्हें हरिजन (ईश्वर की संतान) का नाम दिया और स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संघर्ष में उनकी मुक्ति को उस संग्राम का अविभाज्य अंग बनाया। उन्होंने इस नये नाम के लिए जो तर्क दिया हुआ था हरिजन का तात्पर्य -ईश्वर की संतान से है।[2]

जिस समय बापू लोगों को आजादी के लिए एकजुट करने में लगे हुए थे उस समय भारत में अस्पृश्यता और छुआछुट का बोलबाला था स्वर्ण जाति के लोग निम्न जाति के लोगो से मनमाना काम करवाते थे और बहुत ही बर्बर व्यवहार करते थे बापू भेदभाव की इन बातो को उचित नही मानते थे उनका कहना था कि जब ईश्वर ने उन्हें बनाने में कोई भेदभाव नही किया तो जाति के आधार पर उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है हर इन्सान ईश्वर की रचना

है मगर काफी प्रयत्नों के बाद भी छुआछुत की धारण लोगो के मन से मिट नही रही थी।[3]

हरी का अर्थ है ईश्वर या भगवन और जन का अर्थ है लोग महात्मा गाँधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिन्दू समाज के उन समुदायों के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। इनके साथ ऊंची जाति के लोग छुआछूत का व्यवहार करते थे, उन्हें अछूत मानते थे सामाजिक पुनर्निर्माण और इनके साथ भेदभाव समाप्त करने के लिएए गाँधी जी ने उन्हें ये नाम दिया था और बाद में उन्होंने हरिजन नाम से समाचार पत्र भी निकला जिसमे इस सामाजिक बुराई के लिए नियमित लेख लिखते थे।[4]

महात्मा गाँधी के अस्पृश्यता से जुड़े हुए विचार : गाँधी जी का मानना था कि भारत को एक सूत्र में बाँधने में सबसे बड़ी बाधा अस्पृश्यता और जातिवाद है। समाज में शोषण एवं अन्याय का भी एक बड़ा कारण जाति वर्ण का भेदभाव रहा है। उन्होंने अस्पृश्यता की तुलना एक हजार फन वाले विषैले सांप से की है और कहा कि इस विशाप्त परंपरा से देश के लाखो लोगो का जीवन अभिशाप बना गया है।

गाँधी जी का मनना था कि यदि सभी में एक ही आत्मा है और एक ही ईश्वर है तो अछूत कोई नही है। जैसे ढेढ़, भंगी अछूत माने जाते है लेकिन वे अछूत नही है, वैसे ही मुर्दा भी अछूत नही है वह सम्मान और करुणा का पात्र है।

गाँधी जी के अनुसार अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का अंग नही है बल्कि उसके घुसी हुई सडन है, वहम है, पाप है और उसको दूर करना हर एक हिन्दू कर धर्म है। गाँधी का दृढ एवं सही विश्वास है कि अछूतों की दुरावस्था के लिए सवर्ण जिम्मेदार थे। अस्पृश्यता को धर्म की कोई स्वीकृति प्राप्त नही है यह शैतान के द्वारा बनाई गई एक भृष्ट परंपरा है शास्त्रों का सबसे ज्यादा हवाला भी शैतान ही देता है। कोई भी शास्त्र मानवीय विवेक एवं सत्य से ऊंचा नही है। उनका उद्देश्य ही विवेक को शुद्ध करके सत्य को अलौकिक करना है।

गाँधी का मत था कि स्म्रतियों एवं वेदों में जो अस्पृश्यता का उल्लेख है जन्म से ही बल्कि बाहरी आचरण से है इसलिए इनका मानना था कि मनुष्य को जन्म के कारण अस्प्रश्य मानाने के बदले बाहरी आचरण के कारण अस्प्रश्य मनना चाहिए क्योकि भीतरी स्वच्छता पर नियंत्रण हो सकता है और फिर प्रत्येक सभ्य समाज में ही यही नियम माना जाता है।[5]

गाँधी कहते है कि एक स्वस्थ प्रकार की अस्पृश्यता सभी धर्मों में पाई जाती है वह स्वच्छता एवं सफाई का नियम है। लेकिन भारत में आज जैसी अस्पृश्यता मानी जाती है उसका हिन्दू धर्म में कोई प्रमाण नही है।[6]

महात्मा गाँधी द्वारा दलित उत्थान के लिए किये गये प्रयास

1. अस्पृश्यता विरोधी–महात्मा गाँधी बचपन से ही अस्पृश्यता को नहीं मानते थे उनका मन इन्सान इन्सान के बीच इतना भेद हो सकता है कि एक को स्पर्श करने से दूसरा भृष्ट हो जाता है यह स्वीकार करने को तैयार ही नही था इसलिए मात्र भक्त होने के बाबजूद वे उकाभाई भंगी को ना छूने के के आपनी माँ के आदेश का पालन भी नही कर पाए थे।

2. पत्नी का विरोध करना–जब गाँधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तब कस्तूरबा ने एक अस्पर्श्य क्लार्क का एक पॉट साफ़ करने से इनका कर दिया तो गाँधी जी उन्हें धमकाकर घर से निकालने पर आमदा हो गये थे इस घटना के कारण उन्हें पत्नी के प्रति अन्याय करने वाला पुरुष समझा जाने लगा। लेकिन उनके इस क्रोध के पीछे दलितो के प्रति प्रेम छिपा था।

3. आश्रम में छुआछूत का विरोध–भारत आकर महात्मा गाँधी ने अहमदाबाद के कोचरण में आश्रम शुरु किया समाज में छुआछूत का बाद जोर था एक बुनकर परिवार को गाँधी जी के आश्रम में रहने के लिए भेजा गाँधी जी ने दुधाभाई नाम के उस बुनकर को सपरिवार आश्रम में रख लिया। अहमदाबाद के सारे वैष्णव गुस्सा हो गये कि आश्रम को आर्थिक मदद देना बंद कर दिया गाँधी जी ने कहा कि आश्रम नही चलेगा तो हम हरिजनवास में जाकर रहेंगे लेकिन दुधा भाई परिवार को आंच नही आने देंगे। दूसरी ओर आश्रम के निवासियों को भी दुधा भाई परिवार का रहना खटक रहा था। गाँधी जिन्हें आश्रम के प्राण कहा करते थे उस मगनलाल गाँधी की पत्नी संतोक बहन दुधा भाई परिवार के साथ रहना खाना सह नही सकी इतने विषम परिस्थितयों में भी गाँधी जी ने दुधा भाई साथ नही छोड़ा।[7]

4. सेवाग्राम के कार्य–गाँधी जी ने यह पक्का निश्चय किया था कि वे सबके मन से इस धारण को निकलकर ही दम लेंगे जाति से कोई बड़ा छोटा नही होता है। एक दिन उन्होंने सोचा कि लोग निम्न जाति के लोगो से नफ़रत इसलिए करते थे क्योकि वे मैला ढोने और पाखाना साफ़ करने का काम करते है जबकि कोई कारण नही है कि ये केवल उन्ही के जिम्मे छोड़ दिया जाए। उन्ही दिनों सेवा ग्राम में मैला ढोने का काम करने वाला व्यक्ति काम छोड़कर चला गया था यह देखकर बापू ने सोचा कि लोगो के मन से इस धारण को निकालने का इससे अच्छा अवसर नही हो सकता। उन्होंने आश्रम के सभी लोगो को बुलाया और बोले आप सभी को मालूम है कि मैला ढोने वाला व्यक्ति नही है आईये हम सब मिलजुलकर यह सफाई का काम करते है फिर उन्होंने सबके सामने पाखाने को

साफ़ किया, स्वयं सेवकों में खान अब्दुल गफ्फार भी शामिल थे। छोटे से छोटा काम से घृणा ना करने के कारण स्वयं सेवक इस बात से समझ गये थे कि अछूत कोई नही होता है।[8]

5. गाँधी जी की यात्राएँ—महात्मा गाँधी ने अस्पृश्यता के लिए देश भर में यात्राए की थी 1934 में गाँधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी जो आज तक हरिजन सेवा में रत है। इसी समय गाँधी जी ने अपने पत्रों का नाम हरिजन हरिजन बंधू ऐसे दिये थे। जीवन के अंत तक अनेक कार्यों के बीच गाँधी हरिजनो के लिए फण्ड एकत्रित करना नही भूलते थे।

6. हरिजन पत्रिका का संपादन—गाँधी जी ने सवर्ण हिन्दूओ के हृदय परिवर्तन के लिए हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया। इस पत्रिका के माध्यम से वे अपने विचार जनता तक पहुचाते थे। हिंदी हरिजन का पहला संस्करण 25 फ़रवरी 1933 को निकला। बाद में हरिजन पत्रिका का प्रकाश मद्रास से किया जाने लगा जो सबसे सस्ता नगर था जो वहां अस्पृश्यता की बुराई फैली हुई थी।

7. हरिजन सेवक संघ की स्थापना—30 सितम्बर 1932 के दिन हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। सेठ घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष बनाये गये एवं अमृत लाल ठक्कर को इसका सचिव बनाया गया। गाँधी का मानना था कि जब तक भारतीय हृदय से हरिजन नही बन जाते और हरिजनों की तरह नही रहते एवं श्रम करते तब तक अस्पृश्यता मिटाने की बात करना उपयुक्त नही है। हरिजन सेवक संघ का लक्ष्य सत्य परख एवं अहिंसात्मक द्वारा हरिजनों को सवर्ण जातियों के साथ पूर्ण समानता प्रदान करना था।

8. पूना एक्ट—सविनय अवज्ञा आन्दोलन के द्वारा जब गाँधी यवर्दा जेल में थे तभी मेंगडोनल्ड पंचाट की घोषणा की गई इसमें भारत में विशेषत: हिन्दू समाज में विभाजन की परवर्तियों को बढ़ावा देने के लिए अछूतों में भेदभाव करना शुरू कर दिया जिसके कारण गाँधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूना समझौते के फलस्वरूप सवर्ण एवं दलित वर्गों के नेताओ के मध्य समझौता हुआ कि दलित लोग हिन्दुओ के साथ ही मतदान करेंगे तथा सभी लोग हरिजनों को राजनैतिक एवं सामाजिक समानता दिलाएंगे।

9. बारडोली सम्मलेन—1922 में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठाक बारडोली में हुई बारडोली सम्मलेन में गाँधी ने अपने भाषण में छुआछूत की तीव्र आलोचना की उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि छुआछुत को हटाने के लिए हमे भागीरथ प्रयत्न करना चाहिए।[9]

गाँधी जी यह कहते थे यदि कोई सनातनी यह सिद्ध कर देगा कि वेदों ने अस्पृश्यता को मान्यता दी है तो वे वेदों को छोड़ देंगे किन्तु अस्पृश्यता को नही छोड़ेंगे। गाँधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहने वाले चर्चिल ने भी गाँधी जी की हरिजन सेवा की प्रशंसा की थी।

अम्बेडकर से गाँधी जी के मदभेद

हरिजन साप्ताहिकी में गाँधी जी ने 11 व 17 जुलाई तथा 15 अगस्त 1936 को लेख में लिखा जात पात तोड़क सम्मलेन मुल्तवी करना अनुचित कदम था, डॉ अम्बेडकर पंडित है उनके विचार सुनने का मौका जनता को मिलना चाहिए था। गाँधी जी ने आगे लिखा वर्ण तथा जाति एक ही है यह अम्बेडकर का कहना ठीक नही। वेदों में वर्ण का उल्लेख केवल कौन काम धंधे करें, इस सन्दर्भ में आया है, एक वर्ण दुसरे से श्रेष्ठ है या दूसरा कनिष्ठ है ऐसा तो कही भी नही कहा है जाति प्रथा खासकर अछूत प्रथा नष्ट होनी चाहिए यह मैं भी मानता हूँ लेकिन उसके लिए वेद तथा स्मृति पर आधारित (हिन्दू) धर्म को ही नष्ट करना चाहिए इस विचार से मैं सहमत नही हूँ। हिन्दू धर्म का मूल तत्व यह है कि सत्य के रूप में ईश्वर एक ही है तथा मानवीपरिवार को अहिंसा का क़ानून अपनाना चाहिए।[10]

अम्बेडकर और गाँधी जी के विचार

20वीं शताब्दी के तृतीय दशक में पहलीबार महात्मा गाँधी और भीमराव अम्बेडकर ने अलग अलग दिशाओ में दलितों की समस्याओ के समाधान के लिए यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ना केवल अधययन किया बल्कि दोनों ने इन जातियों के उत्थान के लिए आन्दोलन भी चलाया। सवर्ण और अवर्ण सुधारको में गांधी ही एक ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अस्पृश्यता की भावना को सवर्णों के हृदयों में पाया। दूसरा हमे यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि गाँधी की केंद्रीय चिंताओ में प्रमुख चिंता इन जातियों की अस्पृश्यता निवारण की थी। यही कारण था कि वे इन समस्याओ के लिए सवर्ण हिन्दू को दोष देते थे और अस्पृश्यता निवारण के लिए सवर्ण हिन्दुओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहते थे।[11]

वास्तविकता यह है कि गाँधी के विचारो में अस्प्रश्य लोग हिन्दू धर्म के एक अंग के रूप में थे यही कारण था कि गाँधी ने गोलमेज सम्मेलन में यह स्पष्ट कह दिया था कि मैं अछूतों के प्रथक निर्वाचन के विरोध में संघर्ष करता हुआ मिट जाऊँगा। क्योकि उसके मत में अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का अंग नही थी वह इसे समूल नष्ट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने कहा था कि इस शैतान रूपी बुराई को जड़ मूल से उखाड़ कर फैक दिया तो जो लोग आज धर्म को देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा मानते है वो फ़ौरन अपनी राय बदल देंगे।[12]

दलित उद्धार में गाँधी जी व अम्बेडकर दोनों का योगदान था लेकिन दोनों का तरीका अलग था गाँधी जी दलितों का उद्धार हिन्दू समाज को विभाजित किये बिना करना चाहते थे।

निष्कर्ष

यह गाँधी जी के ही प्रयास है कि जिसके कारण हरिजनों को मंदिर प्रवेश उनके लिए पाठशालाये कुँए तथा अन्य कार्य किये गये। गाँधी जी द्वारा दिये गये लोक शिक्षण कर परिणाम यह हुआ कि आज हम इन दलितों को समानता की दृष्टि से देखते है। इस लोक शिक्षण का परिणाम इतना जबरदस्त हुआ कि स्वतंत्रता मिलने के साथ ही हमारे देश में अस्पृश्यता निवारण के लिए कानून बन गया जबकि इंग्लेंड जैसे लोक शाही राष्ट्र ने महिलाओ को मताधिकार देने में सालो लगाये, अमेरिका एवं अफ्रीका में श्यामवर्ण लोगों को समान अधिकार मिलने में पीढ़ियाँ चली गई लेकिन भारत में स्वतंत्रता मिलने के साथ ही अस्पृश्यता निवारण का कानून बन गया यह गाँधी जी का ही प्रयास था। गाँधी जी के प्रयासों के कारण आज भारतवर्ष में यह दलित ससम्मान जीवन यापन कर रहे है।

सन्दर्भ सूची

1. शर्मा, डॉ. बबिता, गाँधी अम्बेडकर, दलित एवं सामाजिक न्याय, पृ.सं. 82
2. पास्कल, एलन नाज़रेथ, गाँधी एक अनन्य नेतृत्व, दिनांक 15 नवम्बर 2011, पृ.सं. 106
3. राधा, नाचीज नवभारत टाइम्स.कॉम नवम्बर 28.11.2018
4. हरिजन, वाल्यूम ix, अगस्त 23, 1942, पृ.सं. 32
5. शर्मा, डॉ. बबिता, पूर्वोक्त, पृ.सं. 87
6. कौर, सुरजीत जोली, गाँधी एक अध्ययन, 2007, पृ.सं. 300
7. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.एमकेगाँधी.ओआरजी
8. पूर्वोक्त
9. शर्मा, डॉ. बबिता, पूर्वोक्त, पृ.सं. 91-93
10. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.नवनीतहिन्दी.कॉम, गाँधी और दलित, पान्ना लाल सुराना, नवनीत हिंदी अप्रेल 2016
11. कौर, सुरजीत जोली, गाँधी एक अध्ययन, 2007, पृ.सं. 296-297
12. उपर्युक्त, पृ.सं. 303

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 139-144

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) : राजस्थान के नागौर जिले के सन्दर्भ में

डॉ. गणेशा राम

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में 1954 में शुरू किया गया था। 1981-90 के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दशक में ग्रामीण स्वच्छता पर जोर देना शुरू किया। भारत सरकार ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य प्राथमिक रूप से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा महिलाओं को निजता एवं सम्मान प्रदान करना था। 1999 से ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'' के अन्तर्गत ग्रामीण लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। स्वच्छता पर जागरूकता सृजित करने के लिए प्रथम निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में प्रदान किये गये थे जिनमें पूर्ण स्वच्छता कवरेज और खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों की स्थिति तथा अन्य संकेतकों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर प्राप्त उपलब्धियों और किए गए उपायों को मान्यता प्रदान की गई। पहले के सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के बदले ''निर्मल भारत अभियान'' 1 अप्रैल, 2012 से शुरू किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति को तेज करना था ताकि नवीकृत कार्यनीतियों और स्वच्छता दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से कवर किया जा सके। सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयासों में वृद्धि करने तथा स्वच्छता पर ध्यान संकेन्द्रित करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रमोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 से ''स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)'' शुरू किया गया।[1]

संकेताक्षर : *स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय, ग्रामीण, शौच से मुक्त, सम्पूर्ण स्वच्छता*

प्रस्तावना

वर्तमान में यह मिशन नवीन गठित जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय इसके समन्वयक है। इस मिशन में दो घटक शामिल है- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य महात्मा गाँधी की 150वीं वर्षगांठ 2 अक्टूबर, 2019 तक सम्पूर्ण भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है। इसी दिशा में राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे की बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान को एक वर्ष पहले मार्च 2018 में खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया।[2]

विजन : स्वच्छ भारत का मिशन (ग्रामीण) का उद्देश्य 02 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) भारत की प्राप्ति करना।

मिशन का उद्देश्य

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना एवं महिलाओं को निजता (परदा) और मर्यादा प्रदान करना है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के कवरेज को बढ़ावा देकर 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता लाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सामुदायिक प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का आवश्यकतानुसार विकास करना।
- पारिस्थितिकीय रूप से शुद्ध वातावरण तथा सुरक्षित एवं स्थायी स्वच्छता के लिए प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

- जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता प्रक्रियाएँ और सुविधाएँ अपनाने के लिए समुदायों को प्रेरित करना।
- जेंडर पर महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालना और विशेषकर सीमांत समुदायों में स्वच्छता का सुधार करके उन्हें समाज से जोड़ने को बढ़ावा देना।[3]

प्रावधान : व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय इकाइयों के निर्माण एवं उपयोग करने पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा प्रोत्साहित राशि के रूप में 12, 000 रुपये प्रदान किये जाते है इस राशि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों का अंश का अनुपात क्रमशः 60 : 40 है। यह राशि केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 7200 रुपये तथा 4800 रुपये दिये जाने का प्रावधान है।

पात्रता : प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के पात्र परिवार निम्नलिखित है–

1. समस्त बी.पी.एल. परिवार तथा 2. ए.पी.एल. परिवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त कृषक, भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से अक्षम तथा महिला मुखिया वाले परिवार)।

नागौर जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–नागौर जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का वर्णन इस प्रकार है–

नागौर जिला : परिचय

नागौर जिले की भौगोलिक अवस्थिति $26^0$25' से $27^0$40' उत्तरी अक्षांश तथा $73^0$18' से $75^0$15' पूर्वी देशान्तर के बीच है। नागौर जिले का क्षेत्रफल 17718 वर्ग किमी. है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.18 प्रतिशत है। नागौर जिले की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है तथा यह राजस्थान के मध्य में स्थित है। इस जिले की सीमा 7 जिलों बीकानेर, जयपुर, सीकर, जोधपुर, अजमेर, चुरू व पाली से लगती है।[4] नागौर विशेषरूप से प्रत्येक वर्ष लगने वाले पशु मेलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह जिला खुशबूदार कस्तूरी मैथी के लिए प्रसिद्ध है। नागौर को प्राचीन काल में 'अहिच्छत्रपुर' के नाम से जाना जाता था। इसे राजस्थान का 'धातु नगर' व 'औजार नगरी' भी कहा जाता है। नागौर जिला लोक देवता और लोक संतों की जन्मस्थली एवं कार्यस्थली रहा है तथा पंचायतीराज संस्थाओं की प्रादुर्भाव स्थली तथा नागौरी बैलों की नस्ल के रूप में पूरी दुनिया में विशिष्ट पहचान के साथ प्रसिद्ध रहा है। नागौर जिला भक्त शिरोमणि मीरां बाई, करमा बाई, सत्यवादी वीर तेजाजी, हड़बूजी, जाम्भोजी, वीरवर अमरसिंह राठौड़ की गौरव गाथा, सूफी संत हमीदुद्दीन सुल्तान तारेकिन तथा अकबर के नौ रत्नों में से अबुल फजल व अबुल फैजी तथा बीरबल की जन्म स्थली रही हैं। नागौर जिला प्राचीन महल, किले, हवेलियाँ, दरगाह, मन्दिर आदि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा खनिज उत्पादन, नमक उत्पादन के लिए विख्यात है। विश्व प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल नागौर जिले के मकराना के सफेद संगमरमर से ही निर्मित है।[5]

भारतवर्ष में पंचायतीराज के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की शुरूआत 2 अक्टूबर, 1959 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर के बगदरी ग्राम की पावन धरा पर की गई। राजस्थान के बीचों-बीच बसे होने के कारण इसे राजस्थान का '**हृदय स्थल**' भी कहा जाता है। नागौर जिला पश्चिमी राजस्थान के मरूस्थलीय प्रदेश में आने के कारण यहाँ अर्द्धशुष्क जलवायु पायी जाती है। नागौर जिला जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में चौथा स्थान रखता है। जनगणना 2011 के अनुसार नागौर की कुल जनसंख्या 33, 07, 743 व्यक्ति है। यहाँ की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 19.25 प्रतिशत है। नागौर का जनसंख्या घनत्व 187 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। इस जिले का लिंगानुपात 950 प्रति एक हजार है। यहाँ की कुल साक्षरता 62.80 प्रतिशत है जिनमें महिला साक्षरता 47.81 प्रतिशत तथा पुरुष साक्षरता 77.20 प्रतिशत है।[6]

तालिका 1 : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत फोटो अपलोड की प्रगति (2 अक्टूबर 2014 से जनवरी 2020 तक)

राज्य- जिला	शौचालयों की संख्या बिना अनुमोदित सहित	शौचालयों की संख्या (केवल अनुमोदित)	फोटो अपलोड की संख्या			फोटोअपलोड सभी शौचालयों का प्रतिशत
			अनुमोदित	बिना अनुमोदित	कुल	
राजस्थान	5404607	5404602	4834584	264166	5098750	94.34
नागौर	192892	192892	179888	11719	191607	99.33

स्त्रोत : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार[7]

तालिका 2 : नागौर जिले में उपखंड-वार शौचालयों की फोटो अपलोड संख्या की प्रगति का विवरण (2 अक्टूबर 2014 से जनवरी 2020 तक)

क्र. सं.	उपखंड	बिना अनुमोदित व अनुमोदित कुल शौचालयों की संख्या	केवल अनुमोदित शौचालयों की संख्या	फोटा अपलोड संख्या			फोटो अपलोड वाले सभी शौचालयों का प्रतिशत
				अनुमोदित	बिना अनुमोदित	कुल	
1.	मौलासर	5564	5564	5462	102	5564	100.00
2.	परबतसर	21356	21356	20613	743	21356	100.00
3.	डीडवाना	8562	8562	7960	600	8560	99.98
4.	रियां	9964	9964	9112	841	9953	98.98
5.	लाडनूं	7394	7394	6650	736	7386	99.89
6.	खींवसर	13633	13633	12706	910	13616	99.88
7.	जायल	15235	15235	13718	1483	15201	99.78
8.	डेगाना	21615	21615	20674	891	21565	99.77
9.	मकराना	18545	18545	18447	1	18448	99.48
10.	मेड़ता	21541	21541	20200	1203	21403	99.36
11.	कुचामन	8666	8666	7299	1300	8599	99.23
12.	मूण्डवा	17028	17028	15746	980	16726	98.23
13.	नावा	12697	12697	10617	1791	12408	97.72
14.	नागौर	11092	11092	10684	138	10822	97.57
	कुल	**192892**	**192892**	**179888**	**11719**	**191607**	**99.33**

स्त्रोत : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार[8]

तालिका संख्या-1 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत फोटो अपलोड की तारीख 2 अक्टबर, 2014 से जनवरी, 2020 तक राजस्थान एवं नागौर जिले की प्रगति का उल्लेख है। तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में अपलोड किये गये सभी शौचालयों का प्रतिशत 94.34 जबकि नागौर का 99.33 प्रतिशत है।

तालिका संख्या-2 से स्पष्ट होता है कि नागौर जिले के 14 उपखंडों में अनुमोदित व बिना अनुमोदित सहित कुल फोटो अपलोड की संख्या 1, 91, 607 है जो कि सभी फोटो अपलोड वाले शौचालयों का 99.33 प्रतिशत है। इस प्रकार नागौर जिला ओ.डी.एफ. (खुले में शौच से मुक्त) की लगभग शत प्रतिशत प्राप्ति की ओर प्रगति करते हुये सम्पूर्ण ओडीएफ के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है।

तालिका 3 : नागौर जिले में उपखण्ड-वार शौचालयों का दर्ज विवरण

क्र.सं.	उपखंड	कुल विवरण दर्ज (शौचालय के साथ व बिना)	एलओबी में दर्ज कुल विवरण	कुल विवरण दर्ज (शौचालय के साथ व बिना) एलओबी सहित	शौचालय वाले कुल घरों का दर्ज विवरण
1.	डेगाना	47789	3982	51771	20511
2.	डीडवाना	37411	2084	39495	18458
3.	जायल	45058	4571	49629	20531
4.	खींवसर	33007	1120	34127	10957
5.	कुचामन	34878	293	35171	16647

क्र.सं.	उपखंड	कुल विवरण दर्ज (शौचालय के साथ व बिना)	एलओबी में दर्ज कुल विवरण	कुल विवरण दर्ज (शौचालय के साथ व बिना) एलओबी सहित	शौचालय वाले कुल घरों का दर्ज विवरण
6.	लाडनूं	43199	226	43425	21097
7.	मकराना	47577	795	48372	18783
8.	मेड़ता	59025	895	59920	30097
9.	मौलासर	29141	974	30115	15883
10.	मूण्डवा	33306	706	34012	13128
11.	नागौर	43040	1606	44646	18554
12.	नावा	29314	444	29758	10684
13.	परबतसर	47335	2674	50009	13720
14.	रियां	49537	8343	57880	16938
	कुल	**579617**	**28713**	**608330**	**245988**

स्त्रोत : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार[9]

तालिका संख्या-3 से स्पष्ट होता है कि नागौर जिले में सभी 14 उपखंडों में एल.ओ.बी. सहित कुल शौचालयों की संख्या 6,08,330 तथा शौचालय वाले घरों की कुल संख्या 2,45,988 है। जिले में इन शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उद्देश्य को पूर्ण करने का सपना साकार हुआ है।

तालिका 4 : नागौर जिले में उपखण्ड-वार शौचालय वाले परिवारों की संख्या का दर्ज विवरण

क्र.सं.	उपखंड	बीपीएल	एपीएल			कुल	
			पहचान वाले	बिना पहचान वाले	कुल	एपीएल + बीपीएल	कुल पहचान किये गये परिवार
1.	डेगाना	4492	22467	319	22786	27278	26959
2.	डीडवाना	1134	16596	1223	17819	18953	17730
3.	जायल	2758	21574	195	21769	24527	24332
4.	खींवसर	3350	18188	512	18700	22050	21538
5.	कुचामन	4784	11575	1872	13447	18231	16359
6.	लाडनूं	4123	15355	2624	17979	22102	19478
7.	मकराना	1525	26550	719	27269	28794	28075
8.	मेड़ता	1712	26638	578	27216	28928	28350
9.	मौलासर	1025	10635	1598	12233	13258	11660
10.	मूण्डवा	1559	18267	352	18619	20178	19826
11.	नागौर	812	23569	105	23674	24486	24381
12.	नावा	5206	11342	2082	13424	18630	16548
13.	परबतसर	1796	31814	5	31819	33615	33610
14.	रियां	708	31310	581	31891	32519	32018
	कुल	**34984**	**285880**	**12765**	**298645**	**333629**	**320864**

स्त्रोत : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार[10]

तालिका संख्या- 4 से पता चलता है कि 14 उपखंडों में बीपीएल परिवारों में निर्मित शौचालय जिनकी कुल संख्या 34,984 है। जिले में एपीएल परिवारों की संख्या जिनमें पहचान 2,85,880 तथा बिना पहचान वाले परिवारों की संख्या 12,765 है तो कुल 2,98,645 एपीएल परिवार है। इसी प्रकार जिले में बीपीएल तथा एपीएल को मिलाकर कुल परिवारों की संख्या 3,33,629 है जबकि कुल पहचान किये गये परिवारों की संख्या 3,20,864 है।

तालिका 5 : नागौर जिले में उपखण्ड-वार शौचालय वाले घरों का कवरेज - वर्षवार प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	उपखंड	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कवरेज प्रतिशत
1.	डेगाना	0	131	5733	10357	11057	0	0	100.00
2.	डीडवाना	74	2585	5551	5717	5026	0	0	100.00
3.	जायल	16	863	4824	8909	9915	0	0	100.00
4.	खींवसर	201	3955	4702	7430	5762	0	0	100.00
5.	कुचामन	50	1412	4391	9296	3082	0	0	100.00
6.	लाडनूं	38	1273	4017	10612	6162	0	0	100.00
7.	मकराना	47	839	5867	11003	11038	0	0	100.00
8.	मेड़ता	634	4294	6817	10058	7124	0	1	100.00
9.	मौलासर	54	1403	3970	6988	843	0	0	100.00
10.	मूण्डवा	87	927	4639	11592	2933	0	0	100.00
11.	नागौर	473	3474	5792	7944	6803	0	0	100.00
12.	नावा	59	620	5028	8197	4726	0	0	100.00
13.	परबतसर	5	2134	6139	19771	55	0	0	100.00
14.	रियां	311	3099	4683	15800	8706	0	0	100.00
	कुल	**2049**	**27009**	**72153**	**143674**	**88743**	**0**	**1**	**100.00**

स्त्रोत : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार[11]

इसी प्रकार तालिका संख्या-5 में नागौर जिले में शौचालय वाले घरों की कवरेज की वर्षवार प्रगति रिपोर्ट का उल्लेख है जिसके अनुसार जिले के सभी 14 उपखंडों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के शुरूआती वर्ष 2013-14 में शौचालय वाले घरों की संख्या 2049 थी जो 2014-15 में 27, 009 हो गई। इसी प्रकार 2015-16 में यह बढ़कर 72, 153 हो गई थी। वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक शौचालयों का निर्माण हुआ जिसके कारण शौचालय युक्त घरों की कुल संख्या 1, 43, 674 हो गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यह निर्धारित लक्ष्य के अन्तिम वर्ष 2017-18 में बचे हुए 88, 743 घरों में शौचालय का निर्माण करने साथ ही नागौर जिले में शत् प्रतिशत कवरेज करके स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को 2019 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही प्राप्त कर लिया तथा नागौर जिले को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है।

निष्कर्ष

वर्तमान में यह मिशन नवीन गठित जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय इसके समन्वयक है। इस मिशन में दो घटक शामिल है- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान को वर्ष 2018 में ही लक्ष्य की प्राप्ति करके सम्पूर्ण राज्य को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है। इसी प्रकार सम्पूर्ण देश में इस अभियान का बहुत ही शानदार प्रभाव रहा है कि देश के लगभग सभी राज्यों के घरों में शौचालयों

का निर्माण कर स्वच्छता के मिशन के लक्ष्य को अर्जित करते हुए महात्मा गाँधी की जयंती की 150 वीं वर्षगांठ तक स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में लगभग शत् प्रतिशत सफलता प्राप्त की जा चुकी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री द्धारा की गई घोषणा के अनुसार यह निर्धारित लक्ष्य के अन्तिम वर्ष 2017-18 में शौचालय का निर्माण करने साथ ही नागौर जिले में शत् प्रतिशत कवरेज करके स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को 2019 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही प्राप्त कर लिया तथा नागौर जिले को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। यह मिशन अपने महत्त्वपूर्ण और मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के लोगों को खुले में शौच जाने की मजबूरी से मुक्ति दिलाते हुए उनके सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाने तथा महिलाओं को निजिता (परदा) और मर्यादा प्रदान करने में सबसे कारगर सिद्ध हुआ है। इस मिशन की सफलता का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जाता है जिनकी वजह से आज देश 'स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत' के सपने को साकार करने में सफल हुआ है।

सन्दर्भ सूची

1. राजस्थान पत्रिका : 3 अक्टूबर, 2014
2. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.स्वच्छभारतमिशन.जीओवी.इन
3. उपर्युक्त
4. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.नागौर.राजस्थान.जीओवी.इन
5. गुप्ता, मोहनलाल, नागौर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, शुभद्रा प्रकाशन, जोधपुर, 1999, पृ.सं. 89
6. जनगणना रिपोर्ट-2011 : भारत सरकार
7. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राज्य रिपोर्ट-2020, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार
8. उपर्युक्त
9. जिला रिपोर्ट-2020, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
10. उपर्युक्त
11. उपर्युक्त

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 7, Issue 2 | Nov. 2019 - April 2020 | pp. 145-150

साक्षरता में स्थानिक विभिन्नता प्रतापगढ़ (राज.) जिले का अध्ययन

सीमा चौधरी

शोधार्थी, केरियर पोइंट यूनिवर्सिटी, कोटा (राजस्थान)

डॉ. एम.जेड.ए. खान

सह आचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

शोध सारांश

शिक्षा किसी भी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का मुख्य आधार होती है, इसके बिना उस क्षेत्र के उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा लोगों में तार्किक चिन्तन, मूल्यों की समझ तथा वैज्ञानिक सोच के विकास के माध्यम से मानवतावादी दृष्टिकोण पैदा करती है, जिससे लोग रूढ़िवादी धारणाओं, मान्यताओं, परम्पराओं तथा अंधविश्वासों का त्याग कर विकास की नयी राह पर बढ़ने को अग्रसर होते हैं। शिक्षा ही वह माध्यम है जो लोगों को अंधकार युग से उन्नति के प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। साक्षरता शब्द का अर्थ है पढ़ने और लिखने की क्षमता। यह पत्र साक्षरता की स्थिति का विश्लेषण करने का एक प्रयास है। प्रस्तुत शोध पत्र में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रतापगढ़ जिले की 153 ग्राम पंचायतों में लिंग एवम् सामाजिक वर्ग के अनुसार स्थानिक विभिन्नता का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया हैं।

संकेताक्षर : *विषमता, स्थानिक भिन्नता, शिक्षा और साक्षरता*

प्रस्तावना

आधुनिक समय में मानव विकास की नवीन अवधारणा में शिक्षा को मानव विकास के एक प्रमुख आयाम के रूप में मान्यता दी गई। शिक्षा में लोगों की सहभागिता उस देश के नागरिकों की राजनैतिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार तथा संसाधनों तक पहुँच को दर्शाती है। अर्थात् जिस देश के नागरिकों की शिक्षा में सहभागिता अधिक होगी, उस देश के नागरिकों की राजनैतिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार तथा संसाधनों तक पहुँच भी अधिक होगी। हमारे देश में शिक्षा को संवैधानिक दर्जा देते हुए इसे बालकों के मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। देश के संविधान के अनुच्छेद 21क में शिक्षा को बालकों के मौलिक अधिकार तथा 51क (ट) में अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्णित किया गया है। साथ ही 6-14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बनाते हुए अभिभावकों तथा सरकारें किसी भी परिस्थिति में अपने 6-14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को यह शिक्षा उपलब्ध करवायेंगे। यह भी संविधान में वर्णित किया गया है। साक्षरता से आशय पढ़ने, लिखने और उपयोग करने की क्षमता से हैं। यूनेस्को साक्षरता को अलग-अलग संदर्भो से संबंधित मुद्रित और लिखित सामग्रियों का उपयोग करके पहचानने, समझने, व्याख्या करने, बनाने, संवाद करने और गणना करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है। प्रस्तुत पत्र में प्रतापगढ़ जिले में साक्षरता की विषमताओं का पता लगाने का प्रयास किया गया है। प्रतापगढ़ जिले को अध्ययन क्षेत्र के रूप में लिया गया है। अनुसूची जनजाति की आबादी यहाँ अधिक है और साक्षरता कम है। कुछ ब्लॉक में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है एवं शैक्षिक विकास के लिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि किन क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत कम है।

उद्देश्य

1. साक्षरता में स्थानिक भिन्नता का पता लगाना।
2. लिंग एवम् सामाजिक वर्गानुसार असमानता का पता लगाना।

अध्ययन क्षेत्र

प्रतापगढ़ जिला राजस्थान राज्य में सबसे नया जिला है। यह 26 जनवरी 2008 को राजस्थान के 33 वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया और अध्ययन क्षेत्र संपूर्ण प्रतापगढ़ जिला है, जिसका

भौगोलिक क्षेत्रफल 4448,9 वर्ग किमी है और 8,67,848 लोगों की आबादी हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 165.72 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान, राज्य की जनसंख्या की वृद्धि अर्थात् 21.3 प्रतिशत की तुलना में यहाँ जनसंख्या की वृद्धि 22.84 प्रतिशत है जो अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हैं। कुल मुख्य श्रमिकों में से 89.1 प्रतिशत कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं और केवल 3.9 प्रतिशत श्रमिक विनिर्माण गतिविधियों में लगे हुए हैं। जिले की साक्षरता जनसंख्या 55.3 प्रतिशत है और महिला साक्षरता केवल 41.1 प्रतिशत है। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। 64.36 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की है, यह जिला प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफी समृद्ध है। प्रतापगढ़ जिले में पांच ब्लॉक शामिल हैं- अरनोद, छोटी सदडी, धरियावद, पीपलखूंट और प्रतापगढ़ हैं। इन पांचों ब्लॉक में 153 ग्राम पंचायतें हैं।

शोध विधि

प्रतापगढ़ जिले की 153 ग्राम पंचायत के आंकड़ों का संग्रह विभिन्न सरकारी संगठनों और भारत जनगणना- 2011 से किया गया है। डेटा प्रदर्शन के लिए तालिका एवम् मानचित्र का उपयोग किया गया हैं। मानचित्र निर्माण के लिये कार्टोग्राफिक तकनीक का उपयोग किया गया है।

साक्षरता: एक अवलोकन

भारत में साक्षरता सामाजिक-आर्थिक प्रगति की कुंजी है और भारतीय साक्षरता दर 1947 में 12 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 74 प्रतिशत हो गई है। साक्षरता का यह स्तर विश्व औसत साक्षरता दर 8.4 प्रतिशत से नीचे है। भारत में साक्षरता दर में व्यापक लैंगिक असमानता है, 2011 में प्रभावी साक्षरता दर (आयु 7 और उससे अधिक) पुरुषों की 82.14 प्रतिशत और महिलाओं की 65.46 प्रतिशत थी। 2011 की राजस्थान की साक्षरता दर में 66.11 प्रतिशत थी। पुरुष साक्षरता दर 79.19 प्रतिशत थी और महिला साक्षरता 52.12 प्रतिशत थी, 2011 की जनगणना के अनुसार उच्च साक्षरता दर कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर की शहरों में है जहाँ साक्षरता दर 70 से 77 प्रतिशत के बीच है और शहरों में सबसे कम साक्षरता दर जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर की है जहाँ साक्षरता दर 54 से 57 प्रतिशत है। 2011 में प्रतापगढ़ जिले की साक्षरता दर 55.37 है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 68.93 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 41.72 प्रतिशत थी। प्रस्तुत शोध पत्र में साक्षरता का विश्लेषण प्रतापगढ़ जिले के 5 ब्लॉक, 153 ग्राम पंचायतों के मध्य किया गया हैं। जिले में साक्षरता के स्तरों में बहुत अधिक क्षेत्रीय विषमताएं और पिछड़ापन है।

अध्ययन क्षेत्र में ब्लॉक वार साक्षरता दर

प्रस्तुत शोध पत्र में साक्षरता दर का विश्लेषण प्रतापगढ़ जिले के 5 ब्लॉकों के 153 ग्राम पंचायतों के मध्य लिंग एवम् सामाजिक वर्गानुसार किया गया हैं। तालिका संख्या (1) और (2) स्पष्ट रूप से लिंग और सामाजिक समूह के अनुसार विभिन्न ब्लॉक के बीच साक्षरता में असमानताओं को दिखाती है। कुल जनसंख्या साक्षरता को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 45 प्रतिशत से कम साक्षरता वाले वर्ग में दो ब्लाक धरियावद और पीपलखूंट आते हैं, अरनोद ब्लाक मध्यम वर्ग में आता हैं जिसमें 45-60 प्रतिशत साक्षरता हैं। छोटी सादडी व प्रतापगढ़ में 60 प्रतिशत से अधिक साक्षरता है।

तालिका 1 : सामाजिक समूहवार और लिंगवार साक्षरता दर 2011

ब्लॉक	लिंगवार साक्षरता दर		सामाजिक समूहवार साक्षरता दर			औसत/कुल
	पुरुष	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	
धरियावद	56.33	31.40	51.27	36.63	72.63	43.69
पीपलखूंट	56.03	32.45	46.13	43.58	63.39	44.33
छोटी सादड़ी	79.32	48.29	65.56	46.21	75.69	63.98
प्रतापगढ़	78.96	51.99	68.75	50.25	78.92	65.62
अरनोद	74.00	44.49	62.14	51.38	76.86	59.24
कुल	68.93	41.72	58.77	45.61	73.50	55.37

जिले के विभिन्न ब्लॉकों के बीच में लिंगानुसार साक्षरता दर में विषमताएँ

पुरुष साक्षरता–पुरुष साक्षरता के संबंध में प्रतापगढ़ जिले के पांच ब्लॉकस् में से धरियावद और पीपलखूंट की साक्षरता 60 प्रतिशत से नीचे है, अरनोद साक्षरता की मध्य श्रेणी में आता है, जो 60 से 75 प्रतिशत तक है, छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़ में साक्षरता प्रतिशत 75 से अधिक है जो कि उच्च वर्ग में आता हैं।

महिला साक्षरता–महिला साक्षरता के संबंध में प्रतापगढ़ जिले के पांच ब्लॉकों में महिला साक्षरता धरियावद और पीपलखूंट में 35 प्रतिशत से कम हैं छोटी सादडी और अरनोद में साक्षरता दर 35-50 प्रतिशत के बीच है, एवम् प्रतापगढ़ ब्लॉक में महिला साक्षरता 50 प्रतिशत से अधिक है।

तालिका 2 : जिले में लिंग/ सामाजिक श्रेणीवार साक्षरता दर

लिंग/सामाजिक श्रेणी	श्रेणीवार साक्षरता दर		
	निम्न	**मध्यम**	**उच्च**
पुरुष	< 60	60-75	> 75
	धरियावद, पीपलखूंट	अरनोद	छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़
महिला	< 35	35-50	> 40
	धरियावद, पीपलखूंट	अरनोद, छोटी सादड़ी	प्रतापगढ
अनुसूचित जाति	< 40	40-60	> 60
	पीपलखूंट	धरियावद	अरनोद, प्रतापगढ, छोटी सादड़ी
अनुसूचित जनजाति	< 40	40-50	> 50
	धरियावद	पीपलखुंट, छोटी सादड़ी	अरनोद, प्रतापगढ़
सामान्य	< 65	65-75	> 75
	पीपलखूंट	धरियावद	छोटी सादड़ी, प्रतापगढ, अरनोद
औसत	< 45	45-60	> 60
	पीपलखूंट, धरियावद	अरनोद	छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़

जिले के ब्लॉकस् के मध्य सामाजिक वर्गानुसार साक्षरता दर में असमानताएँ

तालिका सं. 1 और 2 स्पष्ट रूप से प्रतापगढ़ जिले में ब्लॉक के बीच सामाजिक वर्गानुसार साक्षरता में असमानता को दर्शाती है, सामाजिक समूहों में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग शामिल हैं।

अनुसूचित जाति–2011 की जनगणना के अनुसार, पीपलखूंट तहसील में सबसे कम साक्षरता दर 40 प्रतिशत से कम थी। छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ और अरनोद ब्लाक में उच्च अर्थात् 60 प्रतिशत से अधिक थी जबकि धरियावद में साक्षरता दर 40 से 60 प्रतिशत के मध्य थी।

अनुसूचित जनजाति–अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर के संबंध में, धरियावद ब्लॉक में साक्षरता 40% से कम रही। छोटी सादड़ी और पीपलखूंट ब्लाक में साक्षरता दर 40 से 50 प्रतिशत के बीच है। प्रतापगढ़ और अरनोद ब्लॉक में साक्षरता दर 50 प्रतिशत से अधिक हैं

सामान्य–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा, सामान्य जाति में साक्षरता दर को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, 65 प्रतिशत से नीचे के वर्ग में पीपलखूंट ब्लॉक आता है, 65 से 75 प्रतिशत के मध्य श्रेणी में धरियावद ब्लॉक आता है, प्रतापगढ़, अरनोद और छोटे सादड़ी ब्लॉक में साक्षरता 75 प्रतिशत से ऊपर है।

ग्राम पंचायतवार औसत साक्षरता दर

तालिका नं. 3 और मानचित्र सं. 1 से स्पष्ट हैं कि जिले की 153 ग्राम पंचायतों की साक्षरता दर में बहुत विभिन्नता है। औसत साक्षरता को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, निम्न, निम्न, मध्यम, उच्च और बहुत अधिक।

तालिका 3 : कुल साक्षरता दर, 2011

ब्लॉक नाम	औसत साक्षरता दर/ग्राम पंचायतों की संख्या					
	< 30	**30-40**	**40-50**	**50-60**	**60-70**	**कुल ग्राम पंचायतें**
अरनोद	0	6	10	8	6	30
छोटी सादड़ी	0	4	5	10	6	25
धरियावद	10	16	2	0	2	30

ब्लॉक नाम	औसत साक्षरता दर/ग्राम पंचायतों की संख्या					
	< 30	30-40	40-50	50-60	60-70	कुल ग्राम पंचायतें
पीपलखूंट	5	12	6	0	1	24
प्रतापगढ़	5	3	7	12	17	44
कुल जिला	20	41	30	30	32	153

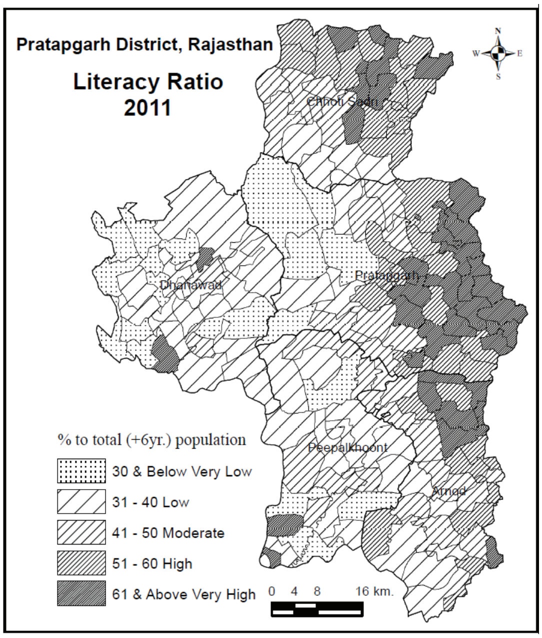

धरियावद ब्लॉक की 30 ग्राम पंचायतों में से 28 ग्राम पंचायतों में साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम है और केवल 2 ग्राम पंचायतों में साक्षरता दर 50 प्रतिशत से अधिक है। जबकि प्रतापगढ़ की 44 ग्राम पंचायतों में से 29 ग्राम पंचायतों में साक्षरता दर 50 प्रतिशत से अधिक है। मानचित्र से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता हैं कि प्रतापगढ़ जिले के पूर्वी क्षेत्र में साक्षरता 50 प्रतिशत से अधिक है और पश्चिमी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत से कम है।

ग्राम पंचायतवार पुरुष और महिला साक्षरता दर

तालिका संख्या 4 और मानचित्र सं. 2 और 3 स्पष्ट रूप से लिंग के अनुसार साक्षरता दर में स्थानिक भिन्नता को दर्शाते है। जिले की 153 ग्राम पंचायतों में से 94 ग्राम पंचायतों में पुरुष साक्षरता 50 प्रतिशत से अधिक पाई गई, जबकि महिला साक्षरता 50 प्रतिशत से अधिक की केवल 16 ग्राम पंचायतों में पाई गई। पीपलखूंट में, 1 ग्राम पंचायत में भी, महिला साक्षरता 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है, केवल 1 ग्राम पंचायत में, महिला साक्षरता 40 से 50 प्रतिशत के बीच है।

मानचित्र नं. 2 जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पुरुष साक्षरता के प्रतिशत को दर्शाता है। उपरोक्त मानचित्र में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उत्तर पूर्वी से मध्य पूर्वी ग्राम पंचायतों की पुरुष साक्षरता दर 50 प्रतिशत से अधिक है। मानचित्र नं. 3 विभिन्न ग्राम पंचायतों में महिला साक्षरता के प्रतिशत प्रतिरूप को दर्शाता है, जो कि पुरुष साक्षरता के प्रतिरूप की तरह है। उपरोक्त मानचित्र में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उच्च महिला साक्षरता का प्रतिशत उत्तर पूर्वी और मध्य पूर्वी क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में पाया गया। विभिन्न ग्राम पंचायतों में, प्रतापगढ़ की केवल 10 ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत से अधिक महिला साक्षरता पाई गई हैं।

तालिका 4 : क्षेत्र में लिंगवार साक्षरता अनुपात

ब्लॉक् नाम	लिंग के अनुसार साक्षरता दर/ग्राम पंचायतों की संख्या										कुल ग्राम पंचायतें
	महिला					पुरुष					
	<40	40-50	50-60	60-70	70>	<20	20-30	30-40	40-50	50>	
अरनोद	0	4	10	8	8	0	8	9	11	2	30
छोटी सादड़ी	0	4	4	5	12	1	5	7	10	2	25
धरियावद	10	16	2	1	1	9	17	2	0	2	30
पीपलखूंट	7	11	5	0	1	6	12	5	1	0	24
प्रतापगढ़	5	2	7	7	23	5	4	8	17	10	44
कुल जिला	32	37	28	21	45	21	46	31	39	16	153

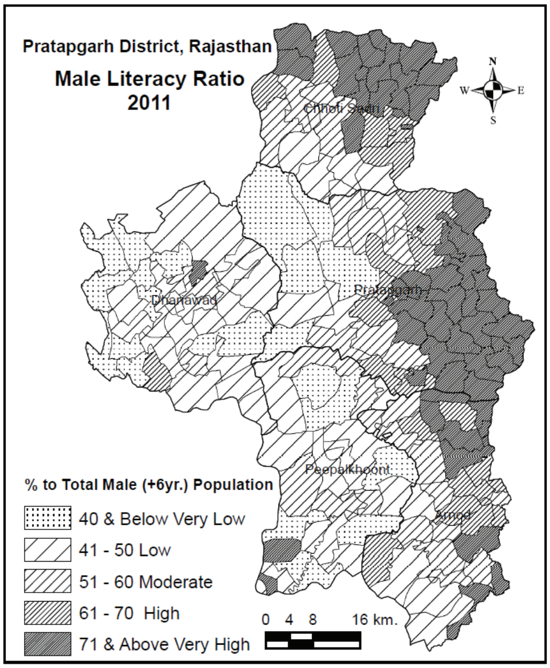

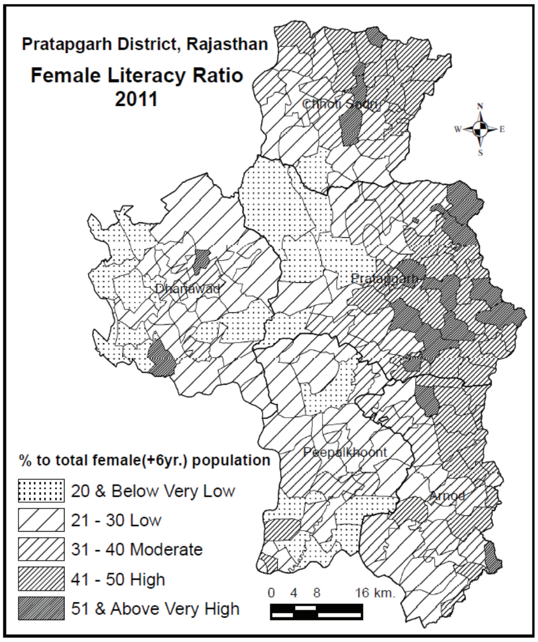

विभिन्न पंचायत समितियों में कम साक्षरता प्रतिशत के लिए उत्तरदायी कारक–

1. भौगोलिक स्थिति–प्रतापगढ़ जिला अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाला जिला हैं जिसमे अधिकांश परिवार पृथक परिवारों के रूप में पहाड़ों पर निवास करते हैं। इस स्थिति में इस क्षेत्र के लोगों का संपर्क समाज से कम होने के कारण वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. सामाजिक कारण–जनजातीय क्षेत्र की सामाजिक संरचना ऐसी है कि जनजातियों के महिलाएं एवम् पुरुष दोनों कृषि, श्रम, पशुपालन कार्यों में संलग्न रहते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा में रूचि कम हैं। क्षेत्र में नशे की लत भी प्रमुख सामाजिक समस्या हैं।

3. आर्थिक कारण–इस क्षेत्र में रोजगार स्रोतों की कमी है। आजीविका के लिए, जनसंख्या श्रम और कृषि पर निर्भर करती है। सिंचाई के अपर्याप्त स्रोतों के कारण कृषि मानसून पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र बहुत कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप उपज भी पर्याप्त नहीं है।

4. परिवहन के साधनों की कमी–प्रतापगढ़ जिला में परिवहन के साधनों का अभाव है जो इस क्षेत्र के निवासियों के अलगाव का एक बहुत बड़ा कारण है। इस क्षेत्र की आबादी की अपनी संस्कृति है।

5. प्रवासन–इस जिले की पूर्वी सीमा मध्यप्रदेश राज्य की सीमा से मिल रही है, जिससे इस क्षेत्र के लोग रोजगार के उद्देश्य से मध्यप्रदेश की ओर पलायन कर रहे हैं।

साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास

साक्षरता दर बढ़ाने के लिए प्रतापगढ़ जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं-

1. बी.एड. प्रशिक्षु के माध्यम से अशिक्षित को शिक्षित करने की योजना बनायी जानी चाहिये।।

2. शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले प्रचारकों को पारिश्रमिक देकर शिक्षा की जागरूकता की योजना को सफल बनाना चाहिये।

3. रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के भीतर काम करने की जगह पर शिक्षित करने की व्यवस्था की जानी चाहिये । प्रतापगढ़ में जिला रोजगार उन्मुख कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहाँ बड़ी संख्या में महिला मजदूर काम कर रही हैं। उन्हें शिक्षित करने के लिए इन शिक्षा केंद्रों के प्रेरकों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जो एक घंटे के लिए कार्य स्थल पर शिक्षण कार्य करे।

4. शिक्षा केंद्रों के प्रेरकों को प्रत्येक माह में 10 निरक्षर को शिक्षित करना अनिवार्य कर देना चाहिये।

निष्कर्ष

सार रूप में प्रतापगढ़ जिले में साक्षरता में स्थानिक विभिन्नता देखी गई जिसके उक्त कारण हैं। साक्षरता बढ़ाने के प्रस्तावित

सुझाव के अनुसार योजना एवं क्रियान्वयन होने पर निश्चित है कि भविष्य में यह विभिन्नता समाप्त हो जायेगी एवं समस्त जिले में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बनर्जी, एम., सिंहभूम जिला, बिहार में लिंग अनुपात का पैटर्न भारत की भौगोलिक समीक्षा, 1977, 39, 30-38
2. चंदना, आर.सी., जनसंख्या संकल्पना, निर्धारकों और प्रतिमानों का भूगोल, कल्याणी पब्लिशर्स प्रा. लि., नई दिल्ली, 2002
3. कायमखानी, आई.एम. एवं चपलोत, बी., राजस्थान में साक्षरता लिंग अनुपात का तुलनात्मक विश्लेषण, एनल्स ऑफ राजस्थान ज्योग्राफिकल एसोसिएशन, 2014, 31, 78-85
4. डे, जे., सिक्किम में घटता लिंगानुपात : एक स्थानिक विश्लेषण, एनईएचयू जर्नल, 2015, 13 (2), 63-73, 5.
5. कौर, एस., कश्मीर का साक्षरता और लिंग अनुपात का भौगोलिक विश्लेषण, डेक्कन जियोग्राफर, 2013, 51(1और 2), 75-81
6. मीना, आर.आर., जिला जनगणना हैंडबुक प्रतापगढ़ ग्राम और नगर निर्देशिका, जनगणना निदेशालय राजस्थान, जयपुर, 2011, श्रृंखला 09 भाग 12
7. पखारे, बी., भारत में साक्षरता दर और लिंग अनुपात के बीच असमानता और सहसंबंध : भौगोलिक विश्लेषण, इंडियन जर्नल ऑफ रीजनल साइंस, 2015, XLVII (1), 120-124
8. शिंदे, पी., सतारा जिले (महाराष्ट्र) में महिला साक्षरता दर और बाल लिंग अनुपात के बीच संबंध : एक भौगोलिक विश्लेषण, ह्यूमनिटीज, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में रिसर्च, अमेरिकन इंटरनेशनल जौर्नल, 2016, 13 (1), 71-73
9. शिंदे, एस.डी. एवं लिंगदेव, वी.बी., खतव तहसील (जिला सतारा) में साक्षरता और लिंगानुपात के बीच सहसंबंध का अध्ययन, रिसर्च फ्रंट, 2017, विशेष अंक नंबर 1, 49-53